इकाई –1 उद्यमिता (**Entrepreneurship**)

इकाई की रूपरेखा

1.1 प्रस्तावना
1.2 उद्यमिता : अर्थ एवं परिभाषा
1.3 उद्यमिता की अवधारणा
1.4 उद्यमिता की विशेषताएं
1.5 उद्यमिता की आवश्यकता
1.6 उद्यमिता के कार्य
1.7 उद्यमिता का क्षेत्र
1.8 उद्यमिता के सिद्धान्त
1.9 उद्यमी
1.9.1 उद्यमी : अर्थ एवं परिभाषा
1.9.2 उद्यमी की प्रकृति
1.9.3 उद्यमी के प्रकार
1.10 सारांश
1.11 शब्दावली
1.12 बोध प्रश्न
1.13 बोध प्रश्नों के उत्तर
1.14 स्वपरख प्रश्न
1.15 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे किः

- उद्यमिता का अर्थ, परिभाषा एवं अवधारणा की व्याख्या कर सकें।
- उद्यमिता की विशषताएं एवं आवश्यकता को जान सकें।
- उद्यमिता के विभिन्न सिद्धान्तों की व्याख्या कर सकें।
- उद्यमी का अर्थ, परिभाषा एवं प्रकार को जान सके।

1.1 प्रस्तावना

एक उद्यमी द्वारा किय गये कार्य को उद्यमिता कहते हैं। उद्यमिता एक आर्थिक क्रिया है जो बाजार में व्याप्त सम्भावनाओं को पहचानने की प्रक्रिया है। किसी भी व्यवसाय का उद्दश्य लाभ कमाना होता है । परन्तु लाभ कमाने के साथ साथ जब व्यवसायी किसी उद्यम को चलाने क लिये नये तरीके से उपलब्ध संसाधनों को एकत्रित करता और साथ में जोखिम उठाता है, ऐसी क्रिया को उद्यमिता कहते हैं।

आर्थिक क्षेत्र में परम्परागत रूप में उद्यमिता का अर्थ व्यवसाय एवं उद्योग में निहित विभिन्न अनिश्चितताओं एवं जोखिम का सामना करने की योग्यता एवं प्रवृत्ति है। जो व्यक्ति जोखिम वहन करते हैं उन्हें साहसी तथा उद्यमी कहते हैं। आधुनिक अर्थ में उद्यमिता का अर्थ गतिशील आर्थिक वातावरण में सृजनात्मक एवं नवप्रवहनकारी योजनाओं एवं विचारों को क्रियान्वित करने की योग्यता है। उद्यमी

नवीन उपक्रम की स्थापना, नियंत्रण एवं निर्देशन के साथ साथ परिवर्तन एवं नव प्रवर्तन भी करता है।

1.2 उद्यमिता : अर्थ एवं परिभाषा

उद्यमिता एक कार्यविधि एवं भावना का समन्वय है। उद्यमिता का प्रयोग प्रचीनकाल से होता रहा है। आर्थिक क्षेत्र में उद्यमिता विचार का प्रारम्भ 18वीं शताब्दी से माना जाता है। उद्यमिता मात्र जीविकोपार्जन की कार्यप्रणाली ही नही बल्कि कौशल एवं व्यक्तित्व विकास की प्रभावी तकनीक भी है। राष्ट्र का आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास उद्यमिता का ही परिणाम हाता है।

आधुनिक युग में औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिय उद्यमिता का महत्वपूर्ण योगदान है। उद्यमिता नये–नये अविष्कारों एवं नवप्रवर्तन को जन्म देता है। उद्यमी प्रवत्तियों के कारण ही अमेरिका, जापान, रूस, जर्मनी आदि ने स्वयं को विकसित देशों की श्रेणी में स्थापित कर दिया है।

उद्यमिता एक विज्ञान, व्यवहार, अवसर के साथ साथ एक कर्मदृष्टि एवं दृष्टिकोण भी है। आर्थिक व्यवस्था एवं विकास के परिवर्तन स्तर के अनुसार उद्यमिता के अर्थ में परिवर्तन हुआ है।

उद्यमिता की परिभाषाएँ

उद्यमिता व्यवसाय में जोखिम उठाने की क्षमता या भावना के साथ–साथ नवप्रवर्तन एवं नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता भी है। अतः कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक है।

1. **जोसेफ शुम्पीटर के अनसारः** '' उद्यमिता एक नवप्रवर्तनकारी कार्य हे। यह स्वामित्व की अपेक्षा एक नेतृत्व कार्य है''।
2. **पीटर एफ ड्रकर के अनुसारः** ''व्यवसाय में अवसरों को अधिकाधिक करना अर्थपूर्ण हे। वास्तव में उद्यमिता की यही सही परिभाषा है''।
3. **प्रो0 राव एवं मेहता के शब्दों मेंः** '' उद्यमिता वातावरण का वृजनात्मक एवं नवप्रवर्तनशील प्रत्यूत्तर है''।
4. **एच0डब्ल्यू0 जॉनसन के अनुसारः** '' उद्यमिता तीन आधारभूत तत्वों का जोड़ है–अन्वेषण, नवप्रवर्तन एवं अनुकूलन''।
5. **रॉबर्ट लैम्ब के शब्दों मेंः** '' उद्यमिता सामाजिक निर्णयन का वह स्वरूप हे जो आर्थिक नवप्रवर्तकों द्वारा सम्पादित किया जाता है''।

1.3 उद्यमिता की अवधारणाएँ

विभिन्न विद्वानों ने उद्यमिता के आशय के अलग–अलग विचार प्रतिपादित किये हैं। प्रमुख विचार निम्नलिखित हैं–

1. **जोखिम अवधारणा–**

इस अवधारणा के अन्तर्गत जोखिम वहन करने वाले को ही उद्यमी माना गया है। और जोखिम और अनिश्चितता के विरूद्ध सफलता प्रदान करने की शक्ति ही उद्यमिता की जोखिक अवधारणा है।

प्रो0 नाइट ने जोखिम को दो भागों में विभाजित किया है–

1. सामान्य जोखिम
2. अनिश्चित जोखिम

2. **संगठन एवं सम्नवय की अवधारणा**

इस अवधारणा के अनुसार उद्यमी को संगठनकर्ता के रूप में जाना जाता हें उद्यमी उत्पादन के विभिन्न साधनों का संयोजन कर नई उपयोगी वस्तु अथवा सेवा का सृजन करता है।

प्रो0 जे0बी0से ने कहा है ''उद्यमिता वह आर्थिक घटक है जो उत्पादन के विभिन्न साधनों को संगठित करता है''।

3. **प्रबन्धकीय कोशल की अवधारणा**

प्रो0 जे0एस0 मिल ने उद्यमिता को निरीक्षण नियन्त्रण एवं निर्देशन की योग्यता माना हैं उद्यमिता की प्रबन्धकीय अवधारणा के अनुसार उद्यमी को प्रबन्धकीय कार्यों को कौशलपूर्ण ढंग से सम्पादन करना पड़ता हे।

4. **नवप्रवर्तन अवधारणा**

नवप्रवर्तन अवधारणा का प्रतिपादन 1934 में शुम्पीटर द्वारा किया गया। उन्होंने उद्यमिता को नवप्रवर्तनशील घटक माना। विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवसाि में उद्यमिता की नवप्रवर्तन अवधारणा का स्वरूप दिखायी देता हे। क्योंकि विकास नवीन परिवर्तनों, सुधारों पर निर्भर करता है।

5. **मनोवैज्ञानिक प्रेरणा की अवधारणा**

मैक्कीलेण्ड ने उद्यमिता को व्यक्ति का आकस्मिक व्यवहार मानकर इसे मनोवैज्ञानिक प्रेरणा माना है। इस अवधारणा के अनुसार उच्च उपलब्धियों को प्राप्त करना ही उद्यमिता है।

1.4 उद्यमिता की विषेषताएँ

उद्यमिता की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1. **जोखिम वहन करना–** उद्यमिता की अधारशीला जोखिम एवं अनिश्चितताओं को वहन करते हुये सफलता पाना हैं । संसाधनों को प्रबन्धित एवं व्यवस्थित ढंग से विनियोजित करना उद्यमी का कार्य होता है जिससे उद्यमिता जोखिमपूर्ण नहीं रह जाती है।
2. **नवप्रवर्तन–** नवप्रवर्तनकारी कार्य उद्यमिता है। नये विचारों, तकनीकों का सृजन करना उद्यमिता है। व्यवसाय में नई खोज, ये यन्त्र एवं नई प्रबन्ध व्यवसाि से उद्यमी सफलता प्राप्त करता है।
3. **रचनात्मक क्रिया–** उद्यमिता, उद्यमी को नये–नये विचारों को क्रियान्वित करने के लिये प्रेरित करता है तथा कार्य में गुणवत्ता भी बढ़ती है जिससे व्यवसायिक विकास होता है।
4. **ज्ञान पर आधारित व्यवहार–** ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर व्यक्ति में उद्यमी के गुण आते हैं और वह अपने अनुभव तथा ज्ञान से उच्च उपलब्धियां प्राप्त करता है।
5. **व्यवसाय अभिमुखी–** उद्यमिता में व्यवसाय करने की प्रवृत्ति निहित रहती हें यह उद्यमी को नय उद्योग प्रारम्भ करने की प्रेरणा देता है।
6. **उद्यमिता सिद्धान्तों पर आधारित है–** उद्यमिता निश्चित सिद्धान्तों पर आधारित है। इसके लिये अर्थशास्त्र, कानून, सामाजिक शास्त्र एवं सांख्यिकी का ज्ञान आवश्यक है।

7. **प्रबन्ध उद्यमिता का माध्यम है–** हर व्ययसायिक उपक्रम में निर्णयों एवं योजनाओं को क्रियान्वयन का माध्यम प्रबन्ध है। सुव्यवस्थित प्रबन्ध से साहसी व्यवसाय में नये नये पनिवर्तन लाता है।

1.5 उद्यमिता की आवश्यकता

1. **सफल इकाइयों की स्थापना–** उद्यमिता से व्यवसायिक इकाइयों को लाभप्रद एवं कुशल बनाया जा सकता है।
2. **नवाचारों को प्रोत्सहन–** उद्यमिता के कारण ही व्यवसायिक नवप्रवर्तन होते हैं। जिसके फलस्वरूप औद्योगिक एवं आर्थिक विकास होता है।
3. **तीव्र आर्थिक विकास–** उद्यमिता से व्यक्ति में उद्यमी की भावना का विकास होता है जिससे उद्यमी व्यवसायिक अवसरों की खोज करते हैं। और संसाधनों का दाहन करते हैं जिससे औद्योगिक एवं आर्थिक विकास तीव्र गति से होता है।
4. **रोजगार के अवसर–** उद्यमिता के विकास से देश में नये उद्योग स्थापित होते हैं जिससे औद्योगिक क्षेत्र का विकास एवं विस्तार होता है और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है।
5. **सन्तुलित विकास–** उद्यमी पिछडे प्रान्तों में उद्योग स्थापित करके न केवल रोजगार प्रदान कर रहे हैं अपितु आर्थिक असमानताओं को भी कम करते हैं।
6. **नवीन बाजारों की खोज एवं विकास–** उद्यमिता नवीन बाजारों की खोज एवं उनका विकास करने में महत्वपूर्ण भुमिका निभाती है। नये शिक्षित एवं प्रशिक्षित उद्यमी नय नये बाजारों को खोजते हैं।
7. **राजकीय नीतियों का क्रियान्वयन–** उद्यमिता राजकीय नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भुमिका निभाती है।
8. **पूँजी निर्माण–** उद्यमिता देश की बचतों को एकत्र करके उसको विनियोग करती है जिससे पूँजी का निर्माण होता है।

1.6 उद्यमिता के कार्य (**Functions of Entreprenurship**)

किसी देश की तीव्र आर्थिक विकास एवं औद्योगीकरण के लिये उद्यमिता के कार्य अतिमहत्वपूर्ण हे। उद्यमिता द्वारा सृजनात्मक एवं नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यों को प्रोत्सहन मिलता है सिसे समाज को नयी–नयी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उद्यमिता समाज के लोगो में नये नये प्रयोग एवं अनुसंधान करने तथा उपयोगिताओं का सृजन करने की योग्यताओं का विकास करके रोजगार के अवसरों में वृद्धि को करने का कार्य करता है। जिससे समाज के लोगों में प्रगति की नयी आकांक्षाएं जागृत होती हैं। इस प्रकार उद्यमिता का कार्य केवल जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि करना ही नहीं है बल्कि समाज के लोगों में नई–नई इच्छाओं, मांगों तथा उपयोग की अभिलाषा उत्पन्न करके उद्यमियों को उद्योग लगाने की प्रवृत्ति को प्रोत्सहित करना हे। उद्यमिता के कार्यों का विस्तृत विश्लेषण निम्न तथ्यों के आधार पर किया जा सकता है।

1. **जोखिम उठानें की क्षमता में वृद्धि करना–** उद्यमिता जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि करने का कार्य करता हे। जिससे अनिश्चितताओं का सामना सरलतापूर्वक कर सकता हे। तथा नये नये उपक्रमों की स्थापना करने

तथा उनके संचालन में आने वाली समस्याओं एवं कठिनाइयों का भी सामना करने में सक्षम होता हे। उद्यमिता उद्यमियों को नई चुनौतियाँ स्वीकार करने के लिये प्रोत्सहित एवं प्रेरित करता है। जिससे समाज में उद्योग धन्धों की स्थापना में वृद्धि होती है और लोगों को रोजगार के साथ साथ उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति हो जाती है। इस प्रकार उद्यमिता उद्यमी के व्यवसाय के संचालन एवं क्रियान्वयन में आने वाले विभिन्न जोखिमों जैसे– बाजार दशाएं, प्रतियोगिता, तकनीकी तथा ग्राहक के रूचियों सरकारी नीतियों, नवाचार इत्यादि से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के सहन करने की क्षतमा में वृद्धि करना, उद्यमिता का प्रमुख कार्य होता है।

2. **संगठन एवं समन्वय सम्बन्धी कार्य**– उद्यमिता साहसियों में संगठन एवं समन्वय सम्बन्धी गुणों के विकास करने का कार्य करता है। जिससे उद्यमी उत्पादन के सभी साधनों जैसे– भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन में समन्वय स्थापित करके समाज के लिये उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करता है जिससे समाज के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है तथा समाज के अप्रयुक्त साधनों का निर्माण करके उत्पादक कार्यों में लगाना तथा नये नये वैज्ञानिक अविष्कारों का उपयोग करे नये नये वस्तुओं का निर्माण करना एवं श्रम शक्ति को गतिशील बनाना उद्यमी का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस प्रकार उद्यमी समाज में उत्पादक साधनों का संगठनकर्ता होता है और उद्यमिता एक आकर्षक घटक है जो उत्पादन के समस्त साधनों को संगठित करता है।

3. **नेतृत्व एवं प्रबन्धकीय कौशल सम्बन्धी कार्य करना**– उद्यमिता साहसियों में जोखि को जान सके। उठाने की क्षमता में वृद्धि करने के साथ साथ उद्यमियों में नवप्रवर्तन एवं नेतृत्व की योग्यता को विकसित करने का कार्य करता है जिससे उद्यमियों में नेतृत्व की योग्यता विकसित होने पर ही वह नये नये सृजनात्मक व नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्य जैसे नवीन अवसर, नवीन वस्तु का पता लगाना, नये उत्पादन विधियों, नये बाजार एवं वितरण तथा नई तकनीक एवं नये कच्चे माल, नये श्रोत का सृजन करना तथा इनका आर्थिक विकास करने के लिये उनपर नेतृत्व प्रदान करना है। इस प्रकार उद्यमिता साहसियों में प्रबन्धकीय कौशल एवं चातुर्थ को भी विकसित करता है जिससे उद्यमी व्यवसाय के संचालन में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। इस प्रकार उद्यमिता साहसियों में नेतृत्व एव नवप्रवर्तनकारी गुणों का विकास करने का कार्य करता है जिससे उद्यमी व्यवसाय में उच्च उपलब्धियों एवं लाभों को प्राप्त करता है। तथा सृजनात्मक एवं नवप्रवर्तनकारी विचारों को गतिशीलता का वातावरण के समायोजन करने का कार्य करता है।

4. **नवप्रवर्तनकारी योग्यता का विकास करना**– उद्यमिता साहसियों में नवप्रवर्तनकारी योग्यता को विकसित करने का कार्य करता है जिससे समाज में नये नये कार्यों का सृजन होता है और समाज को नवीन वस्तुओं का प्राप्त होना है और व्यवसाय में किये गये परिवर्तनों, नवीन सुधारों, नवीन तकनीक का प्रयोग, नवीन वस्तुओं का निर्माण तथा उनमें होने वाले नवाचारों के कारण ही आर्थिक विकास की गति तेज होती है। इस प्रकार आर्थिक विकास की प्रक्रिया में उद्यमी आर्थिक नेतृत्व प्रदान करे व्यवसायिक वातावरण

में एक सृजनात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। उद्यमिता आर्थिक विकास प्रक्रिया का एक मुख्य उत्प्रेरक है। इस प्रकार उद्यमिता व्यवसायिक वातावरण में चिन्तन एवं सृजनात्मकता को प्रेरित एवं प्रोत्सहित करने का कार्य करती है जिससे व्यवसाय में नवीन तकनीकी का विकास साहसियों द्वारा किया जाता है जिसके लिये वह शोध और अनुसंधान का कार्य करते हैं और विक्रय तथा ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करते हैं तथा नये बाजार के अवसरों का पता लगाते हैं।

5. **साहसिक प्रवृत्तियों का विकास करना–** उद्यमिता साहसिक प्रवृत्तियों का विकास करने में महत्वपूर्ण भुमिका निभाती है। जिससे समाज में साहसिक प्रवृत्तियों का जन्म होता है और लोग आलस तथा अकर्मण्ता को त्याग कर स्वतंत्र जीवन जीने तथा आत्म निर्भर बनने एवं कुछ बनाने तथा निर्माण करने के लिये प्रेरित एवं अग्रसर होने लगते हैं तथ उनके सुखी एंव समृद्धि तथा सम्पन्न जीवन जीने के लिये लालायित होने लगते हैं। इस प्रकार उद्यमिता समाज के लोगों में एक रचनात्मक कार्यो को करने की प्रवृत्ति को प्रोत्सहित करती है जिससे समाज में उद्यमियों की संख्या में वृद्धि होती है वे नये उपक्रमों तथा व्यवसाय की स्थापना करने लगते हैं। समाज के लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और उनके आय एवं पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है।

6. **उपयोगिता एवं आर्थिक मूल्यों का सृजन करना–** उद्यमिता उपयोगिता एवं आर्थिक मूल्यों का सृजन करने का कार्य करती है। साधन हो कच्चा माल या सामग्री के रूप में होती है। उद्यमिता उन सामग्री या कच्चे माल का रूप बदलकर उसके गुणों में परिवर्तन करे अथवा उसे नवीन वस्तुओं में निर्मित करके उसे संसाधन में बदल लेती है। जिससे उसके मूल्य का सृजन होता है या उसकी कोई कीमत उत्पन्न होती है और उसके मांग में भी सृजन होता है। इसकी उपयोगिता में वृद्धि होने लगती है जैसे जंगल में पड़ी लकड़ी को कोई मूल्य या उपयोगिता नहीं होती लेकिन उसे जंगल से लाकर फर्निचर या इमारती लकड़ियों में परिवर्तन कर दिया जाता है जो उसकी उपयोगिता और कीमत तथा मांग का सृजन उत्पन्न होने लगता है। इस प्रकार उद्यमिता आर्थिक मूल्यों तथा उपयोगिता एवं धन सृजन की क्षमता को विकसित करने का एक माध्यम है।

7. **लाभप्रद व्यवसायिक अवसरों की पहचान करना–** उद्यमिता लाभप्रद व्यवसायिक अवसरों की क्षमता की पहचान करके उद्यमियों में एक प्रक्रिया विकसित करता है जो उद्यमी को लाभप्रद व्यवसायिक अवसरों की पहचान करने में सहयोग प्रदान करता है। जिससे उद्यमी उन व्यवसायिक अवसरों को विदोहन करके लाभ प्राप्त करता है तथा लाभ प्राप्त करने के लिये व्यवसाय में आने वाली अनिश्चिताओं व जोखिमों को सहन करता है। तथा लाभप्रद व्यवसायिक अवसरों का पता लगाकर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करता है। इस प्रकार उद्यमी के समक्ष अनेक व्यवसायिक अवसर होते है जिनमें से उद्यमी लाभप्रद विचारों की खोज करता है जैसे जैसे नवीन प्राकृतिक संसाधनों की खोज करना तथा उसके व्यवसायिक उपयोग

के संदर्भ में विचार करना हे। इस प्रकार उद्यमी उन व्यवसायिक अवसरों के आधार पर अपने व्यवसाय को प्रारम्भ करता है।

8. **नवीन उपक्रमों की स्थापना सम्बन्धी कार्य करना–** नवीन उपक्रमों की स्थापना में उद्यमी व्यवसायिक अवसरों की पहचान करता है फिर उसके बाद उद्यमी उन विचारों की जांच पडताल करके उसकी व्यवहारिकता का पता लगाता है तथा उसका मूल्यांकन करता है। विचारों की व्यवहारिकता का पता लगाने में उद्यमी सरकारी नीति सम्बन्धी बातों तथा साधनों की उपलब्धता तथा योग्यता एवं कौशल प्रबन्धकीय सेवायें, उत्पादन तथा वितरण एवं लागत–लाभ मांग तथा प्रतिस्पर्धा की मात्रा का मूल्यांकन करता है तथा परियोजना नियोजन में निम्न बातों उत्पाद, नियोजन, लागत नियोजन, वित्तीय नियोजन तथा वितरण एवं विपणन सम्बन्धी बातों पर निर्णय लेता है तथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना, परियोजना का अनुमोदन करना इत्यादि कार्य उद्यमी को करना पड़ता है फिर इसके बाद उपक्रम के स्थापना सम्बन्धी निर्णय लिये जाते हैं।

9. **संचालन एवं विपणन सम्बन्धी कार्य करना–** उद्यमिता व्यवसाय के संचालन एवं विपणन सम्बन्धी कौशल एवं चातुर्थ के द्वारा एक उद्यमी व्यवसाय के सभी क्रियाओं जैसे विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को कार्य सौंपना तथा निर्देश देना, नीतियों का निर्माण क्रना तथा उसका क्रियान्वयन करना, आवश्यक वित की व्यवस्था करना उत्पादन के सभी विभागों में समन्वय स्थापित करना जिससे व्यवसाय के सभी क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करके एवं विपणन सम्बन्धी कार्य जैसे उपभोगताओं का पता लगाना उसके अनुरूप उत्पादन करना, मूल्य का निर्धारण करना, प्रतियोगिता का सामना करना, उत्पाद का वितरण सम्बन्धी माध्यमों का चुनाव करना, उपभोगता को संतुष्टि प्रदान करना इत्यादि कार्य एक उद्यमी को करना पड़ता है।

10. **आर्थिक सामाजिक समस्याओं का समाधान करना–** उद्यमिता आर्थिक सामाजिक समस्याओं का समाधान करने का भी कार्य करता हे। उद्यमिता विकास के द्वारा समाज में व्यवसायिक प्रवृत्तियों का उदय होता है जिससे समाज में नये नये उद्योग धन्धों की स्थपना होती है और लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। प्राकृतिक सम्पदा का सर्वोत्तम उपयोग होना लगता है जिससे समाज के लोगों में आय, बचत, एवं पूंजी निर्माण में वृद्धि होती है तथा सामाजिक समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, निम्न जीवन स्तर तथा सामाजिक अपराध पर नियंत्रण स्थापित होता है इसी प्रकार पिछड़े स्रोतों में उद्यमों की स्थापना करके क्षेत्रीय विषमताओं और आर्थिक असंतुलन को दूर करने में भी उद्यमिता अपना महत्वपूर्ण भुमिका निभाता है।

11. **समाज को आत्मनिर्भर बनाना–** समाज को अत्मनिर्भर बनाने में उद्यमिता महत्वपूर्ण कार्य करता है। उद्यमिता समाज में साहस प्रवृत्ति को प्रोत्सहित करके उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। जिससे उद्यमियों द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। और इस प्रकार आयात होने वाली वस्तुओं का उत्पादन देश में होने से आयात पर नियंत्रण स्थापित होगा तथा उत्पादन अधिक होने पर वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है जिससे देश को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होगी ताकि उद्योग धन्धों को अधिक

मात्रा में स्थापित होने पर रोजगार में वृद्धि तथा आय व बचत को प्रोत्सहन मिलत ाहै तथा समाज के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठने लगता है और समाज आत्मनिर्भर बनता है।

12. **देश में उद्योग–धन्धों को प्रोत्साहन करना–** उद्यमिता समाज के लोगों में जोखिम उठाने की क्षमता में वृद्धि कर उनको नये नये उद्योग धन्धों के लिये प्रोत्साहित करता है जिससे देश में तीव्र गति से औद्योगिक विकास होने लगता है तथा साहस लोगों के चिन्तन एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन लात ाहै जिससे समाज उ़द्यमशीलता के नय वातावरण में प्रवेश होत ाहै। इस प्रका समाज में नये उद्योग धन्धे विकसित होने लगते हैं। फलस्वरूप देश में तीव्र गति से औद्योगिक विकास होने लगता है।

1.7 उद्यमिता का क्षेत्र (Scocpe of Entreprenureship)

एच0एन0 पाठक के अनुसार ''उद्यमिता के क्षेत्र को निम्नलिखित तीन भागों में बांटा जा सकता है जिनके सम्बन्ध में उद्यमी को अनेक निर्णय लेने पड़ते है (1) व्यवसायिक अवसरों का ज्ञान होना (2) औद्योगिक इकाई का संगठन करना (3) औद्योगिक इकाई को लाभप्रद एवं गतिशील संस्था के रूप में संचालित करना।

1. **व्यवसायिक अवसरों का ज्ञान होना–** इसमें व्यवसायिक अवसरों को पता लगाना एवं इसके व्यवहारिकता का मूल्यांकन करना उद्यमिता के क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। व्यवसायिक अवसरों के ज्ञान के अन्तर्गत अनेक विचार उत्पन्न होते हैं जैसे–वैज्ञानिक अविष्कारों का व्यवसायिक उपयोग करके विभिन्न प्रकार के कपड़ों का उत्पादन करना, किसी पदार्थ का उपयोग करके नवीन वस्तुओं का निर्माण करना, वर्तमान वस्तुओं में तकनीकी सुधार करके वस्तुओं को अधिक उपयोगी बनाना, उत्पाद के नियम, उत्पाद के किस्म, रूप, रंग, डिजाइन, किस्म, पैकिंग में परिवर्तन कर उसे अधिक आकर्षक एवं आधुनिक बनाना इत्यादि इसके बाद इन विचारों के लाभदायकता एवं व्यवहारिकता का मूल्यांकन किया जाता है जो विभिन्न घटकों के आधार पर किया जाता है जैसे स्वामित्व योग्य सम्बन्धी बातें, उपक्रम के क्रियान्वित करने में प्रारम्भिक लागत, विपणन लागत, सम्भावित बाजार, विकास लागत, सरकारी नीति, उच्च सकल मार्जिन, विकासशील उद्योग, प्रारम्भिक ग्राहक तथा समविछेद बिन्दु के लिये आवश्यक समय आदि का गन विश्लेषण किया जाता है जो उद्यमिता के क्षेत्र में व्यवसायिक अवसरों के ज्ञान के अन्तर्गत शामिल किया जाता है।

2. **औद्योगिक इकाई का संगठन करना–** औद्योगिक इकाई के संगठन के अन्तर्गत उपक्रम के संसाधनों को विकसित करना, नये विचारों को समन्वित करना, उत्पादों के साधनों को संगठित करना, उनके सम्बन्ध स्थापित करना, संगठन संरचना तैयार करना, उपक्रम के विभिन्न कार्यों का निर्धारण करना, विभिन्न विभागों के कर्मचारियों में कार्य का वितरण करना, उनको कार्य सौंपना, अधिकार प्रदान करना, कर्मचारियों में टीम भावना जागृत करना, उपक्रम के विभिन्न नीतियों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना तथा उन्हीं के अनुसार नियोजन करना, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि करना, उनको संतुष्ट रखना, संगठन निष्टा को बनाये रखना तथा उपक्रम व वाहय

वातरवरण में उचित सामंजस्य बनाये रखना, पूर्तिकर्ताओं में मधुर सम्बन्ध बनाये रखना इत्यादि कार्यों को सम्मिलित किया जाता है।

3. **औद्योगिक इकाई को लाभप्रद एवं गतिशील संस्था के रूप में संचालित करना–** औद्योगिक इकाई को लाभप्रद एवं गतिशील संस्था के रूप में संचालित करने के लिये जो क्रियाएं की जाती है वे सब उद्यमिता के क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित होता है। वे इस प्रकार है लाभप्रद अवसरों की खोज करना, आर्थिक मूल्यों का सृजन करना, मांग व उपयोगिता में वृद्धि करना, नवीन वस्तुओं का सृजन करना, उत्पादन प्रक्रियाओं में परिवर्तन एवं सुधार करना, नई नई आवश्यकताओं का सृजन एवं संतुष्टि प्रदान करना, संसाधनों को उत्पादक बनाना, व्यवसाय को गतिशील नेतृत्व प्रदान करना, लाभप्रद साहसिक निर्णय लेना, नये नये तकनीकी यंत्रों तथा नये प्रबन्ध व्यवस्था को अपनाना, नई नई सेवाओं से उपभोकता को संतुष्ट करना, कच्चे माल के नये श्रोतों का पता लगाना, उत्पादन साधनों को नवीन संयोजन करना, उद्योग का नया संगठन प्रारूप तैयार करना, उपक्रम में निहित जोखिमों व अनिश्चितताओं का उचित प्रबन्ध करना इत्यादि।

   औद्योगिक इकाई में नवप्रवर्तनों के द्वारा लाभों में वृद्धि करने को शुम्पीटर ने पांच रूप बताते है जो निम्न हैं।

   1. नवीन वस्तुओं का उत्पादन करना।
   2. उत्पादन के नयी विधियों एवं प्रपालियों को अपनाना।
   3. नये बाजार क्षेत्र का पता लगाना।
   4. कच्चे माल एवं अद्धनिर्मित माल के नये नये श्रोतों का पता लगाना
   5. उद्योग का नय संगठन प्रारूप बनाना।

इस प्रकार एक उद्यमी इन क्रयाओं के द्वारा आर्थिक मूल्यों एवं उपयोगिता में सृजन करके व्यवसाय को लाभप्रद एवं गतिशील संस्था के रूप में संचालित करने के लिये नेतृत्व प्रदान करता है।

1.8 उद्यमिता के सिद्धान्त

विभिन्न विद्वानों ने समय–समय पर उद्यमिता के विभिन्न सिद्धान्तों अथवा विचारधाराओं का प्रतिपादन किया है।

1. **आर्थिक सिद्धान्त–** अर्थशास्त्रियों के अनुसार उद्यमिता एवं आर्थिक विकास उन परिस्थितियों में होता है जबकि विशिष्ट आर्थिक परिस्थितियाँ अथवा अवसर उनके लिसे सार्वाधिक अनुकूल हों। उद्यमिता के आर्थिक सिद्धान्त के अनुसार उद्यमी ऐसी अनुकूल आर्थिक परिस्थितियों को अधिकतम उपयोग करने के लिये ही व्यवसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश करता है।

2. **समाजशास्त्रीय सिद्धान्त–** समाजशास्त्रियों के अनुसार उद्यमिता का उद्‌भव विशिष्ट सामाजिक संस्कृति में होता है। समाजशास्त्रीय सिद्धान्त के अनुसार सामाजिक अनुमोदन, सास्कृतिक मूल्य, परम्परायें, समूह गत्यात्वकता आदि उद्यमिता के उद्‌भव एवं विकास के लिये उत्तरदायी हैं।

   समाजषास्त्रीय सिद्धान्त के प्रतिपादन में थामस कोक्रेन, मैक्स वेबर पीटर, बर्ट एफ हासीजिल, फ्रैंक डब्ल्यू एवरेट, ई हेगन, रेण्डल जी स्टोक्स आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

3. **मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त–** इस विचारधारा अथवा सिद्धान्त के अनुसार उद्यमिता का विकास के लिये मनोवैज्ञानिक घटक उत्तरदायी है। जब समाज में पर्याप्त मात्रा में मनोवैज्ञानिक लक्षणों से युक्त व्यक्तियों की पूर्ति होती हे जब उद्यमिता के विकास होने के अधिक अवसर रहते हैं।
   मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं के अन्तर्गत शुम्पीटर, मैक्कीलैण्ड, एवरेट ई हेगेन, जॉन कुनकेल, पीटर एफ ड्रकर आदि अर्थशास्त्री आते हैं।
4. **एकीकृत सिद्धान्त–** उद्यमिता के विकास की एकीकृत विचारधाराएँ कई प्रकार के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक तथा मनोवैज्ञानिक घटकों पर आधारित हैं। इसमें प्रमुख विचारधाराएँ निम्नलिखित हैं–
   - टी0वी0 राव के सिद्धान्त
   - बी0एस0 वैन्कट राव के सिद्धान्त

1.9. उद्यमी

1.9.1 उद्यमी : अर्थ व परिभाषा

उद्यमी शब्द का उद्गम फ्रेंच शब्द एण्ट्रीपण्ड्री से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ नये व्यवसाय के जोखिम को वहन करना है। सामान्यतः उद्यमी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो नया उपक्रम स्थापित करता है, आवश्यक संसाधनों को जुटाता है, व्यवसायिक क्रियाओं का प्रबन्ध व नियंत्रण करता है, व्यवसाय से सम्बन्धित विभिन्न जोखिमों को वहन करता है एवं व्यवसायिक चुनौतियों का सामना करके लाभ अर्जित करते हुये समाज को अधिकतम लाभ पहूँचाने का प्रयत्न करता है। उद्यमी व्यवसाय का स्वामी होता है। उद्यमी स्वंय पूंजी का निर्माण करता है।

उद्यमी की परिभाषाएँ

विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के अनुसार उद्यमी की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं–

1. परम्परागत अर्थव्यवस्था में
2. विकासशील अर्थव्यवस्था में
3. विकसित अर्थव्यवस्था में

1. परम्परागत अर्थव्यवस्था में

उद्यमी को जोखिम वहनकर्ता के रूप में परिभाषित किया गया है।

जे0बी0से के अनुसार, ''उद्यमी वह व्यक्ति है जो आर्थिक संसाधनों को उत्पादकता एवं लाभ क क्षत्रों से उच्च क्षत्रों की आर हस्तान्तरित करता है''।

एफ0वी0 हेने के अनुसार, ''उत्पत्ति में निहित जोखिम उठाने वाला साध नही उद्यमी है''।

2. विकासशील अर्थव्यवस्था में

भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में उद्यमी को एक प्रवर्तक, संगठनकर्ता एवं समन्वयकर्ता क रूप में परिभाषित किया गया है।

विकासशील अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में उद्यमी की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं–

अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार, ''उद्यमी वह व्यक्ति है जो जोखिम उठाने का साहस करता है। किसी कार्य के लिये आवश्यक पूँजी एवं श्रम की व्यवस्था करता

है जो इसकी सामान्य योजना बनाता है तथा जो इसकी छोटी–छोटी बातों का निरीक्षण करता है''।

वाल्रस के अनुसार, ''उद्यमी वह व्यक्ति है जो दूसरे व्यवसायियों से कच्चा माल, भूमिपतियों से भूमि, श्रमिकों से अभिरूचियों, पूंजीपति से पूंजीगत माल खरीदता है तथा इनकी सेवाओं से निर्मित वस्तुओं को बेचता है''।

3. **विकसित अर्थव्यवस्था में**

विकसित अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाएं अत्यन्त विशिष्ट एवं पेशेवर हो जाती हैं, व्यवसायिक जटिलताएं बढ़ जाती हैं, व्यवसाय बढ़ जाते हैं। इस अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा नवाचार, प्रवर्तन एवं तकनीकों का विकास होता है। इस अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में निम्नलिखित परिभाषाएं हैं–

जोसेफ ए शुम्पीटर के अनुसार, ''उद्यमी वह व्यक्ति है जो किसी अवसर की पूर्व कल्पना करता हे तथा किसी नई वस्तु, नई उत्पादन विधि, नये कच्चे माल, नये बाजार अथवा उत्पादन के साधनों के नये संयोजन को अपनाते हुये अवसर का लाभ उठाता है''।

पीटर एफ ड्रकर के अनुसार, '' उद्यमी वह व्यक्ति है जो सदेव परिवर्तन की खोज करता है उसपर प्रक्रिया करता है तथा एक अवसर के रूप में लाभ उठाता है''।

निष्कर्ष– उपर्युक्त परिभाषाएं उद्यमी के क्रियात्मक व्यवहार से सम्बन्धित विभिन्न देशों में आर्थिक विकास के स्तर के अनुसार उद्यमी का अर्थ एवं भुमिका बदलती हैं।

1.9.2 **उद्यमी की प्रकृति**

1. **व्यक्तियों का समूह**– उद्यमी व्यक्तियों का समूह होता हे। छोटे उपक्रमों में एकाकी व्यक्ति ही उद्यमी की भूमिका निभाता हे। किन्तु वर्तमान समय में व्यवसायिक उपक्रम की स्थापना बडे स्तर पर की जाने लगी है।
2. **जोखिम वहनकर्ता**– उद्यमी सदेव जोखिम लेना पसन्द करता है। उद्यमी अपने निर्णयों व योजनाओं से जोखिमों का सामना करता है और व्यवसाय में अधिक जोखिम होने पर अधिक लाभ अथवा हानि की सम्भावना रहती है।
3. **साधन प्रदान करने वाला**– उद्यमी व्यवसाय के लिये उत्पादन के साधनों को व्यवस्थित करता है और तत्पश्चात् व्यवसाय में आवश्यक सूचनायें, तकनीक व तथ्य उपलब्ध कराता है।
4. **नये उपक्रम की स्थापना**– विकसित देशों में भी उद्यमी नये नये उपक्रमों की स्थाना करता है तथा आर्थिक एवं औद्योगिक क्रियाओं का विकास करता है।
5. **नवप्रवर्तनकारी**– किसी भी अर्थव्यवस्था के लिये उद्यमी को ही नवप्रवर्तक माना जाता हे। वह नये नये तकनीकों को खोजता है तथा उसके अनुसार बाजारों की भी खोज करता है।
6. **स्वतन्त्रता प्रेमी**– उद्यमी के भीतर स्वतन्त्र प्रकृति होने के कारण स्वतन्त्रता के साथ जीवन व्यतीत करना पसन्द करते हैं। वे प्रत्येक कार्य को अपने ढंग से करना ज्यादा पसन्द करते हैं।
7. **अवसरों का विदोहन**– उद्यमी सदैव अवसरवादी होते हैं, वे व्यवसायिक अवसरों की खोज करते हैं और अधिकाधिक लाभार्जन करते हैं।

1.9.3 **उद्यमी के प्रकार**

1. नवप्रवर्तन योग्यता के आधार पर	2. विकास की गति के अधार पर	3. क्रियाओं के आधार पर	4. सामाजिक लाभ की दृष्टि से
नवप्रवर्तक उद्यमी	मूल प्रवर्तक	एकल स्वनियुक्त उद्यमी	शोषक उद्यमी
अनुकरणीय उद्यमी	प्रबन्धक	कार्यशक्ति निर्माता	आदर्श उद्यमी
सावधान उद्यमी	लघू प्रवर्तक	उत्पादक नवप्रवर्तक	
आलसी उद्यमी	प्रारम्भक	प्रारूप प्रवर्धक	
	अनुसंगी	अप्रयुक्त संसाधन विदोहक	

1. **नवप्रवर्तक योग्यता के आधार पर**

1. **नवप्रवर्तक उद्यमी–** यह उद्यमी वह होता है जो व्यवसाय में कोई नवीन परिवर्तन करता रहता है। इन उद्यमियों में रचनात्मकता होती है। ये नये नये उपकरणों व तकनीकों का प्रयोग करके उत्पादन करते हैं तथा ये समाज में क्रान्तिकारी व नवीन परिवर्तन लाते हैं।
2. **अनुकरणीय उद्यमी–** अनुकरणीय उद्यमी वे होते हैं जो उद्यमी नवप्रवर्तक उद्यमियों द्वारा आरम्भ किये गये सफल प्रयोगों को उद्योग में अपना लेता है वे नकलची उद्यमी भी कहलाते हैं। ये नवप्रवर्तन के जोखिम से बच जाते हैं।
3. **सावधान उद्यमी–** ये उद्यमी सफल उद्यमियों की नकल करने में अत्यन्त सावधान रहता है। यह किसी भी प्रकार की जोखिम लेना पसन्द नही करता जब तक उद्यमी की सफलता पर विश्वास नहीं हो जाता है।
4. **आलसी उद्यमी–** इन उद्यमियों को नवकरणों की कोई महत्वकांक्षा नहीं होती है। यह पूर्णतया नवाचारों को प्रति उदासीन होते हैं और ये आरामदायक जीवन चाहता है तथा किसी भी प्रकार का जोखिम नही पसन्द करता है। इनका व्यवसाय दीर्घजीवी नहीं होता है।

2. **विकास की गति के अधार पर**

1. **मूल प्रवर्तक–** यह उद्यमी विकास की प्रक्रियाओं एवं कार्यों को प्रभावी ढंग से गतिमान बनाता है और व्यवसाय को सदैव विकसित करने पर बल देता है।
2. **प्रबन्धक–** प्रबन्धक उद्यमी कुशल प्रबन्ध एवं नियन्त्रण के द्वारा उपक्रम का सफल संचालन करता रहता हें किन्तु वह उपक्रम के विकास हेतु कोई नीतियाँ नहीं बनाता है। इनका कौशल क्षेत्र सिर्फ प्रबन्ध होता है।
3. **लघू नवप्रवर्तक–** ऐसे उद्यमी अल्प मात्रा में नव प्रवर्तक का कार्य करके आर्थिक विकास की गति को बल प्रदान करते हैं। ये उद्यमी समाज के संसाधनों को श्रेष्ठ उपयोग करते है।
4. **प्रारम्भक–** प्रारम्भक उद्यमी नवप्रवर्तन की फैलाव प्रक्रिया में भाग लेकर विकास को गति प्रदान करता है। वह स्वयं नवप्रवर्तन की कल्पना नहीं करता है।

5. **अनुषंगी**– प्रारम्भ में अनुषंगी उद्यमी पूर्तिकर्ता की तरह कार्य करता है परन्तु धीरे धीरे वह उद्योग का स्वतन्त्र संचालन करने लगता है।

3. **विभिन्न क्रियाओं के आधार पर**

कार्ल वेस्पर ने उद्यमियों के निम्नलिखित प्रकार बताये हैं–

1. **एकल स्वनियुक्त उद्यमी**– ये उद्यमी स्वतन्त्र एवं स्वनियुक्त अपना कार्य करते हैं जैसे–चिकित्सक।
2. **कार्यशक्ति निर्माता**– ये उद्यमी वे होते हैं जो स्वतन्त्र रूप से कम्प्यूटर, एयरलाइंस, अभियांत्रिकी सेवा फर्म्रों का निर्माण एवं संचालन करते हैं।
3. **उत्पादक नवप्रवर्तक**– ये उद्यमी नये नये उत्पादों की डिजाइन तैयार करते हैं तथा इसका उत्पादन करके बाजार में लाते हैं।
4. **अप्रयुक्त संसाधन विदोहक**– ये उद्यमी राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन करके उनको उत्पादन कार्य में उपलब्ध कराते हैं।
5. **प्रारूप प्रवर्धक**– ये उद्यमी उत्पादन के विभिन्न सूत्रों का विदोहन करके वस्तुओं के प्रारूप में वृद्धि करते हैं।

4. **सामाजिक लाभ की दृष्टि से**

1. **शोषक उद्यमी**– ये उद्यमी केवल स्वयं के हित में कार्य करता है तथा अत्यधिक लाभ अर्जित करने वाला होता है। ये बहुत स्वकेन्द्रित होते हैं तथा सामाजिक हितों के प्रति उपेक्षित होते हैं।
2. **आदर्श उद्यमी**– ये उद्यमी लाभ के साथ समाज के उत्तरदायित्वों को भी पूर्ण करते हैं तथा नवप्रवर्तन, उत्पाद विविधिकरण आदि पर विशेष ध्यान देते हैं। इनका प्रथम उद्देश्य सामाजिक सन्तुष्टि होती है। सामाजिक नवप्रवर्तन इनका मुख्य कार्य होता है।

1.10 सारांश

उद्यमी द्वारा किय गये कार्य को उद्यमिता कहते हैं। उद्यमिता एक आर्थिक क्रिया है जो बाजार में व्याप्त सम्भावनाओं को पहचानने की प्रक्रिया है। आर्थिक क्षेत्र में परम्परागत रूप में उद्यमिता का अर्थ व्यवसाय एवं उद्योग में निहित विभिन्न अनिश्चितताओं एवं जोखिम का सामना करने की योग्यता एवं प्रवृत्ति है। किसी देश की तीव्र आर्थिक विकास एवं औद्योगीकरण के लिये उद्यमिता के कार्य अतिमहत्वपूर्ण हे। उद्यमिता द्वारा सृजनात्मक एवं नवप्रवर्तन सम्बन्धी कार्यों को प्रोत्सहन मिलता है सिसे समाज को नयी–नयी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। उद्यमिता समाज के लोगो में नये नये प्रयोग एवं अनुसंधान करने तथा उपयोगिताओं का सृजन करने की योग्यताओं का विकास करके रोजगार के अवसरों में वृद्धि को करने का कार्य करता है। उद्यमिता के क्षेत्र को तीन भागों में बांटा जा सकता है जिनके सम्बन्ध में उद्यमी को अनेक निर्णय लेने पड़ते है (1) व्यवसायिक अवसरों का ज्ञान होना (2) औद्योगिक इकाई का संगठन करना (3) औद्योगिक इकाई को लाभप्रद एवं गतिशील संस्था के रूप में संचालित करना।

सामान्यतः उद्यमी से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो नया उपक्रम स्थापित करता है, आवश्यक संसाधनों को जुटाता है, व्यवसायिक क्रियाओं का प्रबन्ध व नियंत्रण करता है, व्यवसाय से सम्बन्धित विभिन्न जोखिमों को वहन करता है एवं व्यवसायिक चुनौतियों का सामना करके लाभ अर्जित करते हुये समाज को अधिकतम

लाभ पहूँचाने का प्रयत्न करता है। उद्यमी व्यवसाय का स्वामी होता है। उद्यमी स्वंय पूंजी का निर्माण करता है।

1.11 शब्दावली

उद्यमिताः व्यवसाय में जोखिम उठाने की क्षमता या भावना के साथ–साथ नवप्रवर्तन एवं नेतृत्व प्रदान करने की योग्यता उद्यमिता है।

उद्यमीः वह व्यक्ति है जो जोखिम उठाने का साहस करता है।

1.12 बोध प्रश्न

वस्तुनिष्ठ प्रश्न (सत्य व गलत लिखिए)

1. उद्यमिता जोखिम उठाने की क्षमता है।
2. उद्यमिता पूंजी निर्माण योग्यता है।
3. उद्यमिता नवाचारी कार्य है।
4. अविकसित अर्थव्यवस्था में उद्यमिता की आवश्यकता नहीं है।
5. उद्यमिता समय, धन और शक्ति की बर्बादी है।
6. भारतीय उद्योगपतियों में उद्यमिता का अभाव है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

सही उत्तर चुनिये।

1. उद्यमिता की आवश्यकता है–
   (क) विकसित अर्थव्यवस्था में (ब) अविकसित अर्थव्यवस्था में
   (स) विकासशील अर्थव्यवस्था में (द) सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था में
2. भारतीय उद्योगों के सम्बन्ध में उद्यमिता है–
   (क) आवश्यक (ब) अनावश्यक
   (स) भार (द) समय एवं धन की बर्बादी
3. निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उद्यमिता में होनी चाहिये–
   (क) जोखिम वहन (ब) नवाचार
   (स) पहल (द) उपरोक्त सभी
4. उद्यमिता खेल है–
   (क) धन का (ब) समय का
   (स) चातुर्थ का (द) इनमें से किसी का नहीं
5. ''उद्यमिता एक नवाचार कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है।'' उद्यमिता की यह परिभाषा दी है–
   (क) राव एवं मेहता (ब) जोसेफ शुम्पीटर
   (स) पीटर एफ ड्रकर (द) जे0ई0 स्टेपनेक

1.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

सत्य व गलत

(1) सही (2) सही (3) सही (4) गलत (5) सही (6) गलत

बहुविकल्पीय प्रश्न

(1) द (2) अ (3) द (4) स (5) ब

1.14 स्वपरख प्रश्न

दीर्घ (निबन्धात्मक) उत्तरीय प्रश्न

1. उद्यिमिता से क्या आशय है? उद्यमिता की प्रमुख विशेषताओं को संक्षेप में समझाइये।
2. उद्यमिता क्या है? इसका क्षेत्र एवं कार्यों की विस्तृत व्याख्या कीजिये।
3. उद्यमिता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये। इसके महत्व की विवेचना कीजिये।
4. ''उद्यमिता जोखिम उठाने तथा नवाचार योग्यता के साथ साथ व्यूहरचनात्मक लाभ प्राप्त करने की याग्यता है'' इस कथन को स्पष्ट कीजिये तथा उद्यमिता के महत्व की विवेचना कीजिये।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. ''उद्यमिता जोखिम उठाने की क्षमता है'' स्पष्ट कीजिये।
2. डद्यमिता की विशेषतायें बतायें।
3. डद्यमिता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिये।
4. डद्यमिता के कार्यों को लिखिये।
5. उद्यमिता के क्षेत्र को स्पष्ट कीजिये।
6. ''उद्यमिता नवाचारी कार्य है'' स्पष्ट कीजिये।
7. उद्यमिता के योगदान को स्पष्ट कीजिये।
8. उद्यमिता का अर्थ स्पष्ट कीजिये।

1.15 सन्दर्भ पुस्तकें

1. 'भारतीय अर्थव्यवस्था', हिमालया पब्किशिंग हाउस – वी. के. मिश्र एवं पुरी।
2. 'परियोजना नियोजन तथा नियन्त्रण', कल्याणी पब्लिकेशंस – जोशी एवं गुप्ता।
3. 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त', बी.एल. ओझा।
4. व्यावसायिक नियमन व्यवस्था – नवलखा, माधुर।

इकाई–2 उद्यमिता विकास (**Enterpreneurial Development**)

इकाई की रूपरेखा

2.1 प्रस्तावना
2.2 उद्यमिता विकास का अर्थ
2.3 उद्यमिता विकास की प्रासंगिकता
2.4 उद्यमिता विकास का महत्व
2.5 उद्यमिता विकास की उपलब्धियाँ

2.6 भारत में उद्यमिता विकास
2.6.1 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में उद्यमिता का विकास
2.6.2 भारत में उद्यमिता की धीमे विकास के कारण
2.7 केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थान
2.8 राज्य स्तर पर स्थापित संस्थान
2.9 उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन
2.10 भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सुधारने एवं प्रभावी बनाने के सुझाव
2.11 सारांश
2.12 शब्दावली
2.13 बोध प्रश्न
2.14 बोध प्रश्नों के उत्तर
2.15 स्वपरख प्रश्न
2.16 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे किः

- उद्यमिता का अर्थ, प्रकृति एवं महत्व को समझ सकें।
- परियोजनाओं को कैसे तैयार किया जा सकता है, यह जान सकें।
- उपक्रम की स्थापना के लिय आवश्यक जानकारी हासिल कर सकें।
- लघु व्यवसाय की स्थापना से सम्बन्धित प्रक्रिया एवं कार्यविधि जान सकें।
- एक अच्छे उद्यमी बनने के लिये गुण एवं दोष जान सकें।

2.1 प्रस्तावना

उद्यमिता का विकास एक आधुनिक एवं जटिल विचारधारा है। यह किसी देश के विकास की प्राथमिक आवश्यकता है। भारत जैसे विकासशील देश के संदर्भ में उद्यमिता का विकास एक नवीन विचारधारा है।

विकासशील देशों की विभिन्न महत्वपूर्ण समस्याओं जैसे,– असंतुलित क्षेत्रीय विकास, आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण, न्यून उत्पादकता, बेरोजगारी, अलाभकारी विनियोजन, अकुशल उत्पादन, औद्योगिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण की कमी आदि जैसी गम्भीर समस्याओं का निवारण उद्यमिता के विकास के कार्यक्रमों के द्वारा की किया जा सकता है। यही कारण है कि आज प्रत्येक देश की सरकार विशेषतः भारत जैसे विकासशील देश की सरकार उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इस इकाई के माध्यम से आप उद्यमिता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये इसके महत्व एवं भारत में उद्यमिता का विकास किस प्रकार है और इसकी विकास की सम्भावनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे।

2.2 उद्यमिता विकास का अर्थ (Meaning of Enterpreneurial Development)

उद्यमिता विकास से आशय किसी ऐसे कार्यक्रम से है जिसका उद्देश्य सम्भावित उद्यमियों की खोज करना, उसमें उद्यमिता की भावना विकसित करना, उनमें उद्यमीय के गुणों एवं कौशल का विकास करना तथा उन्हें सफलतापूर्वक अपना उपक्रम स्थापित करने में सक्रिय सहयोग प्रदान करना है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम निम्न पांच बातों पर बल देता है–

- भौतिक संसाधनों की उपलब्धता
- वास्तविक उद्यमियों का चयन
- व्यवसायिक एवं औद्योगि शिक्षण एवं प्रशिक्षण
- औद्योगिक इकाईयों का निर्माण
- क्षेत्रीय विकास नीति का निर्माण

यह सभी बातें एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक संगठित एवं व्यवस्थित विकास कार्यक्रम में जो कि उद्यमिता के विकास पर बल देता है।

उद्यमिता विकास की परिभाषा –

(1) ''उद्यमिता विकास कार्यक्रम औद्योगिकरण का एक अस्त्र है तथा उद्यमिता के विकास में आने वाली बाधाओं एवं समस्याओं का समाधान करता है''।

(2) प्रो0 एस0पी0 हिंस के अनुसार, ''उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक प्रक्रिया है जिसमें निम्न क्रियाएं सम्पन्न की जाती हैं–

I. सम्भावित उद्यमियों में उद्यमिता की प्रेरणा जाग्रत करना
II. उद्यमिता गुणों तथा कौशल का विकास करना
III. दैनिक क्रियाओं में उद्यमिता व्यवहार उत्पन्न करना तथा उसमें सुधार करना
IV उद्यमिता के द्वारा उन्हें अपना उपक्रम स्थापित/विकसित करने में सहयोग प्रदान करना

2.3 उद्यमिता विकास की प्रासंगिकता (Relevance of Enterpreneurial Development)

चाहे अल्पविकसित अर्थव्यवस्था हो, विकासशील हो अथवा विकसित, सभी जगह उद्यमिता विकास कार्यक्रम की प्रासंगिकतप है। यही कारण है कि आज सभी देशों में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की प्रासंगिकता में निरन्तर वृद्धि हो रही है। उद्यमिता विकास औद्योगीकरण का मूलाधार है तथा बेरोजगारी के निवारण का तंत्र है। उद्यमिता विकास की प्रासंगिकता के प्रमुख तत्व–

- उद्यमिता विकास किसी देश की चहुंमुखी विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये महत्वपूर्ण भुमिका निभा सकता है।
- उद्यमिता विकास उद्यमियों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की नियोजित व्यवस्था करता है।
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम उद्यमियों के कौशल में वृद्धि करता हे।
- उद्यमिता विकास उद्यमियों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करता है।
- यह गतिशीलता में वृद्धि करता है।
- इसके द्वारा नवीन परियोजनाओं क`निमार्ण में सहायता प्राप्त होती है।
- इसके विकास से बेरोजगारी को दूर करने में विभिन्न स्वरोजगार कार्यक्रमों का विकास होता है।
- उद्यमिता विकास से देश में लधु एवं सहायक उद्योगों की स्थापना एवं विकास को प्रात्सहन देता है।
- इसकी सहायता से दश में गरीबी का उन्मूलन किया जा सकता है।

- उद्यमिता विकास स दश विदेश में नये नये व्यवसायों की स्थापना पर बल देता है।
- उद्यमिता विकास, विकास एवं अनुसंधान पर बल देता है।

2.4 उद्यमिता विकास का महत्व (Importance of Enterpreneurial Development)

उद्यमिता विकास के द्वारा देश में प्रत्येक क्षेत्र में विकास किया जा सकता है, चाहे वह इलेक्ट्रानिक का हो या दवाइयों का या इन्जीनियरिंग या कृषि का या दूरसंचार, प्रमाणु ऊर्जा, पैकेजिंग आदि क्षेत्रों में उद्यमिता विकास द्वारा विकास के लक्ष्यों का प्राप्त किया जा सकता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों स विभिन्न क्षेत्रों में भुमिकाएं निम्न प्रकार बना सकता है–

1. उद्यमिता के गुणों का विकास करना
2. गरीबी एवं बेरोजगारी का निवारण करना
3. संतुलित क्षेत्रीय विकास करना
4. इसक द्वारा औद्यागिक गन्दी बस्तियों की रोकथाम की जा सकती है।
5. उद्यमिता विकास के माध्यम से स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है।
6. उद्यमिता विकास के द्वारा सामाजिक तनाव में कमी लाई जा सकती है।
7. यह परियोजनाओं के निरूपण में सहायक सिद्ध होता है।
8. उद्यमिता विकास नये उपक्रमों की स्थापना में सहायक हो सकता है।
9. यह परियोजना एवं उत्पाद के चयन में सहायता कर सकता है।
10. पूंजी निर्माण में सहायक हो सकता है।
11. उद्यमिता विकास से सरकार की आर्थिक नीतियों एवं कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा सकता है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम का महत्व

1. **उद्यमिता के गुणों का विकास–** उद्यमिता विकास कार्यक्रम व्यक्ति अथवा उद्यमी के बाहरी गुणों के विकास में महत्वपूर्ण भुमिका निभाता है। उद्यमी में दूरदर्शिता का गुण होना आवश्यक है। इस गुण का भी शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुभव द्वारा विकास किया जाता है।
2. **गरीबी एवं बेरोजगारी का निवारण–** निरन्तर बढ़ती हुई बेरोजगारी विकासशील देशों की सबसे गम्भीर समस्या है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम बेरोजगारों को स्वरोजगार व उद्यमिता के क्षेत्र में अवसर पाने में सहायकता प्रदान करता है।
3. **संतुलित क्षेत्रीय विकास–** उद्यमिता विकास कार्यक्रम औद्योगीकरण को प्रात्साहित करता है तथा आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण को राकता हे। यह लघु उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता देता है।
4. **औद्योगिक गन्दी बस्तियों की रोकथाम–** नगरों में आवासों की अत्याधिक कमी होने के कारण बड़े बड़े औद्योगिक नगरों में गन्दी बस्तियों की स्थापना होती है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम इन गन्दी बस्तियों के उन्मूलन में सहायता प्रदान करता है।

5. **स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग–** स्थानीय स्तर पर असीम स्थानीय संसाधन उपलब्ध हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम उद्यमियों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा इन स्थानीय संसाधनों के विदोहन में महत्वपूर्ण भुमिका निभा सकता है।
6. **समाजिक तनाव में कमी–** नवयुवकों को स्वरोजगार की ओर अकर्षित करके सामाजिक तनाव एवं निराशा में पर्याप्त कमी लाई जा सकती हे। ऐसा उद्यमिता विकास कार्यक्रम द्वारा ही किया जा सकता है।
7. **परियोजना के निरूपण में सहायक–** परियोजना निरूपण के अन्तर्गत चयन की गई परियोजना का विश्लोषण तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टिकोण से किया जाता है। यह आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं, यन्त्र एवं सामग्री, कच्चे माल की पूर्ति, उत्पादन तकनीक, भूमि एवं भवन अभिन्यास आदि के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करता है।
8. **उपक्रम की स्थापना में सहायक–** किसी नवीन उपक्रम की स्थापना करना अत्यंत कठिन एवं जोखिम पूर्ण कार्य है। इसके लिये विभिन्न क्रियाएं सम्पन्न करनी पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में उद्यमी को सकारात्मक सहयोग की आवश्यकता होती है। यह सहयोग उसे उद्यमिता विकास कार्यक्रम द्वारा प्रदान किया जाता है।
9. **परियोजना एवं उत्पाद के चयन में सहायक–** उद्यमिता विकास कार्यक्रम विभिन्न परियोजनाओं, उत्पादों का मूल्यांकन करने और उनमें से सर्वश्रेष्ठ परियोजना एवं उत्पाद का चयन करने से है जो उसे अधिकतम लाभ प्रदान कर सके और जिसके भावी विकास का व्यापक क्षेत्र हो।
10. **पूँजी निर्माण में सहायक–** पूंजी सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का जीवन रक्त है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम पूंजी निर्माण को गति प्रदान करता है।

2.5 उद्यमिता विकास की उपलब्धियाँ (Achievements of Enterpreneurial Development)

उद्यमिता विकास कार्यक्रम किसी देश के आर्थिक विकास का अनिवार्य अंग है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं–

- **तीव्र औद्योगीकरण (Speedy Industrialisation)**: उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि न केवल किसी देश में औद्योगीकरण की पृष्ठभूमि तैयार करने की है अपितु उसने उसे तीव्रता भी प्रदान की है। यह कार्य उसने उद्यमी को शिक्षण–प्रशिक्षण प्रदान करके एवं औद्योगीकरण के लिये आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा कर किया है।
- **बेरोजगारी की समस्या के समाधान में सहायक (Assistance in solving unemployment problem)**: अल्पविकास एवं विकासशील देशों की सबसे बड़ी एवं गम्भीर समस्या बढ़ती बेरोजगारी है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के द्वारा स्वरोजगार परक योजनाओं को लागू करके इस समस्या को दूर किया जा कसता है।
- **नवीन उपक्रमों की स्थापना एवं विस्तार (Establishment and expansion of new enterprise)**: वास्तव में वर्तमान में गलाकाट प्रतियोगिता है तथा मंदी के युग में किसी नवीन उपक्रम की स्थापना करना

एवं उसका विस्तार एक अत्यन्त कठिन एवं जोखिमपूर्ण कार्य है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के अधीन जहां एक ओर शिक्षण एवं प्रशिक्षण द्वारा उद्यमी के विभिन्न गुणों का विकास किया जा सकता है जिससे वह नवीन उपक्रम लगा सके।

- **उद्यमिता शिक्षण एवं प्रशिक्षण (Entreprenurial education and training)**: इस प्रक्रिया में उद्यमी अच्छा बनता है, उसका ज्ञान (सामान्य एवं तकनीकी), क्षमता, कल्पना–शक्ति, विवेक–शक्ति, जोखिम उठाने की क्षमता, निर्णय लेने क्षमता में वृद्धि होती है। जिससे उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। और वह किसी व्यवसाय या उद्योग को प्रगति के शिखर पर ले जाता है।
- **परियोजना निरूपण (Project Formulation)**: अल्पविकसित एवं विकासशील देशों में संसाधनों की कमी के कारण परियोजनाओ का चुनाव बड़ी सावधानी पूर्वक किया जाता है ताकि संसाधनों की कमी के करण कहीं परियोजनाओं को बीच में ही न छोड़ना पड़े।
- **उद्यमिता विकास संस्थानों की स्थापना (Establishment of Entrepreneurial Development Institutions)**: भारत में उद्यमिता विकास क लिय विभिन्न संस्थान क्रियाशील हैं जैसे–भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, प्रबन्धकीय विकास संस्थान, लघू उद्योग विकास संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघू व्यवसाय विकास संस्थान, लघू उद्यमिता विकास मण्डल, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद, लघु उद्योग सवा संस्थान।
- **संतुलित क्षेत्रीय विकास (Balanced Regional Development)**: जब उद्योग केवल कुछ ही नगरों में केन्द्रीकृत हो जाते हैं जो समूचे देश का विकास रूक जाता है। उद्यमिता विकस कार्यक्रमों से संतुलित क्षत्रीय विकास का प्रोत्सहित किया जा सकता है।
- **विविध (Miscellaneous)**: (1) यह उत्पादकता में वृद्धि करता है। (2) बाजार का विस्तार (3) उपभोक्ताओं के लिये सस्ता एवं टिकाऊ उत्पाद उपलब्ध करता है। (4) राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है। (5) आर्थिक सत्ता विकेन्द्रीकरण करता है। (6) सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को विकास (7) संसाधनों का कुरालतम उपयोग (8) नये नये उद्यमिता अवसरों का विकास होनो आदि।

2.6 भारत में उद्यमिता विकास (**Entrepreneurial development in India**)

प्राचीन काल से ही भारतीय उद्यमी अपने कलाकौशल एवं व्यवसायिक दक्षता के लिये विश्वविख्यात रहे हैं। चीनी यात्री व्हेनसांग ने भारत के हस्त–कौशल एवं शिल्पकला की प्रशंसा अपने यात्रा वर्णनों में की है। भारत का कलात्मक शिल्प विश्व में बेजोड़ रहा है।

टवर्नियर के अनुसार, '' भारत में बनी वस्तुएं इतनी हल्की व सुन्दर होती हैं कि हाथ में होते हुये भी यह आभास नहीं होता है कि वे हाथ में हैं''।

सुदृढ़ औद्योगिक ढाँचे के अभाव के कारण भारत में औद्यागिक उद्यमशीलता का उदय 1850 के पूर्व नहीं हुआ था। यद्यपि वाराणसी, इलाहाबाद, गया, पुरी, मिर्जापुर आदि शहरों में दस्तकारों द्वारा कुछ कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। भारत में औद्योगिक उद्यमशीलता का शीघ्र विकास न होने के कारणों में पूंजी की कमी, राजनैतिक इच्छा का अभाव, चुंगी बाधाएं, असंख्य मुद्रा प्रणालियां, क्षेत्रीय बाजार, कर नीतियां आदि प्रमुख हैं। 'ईस्ट इंडिया कम्पनी' के आगमन के साथ ही पारसियों ने ईस्ट इंडिया कम्पनी का प्रथम जहाज निर्माण कारखाना सूरत में 1673 मे स्थापित किया। 1677 में मनजी धनजी को ईस्ट इंडिया कम्पनी के लिये बम्बई में एक 'गन पाउडर मिल' स्थापित क रने का अनुबन्ध प्राप्त हो गया। एक पारसी पोरमैन ने भी 1852 में बम्बई में एक स्टील कम्पनी की स्थापना की थी।

बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में भारत में कुछ बड़े औद्योगिक उद्यमियों की जन्म हुआ। उनमें जमशेद जी टाटा का नाम प्रमुख है। इस दौरान देश में स्टील, इन्जीनियरी, विद्युत शक्ति, जहाजरानी उद्योगों का विकास हुआ। संक्षेप में स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत में उद्यमियों का विकास बहुत सीमित रहा। औद्यागिक उद्यमियों का विकास मूलतः मुम्बई तथा कोलकाता बन्दरगाहों क आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। इसके अतिरिक्त औद्योगिक उद्यमियों को विकास भी कुछ ही समुदायों के व्यक्तियों में ही हुआ था।

3.6.1 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में उद्यमिता का विकास (Development of Entrepreneurship in India after Independence)

सन् 1948 में भारत के प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई, जिसमें उद्यमियों के विकास के लिय कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयी थीं। तत्पश्चात् सन् 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की गई। इस योजना में निजी तथा सार्वजनिक दोनों के लिये ही उद्योगों का स्पष्ट क्षेत्र निर्धारित किया गया। आधारभूत उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिये सुरक्षित किये गये, जबकि इन्जीनियरी, वस्त्र, सीमेंट, चीनी, दवायें, रंग रौगन आदि उद्योग निजी क्षेत्र के उद्यमियों के लिये छाड़े गये।

सन् 1956 में द्वितीय पंचवर्षीय याजना का निर्माण किया गया। यह योजना मूलतः औद्योगिक विकास को समर्पित थी। फलतः इस योजनाकाल में ही नयी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई तथा निजी तथा सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों में औद्योगिक साहसीवृत्ति के विकास को महत्वपूर्ण समझा गया तथा निजी क्षेत्र में साहसियों को विशेष छूटें दी गईं।

बाद की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में समय समय पर उद्यमिता तथा औद्योगिक विकास के बारे में बात की गई तथा इसके लिये अनेक साहसी वृत्ति के विकास किये गये। दसवीं योजना (2002–07) में उद्यमिता के विकास पर बल दिया गया है। वर्तमान समय में उद्यमी के उद्यमिता के विकास के लिये भारत सरकार विभिन्न योजनाएं एवं नीति निर्माण पर प्रगतिशील है।

2.6.2 भारत में उद्यमिता के धीमे विकास के कारण (Causes of slow development of entrepreneurishp in India)

अन्य प्रगतिशील राष्ट्रों की तुलना में भारत में उद्यमिता के विकास की गति अत्यन्त धीमी रही है। इसके प्रमुख कारण निम्न हैं—

- परम्परागत विचारधारा का होना।
- भारत में दूषित समाजी व्यवस्था का होना।

- यहां पर अभौतिकवादी संस्कृति पायी जाती है।
- प्रशिक्षण की सुविधाओं का अभाव।
- तकनीकी शिक्षा की सुविधा का अभाव।
- भारत में पूंजी की कमी है।
- उद्यमिता की मनोवृत्ति का अभाव होना।
- नौकरशाही प्रवृत्ति एवं लालफीताशाही का बोलबाला।
- नवाचारों व परिवर्तनों का प्रतिरोध।
- बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा का भय
- अपर्याप्त सुविधाएं।
- प्रतिकूल वातावरण।

भारत में उद्यमिता के धीमी विकास के कारण

1. **परम्परागत विचारधारा–** समाज में प्रचलित विचार पद्धतियां व्यक्तियों के जीवन एवं व्यवसाय को प्रभावित करती हैं। परम्परागत विचार शैलियों के कारण समाज में उद्यमिता, साहसवृत्ति, कर्मवादिता व सृजनशील प्रवृत्तियों का विकास नही हो पाता है।
2. **दूषित सामाजिक व्यवस्था–** समाज में जाति प्रथा, रूढ़िवादिता, भाग्यवादिता, धार्मिक उन्धविश्वासों, सामाजिक कुप्रथाओं व पारिवारिक बन्धनों के कारण उद्यमी प्रवृत्ति विकसित नहीं हो पाती है।
3. **अभौतिकवादी संस्कृति–** जिस देश की संस्कृति अभौतिकवादी होती है वहां धन–सम्पदा के संग्रह, सम्पत्ति निर्माण, निजी लाभों, आर्थिक कार्यों, उत्पादन क्रियाओं आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
4. **प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव–** भारत में उद्यमियों का विकास इस लिये भी अवरूद्ध रहा है कि यहां प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। जो कुछ प्रशिक्षण केन्द्र हैं वे भी बहुत बड़े शहरों में हैं।
5. **तकनीकी शिक्षा की सुविधा का अभाव–** हमारे देश में तकनीकी शिक्षण संस्थाओं का आज भी अभाव ही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व एवं उसके बाद भी तकनीकी शिक्षण संस्थाएं अत्यंत कम थीं। अब ऐसी संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं।
6. **पूँजी की कमी–** हमारे देश में पूंजी की कमी है। लोग जोखिम न उठाकर केवल मकान, जमीन, सोने चांदी जैसी वस्तुओं में ही विनियोग करते रहे है। इसके अतिरिक्त ज्यादातर लोगों की बचत क्षमता भी बहुत कम है। अतः पूंजी निर्माण भी बहुत कम हो पाता है।
7. **उद्यमी मनोवृत्ति का अभाव–** जिस देश की युवा पीढ़ी में प्यापक रूचि, जोखिम लेने की क्षमता, रचनात्मक चिन्तन, उद्यमिता दृष्टिकोण व उद्योग–धन्धे स्थापित करने की भावना का अभाव होता है, वहां उद्यमिता का विकास रूक जाता है।
8. **नौकरशाही प्रवृत्ति एवं लालफीताशाही का बोलबाला–** एक उद्यमी को उद्यम की स्थापना एवं संचालन के लिये विभिन्न सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों

से सम्पर्क स्थापित करना पड़ता हे। ऐसी स्थिति में सामान्य उद्यमी ऐसी परिस्थितियों से पीछे हट जाता है।

9. **नवाचारों व परिवर्तनों का प्रतिरोध–** जिस समाज में नवाचारों के प्रति उपेक्षा, शोध एवं अनुसंधान का अभाव तथा नवीन परिवर्तनों का प्रतिरोध किया जाता है, वहां उद्यमिता का विकास रूक जाता है।

10. **बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्द्धा का भय–** हमारे देश मं कुछ एक व्यवसायिक घराने ही फूलते फलते रहे हैं व उनका ही व्यवसाय पर एकाधिकार रहा है। ऐसे में भी नये उद्यमियों का विकास सीमित ही होता है।

2.7 केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थान (Main Institutions Established by Central Government)

भारत सरकार द्वारा प्रमुख संस्थानों का स्थापना की गई है वे निम्न हैं–

1. प्रबन्धकीय विकास संस्थान (Management Development Institute (MDI)
2. भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान (Entrepreneurship Development Institute of India-EDII)
3. लघु उद्योग विकास संगठन (Small Industries Development Organization-SIDO)
4. लघु उद्योग सेवा संस्थान (Small Industries Service Institute-SISI)
5. अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड (All India Small Scale Industries Board)
6. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (National Small Industries Corporation-NSIC)
7. राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (National Institute of Small Industries Extension Training- NISIET)
8. राष्ट्रीय उद्यमिता विकास मण्डल (National Entrepreneurship Development Board-NEDB)
9. भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद
10. राष्ट्रीय उनुसंधान एवं विकास निगम (National Research and Development Corporation-NRDC)
11. राष्ट्रीय वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंक (Nationalized Commercial and Co-operative Banks-NCCB)
12. भारतीय विनियोग केन्द्र (Indian Investment Centre-ICC)
13. भारतीय राजकीय व्यापार निगम लिमिटेड (State Trading Corporation of India Ltd.-STCI)

2.8 राज्य स्तर पर स्थापित संस्थान (Institutions established at State Level)

उद्यमिता विकास कार्यक्रम को संगठित करने, विकसित करने एवं सफल बनाने के लिय राज्य स्तर पर निम्नलिखित संस्थानों की स्थापना की गई है–

- लघु उद्योग सेवा संस्थान (Small Industries Service Institute-SISI)
- जिला उद्योग केन्द्र (District Industrial Centre-DIC)
- राज्य वित्त निगम (State Finance Corporation)

- तकनीकी परामर्श संगठन लि0 (Technical Consultancy Organisation Ltd.-TCO)
- राज्य लघु उद्योग निगम (State Small Industries Corporation-SSIC)
- राज्य उद्योग निगम (State Industries Corporation-SIC)
- उद्योग निदेशालय (Industries Directorate-ID)
- राज्य उद्योग संवर्धन निगम (State Industries Promotion Corporation)
- औद्योगिक बस्तियों की स्थापना (Establishment of Industrial Estates-EIE)

उपरोक्त केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर स्थापित संस्थानों ने भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का संवर्धन करने क लिये अनेक प्रशुल्क तथा गैर प्रशुल्क प्रेरणाओं रियायतों एवं सुविधाओं की घोषणाएं की हैं। इन संस्थानों ने संतुलित औद्योगिक विकास करने तथा असंतुलन को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भुमिका अदा की है।

2.9 उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन (**Evaluation of Entreprenurial Developoment Programmes**)

यह बात है कि गत कुछ वर्षों से उद्यमिता विकास कार्यक्रमों पर बल दिया गया है। इनका संगठन एवं संचालन केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें तथा निजी क्षेत्रों द्वारा स्थापित संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है। बड़े बड़े तथा मध्यम श्रेणी के नगरों में ऐसे संस्थानों की बाढ़ सी आ गई है। गली–गली में प्रचूर मात्रा में उद्यमिता विकास संस्थाओं की स्थापना की जा रही है। जिनमें प्रवेश लेने वाले बेरोजगार नवयुवकों से शुल्क एवं दान के रूप में भारी राशि वसूल की जाती है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का उचित मूल्यांकन

1. **अपर्याप्त सरकारी सुविधाएं एवं प्रेरणाएं**– हमारे विशाल दश में उद्यमियों को प्रोत्सहित करने हेतु सरकार में पर्याप्त सुविधाएं एवं प्रेरणाएं उपलब्ध नही करायी हैं।
2. **प्रशासनिक शिथिलता**– हमारे दश की प्रशासलिक मशीनरी अत्यंत सुस्त एवं जड़ है। सरकारी विभागों व संस्थाओं में अकार्यकुशलता, नौकरशाही, लालफीताशाही, प्रशासनिक भ्रष्टाचार, पक्षपात, विलम्ब आदि बुराइयां व्याप्त हैं। इससे उद्यमियों की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
3. **निम्न श्रेणी की तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण**– भारत के उद्यमिता विकास संस्थानों में नवयुवकों को जो तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है वह बुहत की निम्न श्रेणी का होता है।
4. **उपयुक्त चयन प्रक्रिया का अभाव**– भारत में उद्यमियों का चयन करते समय केवल साक्षातकार लिया जाता है जबकि इसके लिये विभिन्न जांच आयोजित की जानी चाहिये।
5. **उद्यमिता मनोवृत्ति का अभाव**– भारत में अधिकांश युवक जो उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की ओर आकर्षित होते हैं उनमें उपयुक्त व्यवसायिक रूचि, तकनीकी योग्यता, उद्योग भावना आदि का अभाव हाता है जिसके कारण उद्यमियों का विकास नहीं हो पाता है।

6. **उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देष्य–** जो संस्था उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का संचालन कर रही हैं उसे उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की व्यापक जानकारी होना आवश्यक है तभी वह अपना कार्य सुचारू रूप से संचालित कर सकेगी।
7. **संगठनात्मक नीतियां एवं संरचनाएं–** एक स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम का संचालन करता है उसकी किसी ख्याति प्राप्त संस्थान से सम्बद्धता के उद्यमिता विकास कार्यक्रम की सफलता संदिग्ध रहती है।
8. **उद्यमियों की संख्या बढ़ाने पर अनावश्यक बल–** उद्यमिता विकास कार्यक्रम के संघटनकर्ता उद्यमिता के उपयुक्त शिक्षण, प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता के स्थान पर उद्यमियों की संख्या बढ़ाने पर अनावश्यक रूप से बल देते हैं।
9. **समन्वय का अभाव–** आज हमारे देश में अखिल भारतीय स्तर, राज्य स्तर तथा निजी स्तर पर अनेक उद्यमिता विकास कार्यक्रम कार्यरत हैं किन्तु उनमें समन्वय का अभाव है।

यह गम्भीर प्रतिकूल स्थिति हमारे देश में प्रचलित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की कमियों के कारण उत्पन्न होती है। उनमें से प्रमुख कमियां निम्नलिखित हैं–

- अपर्याप्त सरकारी सुविधाएं एवं प्रेरणाएं।
- प्रशासनिक व्यवस्था का शिथिल होना।
- निम्न श्रेणी की तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
- उपयुक्त चयन प्रक्रिया का अभाव।
- उद्यमिता मनोवृत्ति का अभाव।
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के असफल।
- संगठनात्मक नीतियों एवं संरचनाओं का त्रुटिपूर्ण होना।
- उद्यमिता विकास की समस्या उसकी ही जड़ में होना।
- उद्यमिता की संख्या बढ़ाने पर अनावश्यक बल देना।
- उद्यमिमा विकास में समन्य का अभाव देखने को मिलता है।

उपर्युक्त समस्याओं की वजह से आज उद्यमिता अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है। इन समस्याओं को अगर सही तरीके से कम किया जा सके तो देश में उद्यमिता विकास को और तेजी से आगे ले जाया जा सकता है।

2.10 भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सुधारने एवं प्रभावी बनाने क सुझाव (**Suggestions for Improving and making effective Entrepreneurial Development Programmes in India**)

भारत 125 करोड़ से भी अधिक विशाल जनसंख्या वाला देश है जिसमें बेरोजगारी सबसे महत्वपूर्ण एवं गम्भीर समस्या आज भी है। आज भारत में शायद ही ऐसा कोई परिवार हो जिसके यहां एक या दो सदस्य बेरोजगार न हों। स्थिति इतनी अधिक भयावह रूप धारण कर चुकी है कि अमुख परिवार के सदस्यों ने बेरोजगारी के कारण सामूहिक आत्महत्या कर ली। हमें इस समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा और इसके समाधान के लिये समुचित उपायों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा।

इस समस्या के समाधान के लिये समुचित उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से एक महत्वपूर्ण विकल्प है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संगठित करके लागू किया जाये। हमें इनकी कमियों को दूर करना होगा और इन्हे अधिक रोजगार प्रमुख बनाना होगा। हमें इस सम्बन्ध में अन्य देशों, जैसे–जर्मनी, जापान, कोरिया तथा अमेरिका से भी सबक लेना होगा। उनके यहां संचालित कार्यक्रमों को सामने रखकर अपने यहां के उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में आवश्यक सुधार लाना होगा। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में अन्य सुझाव निम्नलिखित हैं–

- भारत में स्थित उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता में प्रभावी ढंग से सुधार किया जाना चाहिये।
- स्रकार द्वारा कठोर नियम बनाकर कागज पर चल रहे उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को संचालित करने वाली संस्थाओं पर प्रभावी ढंग से रोक लगायी जानी चाहिये।
- उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं की समय समय पर व्यापक रूप से जांच पडताल होनी चाहिये।
- प्रशिक्षण लेने वाले नवयुवकों की निष्पादन योग्यता पर बल दिया जाना चाहिये।
- पिछडे हुये क्षेत्रों में उद्यमियों की पहचान पद्धति का विकास किया जाना चाहिये।
- शिक्षा पद्धति को रोजगार व उद्यमिता अभिमुखी बनाया जाना चाहिये। इसमें तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जाये।
- उद्यमियों व कारीगरों के लिये प्रशिक्षण वं अभिप्रेरणा की उचित व्यवस्था की जाये।
- स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रसार किया जाना चाहिये।
- उद्यमियों के लिये परामर्श सेवाओं का विस्तार करना चाहिये।
- नये उद्यमियों को सरकार व विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्राप्त होने वाली सुविधाओं व प्रेरणाओं की जानकारी दी जानी चाहिये।
- उद्यमिता विकास हेतु कार्यक्रम केन्द्रीय समन्वय संस्था की कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाना चाहिये।
- सरकारी एवं वित्तीय संस्थाओं में नौकरशाही प्रवृत्तियां को दूर किया जाये।
- कर ढांचे को उद्यमियों के अनुकूल बनाना चाहिये।
- देश में पूंजी निवेश का वातावरण तैयार करने हेतु औद्योगिक नीति में आवश्यक सुधार किये जाने चाहिये।
- ग्रामीण व लघु उद्यमियों के विकास हेतु विशिष्ट संवर्धन योजनाओं का संचालन किया जाना चाहिये।
- उद्यमी प्रवृत्तियां विकसित की जानी चाहिये। इस हेतु सामाजिक प्रक्रिया का प्रभावी बनाया जाना चाहिये।
- आर्थिक नीतियों में समय समय पर सुधार होना चाहिये।
- संस्थागत ढांचा विकसित किया जाना चाहिये।
- आर्थिक प्रशासन में आवश्यक सुधार होना चाहिये।

- उद्यमियों को कम ब्याज दर पर पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराया जाये।
- सरकारी तंत्र को लाल फीताशाही से मुक्त करना चाहिये।

2.11 सारांश

विकासशील देशों की विभिन्न महत्वपूर्ण समस्याओं जैसे,– असंतुलित क्षेत्रीय विकास, आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण, न्यून उत्पादकता, बेरोजगारी, अलााभकारी विनियोजन, अकुशल उत्पादन, औद्योगिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण की कमी आदि जैसी गम्भीर समस्याओं का निवारण उद्यमिता के विकास के कार्यक्रमों के द्वारा की किया जा सकता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम औद्योगिकरण का एक अस्त्र है तथा उद्यमिता के विकास में आने वाली बाधाओं एवं समस्याओं का समाधान करता है। इस प्रकार उद्यमिता विकास के द्वारा देश में प्रत्येक क्षेत्र में विकास किया जा सकता है, चाहे वह इलेक्ट्रानिक का हो या दवाइयों का या इन्जीनियरिंग या कृषि का या दूरसंचार, प्रमाणु ऊर्जा, पैकेजिंग आदि क्षेत्रों में उद्यमिता विकास द्वारा विकास के लक्ष्यों का प्राप्त किया जा सकता है।

भारत में औद्योगिक उद्यमशीलता का शीघ्र विकास न होने के कारणों में पूंजी की कमी, राजनैतिक इच्छा का अभाव, चुंगी बाधाएं, असंख्य मुद्रा प्रणालियां, क्षेत्रीय बाजार, कर नीतियां आदि प्रमुख हैं। वर्तमान में केन्द्रीय एवं राज्य स्तर पर स्थापित संस्थानों ने भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का संवर्धन करने क लिये अनेक प्रशुल्क तथा गैर प्रशुल्क प्रेरणाओं रियायतों एवं सुविधाओं की घोषणाएं की हैं।

2.12 शब्दावली

उद्यमिता विकासः इसका आशय ऐसे कार्यक्रम से है जिसका उद्देश्य सम्भावित उद्यमियों की खोज करना, उनमें उद्यमिता की भावना विकसित करना।

उपक्रमः इसे औद्योगि की एक इकाई के रूप में जाना जाता है।

बेरोजगारीः प्रचलित मजदूरी दर जो व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक हो उसे काम न मिले बेरोजगार कहलाता है।

उद्यमिता षिक्षण एवं प्रषिक्षणः शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने से उद्यमी में उसका ज्ञान, क्षमता, कल्पना शक्ति, विवके शक्ति, जाखिम उठाने की क्षमता तथा निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है।

अभिप्रेरणाः वह प्रक्रिया जो व्यक्तियों के संगठनात्मक लक्ष्यों की ओर सहयोग करने और अपने सर्वोत्तम प्रयासों का योगदान करने के लिये प्रेरित करता है।

2.13 बोध प्रश्न

इंगित करें कि निम्नलिखित वक्तव्य 'सही' है या 'गलत'

1. उद्यमिता विकास कार्यक्रम पर किया गया समय एवं धन का व्यय राष्ट्रीय बर्बादी है।
2. भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की काई प्रासंगिकता नहीं है।
3. भारत में उद्यमिता विकास की आवश्यकता है।
4. आर्थिक विकास उद्यमिता के विकास पर निर्भत है।
5. भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद में है।

रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।

1. भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है.................

2. उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है.............
3. भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है ....

2.14 बोध प्रश्नों के उत्तर

खण्ड–क

(1) गलत (2) गलत (3) सही (4) सही (5) सही

खण्ड–ख

(1) आवश्यक (2) स्वरोजगार, उद्यमी कौशल में वृद्धि, शिक्षण एवं प्रशिक्षण (3) रोजगार

2.15 स्वपरख प्रश्न

1. उद्यमिता विकास के अर्थ व प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए ।
2. उद्यमिता विकास के महत्व व उपलब्धियाँ का वर्णन कीजिए।
3. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में उद्यमिता के विकास का वर्णन कीजिए
4. भारत में उद्यमिता के धीमे विकास के कारण कौन–कौन से हैं ?
5. केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा उद्यमिता विकास के लिए भारत में स्थापित प्रमुख संस्थान कौन–कौन से हैं ?
6. भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रमों को सुधारने एवं प्रभावी बनाने के सुझावों का वर्णन कीजिए।

2.16 सन्दर्भ पुस्तकें

1. 'भारतीय अर्थव्यवस्था', हिमालया पब्किशिंग हाउस – वी. के. मिश्र एवं पुरी।
2. 'परियोजना नियोजन तथा नियन्त्रण', कल्याणी पब्लिकेशंस – जोशी एवं गुप्ता।
3. 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त', बी.एल. ओझा।
4. व्यावसायिक नियमन व्यवस्था – नवलखा, माधुर।

इकाई 3 सृजनशीलता, विचार सृजन, अनुवीक्षण और परियोजना परिचय (Creativity, Idea Generation, Screening and Project Identification)

इकाई की रूपरेखा

3.1 प्रस्तावना
3.2 सृजनशीलता
 3.2.1 अर्थ एवं परिभाषा
 3.2.2 सृजनशीलता में वृद्धि हेतु आवश्यक उपाय
 3.2.3 सृजनशीलता एवं नवाचार के लाभ/महत्व
 3.2.4 सृजनशीलता की प्रक्रिया
3.3 विचार सृजन
 3.3.1 विचार सृजन के स्त्रोत
 3.3.2 विचार सृजन की तकनीक
3.4 विचार जाँच/अनुवीक्षण
 3.4.1 विचार अनुवीक्षण व प्राथमिक जांच करना
 3.4.2 व्यापार विचार की संभव्यता

3.4.3 विचार अनुवीक्षण का महत्व
3.4.4 विचार अनुवीक्षण में त्रुटियाँ
3.5 परियोजना परिचय
3.6 सारांश
3.7 शब्दावली
3.8 बोध प्रश्न
3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर
3.10 स्वपरख प्रश्न
3.11 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे किः

- सृजनशीलता क्या है, उद्यमी के लिए इसका महत्व क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है एवं इसकी वृद्धि हेतु आवश्यक उपाय क्या है, बता सके।
- विचार सृजन के स्त्रोत एवं तकनीकें क्या है, बता सके।
- उद्यमी किस प्रकार विचार अनुवीक्षण करता और व्यापार विचार की संभव्यता स्थापित करता है, की व्याख्या कर सकें।
- परियोजना पहचान के लिए उद्यमी को किन पहलुओं पर विचार करना चाहिए, की व्याख्या कर सकें।

3.1 प्रस्तावना

उद्यमी तथा उद्यमिता विकास से सम्बन्धित यह चौथी इकाई है। इससे पूर्व आपने उद्यमिता के आधारभूत सिद्धान्तों को पढ़ा होगा । सृजनशीलता एवं नवाचार उद्यमियों के विशिष्ट लक्षण है जिससे वह नए उत्पादों/ सेवाओं का सृजन कर सकता है। उद्यमी न केवल वह व्यक्ति है जो विचारों को जन्म देता है अपितु अवसर की खोज कर उसका दोहन करता है। वह अवसर की नाजुकता को समझकर उसकी संभावनाओं पर विचार कर नवीन उद्योग व्यापार को मूर्त रूप देता है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप उद्यमिता में सृजनशीलता, विचार सृजन व अनुवीक्षण और परियोजना परिचय के आशय, महत्व और प्रक्रिया/तकनीकों को समझ सकेगें तथा जान पायेगें कि उद्यमी किस प्रकार अवसर को पहचानकर उसे चिन्हित करता है, विभिन्न संबंधित जानकारी प्राप्तकर उसकी वास्तविका का आंकलन करता है और अपने उद्यम/परियोजना की स्थापना सुनिश्चित करता है।

3.2 सृजनशीलता

उद्यमी प्रकृति से मूलतः नवाचारी होता है और नवाचार सृजनशीलता से संभव होता है। जब उद्यमी सृजनशीलता से संभव होता है। जब उद्यमी सृजनशील होता है तो नवीन विचार उत्पन्न करता है नई विधि तकनीक को जन्म देने या विद्यमान तकनीक ज्ञान, विधि में परिवर्तन करने की सोचता है। उस नवीन विचार, ज्ञान विधि को जब अपनाया जाता हे तो नवाचार होता है । अतः नवाचार उद्यमी की सृजनशीलता पर आधारित है। उद्यमी के सृजनशील हुए बिना नवाचार की आशा करना व्यर्थ है।

3.2.1 सृजनशीलता : अर्थ एवं परिभाषा

साधारण शब्दों में, सृजनशीलता उद्यमी का वह गुण या क्षमता है जिससे वह नवीन विचारों, विधियों, तकनीकों एवं समस्याओं के समाधानों की नई विधियों को जन्म देता है। सृजनशीलता की कुछ प्रमुख परिभाषाएँ निम्नानुसार है :

जिम्मेरर तथा स्कारबोरो (Zimmerer and Scarborough) के अनुसार,''सृजनशीलता नये विचारों को विकसित करने तथा समस्याओं एवं अवसरों पर नवीन प्रकार से विचार करने की विधियाँ खोजने की क्षमता है'' ।

थियोडारे लेविट (Theodore Levitt) ने बहुत छोटी किन्तु, सारगर्भित परिभाषा दी है। उनके शब्दों में, ''सृजनशीलता नवीन बातों पर विचार करना है।''

हिक्स एवं गुलैट (Hics and Gullett) के शब्दों में, ''सृजनशीलता किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता तथा जिज्ञासा का किसी क्षेत्र में उपयोग करना है जिसके परिणामस्वरूप किसी नवीन वस्तु या विचार का सृजन या प्रकटीकरण (अविष्कार) होना है।''

बौल्टन तथा थॉम्पसन (Boulton and Thompson) के अनुसार, ''सृजनशीलता से तात्पर्य किसी ऐसी चीज की अवधारणा करना, कल्पना करना या संरचना पर विचार करना है जो अभी तक अस्तित्व में नही है। यह उत्सुकता एवं अवलोकन से सम्बन्धित है।''

इस प्रकार स्पष्ट है कि सृजनशीलता एक मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी नवीन विचार, तकनीक या कार्य विधि के विकास पर विचार करता है अथवा किसी विद्यमान विचार, तकनीक या कार्यविधि में सुधार के उपाय ढूँढता है ताकि लोगों की समस्याओं एवं चुनौतियों का नवीन एवं बेहतर ढंग से समाधान किया जा सके।

लक्षण या विशेषताएँ (Characteristics) :-

सृजनशीलता के कुछ विशिष्ट लक्षण हैं। इन लक्षणों के आधार पर सृजनशीलता की प्रवृत्ति को ठीक–ठीक समझा जा सकता है। सृजनशीलता के प्रमुख लक्षण निम्नानुसार है :–

1. **मानसिक गुण या क्षमता** :– सृजनशीलता व्यक्ति का एक मानसिक गुण है। व्यक्ति इस गुण से नवीन विचारों, कार्यविधियों का आविष्कार कर सकता है।
2. **मौलिकता** :– सृजनशीलता व्यक्ति का मौलिक गुण है यह किसी दूसरे का अनुसरण करके ग्रहण किया जा सकता है, किन्तु यह उसका मौलिक लक्षण ही होता है।
3. **सर्वव्यापी गुण**– सृजनशीलता एक सर्वव्यापी (Universal) गुण है। यह गुण सभी व्यक्तियों में पाया जाता है, यद्यपि किसी में यह गुण कम होता है जबकि किसी अन्य में यह गुण अधिक होता है। किन्तु, सभी व्यक्तियों में सृजनशीलता किसी एक ही क्षेत्र में नहीं होती है। कुछ लोग साहित्स में, कुछ लोग गीत–संगीत में, कुछ अन्य लोग अभिनय में, कुछ प्रशासन कार्यों में तो कुछ अन्य लोग लेखन–कार्य में या तकनीकी क्षेत्र में सृजनशील होते है।
4. **चिन्तन मनन प्रक्रिया**–सृजनशीलता चिन्तन–मनन की प्रक्रिया है जिसके दौरान कई नये विचारों, तकनीकों, ज्ञान आदि का सृजन होता है।

5. **कल्पना एवं अवधारणा**–सृजनशीलता लोगों को उन चीजों एवं बातों की कल्पना एवं अवधारणा करने का अवसर देती है जो दुनिया में अभी तक विद्यमान ही नहीं हैं।
6. **नवीनता**– सृजनशीलता का एक लक्षण यह है कि यह नवीनता प्रदान करती है यह नये विचारों, कार्यविधियों, तकनीकों या ज्ञान का प्रकटीकरण एवं आविष्कार करती है।
7. **सुधार**– कुछ लोग यह मानते है कि दुनिया में कुछ भी नया नहीं होता है। सब कुछ पहले से ही विद्यमान है। ऐसी सोच वाले लोग यह मान सकते है कि सृजनशीलता विद्यमान विचारों, कार्यविधियों, तकनीकों, ज्ञान आदि में सुधार के मार्ग खोजती है।
8. **समस्याओं एवं चुनौतियों का समाधान**– सृजनशीलता वह गुण है जिससे लोगों की समस्याओं एवं चुनौतियों का समाधान खोजा जा सकता है।
9. **उपयोग**– सृजनशीलता का उपयोग व्यक्तिगत स्तर एवं संस्थागत स्तर पर किया जा सकता है। यह कारण है कि उद्यमी अकेला एवं अपना संगठन बनाकर साथियों के साथ सृजनशीलता का विकास एवं उपयोग कर सकता है।
10. **आविष्कार एवं नवाचार**– सृजनशीलता से नये विचारों, कार्यविधियों, तकनीकों आदि को जन्म दिया जाता है। अतः सृजनशीलता से आविष्कार होता है। आविष्कार एवं नवाचार करने के लिए सृजनशीलता अत्यावश्यक है।
11. **शिक्षण – प्रशिक्षण**– सृजनशीलता वह गुण है जिसे शिक्षण–प्रशिक्षण द्वारा सीखा एवं सिखाया जा सकता है । इसका लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। इस हेतु पुस्तकों के उपयोग के साथ–साथ सेमिनार, सभाएँ, सम्मेलन, कार्यशालाओं आदि का आयोजन भी किया जा सकता है। इस प्रकार सृजनशीलता का गुण जन्मजात होना आवश्यक नहीं है। इस गुण को सीखा एवं विकसित किया जा सकता है।

3.2.2 सृजनशीलता में वृद्धि हेतु आवश्यक बातें/उपाय

सामान्यतः सभी व्यक्तियों में सृजनशीलता का गुण पाया जाता है। हाँ, इतना अवश्य है कि सभी लोगों में सृजनशीलता का गुण एक समान नहीं पाया जाता है। किन्तु, इसमें अभिवृद्धि की जा सकती है।

वस्तुतः सृजनशीलता एक बौद्धिक कौशल है जिसमें प्रयासों एवं अभ्यास से वृद्धि की जा सकती है। केवल उद्यमी या किसी व्यक्ति विशेष को ही सृजनशीलता में वृद्धि करना पर्याप्त नहीं है। सृजनशीलता का गुण तो उद्यमी के सहयोगियों एवं संगठन के सभी सदस्यों में भी विकसित किया जाना परमावश्यक है। ऐसे में सृजनशीलता में वृद्धि किये जाने वाले उपायों अथवा सृजनशील वृद्धि के लिए आवश्यक बातों को निम्नांकित दो वर्गों मे बाँटा जा सकता है।

1. एकाकी व्यक्ति की सृजनशीलता में वृद्धि के उपाय, तथा ।
2. संगठनात्मक सृजनशीलता में वृद्धि के उपाय ।

1. एकाकी व्यक्ति की सृजनशीलता में वृद्धि के उपाय –

किसी व्यक्ति विशेष या उद्यमी विशेष की सृजनशीलता में अभिवृद्धि करने हेतु निम्नांकित उपाय करने चाहिये अथवा निम्नाांकित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए ।

I. **सृजनशीलता का मानस**– सृजनशीलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यह होती है कि व्यक्ति स्वयं यह सोच लेता है कि वह सृजनशील नहीं है। किंतु सृजनशीलता में अभिवृद्धि हेतु सर्वप्रथम ऐसी नकारात्मक सोच को बदलना परमावश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति/उद्यमी को सकारात्क रूप से यही सोचना चाहिये कि उसकी सृजनशीलता में वृद्धि हो सकती है। ऐसी सकारात्मक सोच से सृजनशीलता की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। फलतः सृजनशीलता में अभिवृद्धि करना आसान हो जाता है।

II. **विचारों का स्वतन्त्र आवागमन**– सृजनशीलता में अभिवृद्धि करने के लिए मस्तिष्क के सभी दरवाजों एवं खिड़कियों को पूर्णतः खोल देना चाहिये ताकि मस्तिष्क में विचारों का स्वतन्त्र आवगमन हो सके । इससे नये–नये विचार मस्तिष्क में आयेंगे। फलतः सृजनशीलता में वृद्धि होगी ।

III. **विचारों के स्त्रोतों तक पहुँच**– प्रत्येक व्यक्ति अपनी सृजनशीलता में अभिवृद्धि करना चाहता है तो उसे सृजनशीलता के स्त्रोतों में जाना चाहिये । रेडियो, टी.वी., पुस्तकों, समाचार पत्र–पत्रिकाओं, बाहरी वातावरण, शॉपिग माल, रेलवे स्टेशन आदि विचारों के अच्छे स्त्रोत हो सकते है । उद्यमी को ऐसे स्त्रोतों तक पहुंचना चाहिये । उनसे नये–नये विचार उत्पन्न हो सकते है जिनसे सृजनशीलता में अभिवृद्धि हो सकती है।

IV. **विचारों को नोट करना** – व्यक्ति के मस्तिष्क में विचार कभी भी आ सकते है। विचारों के क्रमबन्ध रूप से आना भी आवश्यक नहीं हैं अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी नोट–बुक अपनी पहुंच में ही रखनी चाहिये और विचार आते ही उसमें नोट कर लेना चाहिये। अमरीका के एक बहुत बड़े उद्यमी पेट्रिक मेक्नाटन का कहना है कि मेरी सृजनशीलता सफलता का अधिकांश श्रेय इसी बात को जाता है कि मैंने अपने मस्तिष्क में आने वाले प्रत्येक विचार को लिख लिया था और उसे अपने विशेष फोल्डर में संजो लिया था। इस प्रकार सृजनशीलता में अभिवृद्धि हेतु प्रत्येक विचार को नोट करना एवं संजोकर रखना भी आवश्यक है।

V. **अन्य लोगों के विचारों को सुनना**– कहावत है कि समझदार व्यक्ति अन्य लोगों के अनुभवों से सीख ग्रहण करते है। अतः उद्यमी को अन्य व्यक्तियों के अनुभवों एवं विचारों को सुनना चाहिये। अन्य लोगों के खट्टे मीठे अनुभवों एवं विचारों में कई महत्वपूर्ण सूत्र मिल जाते है जिससे सोच को नई दिशा मिल जाती है। कई बार अन्य व्यक्ति जो सामान्य विचार व्यक्त करते है वही विचार उद्यमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाता है। वह उसी विचार के आधार पर बहुत गंभीर चिन्तन कर लेता है और असाधारण नवाचार कर लेता है। अतः सृजनशीलता में अभिवृद्धि के लिए दूसरों के विचारों को भी ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये।

VI. **बच्चों से सम्पर्क रखना**— आजकल सामान्यतः कहा जाता है, आज के बच्चे बड़े बुद्धिमान होते है। वस्तुत बच्चों की सोच पर कोई विशेष पाबन्दी नहीं होती है वे समाज की सीमाओं एवं बंधनों से परे होकर सोच एवं बोल सकते है। किन्तु, बड़ों को समाज की सीमाओं के भीतर सोचने बोलने एवं करने को बाध्य होना पड़ता है। अतः बच्चों के सोच की सीमा विस्तृत होती है। फलतः उनकी सृजनशीलता भी अधिक व्यापक होती है। अतः उद्यमियों को उनसे संपर्क रखना चाहिये, उनेक बीच उठ बैठकर नये—नये विचारों को जानना चाहिये। इससे उद्यमियों की सृजनशीलता में वृद्धि होगी ।

VII. **खेल खिलौने में रूचि रखना** — हम कई चीजे खेल—खेल में ही सीख जाते है। खेल खिलौने हमें सोचने के नये आयाम दे देते है अतः सृजनशीलता में अभिवृद्धि के लिए खेल खिलौने में भी रूचि रखनी चाहिये ।

सृजनशीलता में अभिवृद्धि के उपाय

उद्यमी की सृजनशीलता में अभिवृद्धि

सृजनशीलता का मानस।
विचारों का स्वतंत्र आवागमन ।
विचार स्त्रोंतों तक पहुँच ।
विचार को नोट करना ।
अन्य लोगों के विचारों को सुनना।
बच्चों से सम्पर्क ।
खेल—खिलौनों में रूचि रखना ।
फुरसत के क्षण निकालना।
विचार मंथन करना।
प्रशिक्षण प्राप्त करना ।
बेहतर कार्यविधि खोजना।

संगठनात्मक की सृजनशीलता में अभिवृद्धि

नवीन विचारों को प्रोत्साहन ।
आपसी विचार—विमर्श को प्रोत्साहन
उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्वतन्त्रता।
मान्यता/सम्मान प्रदान करना ।
विविध पृष्टभूमि एवं अनुभव के लोगों की नियुक्ति
सृजनशीलता की आशा रखना ।
असफलता की आशा रखना एवं उसे सहन करना
उत्सुकता को प्रोत्साहन।
समस्याओं को चुनौतियाँ मानना।
प्रशिक्षण।
संसाधन एवं उपकरण उपलब्ध करना।
विचार संकलन करना।
पुरस्कार/सम्मान देना ।
आदर्श प्रस्तुत करना।
परिवर्तन हेतु सहमत होना।

VIII. **फुरसत के क्षण निकालना**— सामान्यतः उद्यमी अत्यन्त व्यस्त होते हैं। उन्हें फुरसत एवं आराम के क्षण बहुत ही कम मिलते है। किसी सृजनशीलता में अभिवृद्धि करने हेतु उद्यमियों को कुछ समय निकालकर फुरसत से आराम करना चाहिये। इससे वे अपने कार्य के वातावरण से दूर होंगे एवं उनका ध्यान अन्य विषयों पर जायेगा। फुरसत के इन क्षणों में मानव मस्तिष्क के सोचने का नजरिया बदलता है। तब मानव मस्तिष्क किसी भी समस्या पर नये ढंग से विचार प्रारम्भ कर सकता है। फलतः फुरसत के क्षणों में उद्यमी को सृजनशीलता के नये आयाम प्राप्त होने लगते है।

IX. **विचार मंथन करना**— सृजनशीलता में अभिवृद्धि हेतु विचार—मंथन भी करना चाहिये। उद्यमी बैठे—बैठे अपनी या अपने व्यवसाय की किन्हीं काल्पनिक या वास्तविक समस्याओं पर विचार करना एवं उनके हल ढूँढना प्रारम्भ कर सकता है। इससे उसके मस्तिष्क में अनेक वैकल्पिक समाधान जन्म ले सकते है। उन वैकल्पिक समाधानों पर निष्पक्ष रूप से विचार कर उनके गुण दोषों का मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। इस प्रक्रिया में उनकी सृजनशीलता में वृद्धि होना स्वाभाविक है।

X. **प्रशिक्षण प्राप्त करना**— उद्यमियों को अपनी सृजनशीलता में अभिवृद्धि करने हेतु उचित प्रशिक्षण भी प्राप्त करना चाहिये। उचित प्रशिक्षण द्वारा सृजनशीलता सीखी जा सकती है जिम्मेरर तथा स्कारबोरौ (Zimmerer and Scarborough) के अनुसार सृजनशीलता के सिद्धान्तों को समझ एवं उपयोग कर नये एवं नावाचारी विचारों को विकसित करने की क्षमता का चमत्कारी ढंग से विकास किया जा सकता है।

XI. **बेहतर कार्यविधि खोजना**— उद्यमियों को सृजनशीलता के विकास के लिए वर्तमान या परम्परागत कार्यविधि से संतुष्ट होने की आदत छोड़नी होगी । उन्हें सदैव यह विचार एवं प्रयास करना चाहिये कि कार्य की कोई बेहतर कार्यविधि मिल जाए। उन्हें आलोचना के भय से मुक्त होकर कार्य की नई एवं बेहतर विधि खोजने का प्रयास करना चाहिये। इससे सृजनशीलता में अभिवृद्धि अवश्य होगी ।

2. **संगठनात्मक सृजनशीलता में वृद्धि के उपाय**

संगठनात्मक सृजनशीलता में वृद्धि करने के लिए संगठन के वातावरण को अनुकूल बनाना होता है। इस हेतु निम्नांकित प्रयास किये जा सकते है।

1. **नवीन विचारों को प्रोत्साहन**— संगठन में सृजनशीलता में अभिवृद्धि करने हेतु संगठन के सभी स्तरों पर नवीन विचारों को प्रोत्साहन देना चाहिये। संगठन के सभी स्तरों के प्रबन्धकों/अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों एवं आचारण से सभी कर्मचारियों को बता देना चाहिये कि नवीन विचारों को स्वागत किया जायेगा। इतना ही नहीं, सभी स्तरों के अधिकारियो/प्रबन्धकों को अपने अधीनस्थों से सुझाव आमंत्रित करने तथा उन्हें ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये। जो सुझाव अच्छे हों उन्हें तत्काल क्रियान्वित करने हेतु अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये। ऐसा करने से लोगों को नवीन विचारों के सृजन हेतु प्रोत्साहन मिलेगा ।
2. **आपसी विचार विमर्श को प्रोत्साहन**— संगठन में सृजनशीलता बढ़ाने हेतु संगठन के कर्मचारियों/अधिकारियों को अपने तथा अन्य विभागों के

कर्मचारियों / अधिकारियों के बीच आपसी विचार–विमर्श को प्रोत्साहन देना चाहिये । ऐसा करने से वेएक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकेंगे तथा समस्याओं के समाधान हेतु नये उपाये भी ढूँढ सकेंगें ।

3. **उद्येश्यों की प्राप्ति हेतु स्वतन्त्रता**– यह एक सामान्य सत्य है कि स्वतन्त्रता मुक्त विचारों को प्रोत्साहित करती है। अतः उद्येश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक स्वतन्त्रता प्रदान करके संगठन के सदस्यों को अधिक सक्रियता से विचार करने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। इस हेतु अधिकारियों को अपने अधीनस्थों के लिए केवल उद्येश्य निर्धारित करने चाहिये। उन उद्येश्यों की प्राप्ति की विधि एवं प्रक्रिया को निर्धारित करने की छूट अधीनस्थों को ही दे देनी चाहिये। इससे वे कार्य करने में अधिक स्वतन्त्रता अनुभव करेंगे। फलतः उनकी सृजनशीलता में अभिवृद्धि होगी

4. **मान्यता या सम्मान प्रदान करना**– संगठन में सृजनशीलता की अभिवृद्धि हेतु सृजनशील कर्मचारियो / अधिकारियों को मान्यता या सम्मान प्रदान करना चाहिये। सृजनशील कर्मचारियो / अधिकारियों को पुरस्कर, बोनस या वेतन द्वारा सम्मानित किया जा सकता है। ऐसा करने से अन्य सभी व्यक्ति प्रभावित होंगे एवं सृजनशील कार्य करने को प्रेरित होंगें।

5. **विविध पृष्टभूमि एवं अनुभव के लोगों की नियुक्ति**– संगठन में सृजनशीलता की अभिवृद्धि के लिए एक उपाय यह भी है कि संगठन में विविध पृष्ठभूमि के एवं विविध प्रकार के अनुभवों वाले व्यक्तियों की नियुक्ति किए जाने वाले व्यक्तियों की आदतों, शौक, रूचियों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, कार्य अनुभव, शैक्षणिक योग्यता आदि में भिन्नता होने से वे एक ही समस्या एक – दूसरे पर प्रभाव भी पड़ेगा । फलतः लोगों की सृजनशीलता पर सकारात्मक प्रभाव होगा ।

6. **सृजनशीलता की आशा रखना**– संगठन के सदस्यों से अधिकारी कई आशाएँ रखते हैं। उन आशाओं में सृजनशीलता की आशा भी सम्मिलित होनी चाहिये। सभी सदस्यों को इस बात की जानकारी होनी चाहिये कि संस्था को उनसे सृजनशील विचारों एवं कार्यों की अपेक्षा है। अधिकांश लोग अपने अधिकारियों की आशाओं को पूरा करने के प्रयास करते है। अधिकारियों को इस हेतु आवश्यक स्वतन्त्रता देनी चाहिये ताकि संगठन के प्रत्येक सदस्य की सृजनशीलता उजागर हो सके।

7. **असफलता की आशा करना एवं सहन करना** – विद्वानों का माना है कि **जो लोग कभी असफल नही होते, वे सृजनशील नहीं हो सकते है**। दुनिया में सभी लोगों के विचार एवं कार्य सदैव सफल एवं उपयोग सिद्ध नहीं होते है । अतः संगठन के सदस्यों के विचार एवं कार्य भी सदैव सफल नहीं हो सकते। कभी–कभी उनके विचार एवं कार्य बुरी तरह असफल भी हो सकते है। इसमें इससे समय एवं संसाधन व्यर्थ जा सकते है। किन्तु, अधिकारियों को ही नहीं, अधीनस्थों को भी इन असफलताओं को सहन करना सीखना चाहिये बल्कि अधिकारियों को अपने अधीनस्थों के मन से असफलता का भय निकाल देना चाहिये। इससे संस्था का सृजनशील वातावरण बनेगा एवं सदस्यों की सृजनशीलता में अभिवृद्धि होगी ।

8. **उत्सुकता को प्रोत्साहन**— संगठन के सभी सदस्यों में नवीन विचारों एवं कार्यों के परिणामों के प्रति उत्सुकता को प्रोत्साहित करना चाहिये । प्रत्येक नये विचार या कार्य से अच्छे परिणाम की सम्भावना मान कर कार्य करने की प्रेरणा देनी चाहिये। ऐसा इसलिए कि किसी विचार या कार्य का परिणाम पूर्व निश्चित नहीं होता है। अतः सम्भावना ही आशा एवं उत्सुकता जागृत करती है। ऐसी भावना सदैव सृजनात्मक कार्य करने की प्रेरणा देती है।
9. **समस्याओं को चुनौतियाँ मानना**— संगठन के प्रत्येक सदस्य को समस्या से हार मानकर बैठने की बजाय समस्या को चुनौती मानना एवं उसका समाधान ढूँढ़ने का प्रयास करना चाहिये। चुनौतियाँ सृजनशीलता को बढ़ानें मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
10. **प्रशिक्षण**— संगठन के सदस्यों में सृजनशीलता की अभिवृद्धि करने के लिए उनकों प्रशिक्षण देना चाहिये। इस हेतु सृजनशीलता पर व्याख्यान, सेमीनार, कार्यशालाएं, सभाएँ, सम्मेलन आदि का आयोजन करना चाहिये। संगठन के सदस्यों को इनमें भागीदारी करने का अवसर प्रदान कर उनकी सृजनशीलता में अभिवृद्धि की जा सकती है।
11. **संसाधन एवं उपकरण उपलब्ध करना**— संगठन के सदस्यों की सृजनशीलता में वृद्धि करने हेतु उन्हें आवश्यक संसाधन एवं उपकरण भी उपलब्ध कराने चाहिये। संसाधनों में प्रमुख संसाधन है समय संगठन के सदस्यों को संगठन के कार्यो से मुक्त कर कुछ समय देना चाहिये।जिम्मेरर तथा स्कारबोरौ ने ठीक ही लिखा है कि उद्यमियों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि सृजनशीलता के लिए प्रायः कार्य विहीन अन्तरालों की आवश्यकता पड़ती है और इसी दौरान कर्मचारियों को दिन में ही सपने देखने का अवसर देना इस प्रक्रिया (सृजनशीलता) का महत्वपूर्ण अंग है।
12. **विचार संकलन करना**— सभी संस्थाओं में सृजनशील सदस्य होते हैं किन्तु सभी संस्थाएँ उनके सृजनशील विचारों का संकलन नहीं कर पाती है। फलतः उनका सदुपयोग भी नहीं हो पाता है। अतः सभी सदस्यों के विचारों के संकलन की व्यवस्था होनी चाहिये। सुझाव पुस्तिकाओं, सुझाव पेटियों आदि की व्यवस्था करके विचारों का संकलन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अधिकारी समय—समय पर कर्मचारियों से सम्पर्क करके उनके विचारों का संकलन कर सकते है। इससे संस्था में सृजनशीलता का वातावरण बना रहेगा ।
13. **पुरस्कार या सम्मान देना**— संगठन में सृजनशीलता के लिए पुरस्कार या सम्मान की व्यवस्था होनी चाहिये । जो लोग सृजनशील विचार प्रस्तुत करते हैं, सृजनात्मक कार्य करते हैं, उन्हें पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जाना चाहिये। पुरस्कार वित्तीय या गैर वित्तीय भी हो सकते हैं। अतः प्रशंसा, प्रमाण—पत्र, बोनस, वेतन वृद्धि, पदोन्नति आदि के द्वारा सृजनशील सदस्यों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
14. **आदर्श प्रस्तुत करना**— संगठन में सृजनशीलता की अभिवृद्धि का एक प्रमुख उपाय है। अधिकारियों को सृजनशील विचार एवं कार्य करके दिखाना चाहिये। उनकी सृजनशीलता सभी सदस्यों के लिए प्रेरणा का कारण बनेगी। इससे संगठन में सृजनशीलता की अभिवृद्धि का वातावरण बनेगा ।

15. **परिवर्तन हेतु सहमत होना**– सृजनशीलता के परिणामस्वरूप नये विचारों के अनुरूप नये कार्य या नये तरीकों से कार्य किय जाते है । फलतः संगठन में अनेक प्रकार के परिवर्तन करने होते हैं। संगठन के सदस्यों को ऐसे परिवर्तनों के लिए तैयार रहना चाहिये। परिवर्तन के लिए सहमति देकर भी संगठन में सृजनशीलता के वातावरण को जीवत रखा जा सकता है।

3.2.3 सृजनशीलता एवं नवाचार के लाभ/महत्व

सृजनशीलता एवं नवाचार के अनेक लाभ है, इनमें से कुछ निम्नानुसार है –

1. **अधिक अच्छे उत्पाद (Better Product & Product Features)**– सृजनशीलता से अधिक अच्छे उत्पादों का निर्माण संभव है। इसके परिणामस्वरूप विद्यमान उत्पादों के गुणों एवं लक्षणों में सुधार किया जा सकता है तथा बेहतर नए उत्पादों का निर्माण भी किया जा सकता है।

2. **लागत में कमी (Reducting Cost)**– सृजनशीलता व नवाचार के उपयोग से उत्पादन तकनीक, विपणन तकनीक एवं प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है। फलतः उत्पादन वितरण एवं प्रशासनिक लागतों में कमी लाई जा सकती है जिससे उत्पाद/सेवा की लागत में भी कमी आती है।
3. **प्रतिस्पर्धी क्षमता में सुधार (Improvement in Competition Capacity)**– सृजनशीलता व नवाचार वह महत्वपूर्ण साधन है जिससे उद्यमी अपनी संस्था की प्रतिस्पर्धी क्षमता में सुधार कर सकता है। यह उत्पादों की गुणवत्ता एवं उनके लक्षणों में सुधार तथा लागतों में कमी आने से संभव होता है।
4. **उपभोक्ता की संतुष्टि (Customer Satisfaction)**– सृजनशीलता व नवाचार अपनाने से उत्पादों के गुणों व विशेषताओं में सुधार होता है, लागतों में कमी आती है तथा उपभोक्ताओं के अनुरूप उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है इन सबके फलस्वरूप उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है।
5. **ग्राहकों की निष्ठा (Customer Loyalty)**– सृजनशीलता व नवाचार के चलते ग्राहक उसी उद्यमी के उत्पाद क्रय करने लगते है तथा स्थायी ग्राहक बन जाते है। इतना ही नहीं, वे अन्य लोगों को भी उन्हीं उत्पादों को क्रय करने की सलाह भी देते है। इससे उद्यमी उवं उसके उत्पादों के प्रति ग्राहक की निष्ठा बन जाती है जो दीर्घकाल में उद्यमी के लिए बहुत लाभदायी सिद्ध होती है।
6. **कर्मचारियों को प्रेरणा (Employee Motivation)**– सृजनशीलता व नवाचार करने एवं अपनाने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फलतः उन्हें भी इनके द्वारा उत्पन्न लाभों में भागीदारी मिलती है उन्हे सृजनशीलता व नवाचारी विचारों के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है तथा पुरस्कार एवं प्रशंसा भी मिलती है। अतः कर्मचारियों को सदैव प्रेरणा मिलती है व उनका विकास भी होता है ।
7. **संस्था की ख्याति एवं छवि (Organisational Fame and image)**– सृजनशील संस्था अच्छे, सस्ते एवं नए उत्पाद उपलब्ध कराने में सक्षम होती

है। अतः वह संस्था बाजार में अग्रणी नजर आती है। ऐसी संस्था की ग्राहकों एवं जनता के बीच अच्छी ख्याति एवं छवि बन जाती है।

8. **उद्यमिता का विकास (Entrepreneurial Development)**– पीटर ड्रूकर ने कहा है, नवाचार उद्यमी का महत्वपूर्ण उपकरण एवं साधन है। सृजनशीलता व नवाचार की प्रवृत्ति उद्यमिता के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। सफल उद्यमी बाजार में उपलब्ध अवसरों को पहचानकर तथा सृजनशीलता से नवाचार करते रहते हैं और भविष्य में और भी सफलता प्राप्त करते है।

3.2.4 सृजनशीलता की प्रक्रिया–

विचार आमतौर पर एक सृजनात्मक प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होता है जिससे कल्पनाशील व्यक्ति उन विचारों की अंकुरित करते है और उन्हें सफलतापूर्वक विकसित करते है।

<u>सृजनशीलता प्रक्रिया के चरण</u>

अधिकांश सामाजिक वैज्ञानिक सृजनशीलता के निम्न पांच चरणों पर सहमत होते है– विचार अंकुरण, विचार चिंतन, उम्दवन, प्रदीपन व सत्यापन । हर चरण में रचनात्मक व्यक्ति अंकुरण से सत्यापन चरण के लिए एक विचार को स्थानांतरित करने के लिए अलग – अलग व्यवहार करता है।

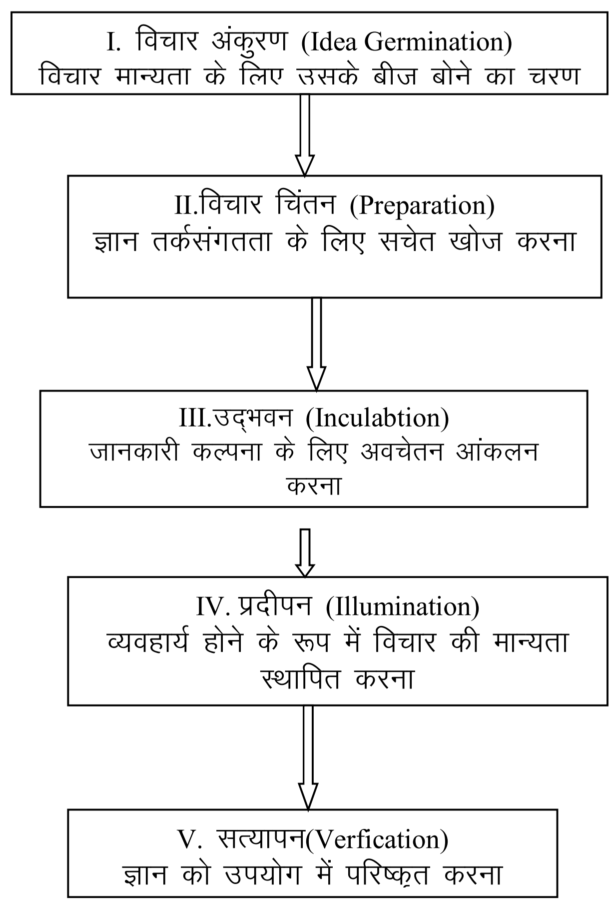

चित्र :– सृजनशीलता प्रक्रिया

विचार अंकुरण **(Idea Germination)**

यह चरण एक प्रकार से बीज बोने की प्रक्रिया है। परन्तु यह चरण एक किसान की तरह आयोजित नहीं है जिसे किसान विकसित करता है। अपितु यह प्राकृतिक बीज बिखा की तरह अधिक होता है जब हवा द्वारा बिखरे हुए फूलों से बीज उपजाऊ जमीन लेते हैं। विचार का कैसे, कहाँ अंकुरण होता है यह सही रूप से बताया नहीं जा सकता परन्तु यह अवश्य कहा जा सकता है कि अधिकांश सृजनशील विचार किसी विशिष्ट समस्या या क्षेत्र के बारें में व्यक्ति की जिज्ञासा के परिणाम से उत्पन्न होते हैं।

1. **विचार चिंतन (Preparation)**

   एक बार जिज्ञासा का बीज विचार का रूप लेने लगता है, तब रचनात्मक लोग उत्तर के लिए एक सचेत खोज शुरू करते हैं । यदि यह एक ऐसी समस्या है जिसे वे हल करने की कोशिश कर रहे है तो वे एक बौद्धिक यात्रा शुरू करते है और समस्या के बारे में तथा दूसरों ने इसे हल करने के कैसे प्रयास किए हैं इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं। और यदि यह एक नए उत्पाद या सेवा के लिए विचार है तो व्यापार समकक्ष बाजार अनुसंधान है। तब उद्यमी आविष्कारक प्रयोगशाला प्रयोग स्थापित करेंगे, डिजाइनर इंजीनियरिंग नए उत्पाद विचार शुरू करेंगें और विपणक उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन करेंगे ।

2. **उदभवन (Incubation)**

   व्यक्ति कभी–कभी किसी विचार पर गहन ध्यान केंद्रित करते हैं, परन्तु अधिकतर वे बिना किसी इरादे के विचारों को विकसित करने की अनुमति देते है । हम सभी ने जीनियस के शानदार व अचानक उत्पन्न विचारों के बारें में सुना है परन्तु कुछ महान विचार अंतर्दुष्टि के बादलों से आते हैं। इनमें कई विचार रचनात्मक लोगों के दिमाग में सबसे अधिक विकसित होते हैं जब वे अन्य गतिविधियों में लिप्त होते हैं। एक बार विचार का बीज दिमाग की जमीन पकड़ लेता है और उसके बारें में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर लेता है तब उद्यमी अवचेतन मन को जानकारी एकत्र करने के लिए समय देता है।

3. **प्रदीपन (Illumination)**

   चौथा चरण तब होता है जब विचार यथार्थवादी सृजन के रूप मे पुनरूत्थान करता है रचनात्मक लोग सामान्यतः विचार चिंतन व उदभवन के कई चक्रों से गुजरते हैं, जिसमें वे विचार के पूर्ण अर्थ को खोजने की कोशिश करते हैं। जब सृजनात्मक व्यवहार का एक चक्र उत्प्रेरक घटना में परिणामस्वरूप विफल रहता है तब इस चक्र को तब तक दोहराया जाता है जब तक विचार को उचित आकार न प्राप्त हो या विचार गायब न हो जाए । यह चरण उद्यमियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश विचार रचनात्मक व्यक्ति के भम्र की दुनिया में कम व्यावहारिक होते है और कई बार एक उपयुक्त घटना से ही प्रदीपन हो जाता है ।

4. **सत्यापन (Verfication)**

   एक व्यक्ति के दिमाग मे एक बार प्रकाशित होने वाले विचार का तब तक कोई अर्थ या मूल्य नही है जब तक वो यथार्थवादी व उपयोगी विचार के रूप में सत्यापित न हो जाये । एक प्रबुद्ध विचार को एक सत्यापित,

यथार्थवादी और उपयोगी अनुपयोग में अनुवाद करने के लिए उद्यमी प्रयास आवश्यक होता है। सत्यापन चरण ज्ञान को उपयोग में परिष्कृत करने का विकास चरण है। यह प्रायः कठिन होता है और इसमें सृजन के व्यावहारिक परिणामों का लाभ पाने का रास्ता खोजने के एक लिए प्रतिबद्ध उद्यमी द्वारा दृढ़ता की आवश्यकता होती है।

इस चरण के दौरान कई विचार रास्ते में ही दम तोड़ देते है क्योंकि वे असंभव साबित होते हैं या कम मूल्य रखते हैं और सामान्यतः जो विचार अच्छे होते हैं वे या तो विकसित किये जा चुके होते है या उनके प्रतियोगी पहले से मौजूद होते हैं। कई बार अविष्कारकों को इस कठोर निष्कर्ष के बारें में तब जानकारी मिलती है जब वे अपने उत्पादों को पेटेंट कराना चाहते हैं और उन्हें पता चलता है कि यह आविष्कार पहले से ही पंजीकृत है।

3.3 विचार सृजन (Idea Generation)

विचार सृजन अवस्था/चरण उद्यमी गतिविधि का पहला कदम है। इस चरण में कई नवीन विचारों का विकास होता है अप्रयोगात्मक तथा अव्यवहारिक विचार को छोड़ दिए जाते हैं तथा वो विचार जो अधिक से अधिक उपलब्ध संसाधनों को नियोजित करने की सक्षमता रखते हैं उन्हें आगे मूल्यांकन के लिये चुना जाता है । विचारों को उपभोक्ता की आवश्यकतों का ध्यान रखना चाहिये। एक अच्छे विचार को इन विभिन्न तत्वों को परिभाषित करना चाहिए ।

- आवश्यकता के प्रकार
- आवश्यकता पूरी करने के स्पधीत्मक तरीके
- कथित लाभ और जोखिम
- कीमत बनाम निष्पादन
- बाजार का आकार व विक्रय संभात्यता
- ग्राहक की भुगतान क्षमता आदि

व्यापार विचार सृजन, व्यापार के विकास के नए अवसरों की तलाश है। पीटर ड्रकर के अनुसार अवसर तीन प्रकार के होते है।

1. **योगज (Additive opportunites)**

   इस प्रकार के अवसर निर्णयकर्ता द्वारा संसाधनों का बेहतर और गहन उपयोग करने की विधियाँ तलाश करना है। इसमें उत्पादन व विपणन रणनीतियों में बदलाव शामिल है।

2. **पूरक अवसर (Complementary opportunites)**

   पूरक अवसर – ऐसे अवसर मौजूदा उत्पादों में नए विचारों को लाना अथवा बाजार में वांछित बदलावों या वांछित परिवर्तन लाने की कोशिश करते है इसमें व्यवसाय का स्वरूप बदलने की संभावना अधिक होती है तथा व्यवसाय में जोखिम की मात्रा भी अधिक होती है।

3. **नवोन्मेष अवसर (Breakthrough opportunites)**

   नवोन्मेष अवसर – ये अवसर नये उत्पाद, नई तकनीक या नये क्षेत्रों के माध्यम से नए मौलिक विचारों का सृजन करते हैं।

   नवोन्मेष व्यवसाय की संरचना, रणनीतियां तथा स्वरूप को पूरी तरह बदल लेता है। इसमें जोखिम की मात्रा सर्वाधिक होती है और सफलता की सूरत में इसमें उद्यमी को लाभ भी सर्वाधिक प्राप्त होता है।

व्यापारिक विचार खोजने और चुनने में निम्नलिखित कदम शमिल हैं।

1. व्यावसयिक विचारों का सृजन
2. विचारों का अध्ययन व विकास
3. सबसे अच्छे विचार का चयन

व्यावसायिक विचार विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न होते हैंफिर उनका प्रांरभिक मूल्यांकन और परीक्षण किया जाता है। एक बार व्यवसाय के विचार उत्पन्न होते है तत्पश्चात् इन विचारों का अध्ययन, जांच (Screening) और परीक्षण (Testing) किया जाता है जिसमें उद्यमी अपने अनुभव तथा उस क्षेत्र के विशेषज्ञों का सहारा लेता है ।

3.3.1 विचार सृजन के स्त्रोत (Sources of idea generation)–

1. **उपभोक्ता–** एक नया उद्यमअथवा मौजूदा संगठन को उपभोक्ता की आवश्यकताओं को लगातार अद्यतन (Update) और पूरा करना होता है क्योंकि उपभोक्ता किसी भी व्यवसाय के बुनियादी मुखिया होते हैं और उपभोक्ता से ही किसी व्यवसाय का अस्तित्व होता है।उपभोक्ता के साथ बातचीत और उनकी प्रतिक्रिया पर लगातार निगरानी रखना उद्यमी के लिए नए अवसरों का स्त्रोतहोते हैं । उदाहरण स्वरूप, जैसे नारियल तेल की शीशी की पैकिंज में बदलाव उपभोक्ता की जरूरत की अनुसार किया गया ।

   बॉल पैन के बदले जैल पैन, लकड़ी के फर्नीचर के बदले PVC के दरवाजे ऐसे कई आदि बड़े विचार सृजन उपभोक्ता की जरूरत को समझ कर उत्पन्न हुए है। उपभोक्ता संबाधित विभिन्न आँकड़े(Data), उपभोक्ता आवयकताएँ, उपभोक्ता शिकायतें, प्राथामिकताओं आदि का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने से गुणात्मक ऑकडों तक पहुंचा जा सकता है जो निर्णय लेने के लिए लाभदायी हो सकते है।

   शुरूआत में सीमित संख्या के उत्पदों और उपभोक्ताओं के लक्षित अनुभाग के लिए सर्वेक्षण(Surveys) आयोजित किये जाते हैं ताकि एक उद्यमी उत्पादों की सीमा को सीमित कर सके। उपभोक्ता सर्वेक्षण इसी प्रकार के उत्पादों की बाजार में उपलब्धता, बाजार मे प्रतिस्पर्धा, उत्पादों कीलोकप्रियता, प्रतिस्थापन आदि के आंकड़े देने में सक्षम होते हैं, जिससे उपभोक्ता की उम्मीदों का अंदाजा लगाया जा सकता है। अतः उपभोक्ता विचार सृजन के सबसे प्रबल स्त्रोत होते हैं ।

2. **मौजूदा कंपनी–** मौजूदा कंपनियों द्वारा उत्पादित उत्पाद, प्रतिस्पर्धा, बाजार क्षेत्र, मांग स्वरूप, मूल्य रूझान आदि व्यापार का व्यापक अवलोकन करने में मददगार होते हैं। मौजूदा कंपनी के आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि व्यवसाय की कौन सा सबसे लाभदायक स्त्रोत है कौन से दुर्लभ क्षेत्र है तथा उत्पाद का सर्वश्रेष्ठ विनिनिर्माण रूझान क्या है कई उपलब्ध आंकड़ों के मूल्यांकन से जैसे कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट तथा छपे सूची पत्र आदि से मांग स्वरूप, खंड अनुसार मुनाफे तथा प्रचलित रणनीतियों के बारे में भी उद्यमी को जानकारी प्राप्त हो सकती है। फलतः इन जानकारियों से उद्यमी नए अवसरों की पहचान कर सकता है।

3. **अन्य देशों में विकास**– अन्य, देशों में उपभोक्ता का रूझान, उसका व्यवहार तथा फैशन आदि का अध्ययन विचार सृजन में कारगार साबित होते है। यह तो कई सिद्धान्तों द्वारा स्पष्ट है कि वो उत्पाद जो विकसित देशों में आज प्रचलित है वे विकासशील देशों मे कल प्रचलन में आयेगें । अतः उद्यमी को चाहिए कि वह विकसित देशों में चल रहे बाजार विकास पर निगरानी रखे जिससें उन्हें बाजार में नये उत्पाद सेवाएँ, तकनीकी, प्रक्रिया तथा रूझानों के बारें मे जानकारी प्राप्त हो सकें ।

साथ ही उद्यमी को अन्य कई पहलुओं का भी पता चलता है जो विचार सृजन व चयन को प्रभावित करते है जैसे – निर्यात संभावित क्षेत्र, सरकारी प्रोत्साहन, उच्च लाभ वाले क्षेत्र, वे उत्पाद जिनकी मांग आपूर्ति से अधिक है, दुर्लभ क्षेत्र जहां मांग अधिक है, आदि ।

4. **मौजूदा उत्पाद और सेवाएँ (Existing Products & Services)**

मौजूदा उत्पाद और सेवाएँ – मौजूदा उत्पाद व बाजार की आवश्यकताओं के विस्तृत अवलोकन व विश्लेषण से इन नए क्षेत्रों में नए व्यापार विचार उत्पन्न होते हैं –

i. वे उत्पाद जो उपभोक्ता को विशिष्ट लाभ देते है ।
ii. मूल्यांकन के साथ उत्पाद ।
iii. जिन उत्पादों के लिए सरकार विकास क्षेत्रों पर विचार करती है और औद्योगिक सुविधाएँ और प्रोत्साहन प्रदान करती है।
iv. वे उत्पाद जहां निर्यात प्रतिबंधित है या सरकारी नीतियों द्वारा वर्जित है।
v. वे उत्पाद जहां कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है।
vi. ऐसे उत्पाद जिनके बड़े ढाँचे की जरूरत उनकी मातृ इकाई (Mother Unit) द्वारा उपलब्ध कराई जाती है अथवा कई उत्पादों व सेवाओं के लिए व्यवसायिक उद्यान (Industrial Parks) का गठन किया गया हो जैसे Software Parks निर्यात क्षेत्र Export Zones आदि ।

व्यावासिक विचार सृजनात्मक दृष्टिकोण से भी उत्पन्न होते है जिसमें मौजूदा उत्पादों को नए डिजाइन, नई तकनीक, नए माल आदि के द्वारा उनमें मूल्य वृद्धि कर ग्राहकों तक पहुँचाया जाता है।

5. **प्रतिस्थापन (Substitutions) :-**

कई बार ऐसे कारण उत्पन्न होते है जिनकी वजह से नए प्रतिस्थापन माल की खोज की जाती है जैसे – कच्चे माल की कमी, आयात निर्भर माल की कमी, ऐसे पुर्जे व अनयत (Components)जो किसी की बौद्धिक संपत्ति है आदि परिस्थितियाँ प्रतिस्थापन कार्य को प्रेरित करती है। भारत जैसे विकासशील देश में ऐसे कई उदाहरण है जहाँ प्रतिस्थापन कार्य ने नए विचारों को जन्म दिया है जिसके कारण कई नए उपकरण (Equipment), नए पुर्जे, नए माल आदि का इस्तेमाल खूबी से प्रयोग मे लाया गया है।

6. **मध्यस्थ व मीडिया (Middle Men)**

मध्यस्थों (Middle Men) के विभिन्न श्रेणियों (Categories) कई लाभदायक विचार के उत्पन्न में मदद करते है जैसे ठेकेदार व मध्यस्थ (Middle Men)जो मूल्य श्रृखंला (Value Chain) में शमिल है ये बाजार व उपभोक्ताओं के सीधे संपकर्म में होते है तथा ये विभिन्न कार्य जैसे उत्पादन

परिवहन (Transportation), संचयन तथा संभालने (Storage & Handing) से जुड़े होते है। अतः ये ऐसे कई विचारों के सृजन व चयन में उद्यमी की व्यावहारिक (Practical) रूप से सहायता कर सकते हैं।

मीडिया और व्यापार पत्रिका (Media And Trade Magazine) व्यवासायिक विचारों के लिए उपजाऊ स्त्रोत की तरह है। टी वी उपभोक्ता की पसंद, रूझान आदि दर्शाता है। व्यापार व व्यवसाय संबधी पत्रिका (Trade & Professional Maganzines) अपने अवलोकन व आंकडो से दर्शाते है कि कौन से बाजार क्षेत्र व निवेश लाभ उद्यमी के लिए उपलब्ध है। इस प्रार की पत्रिकाएँ (Magazines) विशिष्ट क्षेत्रों के रूझान व विकास पर भी विस्तृत जानकारी देते है।

- **शोध संस्थाएँ (Research Institutions)**

  शोध आंकड़े विवरणिका (Bulletins) नए विचारों के सृजन के महत्वपूर्ण स्त्रोत होते हैं। इस प्रकार की शोध संस्थाओं से नियमित जुड़े रहने से उद्यमी इन शोध परिणामों से कई नए विचारों का विकास कर सकता है। सरकारी शोध संस्थाए व विभाग ऐसे कई आंकड़े बदलाव, अर्थशास्त्र, संबंधी आंकड़े आदि छापती है जो कि नए विचारों के सृजन में अत्यन्त लाभदायक सिद्ध होते है।

- **प्रौद्योगिकी पर्यवेक्षक (Technology Suppliess)**

  विश्व बाजार में सलाहकार (Consultants) बाजार शोध ऐंजसी, प्रौद्योगिकी पर्यवेक्षक (Technology Supplier) आदि भी नए विचार के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। ये नए उत्पाद, नई तकनीकों आदि के बारे में एक विस्तृत जानकारी देते हैं। विश्व बाजार में इनके अनुभव व विशिष्ट ज्ञान के कारण, ये बेहतर नए विचार के सृजन व अभिमूल्यन (Appreciation) में सहायक होते हैं।

- **आपूर्तिकर्ताओं और विपणन के प्रणाली (Channels of Suppliers& Marketers)**

  विपणन व खरीद से जुडे बिचौलिए जैसे विरकों (Distributors) , एजेंट (Agents) थोक व्यापारी (Wholesales) खुदरा विक्रेता (Retailers) आपूर्तिकर्ता (Suppliers), गुणवत्ता मूल्यांकनकर्ता (Quality Assessories) गुणवत्ता मूल्यांकनकर्ता (Equality) आदि बाजार की नब्ज से परिचित होते है। ये ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करा सकते है जो तेजी से बदलते व्यवासयिक पर्यावरण में अत्यन्त महत्वपूर्ण हो सकती है जैसे –

  – कच्चा माल व अवयव(Components) के नए स्त्रोत ।
  – उत्पाद व सेवाओं की मांग का आकार व प्रकृति ।
  – आयतन (Volume) कीमत व मूल्य मे संबंध ।
  – प्रतिस्थापन माल व उनमें तुलना ।
  – प्रतिस्थापन का स्तर (Degree of Competition)
  – मांग व पूर्ति की परिस्थिति ।
  – विकास क्षेत्र ।
  – प्रतिस्पर्धियों के आंकड़े ।

- उपभोक्ता लाभ (Profit) व रूझान ।
- मांग पर मौसमी प्रभाव
- मांग व पूर्ति का भौगोलिक वितरण आदि (Distibution)

अतः ये भी विचार सृजन के महत्वपूर्ण स्त्रोत होते हैं।

7. **सरकारी नीतियाँ (Governement Policies)**

उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा नई संस्थाओं की स्थापना की गई है एवं कई नीतियाँ का भी गठन किया गया है।

सरकार की विभिन्न नीतियाँ, योजनाएँ व परियोजनाएँ उद्यमी को उचित विचार सृजन में सहायता देती है। सरकारी संगठनों द्वारा व्यापार मेले, प्रदर्शनियों (Exhibitions) व थीम संगोष्ठी (Theme Seminars)को प्रयोजन किया जाता है जिससे उद्यमी को नए उत्पाद, नई तकनीकों नए बाजारों से सम्बन्धित जानकारी मिल सके है और विभिन्न विशेषज्ञों संगठनों तथा लोगों से विचार विमर्श करने का मंच प्राप्त हो सके ।

उपयुक्त स्त्रोतों के अतिरिक्त उद्यमी विभिन्न संस्थाओं जैसे एन.सी.ए.ई.आर (NCAER) वितिय संस्थाओं तथा प्रचार (Promotional) संस्थाओं जैसे सी. आई.आई. (CII) द्वारा किए अध्ययनों की सहायता से भी नए विचारों का सृजन का सकता है।

33.2 विचार सृजन की तकनीकें (Methods of idea Generation)

उद्यमी को आवश्यक है कि वो विचार सृजन व परीक्षण (idea generation& testing) में विभिन्न तकनीकों को इस्तेमाल करें ।

सामान्यतः इन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है।

1. फोकस समूह (Focus Groups)
2. विचार मंथन (Brain storming)
3. जांच रूचि (Check list)
4. समस्या वस्तुसूचि विश्लेषण (Problem inventory analysis)
5. सिनेक्टिक्स (Synectics)
6. ऊपर लिखे तरीकों का मिश्रण (Mix of above methods)

1. **फोकस समूह (Focus Groups)** :—इस पद्धति में व्यक्तियों का एक समूह संरचना प्रारूप में चर्चा और जानकारी प्रदान करता है जिससे नए विचारों का सृजन हो सके। इसमें एक समूह नेता या एक मध्यस्थ लोगों के समूह के साथ बैठता है और व्यापार या सेवा संबंधी नये विचारों पर स्वतंत्र तरीके से एक चर्चा आयोजित की जाती है :—

इस पद्धति की निम्न विशेषताएँ है :—

1. समूह का नेता फोकस ग्रुप के रचनात्मक सोच के मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।
2. समूह में कुल 10 से 14 प्रतिभागी होते है और सभी चर्चा में भाग लेते है।
3. बाजार की मौजूदा जरूरते और भविष्य में होने वाली जरूरतों के अनुसार नए विचारों को दिशा दी जाती है।

4. यदि समूह में अन्त उपभोगी (End uses) होते है तो वे नए उत्पाद के रूप में विचार देते है।
5. समूह इस विषय में भी चर्चा करते है कि उत्पाद को किस प्रकार बाजार में लाया जाए, किस प्रकार की पैकेजिंग हो तथा उसका विज्ञापन कैसे होना चाहिए । यह पद्धति सामान्यतः कपड़ों के डिजाइन के चयन में, जेवर के डिजाइन, स्वास्थय संबधी उत्पाद, सुन्दरता संबंधित उत्पाद आदि में अधिक प्रयोग में लाई जाती है इसका सबसे बड़ा लाभ है कि इनमें कम समय में अधिक विचारों का सृजन संभव होता है। और व्यावाहारिक दृष्टिकोण (Practical Approach)से बेहतर तकनी हैं ।

2. **विचार मंथन (Brain Storming)**

यह नए विचारों और व्यापार समाधान ढूंढने की समूह पद्धति है। इसमें समूहों को संगठित कर एक साथ बैठाया जाता है और प्रेरित किया जाता हैजिससे वे अपने अनुभवों से तथा चर्चा में शमिल होकर सृजानात्मकता से नए विचार उत्पन्न कर सकें ।

बुद्धिशीलता (Brain Storming ideas) को विशिष्ट सेवा / उत्पाद रेखा वर्ग के लिए प्रणालीबद्ध(Channelize) किया जाता है। विचार मंथन (Brain Storming) करने की प्रक्रिया में निम्न बातों का होना आवश्यक हैः–

1. समूह को चर्चा के क्षेत्र या विषय के बारें में पूर्व जानकारी होनी चाहिए ।
2. समूह में विभिन्न क्षेत्रों व विभागों जैसे विपणन उत्पादन, वित्तिय, योजना (Planning) गुणवत्ता नियंत्रण (Quality Control) आदि से तथा संगठन के विभिन्न स्तरों (Levels) से लोग शमिल किए जाने चाहिए ।
3. विचार मंथन अधिवेशन सत्र (Brain Storming Session) को एक उचित वातावरण में आयोजित किया जाना चाहिए जिससे समूह का हर व्यक्ति खुल कर अपने विचार व्यक्त कर सके।
4. समूह के किसी भी व्यक्ति को अपने पर या विभाग को लेकर कोई हिचक या बाधा महसूस नहीं होनी चाहिए । चर्चा में खुलापन व मनोंरजन (Fun) होना चाहिए जिसमें कोई व्यक्ति या समूह किसी को हावी नहीं करता है।
5. दिवा स्वप्न देखना (Day dreaming) तथा अव्यवाहारिक विचारों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।
6. किसी को भी नाकारात्मक टिप्पणी देने की अनुमति नहीं होती है।
7. हर व्यक्ति को अधिकतम तीन विचार तक देने का मौका मिलता है जिसे रिकार्ड कर लिया जाता है या लिख लिया जाता है चाहे वह कैसा ही विचार हो एक विचार को बेहतर करके कोई अन्य प्रस्तुत कर सकता है पर वही विचार दोबारा प्रस्तुत नही किया जा सकता है।

यदि इस पद्धति का सही रूप से प्रयोग किया जाए कई नए सृजनात्मक विचारों को उत्पन्न किया जा सकता है यह पद्धति खासतौर से नई पैकिंग विधि

तथा नई (Distribution) विधि के सृजन के लिए उपयुक्त होती है। तो रिजर्व विचार मंथन (Reserve Brain Storming)यह ब्रेनस्टार्मिगं जैसी ही पद्धति है पर इसमें आलोचना (Criticism) की अनुमति होती है इस तकनीक मे नकारात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है । समस्या का समाधान नकारात्मक प्रशनों के ऊपर चर्चा कर के निकालने का प्रयास किया जाता है।

3. **जाँच सूची (Check List)**

व्यापार के नए विचारों का विकास विशिष्ट (Specific) क्षेत्र के मुद्दों (Issues) के चर्चा की सूची के आधार पर किया जाता है। अतः उद्यमी विशिष्ट (Speicific) क्षेत्र के चर्चा की सूची तैयार करता है और साथ ही प्रश्नों की सूची, सुझाव व विवरण (Statements)का विकास करता है जिस पर गहन चर्चा के उपरान्त एक उत्तम नए विचार का सृजन तथा चयन हो सकें ।

निम्न प्रकार के उत्पाद संबंधी प्रश्न पूछने पर उद्यमी को महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती हैः–

1. उत्पाद कौन कर रहा है ? इसको किस प्रकार और क्यों उपयोग किया जाता है ?
2. क्या इस उत्पाद के अन्य उपयोग है ?
3. उत्पाद को किस प्रकार बेहतर किया जाए जिससे ये ग्राहक को अधिक मूल्य प्रदान कर सके ?
4. क्या उत्पाद के और विकल्प (Substitutes) बाजार मे उपलब्ध है ? क्या वे उतनेही प्रतिस्पर्धात्मक है ? क्या उन उत्पादों से कुछ विशेषताओं (Feature) को जोड़ कर एक नया उत्पाद तैयार किया जा सकता है ?
5. क्या उत्पाद की आकार (Shape) रंग, पैकेजिंग को बदला जा सकता है?
6. क्या तकनीक को बदल कर बेहतर उत्पाद बनाया जा सकता है ?
7. क्या विभिन्न कच्चा माल प्रयोग करके उत्पाद की मूल्य वृद्धि संभव है ?
8. विभिन्न देशों में किस प्रकार के उत्पाद मौजूद है तथा उनके प्रयोग क्या है ? आदि ।

4. **समस्या वस्तुसूची विश्लेषण (Problem Inventory Analysis)**

इस पद्धति में व्यापार के लिए नए विचार व समाधान समस्या पर केन्द्रित (Focus) कर उत्पन्न किए जाते है । यह फोकस समूह से मिलती जुलती पद्धति है परन्तु इसमें चर्चा एक उत्पाद की श्रेणी (Category) तक सीमित होती है ।

इस पद्धति में –

1. समूह को वो समस्याएँ दी जाती है जो सामान्यतः ग्राहक, वितरक (Dealers) परिवहन (Transport) या आम जनता महसूस करती है ।
2. चर्चा को अधिक केन्द्रित (Focussed) रखा जाता है और विशिष्ट उत्पाद से संबंधित किया जाता है।
3. यह प्रक्रिया सामान्यतः कोई बिल्कुल नए उत्पाद का उत्पाद विचार देने में भले ही सक्षम न हो परन्तु या उत्पाद की मूल्य वृद्धि में अति सहायक सिद्ध होती है ।

सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों के स्वामी इन पद्धति को इस प्रकार करते है जिसमें वे स्वयं अपने संगठन के नजदीकी संबंधित लोगों के साथ मिलकर चर्चा करते है।

इस पद्धति मे इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि चर्चा संबंधित मुद्दों पर ही हो तथा उचित (Relevant) हो और एक क्षेत्र की समस्या कही दूसरे क्षेत्रों की समस्या को अधिक बढ़ा न दें

गार्डन पद्धति (Gordon Method)–जब समूह के लोगों को विचार सृजन के लिए समस्या ठीक की प्रकृति (Exact Nature) का न पता हो तब इसे गाडन पद्धति कहा जाता है। इस पद्धति में उद्यमी समूह को सामान्य अवधारणाओं (Concepts),जो समस्या से जुड़े हों, की जानकारी देता है तथा उनसे सुझाव मांगता है समूह को असल समस्या से चर्चा के उपरान्त अवगत कराया जाता है । उस पर अब दोबारा चर्चा की जाती है और उन्हीं विचारों को परिष्कृत (Refine) कर विकसित किया जाता है।

5. **सिनेक्टिक्स (Synectics)**

यह पद्धति नए विचार के विकास करने का एक सृजनात्मक तरीका है जिसमें इन चारों में से कोई एक अनुरूपता (Analogy Mechanisms) अपनाया जा सकता है – प्रत्यक्ष (Direct), व्यक्तिगत (Personal) प्रतीकात्मक (Symbotic) अथवा कल्पना (Fantasy)

समूहों को दो चरणों मे उत्पाद कार्य से सबंधित किया जाता है।

पहला चरण (Step 1)

समस्या सामाधान

समस्या विश्लेषण

समस्या के मुख्य तत्वों की पहचान

दूसरा चरण (Step 2)

अनुरूपता का उपयोग (Uses of Analogies)

सटेट्बाजी (Speculation)

अर्थदण्ड (Forfeit)

समाधान(Solution)

6. उपर्युक्त पद्धतियों का मिश्रण

इस समस्या सुलझाने की तकनीक में रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए आमतौर पद छोटे समूहों में विविध अनुभव और विशेषज्ञता के लोगों को शमिल किया जाता है। उपभोक्ता विभक्तिकरण (Consumer Segmertation), समय सीमा उत्पाद श्रेणी (Product Category) आदि कारक कभी कभी उद्यमी को विभिन्न पद्धतियों के मिश्रण का उपयोग कर नए विचारों का सृजन करने पर मजबूर कर देता हैं । आज के दौर में ई–कॉमर्स, इलैक्ट्रानिक सम्प्रेषण (Electronic Communication) का उपयोग कर कम समय मे नए विचारों का विकास संभव है।

3.4 विचार जाँच / विचार अनुवीक्षण (Idea Screening)

इस चरण के दो प्रमुख उद्वेश्य है । पहला, उन विचारों को खत्म व खारिज करना है, जो स्पष्ट रूप से आगे ध्यान देने में अयोग्य हैं और दूसरा उन शेष विचारों

मे से उन विचरों का चयन करना जो तकनीकी शोध के अन्वेषण के काम को पूर्ण करने के लिए सक्षम है अथवा पर्याप्त ताकत रखते है । मुख्य रूप से अस्वस्थ अवधारणाओं को संसाधन लगाने से पहले खत्म करना है जिससे उद्यमी नुकसान से बच सकें ।

अतः विचार अनुवीक्ष्ण (Idea Screening) उपलब्ध विचारों की लाभप्रदता को जानने के लिए उनकी संभाव्यता (Feasibility) व व्यवाहर्यता (Viability) के संदर्भ में उन विचारों की समीक्षा करने की प्रक्रिया है।

3.4.1 विचार अनुवीक्ष्ण व प्राथामिक जांच करना (Screening ideas and making preliminary investigations)

विचारों का एक मजबूत प्रवाहन होना, एक अच्छा प्रांरभिक बिंदु होता है। जितने अधिक विचार उत्पन्न किए जा सकते है, उतना कम प्रति आय लागत पर विचारों का उत्पादन किया जाता है।

इसके उपरान्त एक कंपनी की अच्छे व बुरे विचारों को जांचने की प्रभावशीलता काम आती है जितना जल्दी एक संगठन ऐसे विचारों को खारिज करने में सक्षम होती है जिनमें वास्तविक क्षमता की कमी हो उतना बेहतर होता है । इसी कारण से प्रत्येक विचार के अनुवीक्ष्ण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है जो इसे बहुत जल्दी अच्छे या बुरे के रूप में स्थापित करता है।

निम्नलिखित कुछ मानदंड है जो मौलिक है और जिन्हें पहले लागू किया जा सकता है :–

1. प्रस्ताव रखने की कंपनी की क्षमता ।
2. कंपनी की उत्पादन क्षमताओं एवं तकनीकी विशेषज्ञता के साथ तालमेल व उपर्युक्तता ।
3. कंपनी के उद्येश्यों एवं छवि के साथ उपर्युक्ता।
4. बाजार की बिक्री और लाभ क्षमता एवं ।
5. वर्तमान प्रस्ताव और वितरण प्रणाली के साथ उपयुक्ता

   यह प्रांरभिक अनुवीक्ष्ण सबसे कारगार तरीके से जांच के लिए कमजोर विचारों को खारिज कर देगी। फिर शेष विचारों को अधिक अनुवीक्ष्ण के अधीन किया जा सकता है। प्रांरभिक जांच में ग्राहक की कंपनी के प्रस्ताव के प्रति क्या प्रतिक्रिया है व प्रतिस्पर्धी कैसे प्रतिक्रिया करेंगे यह भी शामिल होता है।

3.4.2 व्यापार विचार की संभव्यता (Feasibility of Business idea)

व्यापार विचार के चयन के उपरान्त, विचार की संभव्यता को जानने के लिए उसका परीक्षण करना आवश्यक है जाता है कुछ उद्यमी अथवा व्यवसायी विचार को चयन करके तत्काल आगे बढ़ जाते है परन्तु विचार को जांचने के लिए थोड़ा रूक कर और समय खर्च करना बेहतर हेाता है।

एक व्यापारिक विचार के गुणों के माध्यम से सोचने और व्यवसाय शुरू करने मे उचित अनुक्रम निम्नानुसार है –

एक व्यापार नवचार की पहचान करना

↓

आरंभिक संभव्यता व व्यवहार्यता को निर्धारित करने के लिए विचार की आनुवीक्षण/जांच व परीक्षण

↓

व्यवसाय योजना का प्रलेखन

↓

व्यवसाय शुरू करना

उद्यमी को इस प्रक्रिया को पूरा करने मे मेरा विचार है, इसमें कोई कमी नही है यह जाल से सावधान रहना चाहिए । सभी व्यवसायिक विचारों के मजबूत व कमजोर पहलू होते है और आगे बढ़ने से पूर्व उद्यमी को इनके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। अध्ययनों से यह भी पता चला है भावी उद्यमी या व्यवसय मालिक अपनी सफलता की संभावनाओं को अधिक महत्व देते हैं । अतः किसी को भी असल क्षमता के ज्ञान के लिए यर्थाथपरक मूल्यांकन की आवश्यकता है।

व्यवसायिक विचार की प्रारंभिक व्यवहार्यता के परीक्षण में चार क्षेत्रों पर विचार किया जाना चाहिए ।

1. **उत्पादन या सेवा व्यहार्यता : Product / Service Feasibility** : यह निर्धारित करे कि प्रस्तावित उत्पाद या सेवा वांछनीय है या नहीं और उनके क्या लाभ है । उ़द्यमी को निम्न बिंदुओं पर विवरण तैयार करना चाहिए :–,
   1. उत्पाद या सेवा का विवरण और इसके लाभ ।
   2. लक्षित लक्ष्य बाजार
   3. उत्पाद का सेवा कैसे बेची जाएगी इसका विवरण ।
   4. कंपनी की प्रांरभिक प्रबंधन टीम का एक संक्षिप्त विवरण ।

इस विवरण को तैयार करने के उपरान्त, उद्यमी को इसे 10 से 15 लोगों को दिखाना चाहिए जो इस पर सूचित प्रतिक्रिया प्रदान कर सकें। इसके लिए प्रतिभागियों के लिए एक संक्षिप्त सर्वेक्षण को संलग्न करें जो निम्न जानकारी अर्जित करने में लाभदायक हो –

1. उत्पाद या सेवा विचार के बारे मे उन्हे क्या पंसद आया ।
2. इसे और बेहतर बनाने के लिए सुझाव ।
3. वे बताएं कि क्या उन्हें लगता है कि उत्पाद या सेवा का विचार संभव है।
4. अतिरिक्त टिप्पणिँा या सुझाव साझा करें तथा इन सब प्रतिक्रियाओं को ध्यानपूर्वक पढ़े और मूल्यांकन करे ।

2. **उद्योग/आला बाजार व्यवहार्यता (Industry/Niche Market Feasibility)**

दूसरा क्षेत्र जिसके बारे में उद्यमी को पता लगाना चाहिए कि क्या ये वह उद्योग है जिसका हिस्सा आपका व्यवसाय बनने वाला है अथवा वह आला बाजार है जिसमें आप बाद में जाने की योजना बना रहें है।

नए व्यापार के लिए सबसे आकर्षक उद्योगों में निम्नलिखित विशेषताएँ है –

1. ये उद्योग छोटे और सिकुडने की बजाय बड़े और बढ़ रहे है।
2. ये उद्योग जीवनचक्र में देर की बजाए शीघ्र चरण में है।
3. इनके उत्पाद व सेवाएँ उपभोक्ताओं के लिए अत्याधिक महत्वपूर्ण व जरूरी है।
4. व्यवसायिक पर्यावरणीय प्रवृत्तियाँ उद्योग के पक्ष में चल रही हो ।

5. इनके क्रियाचालान उपांत (Operating Margins) अधिक होते है।

स्टार्टअप के लिए आदर्श बाजार वह है जो प्रस्तावित व्यवसाय के लिए काफी बड़ा है लेकिन बड़े प्रतियोगियों को आकर्षित करने से बचने के लिए काफी छोटा है। उद्योग व आला बाजार की अच्छी जानकारी प्राप्त करना इतना कठिन नहीं हैं। शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह एक विश्वविद्यालय या बड़े सार्वजनिक पुस्तकालय मे उपलब्ध संसाधनों से लाभ उठाना है। उद्योग व्यापार पत्रिकाएं भी जानकारी प्रदान करने में मददगार होती हैं। इसके अतिरिक्त उन व्यापार मालिकों से बात करने से, जो इस उद्योग का हिस्सा है, कई महत्वपूर्ण जानकारी अर्जित की जा सकती है।

3. **संगठनात्क व्यवहार्यता (Organisational Feasibilty)**
   तृतीय क्षेत्र जिसके बारे में पता लगाना आवश्यक है यह है कि क्या प्रस्तावित व्यवसाय मे पर्याप्त प्रबंधकीय जानकारी है अथवा विशेषज्ञता है जिससे व्यवसाय को सफलतापूर्वक शुरू और संचालित किया जा सकता है। इस कार्य के लिए उद्यमी जो व्यवसाय को शुरू करने जा रहे है, उन्हें आप आंकलन में ईमानदार तथा स्पष्ट होना चाहिए । इसक अतिरिक्त दो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं जुनून जो उद्यमी में अपनी व्यवसास के लिए है और किस हद तक उद्यमी उस उद्योग को समझते है जिससे उनका व्यापार प्रतिस्पर्धा करेगा ।
4. **उपर्युक्त कारकों के आलावा अन्य लोगों–संबाधित कारक भी है जिन्हें स्टार्टअप की सफलता से जोड़ा जाता है जैसे –**
   1. संबंधित उद्योग अनुभव या पूर्व व्यवसाय स्टार्टअप अनुभव ।
   2. नकदी प्रवाह प्रबंधन में अनुभव और विशेषज्ञता ।
   3. स्टार्टअप सलाह प्रदान करने वाले लोगों व सलाहकारों तक पहुंच।
   4. रचानात्मकता का स्तर ।
   5. स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री ।

यह आवश्यक नही है कि उद्यमी इन सभी कारकों में श्रेष्ठ हो परन्तु इन सब कारकों के आंकलन से उद्यमी को यह सामान्यतः ज्ञान होता है कि प्रस्तावित व्यवसाय शुरू करने के लिए वह कितना तैयार है।

उद्यमी को यह समझ होनी चाहिए कि व्यवसाय शुरू करने में कितना खर्च आएगा। उद्यमी की चाहिए कि व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए परिचालन खर्चों (Operating Expenses) और पूंजीगत खरीद (Capital Purchases) की सूची से एक प्रांरभिक बजट (Preliminary Budget) तैयार करें। कुल आंकड़ों तक पहुंचने के बाद पूंजी/निवेश कहां स आएगा इसका स्पष्टीकरण प्रदान करें । यदि उद्यमी अपेक्षा करता है कि यह निवेश बैंक ऋण किसी निवेशक अथा दोस्तों या परिवार से आएगा तो उसे यह विचार करना चाहिए कि वे विकल्प कितने यथार्थवादी है।

आज के तकनीकी युग में इंटरनेट खोज भी उपयोगी व मददगार है जिससे उद्यमी अपने संभावित व्यवसाय से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी अर्जित कर सकता है।

3.4.3 विचार अनुवीक्षण का महत्व (Importance of Idea Screening)

1. **प्रतिफल को अधिकतम करते समय जोखिम को न्यूनतम रखना**–विचार अनुवीक्षण का सर्वप्रथम महत्व यह है कि यह उद्यमीय को विवश करता है कि वह निर्णय ले कि उद्यमीय प्रयास के लिए उनके लिए क्या सबसे

महत्वपूर्ण है तथा इस उद्यम को आगे बढ़ाने में उद्यमी के लक्ष्य क्या है ? संभावित तथा क्षमतापूर्ण विचारों का मूल्यांकन उसमें संयुक्त प्रतिफल तथा जोखिम के आधार पर करना चाहिए । एक अच्छे विचार में जोखिम के मुकाबले प्रतिफल अधिकतर होना चाहिए ।

2. **महत्वपूर्ण विचार पर निर्णय लेने मे मद्द** – हर विचार बराबर नहीं होता तथा हर विचार को वास्तविकता में नहीं बदला जा सकता है। अतः किसी नये विचार को व्यवसाय में बदलने से पूर्व अवसर की गहनता से जांच कर लेनी चाहिए । यदि उद्यमी नये अवसर को बिना विश्लेषण के विचार को उद्यम में परिवर्तित करता है तो यह एक उद्यम की असफलता का कारण भी हो सकता है। विचार अनुवीक्षण उद्यमी को उचित विचार पहचान में तथा उसके भली – भांति अध्ययन करने के उपरान्त निर्णय लेने मे मदद करता है।

3. **सीमित संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग** – यह स्पष्ट है कि संसाधनों की उपलब्धता सीमित होती है। अधिकांश उद्यमी के पास पैसा, समय, लोग अथवा अन्य संसाधन सीमित रूप में मौजूद होते हैं जिनकी मदद से वह अपने व्यवसायिक विचार को नवीन उद्योग व्यापार का रूप दे सकता है। व्यवसायिक विचारों व अवसर के विश्लेषण से उद्यमी सीमितं संसाधनों के सही उपयोग पर निश्चित हो सकता है।

4. **विचारों के ताकत व कमजोरी की पहचान करना** – विचार अनुवीक्षण की प्रक्रिया द्वारा विचार के उचित अध्ययन व विशलेषण के उपरान्त उद्यमी हर विचार की ताकत व कमजोरी से अवगत हो जाता जो उसे उचित विचार व अवसर का चुनाव करने में सहायक सिद्ध होती है।

4.4.4 विचार अनुवीक्षण में त्रुटियाँ (Errors in idea Screening)

विचार अनुवीक्षण अथवा जाँच की प्रक्रिया में, उद्यमी को दो प्रकार की त्रुटियों से बचना चाहिए।

1. **'ड्रॉप त्रुटि' (Drop Error)-** यह त्रुटि तब होती है जब उद्यमी एक अच्छे विचार या अवसर को अस्वीकार कर त्याग देता है।
   उदाहरण स्वरूप –IBM कंपनी ने पर्सनल कम्प्यूटर के बाजार में आने के विचार को यह सोचकर त्याग दिया कि इस बाजार का आकार उनके लिए बहुत छोटा है व लाभदायी नहीं है।
   इस त्रुटि के चलते IBM ने एक बहुत बड़े अवसर को खो दिया ।

2. **'गो' त्रुटि (Go Error)-** ऐसा तब होता है जब उद्यमी विकास और व्यवसायिकरण में आगे बढ़ने के लिए एक अनुचित विचार को अनुमति देता है जिसके परिणामस्वरूप उसे उत्पाद विफलताओं का समाना करना पड़ सकता है। 3 प्रकार की उत्पाद विफलताएँ हो सकती है :–
   1. पूर्ण उत्पाद विफलता (Absolute Product Failure) जब बिक्री परिवर्तनीय लागत (Variable Cost) को वसूल नही कर पाती है। और उद्यमी को बड़ी मात्रा में नुकसान होता है।
   2. आंशिक उत्पाद विफलता (Partial Product Failure) बिक्री सभी परिवर्तनीय लागत तथा कुछ निश्चित लागत को वसूल कर पाती है और उद्यमी को मामूली हानि होती है।

3. सापेक्ष उत्पाद विफलता (Relative Product Failure) उद्यमी लाभ तो कमाता है परन्तु अपेक्षित नहीं ।

3.5 परियोजना अभिज्ञान / पहचान (Project Identification)

विभिन्न कारकों के आधार पर एक विशेष समस्या के लिए परियोजनाओं / समाधानों की पहचान करने को परियोजना अभिज्ञान कहा जाता है। किसी भी समस्या के विभिन्न समाधान संभव हो सकते हैं अतः उस समाधान का विचार या उन विभिन्न समाधानों की पहचान करना हि परियोजना अभिज्ञान कहलाता है।

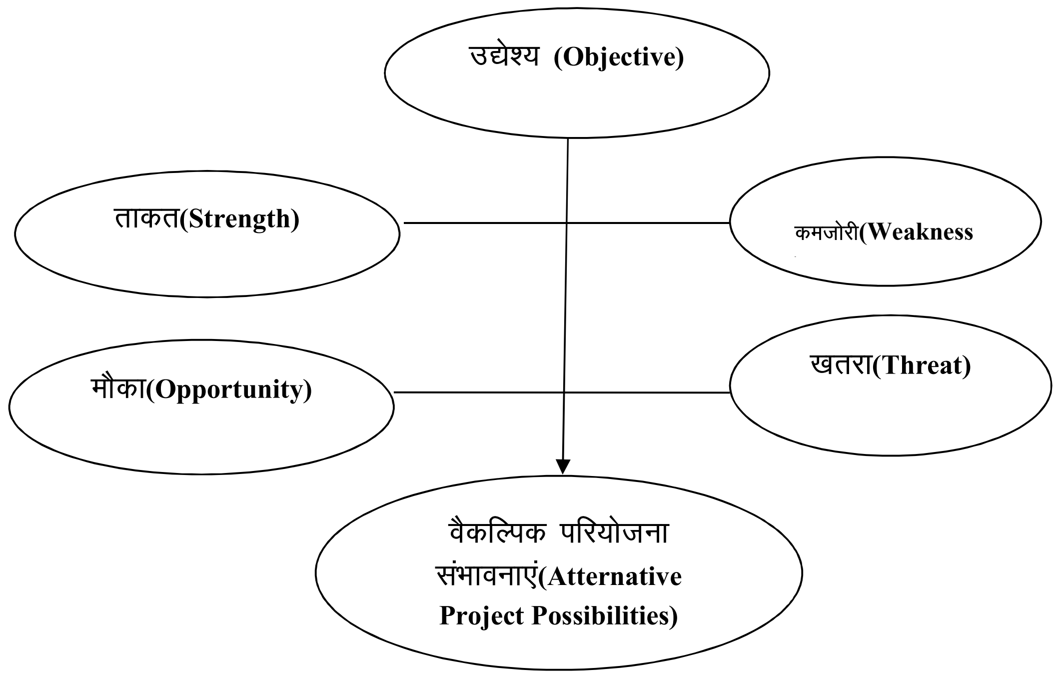

चित्र : परियोजना पहचान **(Project Identification)**

परियोजना अभिज्ञान परियोजना चक्र का पहला चरण होता है। एक उद्यमी को चाहिए कि वह उस परियोजना को पहचाने व उसका चयन करे को कि उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और उनकी उद्येश्य पूर्ति में मदद करें ˙

इस अवस्था में परियोजना के सम्बन्ध में उत्पन्न या प्राप्त सभी विचारों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया जाता है तथा किसी परियोजना की पहचान की जाती है। परियोजना के सम्बन्ध में प्राप्त विभिन्न विचारों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करना होता है। ऐसे कुछ विचारणीय पहलू निम्नानुसार है :

1. प्रत्येक परियोजना विचार के सम्बन्ध में उद्यमी की अभिरूचि ।
2. परियोजना को क्रियान्वित करने में राजकीय सुविधाएं एवं अनुदान ।
3. प्रत्येक विचार का वास्तविक एवं अनुभूति मूल्य (Real and Perceived Values)
4. प्रत्येक परियोजना विचार की लागत
5. प्रत्येक परियोजना विचार के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन एवं उनकी उपलब्धता ।

6. प्रत्येक परियोजना विचार के लिए उपलब्ध बाजार एवं उसमें व्याप्त प्रतिस्पर्धा ।
7. प्रत्येक परियोजना विचार के लिए आवश्यक कौशल एवं तकनीक की उपलब्धता ।
8. प्रत्येक परियोजना विचार में निहित जोखिम की मात्रा एवं प्रतिफल ।
9. उस परियोजना विचार को प्रभावित करने वाली राजकीय नीतियाँ, कानून एवं नियम।
10. प्रत्येक परियोजना विचार को प्रभावित करने वाले वातावरण के घटक एवं उनके प्रभाव की सीमा।

उद्यमी को प्रत्येक परियोजना विचार के इस सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए । तत्पश्चात् उन सभी विचारों का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए । अन्त मे जो परियोजना उद्यमी को उत्तम लगे उस परियोजना की पहचान कर लेनी चाहिए । तब उसी पहचानी गई परियोजना के नियोजन की आगे प्रक्रिया को जारी रखा जाता है।

3.6 सारांश

उद्यमिता अवसर की खोज और उसके दोहन (Exploitation) में संबंधित है। उद्यमी एक व्यक्ति है जो विचारों को जन्म देता है व वातावरण में से अवसर की खोज करता है परन्तु हर विचार वास्वविकता में नहीं बदला जा सकता है। अतः किसी नए विचार को व्यवसाय में बदलने से पूर्व अवसर की गहनता से जांच कर लेनी चाहिए । यदि उद्यमी नए अवसर को बिना विश्लेषण के विचार को उद्यम में परिवर्तित कर देता है तो यह एक उद्यम की असफलता का कारण भी हो सकता है।

3.7 शब्दावली

सृजनशीलता– एक मानसिक क्षमता जिससे किसी नवीन विचार, कार्यविधि, तकनीक आदि का अविष्कार किया जाता है ताकि आवश्यकताओं को नवीन एवं बेहतर ढंग से संतुष्ट किया जा सकें ।

नवाचार– नवाचार किसी ऐसे नवीन विचार, कार्यविधि या तकनीक को अपनाने की प्रक्रिया है।

विचार मंथन (Brain Storming) सृजनात्मक विचार व समाधान उत्पन्न करने हेतु किया जो समूह के गहन विचार–विमर्श द्वारा की जाती है।

सिनेक्टिक्स (Synetics)–एक समस्या सुलझान की तकनीक जो रचनात्मक सोच को बढ़ावा देने की कोशिश करती है, आमतौर पर विविध अनुभव और विशेषज्ञता के लोगों के छोटे समूहों में ।

संभव्यता अध्ययन (Feasibility Study)– संभव्यता अध्ययन एक प्रस्ताविक परियोजना या प्रणाली की व्यवहारिकता का आकलन है ।

3.8 बोध प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. इनमें से कौन सी अवस्था उद्यमी गतिविधि का पहला कदम है ?
   अ. सृजनात्मक   ब. विचार सृजन
   स. व्यापार विचार की संभव्यता   द. विचार जाँच/अनुवीक्षण

2. पीटर ड्रकर के अनुसार इनमें से कौन सा व्यापारिक अवसर नहीं होता है।
   अ. योगशील अवसर ब. नवोन्मेष अवसर
   स. पूरक अवसर द. प्रचारक अवसर
3. इनमें से किस विचार सृजन पद्धति में किसी को भी नकारात्मक टिप्पणी देने की अनुमति नहीं होती है।
   अ. विचार मंथन ब. फोकस समूह
   स. जांच सूची द. सिनेक्टिक्स
4. सृजनशीलता की प्रक्रिया का उचित क्रम क्या है ?

प्रदीपन	उद्भवन	विचार अंकुरण	सत्यापन	विचार चिंतन
I	II	III	IV	V

   अ. I - II - III - IV - V ब. III - V- II - I - IV
   स. III - V - IV - V - I द. II - III - IV - V - I
5. परियोजना की किस अवस्था में SWOT विश्लेषण सबसे अधिक कारगार है ?
   अ. परियोजना जांच ब. विचार सृजन
   स. परियोजना पहचान द. सृजनशीलता प्रक्रिया

3.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

(1) (ब) (2) (द) (3) (अ) (4) (ब)
(5) (स)

3.10 स्वपरख प्रश्न

प्रश्न 1. परियोजना पहचान को विस्तार से समझाइए ।
Explain in detail about project identification.

प्रश्न 2. व्यवहार्यता परीक्षण की अवधारणा व महत्व की व्याख्या कीजिए ।
Explain the concept and importance of feasibility test.

प्रश्न 3. सृजनशीलता क्या है ? सृजनशीलता में अभिवृद्धि हेतु उपायें का वर्णन कीजिए ।
What is creativity? Describe the measures for enhancing creativity.

प्रश्न 4. सृजनशीलता की प्रकृति एवं प्रक्रिया को समझाइए ।
Explain the nature and process of creativity.

प्रश्न 5. विचार सृजन के विभिन्न स्त्रोतों की विवेचना कीजिए ।
Discuss various sources of idea generation.

प्रश्न 6. विचार अनुवीक्षण के महत्व को समझाइए ।
Explain the importance of idea sceening.

3.11 सन्दर्भ पुस्तकें

1. ''उद्यमिता के आधारभूत तत्व'' डॉ. आर.एल.नौलखा, रमेश बुक डिपो, नई दिल्ली ।
2. "Entrepreneurial Development", Dr. S.S. Khankha S.Chand Publication, New Delhi,
3. "Entrepreneurship Development and small Busniess Enterprises", Poornima M. Charanti Math, Persaon, New Delhi.

इकाई 4 नये उद्यम प्रबन्धन के मुद्दे (Issues in New Enterprise Management)

इकाई की रूपरेखा

4.1 प्रस्तावना
4.2 स्थान
4.2.1 किसी स्थान के मूल्योंकन/चयन करने के कारक
4.3 पर्यावरण
4.3.1 बाजार मे प्रवेश
4.3.2 उपभोक्ता की शक्ति
4.3.3 विक्रेताओ की शक्ति
4.3.4 विकल्प का खतरा
4.3.5 प्रतियोंगियो के बीच प्रतिद्वन्दिता
4.4 प्रबन्धन
4.4.1 प्रबन्धन के लिए आवश्यक प्रबन्धकीय गुण
4.4.2 प्रबन्धकीय भूमिकाये व कार्य
4.4.3 प्रबन्धकीय कौशल
4.4.4 नये उद्यम मे मुद्दों का प्रबन्ध
4.5 सांराश
4.6 शब्दावली
4.7 बोध प्रश्न
4.8 बोध प्रश्नों के उत्तर
4.9 स्वपरख प्रश्न
4.10 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- नये उद्यम प्रबन्धन में स्थान का चयन करने हेतु विभिन्न कारकों को समझ सकें।
- नये उद्यम प्रबन्धन में स्थान का चयन करने हेतु पर्यावरण तथा उसके विभिन्न घटकों को समझ सकें।
- एक नये उद्यम के संचालन में प्रबन्धकीय भूमिका, कौशल तथा अन्य आवश्यक गुणों को समझ सकें।

- संसाधनों के प्रबन्धन में शामिल विभिन्न मुद्दों की व्याख्या कर सकें।

4.1 प्रस्तावना

नये उद्यम की स्थापना करते समय उचित स्थान का चयन उद्यमी को प्रतिस्पर्धा लाभ प्रदान करने के साथ–साथ उद्यम की सफलता में योगदान दे सकता है। पर्यावरण जिसमें नये उद्यम को कार्य करना है स्थिर न होकर परिवर्तित होते रहते हैं। रणनीति विकसित करने के लिए उद्यमियों को उद्योग का अध्ययन करने के साथ–साथ पर्यावरण सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा कानूनों का अवलोकन कर इसकी पूर्ति करना अत्यन्त आवश्यक है । ब्यापार की वित्तीय सक्षमता के साथ ही प्रभावी प्रबन्धन आवश्यक है । इस इकाई में आप नये उद्यम प्रबन्धन में स्थान का चयन करने हेतु विभिन्न कारक, नये उद्यम प्रबन्धन में स्थान का चयन करने हेतु पर्यावरण तथा उसके विभिन्न घटकों, इनके संचालन में प्रबन्धकीय भूमिका, कौशल तथा अन्य आवश्यक गुणों व संसाधनों के प्रबन्धन में शामिल विभिन्न मुद्दों का अध्ययन करेंगे।

4.2 स्थान (Location)

किसी भी नये उद्यम की स्थापना के साथ ही उस उद्यम के उत्पादों तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए स्थान सम्बन्धी निर्णय लेना विनिर्माण कम्पनियों के लिए एक रणनीतिक तथा महत्वपूर्ण पहलू होता है। नये उद्यम की स्थापना करते समय उचित स्थान का चयन उद्यमी को प्रतिस्पर्धा लाभ प्रदान करने के साथ–साथ उद्यम की सफलता में योगदान दे सकता है। यह मौद्रिक तथा मानवीय संसाधनों के लिए दीर्घकालिक प्रतिवद्धता है।

4.2.1 किसी स्थान का मूल्यॉकन तथा चयन करने के कारकः

ऐसे बहुत से कारक है जिनका मूल्यॉकन उचित स्थान के चयन के लिए आवश्यक है इनका वर्णन निम्नवत किया गया हैः

1. श्रम सम्बन्धी कारकः–

श्रम सम्बन्धी कारकों को निम्नवत सूचीवद्ध कर मूल्यांकित किया जा सकता है,:

- श्रमिकों की उपलब्धता,
- कुशल तथा अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता,
- पुरूष तथा महिला श्रमिकों की उपलब्धता,
- श्रमिकों का शैक्षिक स्तर,
- श्रमिकों की जीवन लागत,
- मजदूरी की दर, श्रमिक संघों का अस्तित्व।

2. परिवहन सम्बन्धी कारकः–

परिवहन सम्बन्धी कारकों में निम्न बिन्दुओं का अध्ययन/मूल्यांकन आवश्यक है।

- राजमार्ग सुविधाओं की उपलब्धता
- वायुमार्ग सुविधाओं की उपस्थिति
- रेलवे सुविधाओं की उपस्थिति
- ट्रैकिग सेवाओं की उपलब्धता
- पानी (बन्दरगाह) की उपलब्धता

- कच्चे माल परिवहन की लागत
- तैयार माल परिवहन लागत
- डॉक सेवाओं की उपलब्धता

3. **बाजार सम्बन्धी कारकः–**

- उपभोक्ता सामान के बाजारों में निकटता
- उत्पादक सामान के बाजार की निकटता
- बाजारों के विकास की सम्भावनायें
- विपणन सेवाओं की उपलब्धता
- आय की सम्भावना
- जनसंख्या का रूझान
- अनुकूल प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति
- उपभोक्ता विशेषतायें
- भविष्य के विस्तार के अवसर
- बाजार का आकार।

4. **कच्ची सामग्री से सम्बन्धित कारकः–**

- कच्चे माल की उपलब्धता
- कच्चे माल के मण्डारण सुविधा
- आपूतिकर्ताओं का स्थान
- कच्चे माल तथा अन्य सम्बन्धित घटकों की लागत

5. **औद्योगिक स्थल सम्बन्धी कारकः–**

- औद्योगिक भूमि की लागत
- विकसित औद्योगिक पार्क की उपस्थिति
- बीमा सुविधाओं की उपस्थिति तथा लागत
- उधार सस्थाओं की उपस्थिति
- अन्य उद्योगों से निकटता

6. **सरकारी ब्यवहार सम्बन्धी कारकः–**

- बीमा कानून
- मुआवजा कानून
- सुरक्षा निरीक्षण कानून
- पर्यावरण तथा प्रदूषण सम्बन्धी कानून
- उद्यम स्थापना से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापों से सम्बन्धित कानून व नियम
- कर निर्धारण के आधार
- औद्योगिक सम्पत्ति कर दरें
- राज्य कार्पोरेट कर दरें
- बिक्री कर

- कर मुक्त संचालन

7. **उपयोगिता सम्बन्धी कारकः–**

- पानी की आपूर्ति
- पानी की गुणवत्ता
- पानी की लागत
- अवशेष तथा कचरे के निस्तारण सुविधाओं की उपस्थिति
- ईधन की उपलब्धता
- ईधन की लागत
- बिजली की लागत

8. **समुदाय सम्बन्धी कारकः–**

- स्कूल, कालेज तथा विश्वविद्यालयों की उपस्थिति
- पुस्तकालय सुविधा
- मनोरंजक सुविधाओं की उपलब्धता
- धार्मिक सुविधाओं की उपलब्धता
- ब्यवसाय के प्रति समुदाय के नेताओं का रवैया
- चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता
- होटल/मोटल की उपलब्धता
- मॉल (शापिंग सेन्टर) की उपस्थिति
- वित्तीय संस्थाओं की उपलब्धता।

9. **वैश्विक प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी कारकः–**

- उन्नत सामग्री की उपलब्धता
- बाजार के अवसर
- प्रयोगशाला की उपलब्धता
- विदेशी पूजी सम्बन्धी कानून तथा विदेशी पूजी की उपलब्धता
- अन्य अन्तराष्ट्रीय बाजारों के निकटता।

10. **सरकारी नियमों से सम्बन्धित कारकः–**

- कारपोरेट निवेश सम्बन्धी कानूनों की स्पष्टता
- सयुक्त उद्यम तथा विलय से सम्बन्धित कानून
- देश से कमाई के हस्तान्तरण पर कानून
- विदेशी स्वामित्व कानून
- मूल्य नियंत्रण सम्बन्धी नियम
- स्थानीय नियमों की स्थापना सम्बन्धी कानून।

11. **आर्थिक कारकः–**

- प्रति व्यक्ति आय का आकार
- भुगतान संतुलन की स्थिति
- सरकारी सहायता की उपलब्धता और आकार

- डालर के मुकाबले मुद्रा की ताकत।

12. **विदेशी सम्बन्ध सम्बन्धी कारकः–**

- शासन की स्थिरता
- देशों के मध्य सन्धियों तथा परिस्थितियों के प्रकार
- देशों के मध्य सैन्य गठजोड का प्रकार

4.3 पर्यावरण (Environment)

पर्यावरण में सम्मिलित है वातावरण जिसमें एक उद्योग/उद्यम का ब्यवसाय संचालित होता है, बाजार जिसके साथ व्यवसाय किया जाता है, राष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति तथा लोग व ब्यवसाय जिनके साथ ब्यवसाय किया जायेगा। इसलिए इस पर्यावरण का ज्ञान तथा मूल्यॉकन अति आवश्यक है। यह भी सच है कि पर्यावरण जिसमें नये उद्यम को कार्य करना है स्थिर न होकर परिवर्तित होते रहते हैं। रणनीति विकसित करने के लिए उद्यमियों को उद्योग का अध्ययन करने के साथ–साथ पर्यावरण सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा कानूनों का अवलोकन कर इसकी पूर्ति करना अत्यन्त आवश्यक है । पर्यावरण विश्लेषण करते समय पाँच प्रमुख क्षेत्रों की विस्तृत जॉच पडताल जरूरी है यह पांच क्षेत्र है –

4.3.1 बाजार में प्रवेशः–

नये उद्यम को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है बाजार में प्रवेश। परन्तु कभी–कभी विभिन्न प्रकार के उद्यमों के लिए प्रवेश सम्बन्धी बाधायें या मजबूरियॉ इतनी ऊँची होती है कि उनकी मौजूदगी उद्यमियों को हतोत्साहित कर देती हैं। इनमें से प्रमुख निम्नवत हो सकती है।

- **पैमाने की अर्थव्यवस्थायें–** नया उद्यम पैमाने की अर्थब्यवस्थाओं को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता है। पैमाने की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने से पूर्व की अवधि में नये उद्यम को सम्भावित हानि या इच्छानुसार मुनाफा प्राप्त नहीं हो सकता है अतः इस अवधि में उद्यमियों का आर्थिक तथा मानसिक रुप से मजबूत होना अति आवश्यक है।
- **ब्रांड वफादारीः–** नये उद्यमों को वर्तमान के लिए या एक अवधि के लिए उपभोक्ताओं की ब्रॉन्ड बफादारी का सामना करना पड सकता है। इसलिए नये उद्यमियों को अपना उत्पादन एवं सेवाओं को बेचने तथा एक नया बाजार उत्पन्न करने के लिए विपणन अभियानों पर एक बड़ी राशि खर्च करने की आवश्यकता होती है।
- **पूँजीगत आवश्यकतायेंः–** नये उद्यमियों को उद्यम को स्थापित करने तथा सुचारू संचालन के लिए एक बड़ी रकम पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति पर खर्च करनी पडती है जिनका लाभ भविष्य के आने वाले कुछ वर्षो में दिखायी देता है। यह अग्रिम लागत चौंका देने वाली ही सकती है जो उद्यम के प्रकार तथा आकार पर निर्भर करती है।
- **वितरण चैनलों तक पहुॅचः–** उद्यमियों द्वारा अपने उद्यम के उत्पाद के अनुसार विभिन्नि प्रकार के वितरण चैनलों को समझना आवश्यक है जिनके माध्यम से उद्यम का उत्पाद उपभोक्ताओं तक पहुचाया जायेगा।

- **स्वामित्व कारकः–** सामान्य उद्यमों की स्थापना के लिए स्वामित्व कारक सामान्य नियमावली से सम्बन्धित होते है । परन्तु यदि उद्यम को प्रारम्भ करने के लिए पेटेन्ट की आवश्यकता है तो उद्यमियों को इस से सम्बन्धित नियमावली का पालन तथा पेटेन्ट धारक की सहमति आवश्यक है।
- **सरकारी नियमावली–** नये उद्योगों की स्थापना के समय विभिन्न मुद्दों पर सरकारी नियमावली का मूल्यांकन भी आवश्यक है इनमें लाइसेन्स सम्बन्धी आवश्यकतायें, कर सम्बन्धी नियमावली महत्वपूर्ण है।

4.3.2 उपभोक्ताओं की शक्तिः–

नये उद्यम की स्थापना से पूर्व उद्यमियों को इसका भी मूल्यॉकन कर लेना चाहिए कि वह उपभोक्ताओं को कितनी शक्ति देना चाहते है। अतिआवश्यक उत्पादों के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं के पास शक्ति कम तथा विलासिता के उत्पादों में शक्ति ज्यादा रहती है। इसलिए नये उद्यम के उत्पादों/सेवाओं के सम्बन्ध में यदि उपभोक्ताओं के पास सौदेबाजी की शक्ति रहती है तो उद्यम को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मुश्किलें आ सकती हैं।

4.3.3 विक्रेताओं की शक्ति–

विक्रेताओं के पास कीमतों से सम्बन्धित तथा गुणवत्ता से सम्बन्धित शक्तियॉ निहित हैं। विक्रेता कीमत बढा सकते हैं या गुणवत्ता में कमी कर सकते हैं। कभी–कभी अन्य शक्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है इन शक्तियों के प्रयोग का उद्देश्य उद्योग मुं आपूर्ति पर नियंत्रण बनाये रखना होता है लेकिन विक्रेताओं द्वारा ऐसी किसी भी शक्ति का दीर्घकालीन प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जिनसे कुछ उद्यमों को प्रतिस्पर्धात्मक रुप से पीछे छोडने की जिद में स्वंय का उद्यम दीर्घकालिक नुकसान सहन करना पडे।

4.3.4 विकल्प का खतराः–

आज की बाजार दशाओं में प्रत्येक उत्पाद का विकल्प उपलब्ध है। विशेषकर नये उपक्रम की स्थापना पर भी इसके द्वारा उत्पादित उत्पादों के विकल्प बाजार में उपलब्ध होते है या उपलब्ध हो सकते है इसलिए बाजार में यदि विकल्प उपस्थित होता है तो क्या रणनीति उद्यमी द्वारा अपनायी जायेगी यह निश्चित करना अत्यन्त आवश्यक है इसके लिए निरन्तर शोध एवं अनुसंधान करते रहने तथा अपने उपभोक्ता वर्ग के आवश्यकताओं इच्छाओं तथा अन्य घटकों के निरन्तर शोध की आवश्यकता होती है।

4.3.5 प्रतियोगियों के बीच प्रतिद्वन्दिताः–

प्रतिस्पर्धी उद्यमी अपना मुनाफा कम कर भी मूल्य युद्ध का सहारा ले सकते है, विपणन की स्पर्धा हो सकती है, विज्ञापन अभियान द्वारा यह लडाई लडी जा सकती है। इसलिए नये उपक्रम की स्थापना के समय यह मूल्यॉकन भी आवश्यक है कि सम्बन्धित ब्यवसाय वर्ग में किस–किस प्रकार के, आकार के उद्यम है तथा वह किस तरह से नये उद्यम के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते है।

4.4 प्रबन्धन (Managerial Issue)

प्रभावी प्रबन्धन ब्यवसाय की स्थापना तथा विकास की कुंजी है। सफल प्रबन्धन की कुॅजी बाजार के माहौल की जॉच करना, रोजगार और लाभ के अवसरों को बनाये रखने के लिए है जो सम्भावित विकास को प्रदान करता है। ब्यापार की

वित्तीय सक्षमता के साथ ही प्रभावी प्रबन्धन आवश्यक है । कभी–कभी प्रबन्धन को कम ऑका जाता है या खराब रुप में लागू किया जाता है क्योंकि व्यवसायी प्रबन्धन की बजाय सिर्फ उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करते हैं।

4.4.1 प्रबन्धन के लिए आवश्यक प्रबन्धकीय गुणः–

निम्नांकित गुण प्रभावी प्रबन्धन के लिए आवश्यक हैः

- **रचनात्मक–** प्रभावी प्रबन्धन के लिए आज के बाजार युग में आवश्यक है कि उद्यमी में समस्याओं के नये समाधान खोजने की क्षमता आवश्यक है। समाधान प्रतिस्पर्धियों से बेहतर तथा अलग होना चाहिए।
- **लक्ष्य उन्मुख–** लक्ष्यों का निर्धारण वास्तविक होना चाहिए। अपने ससाधनों तथा सामर्थ्य को समझकर उपक्रम के लक्ष्यों का निर्धारण तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति का हर सम्भव प्रयास अतिआवश्यक गुण है। स्वयं की ताकत, आत्मविस्वास, सहयोग, समन्वय तथा मजबूत विस्वास से लक्ष्यों की प्राप्ति सम्भंव होगी।
- **आराम्भिकता–** निर्धारित लक्ष्यों की प्रप्ति के लिए एक रास्ते पर चलना आवश्यक है लक्ष्यों तक पहुचे के लिए नई सम्भावनायें और समाधान ढूढने का एक प्रयास आवश्यक है।
- **स्वतंत्रता–** अपने फैसले के आधार पर निर्णय लेने की क्षमता महत्वपूर्ण गुण है।
- **सतर्कता–** तनाव तथा आकस्मिकताओं के तहत निर्णयन का गुण तथा निर्णय लेने में सक्षमता।
- **अध्यात्मिकता–** सामाजिक मूल्यो, मानदण्डो तथा कारणों का समर्थन करने का विशेष गुण अतिआवश्यक है।
- **आत्मनियंत्रण एवं विनियमन–** स्वयं के ब्यवहार पर अनुशासन आवश्यक विशेषता है।
- **दृढता और धैर्य–** लक्ष्य प्राप्ति में बाधाओं को दूर करने के लिए दृढता व धैर्य गुण की आवयकता होती है।
- **आशावादी–** भविष्य के लिए सपने तथा कल्पनाओं का श्रृजन, जक्ष्यों का सकारात्मक प्राप्ति और भविष्य के प्रति दृढ विस्वास आवश्यक है।

4.4.2 प्रबन्धकीय भूमिकाये और कार्य–

प्रत्येक ब्यक्ति में क्षमतायें छिपी होती है। प्रबन्धकीय कार्यक्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां प्रबन्धकों को अपनी क्षमताओं की प्रदर्शित करना होता है तथा अपने आधीन कार्य करने वालों को भी उनकी क्षमताओं के अनुरूप कार्य करने को प्रेरित करना होता है। यहां यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रबन्धक अपनी क्षमताओं का उपयोग कैसे करते हैं। प्रबन्धकों को उद्यम के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनी समताओं के उपयोग के साथ–साथ उद्यम में कार्य कर रहे लोगों/कर्मचारियों के ब्यवहार को प्रभावित करने की भी आवश्यकता होती है। प्रबन्धकीय कार्यो में प्रमुखतः नियोजन, संगठन, निर्देशन, तथा नियंत्रण को सम्मिलित किया जाता है।

4.4.3 प्रबन्धकीय कौशल–

चार मूल प्रबन्धकीय कौशल है जिनका वर्णन निम्नवत किया गया हैः

तकनीकी कौशल– आज के युग में तकनीकी कौशल गुण अति आवश्यक है जहॉ अधिकतर कार्य किसी न किसी तकनीक द्वारा किये जाते हैं यह विशिष्ठ विधियों का उपयोग करने की पबन्धक की समता है। यह तकनीक कौशल न केवल प्रौद्योगिकीसे सम्बन्धित है बल्कि अर्थमित्र उपकरण तथा तकनीकों के उपयोग से भी सम्बन्धित है। प्रबन्धकों के लिए तकनीकी कौशल नियोज से प्रारम्भ होकर नियत्रण तक कई प्रकार से आवश्यक है।

अन्तर्वैयन्तिक कौशल– मानव संसाधन किसी भी उपक्रम की सबसे मूल्यवान सम्पत्ति है। अन्तर्वेयक्तिक कौशल में मानव ससाधनों के बीच सहयोग, समन्वय, प्रेरणा, संचार कर उद्यम के लक्ष्यों की आसान प्राप्ति से है इसलिए प्रबन्धन के हर स्तर पर पारस्परिक कौशल आवश्यक है।

वैचारिक कौशल– मध्य तथा शीर्ष प्रबन्धन के लिए वैचारिक कौशल अति आवश्यक है यह एक पूरी तस्वीर को समझने की क्षमता है। प्रासंगिक प्राथमिकताओं और महत्वपूर्ण मुद्रदों के साथ आस–पास के माहौल के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर संगठन को देखने का तात्पर्य है।

संचार कौशल– जानकारी प्रसारित करने और प्राप्त करने की क्षमता बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। प्रबन्धकों, को निर्णय लेने के लिए सूचनाओं की जानकारी की आवश्यकता होती है। संचार कौशल से तात्पर्य है कि प्रबन्धकों द्वारा आवश्यक सूचनाये समय–समय पर प्राप्त की जाये तथा जिन सूचनाओं के प्रचार प्रसार तथा निम्नवत सम्प्रेषण की आवश्यकता है यह भी अवश्य होना चाहिए यह केवल लिखित तथा मौखिक संचार से ही सम्बन्ध नहीं रखता बल्कि उपलब्ध जानकारी से सही निर्णय लेने में वह गैर मौखिक संकेतों, मनोदशा और भावनाओं को अलग करने में सक्षमता का बोध कराता है। मानव संसाधन का बेहतर प्रबन्धन करने के लिए प्रबन्धक को इस कौशल का ज्ञान आवश्यक है।

4.4.4 नये उद्यम में मुद्दों का प्रबन्धनः–

निम्नांकित मुद्दों का प्रबन्धन अति आवश्यक हैः

1. **मानव संसाधन समस्यायें**ः– प्रभावी संचार किसी भी सफल व्यवसाय के संचालन में व प्रबन्धन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह खुले संचार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। खुला संचार का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रत्येक कर्मचारी को अपने विचारों को प्रबन्धकों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके कारण सगठन में परिवर्तन तथा उनके प्रभाव शीघ्र साझा किये जाते हैं। संगठनों के पास समय और कौशल है जो परिवर्तनों का जवाब देने और भविष्य में अवसरों का लाभ उठाने के लिए आवश्यक है। एक प्रभावी प्रबन्धन संरचना तनाव को कम कर सकती है और कर्मचारियों की उत्पादक क्षमताओं को व्यवसायिक विकास और लाभ बढाने में सहयोगी बना सकती है।

एक उद्यम आम तौर पर कुछ लोगों के साथ प्रारम्भ होता है अक्सर कर्तव्यों का आयोजन करने वाले केवल एक या दो व्यक्ति होते है जैसे–जैसे फर्म का कारोबार बढता है अधिक लोगों को एक काय्रत्मक आधार पर अक्सर विशेष भूमिकायें निभाने के लिए काम पर रखा जाता है। व्यवसाय एक मानव लेखांकन प्रणाली को विकसित करता है जिसमें निम्न कर्मचारी जानकारी प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार सटीकता के लिए उपलब्ध होनी चाहिए।

- नाम,

- पता,
- वैवाहिक स्थिति,
- आश्रितों, शामिल होने की तिथि,
- कम्पनी में नौकरी का इतिहास,
- वेतन ग्राफ, डिग्री सहित शिक्षा,
- व्यवसायिक लाइसेन्स या प्रमाण पत्र,
- व्यवसायिक प्रकासन,
- नेतृत्व सबूत,
- कैरियर के लक्ष्य।

सघर्ष पर नियंत्रण, सफल प्रबन्धन की एक अन्य विशेषता संघर्ष को नियंत्रित करने में है व्यापार से और उद्यम की पारस्परिक गतिविधियों से संघर्ष को समाप्त नहीं किया जा सकता है लेकिन इसको कम जरूर किया जा सकता है। किसी संगठन को विकसित करने के लिए इसे सकारात्मक तरीके से चैनलित करने की आवश्यकता है।

2. **संचनात्मक मुद्दे** :. किसी विशेष संगठन की संरचनात्मक विभिन्न प्रकार के आन्तरिक तथा वाहय वातारण पर निर्भर करती है जैसे

- प्रतिस्पर्धा प्रौधोगिकी
- विनियामक वातारण
- सरकारी नीतियॉ, कानून
- ग्राहक विशेषताये
- आपूर्तिकर्ता विशेषताये
- आर्थिक वातावरण
- संगठन मे कर्मचारी विकास
- रणनीति उत्पादो/वाजारो सहित

3. **नीति और प्रकियात्मक मुद्देः** संगठनात्मक प्रबंधन को केन्द्रीय तत्व प्राधिकारण है प्राधिकरण संगठन के भीतर नियंत्रण का अभ्यास है। नियंत्रण की एक पूरी व्यवस्था फर्म के संचालन को बनाए रखती है और प्राधिकरण को लागू करने के लए एक तंत्र प्रदान करता है। प्रतिनिधिमंडल व्यवसाय में प्राधिकरण के प्रभावी अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। विशिष्ट कार्यो को पूरा करने के लिए सीमित अधिकार को सौंपने के द्वारा संगठन के कर्मचारियों की प्रतिभा का उपयोग प्रबंधक के कौशल और अनुभव को उपग्रेड करने के लिए किया जा सकता है। प्रभावी ढंग से एक संगठन में जिम्मेदारी और प्राधिकारी को निपुणता के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं को देखा जाना चाहिए

- प्रतिनिधिमंडल की शक्ति को स्वीकार करें।
- अधीनस्थों की क्षमता का पता लगाएं।
- सुनिश्चित करें कि विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- विशिष्ट जिम्मेदारियों को नियुक्त करने के लिए कर्मचारी चुने।

- नियमित निगरानी और ब्याज प्रदान करें।
- ,परिणामों पर चच्रा करें और उचित प्रतिक्रिया दें।
- एक सकारात्मक तरीके से किसी भी संगठन में प्राधिकरण को प्रभावी ढंग से नियुक्त करने के द्वारा प्रत्येक स्तर के अधिकारों की क्षमता और क्षमताओं को बढ़ाया जा सकता है।

4. **उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन–** कई कम्पनियों ने उद्देश्यों (एमबीओ) द्वारा प्रबंधन का उपयोग किया है यह प्रबन्धन की एक तकनीक है जहां उपनगरीय और उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने अधीनस्थों के लक्ष्यों को निर्धारित किया।

अपने लक्ष्य और लक्ष्य उपलब्धि में कर्मचारी यह प्रणाली संगठन की समन्वय सुनिश्चित करने और प्राधिकरण और जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से नियुक्त करने के लिए एक संरचना प्रदान करती है। एक एमबीओ सिस्टम की स्थापना एक निरंतर प्रक्रिया है और इसमें निम्नलिखित कदम शामिल हैं:

1. **अधीनस्थः–** प्रगति को मापने के उद्देश्यों और साधनों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। एक पर्यवेक्षक, विकसित व्यवसाय के प्रकाश में प्रस्तावित उद्देश्यों का मूल्यांकन करता है, अपने व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य और लक्ष्यों को प्रापत करने के लिए पुरस्कार सुनिश्चित करने के लिए कंपनी की क्षमता की जरूरत है। पर्यवेक्षक और अधीनस्थ साथ माप के मानकों और मानकों पर चर्चा उचित समय सारिणी और संभावित सुधारात्मक कार्यवाही करते हैं।
2. पर्यवेक्षक और अधीनस्थ परिणाम बातचीत, पुरस्कार स्थापित करें और शुरू करें चक्र फिर से ऑपरेटिंग रिपोर्ट्स किसी भी व्यवसाय का प्रदर्शन कार्ड बनाती है।

5. **अन्य मुद्दे जोखिम प्रबंधन–** एक छोटा या नया व्यवसाय कोई अपवाद नहीं है। ऐसी अनदेखी घटनाओं की पहचान करना और जल्दी से निपटना मुख्य जिम्मेदारी है प्रबंधन की। केवल प्रबंधन में समग्र संगठन पर इन घटनाओं के पूर्ण प्रभावशाली प्रभाव का आकलन करने की क्षमता है। कुछ विनाशकारी घटनाएं जो व्यापार को प्रभावित कर सकती हैं नीचे उल्लिखित हैं।

- संपत्ति की चोरी।
- कानून का उल्लंघन।
- सूचना पौद्योगिकी अपराधों।
- धोखेबाज़ी प्रथाओं।
- बाढ़ से प्रभावित।

वास्तविक समाधान संगठन के भीतर से आना चाहिए और दैनिक लागू किया जाना चाहिए । सरकार और संस्थागत नीतियां यह एक और पहलू है जिसका प्रबंधन किया जाना चाहिए। व्यवसाय पर सरकारी एजैंसियों के प्रभाव और उनके प्रभाव को चुनौती देने के लिए उठाए गए कदमों की पहचान करने के लिए, निम्नलिखित पर विचार करें

- एजेंसियां जो व्यापार के संचालन को प्रभावित करती हैं
- प्रत्येक एजेंसी में प्रमुख संपर्क
- वर्तमान में व्यापार को प्रभावित करने वाले नियम

- एजेंसी के निष्कर्षो को चुनौती देने के लिए नीतियों का ज्ञान
- लंबे समय से एजेंसी के साथ काम करने की इच्छा अवधि

4.5 सारांश

एक नया उद्यम शुरू करने के लिए निर्णय लेने के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतनी आवश्यक है। ऐसे कई निर्णय हैं जिनके दीर्घकालिक प्रभाव हैं और भारी निवेश की आवश्यकता होती है। स्थान का चयन एक रणनीतिक निर्णय है जिसके लिए बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। कच्चे माल के करीब, परिवहन कारक, आर्थिक कारक, और बाजार संबंधी कारक, सामुदायिक कारक आदि के विकास में किसी भी बाधा से बचने के लिए बारीकी से मूल्यांकन किया जाता है इसके अलावा संगठनों के वातावरण में मौजूदा बाजार बलों का अध्ययन करना जरूरी है। उन्हें अनुकूल होना चाहिए और किसी संस्था के चिकनी चलन को सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा प्रभावी प्रबंधन महत्वपूर्ण है।

4.6 शब्दावली

कौशलः यह ज्ञान का आवेदन है।

तकनीकी कौशलः यह तकनीकी जानकारी से संबंधित है।

संचार कौशलः संगठन के कर्मचारियों के बीच सूचना के प्रभावी आदान–प्रदान से संबंधित कौशल।

परास्परिक कौशलः श्रमिकों को प्रेरित करने, काम के संघर्ष को हल करने, लोगों के साथ संवाद करने और काम करने की योग्यता।

एमबीओः यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी संयुक्त रूप से निर्दिष्ट समय में प्राप्त किए जाने वाले कर्मचारी के उद्देय के बारे में पहचान करते है।

पर्यावरणः यह सभी कारकों का योग है जो पर्यावरण को प्रभावित करता है।

उपभोक्ताओं की शक्तिः नये उद्यम की स्थापना से पूर्व उद्यमियों को इसका भी मूल्यॉकन कर लेना चाहिए कि वह उपभोक्ताओं को कितनी शक्ति देना चाहते है। अति आवश्यक उत्पादों के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं के पास शक्ति कम तथा विलासिता के उत्पादों में शक्ति ज्यादा रहती है।

विक्रेताओं की शक्तिः विक्रेताओं के पास कीमतों से सम्बन्धित तथा गुणवत्ता से सम्बन्धित शक्तियॉ निहित हैं। विक्रेता कीमत बढा सकते हैं या गुणवत्ता में कमी कर सकते हैं। कभी–कभी अन्य शक्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है ।

4.7 बोध प्रश्न

1. अतिआवश्यक उत्पादों के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं के पास शक्ति कम तथा .... के उत्पादों में शक्ति ज्यादा रहती है।
2. .... का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रत्येक कर्मचारी को अपने विचारों को प्रबन्धकों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
3. .... एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी संयुक्त रूप से निर्दिष्ट समय में प्राप्त किए जाने वाले कर्मचारी के उद्देय के बारे में पहचान करते है।

4. संगठन के कर्मचारियों के बीच सूचना के प्रभावी आदान–प्रदान से संबंधित कौशल .... कहलाता है।

4.8 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. विलासिता, 2. खुले संचार, 3. एम. बी. ओ., 4. संचार कौशल

6.9 स्वपरख प्रश्न

1. नये उद्यम स्थापना से आप क्या समझते है। नये उद्यम स्थापना में किन–किन बातों को ध्यान में रखा जाता है?
2. नये उद्यम स्थापना में स्थान (Location) कारक कितना महत्वपूर्ण है और क्यो?
3. बाजार सम्बन्धी कारक तथा उपभोक्ता सम्बन्धी कारकों को विस्तार पूर्वक समझाइये तथा इनके अन्तर को स्पष्ट कीजिए।
4. सकारी व्यवहार सम्बन्धी कारक तथा समुदाय सम्बन्धी कारकों की विवेचना कीजिए।
5. नये उद्यम स्थापना में पर्यावरण कारक से आप क्या समझते है? पर्यावरण कारक में कौन से मुख्य पॉच बिन्दु हैं? विवेचना कीजिए।
6. प्रतियोगियों के बीच प्रतिद्वन्दिता से आप क्या समझते हैं।
7. प्रभावी प्रबन्धन के लिए प्रबन्धक के आवश्यक गुणों की व्याख्या कीजिए।
8. प्रबन्धकीय कौशल से आप क्या समझते है यह मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? व्याख्या करें।

4.10 सन्दर्भ पुस्तकें

- Arauzo Carod, Josep Maria. "Determinants of industrial location: An application for Catalan municipalities*." Papers in Regional Science 84.1 (2005): 105-120.
- Audretsch, David B., and Paula E. Stephan. "Company -scientist locational links: The case of biotechnology." The American Economic Review 86.3 (1996): 641- 652.
- Badri, Masood A., Donald L. Davis, and Donna Davis. "Decision support models for the location of firms in industrial sites." International Journal of Operations & Production Management 15.1 (1995): 50 -62.
- Badri, Masood A. "Dimensions of industrial location factors: review and exploration."Journal of Business and Public Affairs 1.2 (2007): 1-26.
- Stevenson, H. & Jarillo, C. (1990). A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management, strategic Management Journal, 11: 17-27.

Websites:

- http://home.snu.edu/~jsmith/
- http://web.ewu.edu/groups/cbpacea
- http://www.bbc.co.uk/schools
- http://www.bms.co.in

- http://www.fao.org/docrep/x5744e
- http://www.hse.go
- v.uk/research/rrpdf
- http://www.investopedia.com/terms
- http://www.translationdirectory.com/articles
- https://strategiccfo.com

इकाई 5 उद्यमशीलता के लिए वैधानिक आवश्यकताएँ

इकाई की रूपरेखा

5.1 प्रस्तावना

5.2 नवीन इकाई/उपक्रम सम्बन्धी नियमन

5.2.1 स्वाामित्व प्रारूप सम्बन्धी अधिनियम

5.2.2 उद्योग एवं श्रम संबंधी अधिनियम

5.2.3 दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम

5.2.4 प्रदूषण नियन्त्रण संबधित अधिनियम

5.2.5 औद्योगिक (विकास तथा नियमन) अधिनियम

5.3 विदेशी विनियम प्रबन्ध अधिनियम, 2000

5.4 भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872

5.5 वस्तु विक्रय अधिनियम,1930

5.6 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2011

5.7 प्रतियोगिता अधिनियम, 2002

5.8 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

5.9 बौद्धिक संपदा अधिकार

5.9.1 कॉपीराइट

5.9.2 ट्रेडमार्क

5.9.3 पैटेंट

5.9.4 औद्यागिक डिजाइन

5.9.5 ट्रेड सीक्रेट

5.9.6 भौगोलिक संकेत

5.10 सारांश

5.11 शब्दावली

5.12 बोध प्रश्न
5.13 बोध प्रश्नों के उत्तर
5.14 स्वपरख प्रश्न
5.15 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप इस योग्य हो सकेंगे कि :

- नवीन इकाई के नियमन, नियोजन एवं नियन्त्रण से सम्बन्धी विभिन्न नियमन किस के प्रकार हैं, की व्याख्या कर सकें।
- स्थापना हेतु कुछ प्रमुख अधिनियम कौन से हैं, का वर्णन कर सकें।
- संचालन में कुछ प्रमुख अधिनियम कौन से हैं, की व्याख्या कर सकें।
- कुछ प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अधिनियमों के उद्देश्य व उनके मुख्य प्रावधान क्या हैं, का वर्णन कर सके।

5.1 प्रस्तावना

प्रतिदिन अनेक नवीन इकाईयों की स्थापना की जाती है। किन्तु स्थापित की जाने वाली सभी इकाईयाँ सफल नहीं हो पाती है। इस असफलता के अनेक कारणों मे से एक मुख्य कारण यह है कि उनकी स्थापना के लिए सभी वैधानिक औपचारिकताओं को विधिवत् पूरा नहीं किया गया होता है। आधुनिक व्यवसाय विभिन्न वैधानिक जटिलताओं से भरा हुआ है। जिसकी स्थापना करने से पूर्व बहुत ही सोच विचार करने के पश्चात् ही निर्णय लिया जाना चाहिए। इमरसन का कहना है ''व्यवसाय चातुर्थ का खेल है जिसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं खेल सकता''। अतएव किसी नवीन इकाई की स्थापना करने के पूर्व एवं नियमों का पालन करना आवश्यक हे। उद्यमी को इन सभी अधिनियमों से परिचित होना चाहिए। जिससे वे इनका पालन कर अपने उद्योग का विकास एवं संचालन सुचारू रूप से कर सकें।

5.2 नवीन इकाई/उपक्रम सम्बन्धी नियमन

भारत में व्यवसायिक/औद्यागिक इकाई की स्थापना एवं संचालन में कई वैद्यानिक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। इकाई की स्थापना का पंजीयन कराने से उसके भूमि, भवन, विकास, पेटेण्ट, ट्रेडमार्क आदि को क्रय करने, ऋण प्राप्त करने, उनके आधीन अनुबन्धों का निष्पादन कराने आदि तक सभी चरणों में अनेक वैधानिक अधिनियम हैं जिनका पालन करना पडता है।

भारत में नवीन उद्योगों के नियमन, नियोजन व नियन्त्रण के लिए कुछ प्रमुख अधिनियम का उल्लेख तालिका 8.1 और 8.2 में किया गया है।

<u>तालिका 8.1</u>

नवीन इकाई की स्थापना मे प्रमुख अधिनियम

(Important Acts/ Laws for establishement New unit)

	अधिनियम	उद्देश्य
1	**स्वामित्व प्रारूप सम्बन्धी अधिनियम**	
	1. भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (Indian Partnership Act)	साझेदारी प्रारूप मे उपक्रम की स्थापना हेतु।

	2. सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 (Limited Liabilitiy, Partneship Act)	पारस्परिक समझौते पर आधारित साझेदारी को नया रूप देने का लचीलापन प्रदान करने हेतु।
	3. कम्पनी अधिनियम, 1956 (Company Law)	व्यावसायिक स्वामित्व के कम्पनी प्रारूप की स्थापना हेतु।
	4. भारतीय सहकारी अधिनियम 1912 (Indian co-operative society Act)	समानता के आधार पर परस्पर आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए।
2	**उद्योग एवं श्रम सम्बन्धी अधिनियम**	
	1. कारखाना अधिनियम, 1948 (Factory Act)	कारखानों की स्वीकृति, लायसेंसिग एवं पंजीयन हेतु तथा श्रमिकों की कार्यदशाओं के संदर्भ में।
	2. न्यूनतम मजूदरी अधिनियम, 1948 (Minimum wages Act)	उद्योगों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजूदरी का भुगतान करने के लिए बाध्य करता है।
	3. श्रम संघ अधिनियम, 1926 (Labour Act)	श्रमिकों एवं सेवायोजकों के बीच सम्बन्धों का विनियम करने हेतु।
	4. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Dispute Act)	औद्योगिक विवादों के समाधान हेतु।
	5. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (Enployee State Insurance Act)	बीमित कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को विभिन्न प्रकार के लाभ तथा सुविधाएँ प्रदान करता है।
	6. मजदूरी भृत्ति/भुगतान अधिनियम, 1936 (Payment of wages Act)	मजूदरी, मजदूरी की अवधि तथा भुगतान का समय से संबंधित।
3	उद्योग (विकास एवं नियमन) अधिनियम (Industries Development & Regulation Act)	औद्योगिक लाइसेन्स प्राप्त करने व उसके पर्याप्त विस्तार करने हेतु।
4	प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संबंधी अधिनियम	प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए
	1. जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 2. वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981	

5	दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम (Shops & Commercial Establishment Act)	नयी दुकान अथवा नये वाणिज्यिक संस्थान को अपने राज्य में पंजीकृत कराने हेतु।
6	वाणिज्यिक कर अधिनियम (Commercial Taxes Act)	केन्द्रीय व राज्य स्तर पर जो इकाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार करते है, उनका पंजीयकन कराने हेतु।
7	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act)	नवीन इकाई द्वारा आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन से सम्बन्धित।
8	बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Right)	बौद्धिक संपदा को सुरक्षा प्रदान करने हेतु।
9	**विभिन्न पंजीयन**	
	अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र	एक वर्ष की अवधि के एक लिए नवीन उद्यम की स्थापना हेतु राज्य के जिला उद्योग द्वारा निर्गमित किया जाता है।
	स्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र	अस्थायी पंजीयन प्रमाण पत्र के आधार पर उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् स्थायी पंजयीन प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है।
	पूंजी निर्गमन प्रमाण पत्र (पूंजी निर्गमन अधिनियम 1947)	पूंजी निर्गमन के लिए पूंजी निर्गमान नियन्त्रण की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु।
	आयात लाईसेन्स (Import license)	यदि नवीन इकाई में आयातित कच्चा माल एवं अन्य सामग्री का उपयोग हो, तो उसे आयात निर्यात नियन्त्रण से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
	लघु इकाई पंजीयन प्रमाण पत्र	नवीन लघु इकाई की स्थापना करने हेतु।
	शक्ति एवं जल संयोजन के लिए आवेदन (भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910)	नवीन इकाई के प्रयुक्त के लिए राज्य विद्युत मण्डल तथा पर्याप्त मात्रा में जल की प्राप्ति के लिए जल निगम में आवेदन

<u>तालिका 8.2</u>

अन्य प्रमुख अधिनियम/कानून जिनका नवीन इकाई की स्थापना व संचालन पर प्रभाव होता है –

	अधिनियम	उद्देश्य
1	भारतीय अनुबन्धन अधिनियम, 1872 (Indian Contract Act)	व्यापारिक व्यवहारों में निश्चितता लाना तथा उसे व्यावस्थित करना।

2	वस्तु विक्रय अधिनियम, 1930 (Sales of Goods Act)	वस्तुओं के क्रय–विक्रय एवं इससे संबन्धित विविध क्रियाओं को सम्पन्न करने हेतु कानूनी आधार प्रदान करना।
3	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (The Consumer Protection)	उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने तथा शेषित होने पर उचित क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु।
4	विदेशी विनियम प्रबन्ध अधिनियम, 1999 (Foregin Exchange Manapeement Act)	आर्थिक उदारीकरण को प्रोत्साहन देना तथा विदेशी विनियम का बेहतर प्रबन्ध करना।
5	प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 (Competition Act)	औद्योगिक संस्थाओं में स्वस्थ प्रतियोगिता एवं विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने हेतु।
6	सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम, 2000 (Information Technology Act)	इलोक्ट्रोनिक संसाधनों को विनियमित एवं नियंत्रण करने तथा साइबर अपराधों के निवारण हेतु।
7	अस्वस्थ औद्योगिक कम्पनीज (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 Sick Industrial Companies (Special Provision Act 1985)	औद्योगिक अस्वस्थता की गंभीरता, कारकों तथा उपायदेयता की जानकारी देने हेतु।

उपर्युक्त सभी अधिनियमों/कानूनों के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे अधिनियम हैं जिनकी आवश्यकताओं/औपचारिकताओं को इकाईयों को स्थापना व स्थापना के बाद भी जीवनपर्याप्त पालन करना पड़ता है।

इस इकाई में हम केवल प्रमुख प्रावधानों का ही उल्लेख कर रहे हैं।

5.2.1 स्वामित्व प्रारूप सम्बन्धित अधिनियम (Acts Relating to Forms of owneship)

व्यवसायिक संगठनों के विभिन्न स्वरूप के चयन में अलग–अलग अधिनियमों का पालन करना पड़ता है।

1. एकाकी स्वामित्व –

यदि संगठन का प्रारूप एकाकी स्वामित्व है तो इस दशा में कोई कानूनी प्रावधान लागू नहीं होता है।

2. भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 –

भागीदारी या साझेदारी व्यवसायिक संगठन में दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने हेतु एक साथ मिलकर व्यवसाय करते हैं। इस व्यवसाय को 'फर्म' कहा जाता है। साझेदारी फर्म भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत नियंत्रित होती है। साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है किन्तु जब फर्म का पंजीयन करवाया जाता है तो सामान्यतः यह अनुबन्ध लिखित होता है जिसे साझेदारी संलेख (Patrnership Deed) के नाम से जाना जाता है। पंजीकरण न कराने के कुछ बुरे परिणाम हो सकते हैं जैसे विवाद की स्थिति में उसके समाधान के लिए

न्यायालय की सहायता नहीं ली जा सकती, फर्म दावों के निपटारे के लिए दूसरी पार्टी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते आदि।
साझेदारी के लक्षण दो प्रकार के होते हैं – वैधानिक एवं सामान्य लक्षण। साझेदारी के वैधानिक लक्षण वे हैं जिनका उल्लेख साझेदारी अधिनियम, में किया गया है, जो निम्न हैं –

1. कम से कम दो व्यक्तियों का होना।
2. किसी वैद्य कारोबार का होना।
3. साझेदारों के बीच समझौता अथवा अनुबन्ध होना।
4. कारोबार का उद्देश्य लाभ कमाना।
5. प्रत्येक साझेदार का अपनी फर्म का एजेण्ट एवं स्वामी दोनों होना।

3. सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008

सीमित दायित्व साझेदारी एक ऐसा वैकल्पिक व्यवसाय संगठन है जो सीमित दायित्व के लाभ उपलब्ध कराने के साथ इसके सदस्यों को पारस्परिक समझौते पर आधारित साझेदारी के रूप में आंतरिक संरचना को संगाठित करने का लचीलापन भी प्रदान करता है। इसके लाभों को देखते हुए संसद ने 2008 मे सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम को पारित किया जिसे 2009 में स्वीकृति मिली। यह प्रावधान साझेदार को उनकी इच्छानुसार समझौते को नया रूप देने का लचीलापन उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की साझेदारी एक पृथक कानूनी इकाई होगी तथा अपनी संपत्तियों की सीमा तक उत्तरदायी होगी, साथ ही सभी साझेदारी का दायित्व भी सीमित दायित्व साझेदारी में उनके सहमत अनुपात तक सीमित होगी।

इस अधिनियम के निर्माण का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा व्यावसायिक संगठन निर्मित करना है जिसका दायित्व सीमित हो तथा उसका संचालन कानूनी रूप से करना सरल हो अर्थात् कानूनी आवश्यकताएँ अधिक न हो एवं निर्माण तथा संचालन में सरलता हो।

4. कम्पनी अधिनियम 1956

सन् 1950 में श्री ए.एच. भामा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय ''भामा समिति'' गणित की गई जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1953 में कम्पनी अधिनियम (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया गया। 1956 में इसे स्वीकृति प्राप्त हुई और भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 लागू हुआ। इस अधिनियम में कुल 658 धाराएँ व 15 अनुसूचियाँ है जो 13 खण्डों में विभक्त है। संसद द्वारा इस अधिनियम में समय–समय पर आवश्यकता अनुसार अनेकों संशोधन व परिवर्तन किए गए हैं। वर्तमान में कम्पनी अधिनियम, 2013 कार्यरत है।

इस अधिनियम के अनुसार ''कम्पनी'' से आशय इस अधिनियम के अधीन निर्मित कम्पनी से है या किसी पूर्व के कम्पनी अधिनियम से बनी कम्पनी से है। एक कम्पनी के निम्न लक्षण अथवा विशेषताएँ हैं –

1. विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति (An artificial Person created by law)
2. अविच्छिन्न उत्तराधिकार (Perpetual Succession)
3. पृथक् वैधानिक अस्तित्व (Separate Legal Entity)
4. लाभ के लिए ऐच्छिक संस्था (Voluntary Association for Profit)

5. सदस्यों की संख्या – न्यूनतम 7 (सार्वजनिक कम्पनी के लिए) न्यूनतम 2 व अधिकतम 200 (निजी कम्पनी के लिए)
6. सीमित दायित्व
7. प्रतिनिधि व्यवस्था (Representative Management)
8. सार्वमुद्रा (Common Seal) जो उसके अस्तित्व का प्रतीक है।
9. कार्य क्षेत्र की निर्धारित सीमाएँ।
10. अभियांग चलाने का अधिकार।
11. अंश हस्तान्तरण एवं
12. अधिनियम के अन्तर्गत ही स्थापना एवं समापान

5.2.2. उद्योग एवं श्रम सम्बन्धी अधिनियम

1. **कारखाना अधिनियम, 1948**

औद्योगिकरण के प्रारम्भिक काल से ही देश के कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की कार्यदशाओं, रोजगार एवं कल्याण हेतु विशेष प्रावधानों के सम्बन्ध मे मांग उठती रही है। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम 1881 में कारखाना अधिनियम पारित किया था। स्वाधीनता के पश्चात् 1948 में देश के औद्योगिक विकास, श्रम शक्ति को विकसित करने तथा कल्याणकारी कार्यों की दृष्टि से कारखाना अधिनियम पारित किया गया जो 1 अप्रैल, 1949 से लागू हुआ। इसमें सन् 1954, 1976 व 1986 में आवश्यक संशोधन भी किए गए। इस अधिनियम में 120 धाराएँ है।

इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न प्रकार है –

1. **क्षेत्र सम्बन्धी प्रावधान** जहाँ शक्ति का प्रयोग होता हो वहाँ 10 व्यक्ति तथा जहाँ शक्ति का प्रयोग नही होता वहाँ कम से कम 20 व्यक्ति कार्यरत हो।
2. **लाईसेन्स का पंजीयन एवं सम्बन्धी प्रावधान** – जिससे कारखानों पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित किया जा सके।
3. **निरीक्षण एवं प्रमाणन सम्बन्धी प्रावधान** – कारखाना निरीक्षकों की नियुक्ति, कर्तव्यों एवं अधिकारों सम्बन्धी।
4. **श्रमिकों की सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधान**
5. **स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रावधान** – जैसे निकासी, सफाई, प्रकाश, हवा, स्वच्छ पानी, शौचालय आदि से सम्बन्धित ।
6. **श्रम कल्याण संबंधी प्रावधान** – जैसे आराम कक्ष, बैठने की सुविधा, शिशुगृह सुविधा आदि। 500 या इससे अधिक श्रमिक होने पर श्रम–कल्याण अधिकारी की नियुक्ति के प्रावधान हैं।
7. **कार्य घंटे संबंधी प्रावधान**
8. **महिलाओं एव बच्चों संबंधी विशेष प्रावधान**
9. **अन्य प्रावधान** – जैसे सवैतनिक वार्षिक अवकाश, विशिष्ट बीमारियों सम्बन्धी प्रावधान तथा श्रमअधिकारियों के दायित्वों से सम्बन्धित प्रावधान।

5.2.3 दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम **(Shops & Commerical Establshment Acts)**

हमारे देश की प्रत्येक राज्य सरकार ने एक दुकान तथा वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम बना रखा है जिसके अंतर्गत प्रत्येक नई दुकान अथवा नये वाणिज्यिक संस्थान को अपने राज्य के इस अधिनियम के अधीन पंजीयन करवाना पड़ता है।

दुकान से तात्पर्य किसी भी ऐसे परिसर से है, जहाँ पर किसी व्यापार या व्यवसाय का संचालन किया जाता है अथवा ग्राहकों की सेवाएँ उपलब्ध की जाती है। इसमें उसी परिसर में या अन्यत्र स्थित कार्यालय, संग्रहालय, गोदाम या माल गोदाम, जो ऐसे व्यापार या व्यवसाय के सम्बन्ध में उपयोग किये जाते हैं, भी सम्मिलित हैं। किन्तु इसमें वह वाणिज्य संस्थान या दुकान शमिल नहीं है, जो किसी कारखाने के साथ संलग्न है तथा उस दुकान में नियुक्त व्यक्तियों को कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन लाभ उपलब्ध होते हैं।

निम्न संस्थाओं को इस अधिनियम के अधीन वाणिज्यि संस्थान माना गया है–

1. वाणिज्यिक, व्यापारिक, बैंकिग या बीमा संस्थान।
2. ऐसे संस्थान के प्रशासकीय सेवा का स्थान, जहाँ पर कार्यालयी कार्य किए जाते हैं।
3. होटल, रेस्टोरेन्ट, आवासगृह, भोजनालय, कैफे या अन्स कोई जलपान या विश्रान्तिगृह।
4. नाट्यशाला अथवा जनता के मनोरंजन के लिए अन्य कोई स्थान।
5. कोई भी संस्थान जिसे राज्य सरकार गजट अधिसूचना जारी कर वाणिज्यिक संस्थान घोषित कर दें।

5.2.4 प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धित अधिनियम :

सम्पूर्ण विश्व में प्रदूषण की समस्या एक विकट रूप धारण कर चुकी है उद्योग को इस प्रदूषण का स्त्रोत माना जा रहा है। अतः केन्द्र को औद्योगिक विकास के साथ–साथ प्रदूषण की समस्या पर भी नियन्त्रण पाना हो। अतः प्रत्येक उद्यमी को नवीन उद्यम की स्थापना से पूर्व केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण निकासी प्रमाण–पत्रा लेना अनिवार्य है।

प्रथम प्रमाण–पत्र वायु (प्रदूषण निवारण, एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत लिया जाता है तथा दूसरा प्रमाण पत्र जल (प्रदूषण निवारण एवं नियत्रण) अधिनियम 1974 के अन्तर्गत निर्गमित किया जाता है यदि किसी नई इकाई के परिचलन प्रक्रिया से मल निस्सारण की संभावना हो तो उस इकाई को अपना कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व इन अधिनियमों के अधीन पूर्वानुमति प्राप्त करनी पड़ती है जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अधीन पूर्वानुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है –

1. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है जिसका प्रारूप निर्धारित होता है।
2. तत्पश्चात् राज्य बोर्ड द्वारा आवेदन के सम्बन्ध मे निर्धारित प्रक्रिया से आवश्यक जाँच पड़ताल होती है।
3. इसके बाद राज्य बोर्ड आवेदन को अपनी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति दे सकती है। यदि बोर्ड आवेदन अस्वीकार करती है तो उसके कारणों का लिखित अभिलेख तैयार किया जाएगा और यदि बोर्ड उस आवेदन को स्वीकार करता है तो मल निस्सारण के स्थान, निकास अथवा नये मल के निस्सारण के सम्बन्ध में शर्ते लगा सकता है जिसे मानने के लिए आवेदक बाध्य होगा।

4. प्रत्येक राज्य बोर्ड इस धारा के अधीन लगायी शर्तों के विवरण को दर्शाने वाला एक रजिस्ट्रर रखेगा जो इस बात का प्रमाण होगा कि अनुमति अलिखित शर्तों के अन्तर्गत दी गई है।
5. आवेदन के चार महीनों तक यदि राज्य बोर्ड की ओर से स्वीकृति अथवा अस्वीकृति न मिले तो स्वतः ही बिना शर्ते अनुमति दी गई मान ली जायेगी।
6. अनुमति से इनकार अथवा उसके खण्डन करने की दशा मे बोर्ड उस प्रतिष्ठान को अनुमति नहीं देगा।

इसके अतिरिक्त बोर्ड समय–समय पर लगायी शर्तों का पुनरावलोकन कर सकता है।

वायु, (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1951 के अधीन अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया उपर्युक्त प्रक्रिया से मिलती जुलती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य बोर्ड किसी भी अनुमति को उसकी अवाधि समाप्त होने से पूर्व कभी निरस्त कर सकता है या उस अनुमति की अवधि को आगे बढ़ाने से इनकार कर सकता है। ये दोनो प्रमाण–पत्र यह प्रमाणित करते हैं कि प्रस्तावित उद्यम अथवा उद्योग जल व वायु प्रदूषण से मुक्त है तथा इन दोनों की निकासी के लिये उपयुक्त यन्त्र स्थापित किये गए हैं।

5.2.5 औद्योगिक (विकास तथा नियमन) अधिनियम, 1951 [The Industrial (Development and Regulation) Act 1951]

औद्योगिक (विकास तथा नियमन) अधिनियम अक्टूबर 1951 में पार्लियामेन्ट द्वारा पास किया गया था तथा उसके बाद इस अधिनियम मे कई बार संशोधन किए गए। यह अधिनियम पूरे भारतवर्ष पर लागू होता है। यह अधिनियम देश में नियमन एवं नियन्त्रण द्वारा योजनाबद्ध औद्योगिक विकास पर बल देता है, और उन उद्योगों को सम्मिलित करता है जिन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम अनुसूची मे सम्मिलित किया गया है। अर्थात् इस अधिनियम के प्रावधान ऐसी औद्योगिक इकाइयों पर लागू होते हैं जो सूचीबद्ध उद्योगों (Scheduled Industries) के अन्तर्गत किसी भी वस्तु का निर्माण करती हो, तथा जिन्हें अधिनियम की प्रथम अनुसूचित श्रेणी में सम्मिलित किया गया हो –

इस नियम के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार है –

1. सरकार की औद्योगिक नीति का क्रियान्वयन।
2. उद्योगों का विकास तथा नियमन।
3. भावी विकास के लिए मजबूत तथा सन्तुलित योजनाएँ।
4. केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन।
5. छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों से सुरक्षा प्रदान करना।
6. औद्योगिक निवेश तथा उत्पादन का प्राथमिकता के आधार पर नियमन करना तथा योजना को लक्ष्य निर्धारित करना।
7. सान्तुलित क्षेत्रीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना।

इस अधिनिमय को 31 भागों मे विभाजित किया गया है तथा सभी प्रावधानों को विस्तार पूर्वक तीन श्रेणियों में बांटा गया है।

1. **प्रतिबन्धात्मक प्रावधान (Restrictive Provision)** इसके अन्तर्गत पंजीकरण तथा लाइसेंसिग से सम्बन्धित प्रावधान है।

2. **सुधारात्मक प्रावधान (Reformative Provision)** इसके अन्तर्गत औद्योगिक उपक्रमों में आवश्यक सुधारों जैसे मूल्य, आपूर्ति तथा विवरण पर नियन्त्रण आदि से है।
3. **सृजनात्मक प्रावधान (Creative Provision)** इसके अन्तर्गत सृजनात्मक उपाय जैसे विकास समितियों का गठन, कर तथा अधिकार वसूलना तथा सलाहकार समितियों को गठन कर कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, उद्योग तथा केन्द्रीय सरकार के बीच आपसी सहयोग तथा विश्वास को बढ़ाना है।

5.3 विदेशी विनियम प्रबन्ध अधिनियम, 2000 (Foreign Exchange Management Act)

वैश्वीकरणे के पश्चात् आर्थिक उदारीकरण को प्रोप्साहन देने की दृष्टि से फेरा (FERA) अधिनियम का पुनरावलोकन किया गया और उसमें आवश्यक संशोधन कर उसके स्थान पर 1 जून, 2000 से विदेशी विनियम प्रबन्ध लागू किया गया ताकि देश में विदेशी विनियम ठीक प्रकार से हो सके। इस अधिनियम में कुल 49 धाराएँ है। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू होता है। यह अधिनियम भारत के निवासी सहित किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व अथवा नियन्त्रण वाली भारत के बाहर सभी शाखाओं, कार्यालयों तथा एजेन्सियों पर लागू होता है।

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक उदारीकरण को प्रोत्साहन देकर कानून को सुदृढ़ बनाना, साथ ही देश मे विदेशी विनियम का बेहतर प्रबन्धन करना, उदारीकरण की नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन करना, विदेशी विनियोगों को प्रोत्सहित करना तथा विदेशी मुद्रा बाजार का भारत मे सुव्यवस्थित विकास करना है। इस अधिनियम में विदेशी विनियम व प्रतिभूति व्यवहार, विदेशी विनियम, नियन्त्रण, चालू खाता व्यवहार, पूँजी खाता व्यवहार, माल व सेवाओं के निर्यात सम्बन्धी प्रावधान, विदेशी विनियम की वसूली एवं प्रत्यावर्तन व्यवहार तथा छूट सम्बन्धी प्रावधान प्रमुख है।

5.4 भारतीय अनुबन्ध अधिनियम, 1872

इस अधिनियम का उद्देश्य व्यापारिक व्यवहारों में निश्चितता लाना तथा उसे व्यवस्थित करना है। इस अनुबन्ध अधिनियम के लागू होने से पूर्व व्यापारिक सौदों में पारस्पारिक परम्पराओं का निर्वहन किया जाता था । क्योंकि व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य विभिन्न अनुबन्धों पर ही आधरित होते हैं, अतः यह अनुबन्ध अधिनियम व्यापारिक वर्ग के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस अनुबन्ध के माध्यम से पक्षकारों को सुरक्षा मिलती है तथा वे वचनपालन के लिए बाध्य होते हैं। 25 अप्रैल, 1872 को भारतीय संसद में इसे पारित हुआ जो 1 सितम्बर, 1872 से लागू किया गया। यह जम्मू–कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण देश में लागू हैं। आरंभ में इस अधिनियम मे कुल 266 धाराएँ तथा 11 अध्याय थे, परन्तु 1930 में वस्तु विक्रय अधिनियम एवं भारतीय अधिनियम 1932 के अलग होने के पश्चात् भारतीय अनुबन्ध अधिनियम 1872 के अन्तर्गत निम्नांकित धाराएँ सम्मिलित की गई है –

1. **धारा 1 से 75** – इन धाराओं के अन्तर्गत ठहराव, वैद्य अनुबन्ध के लक्षण, अनुबन्धों का निष्पादन, संयोग अनुबन्ध भंग करना आदि सम्मिलित किये जाते है।

2. **धारा 124 से 238** – हानि रक्षा एवं प्रत्या भूति अनुबन्ध (धारा 124 से 147), निक्षेप एवं गिरवी अनुबन्ध (धारा 148 से 181), एजेन्सी के अनुबन्ध (धारा 182 से 238) सम्मिलित किए जाते है।

इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में समय–समय पर कई संशोधन भी हुए है। वर्ष 1886, 1891, 1899, 1930, 1932, 1951, 1988 तथा 1992 में आवश्यक संशोधन किए गये।

इस अधिनियम के सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि यह अधिनियम काफी पुराना है तथा एक शताब्दी बीत जाने के बाद भी इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं किए गये है। साथ ही बीमा, वस्तु विक्रय, विनियम साध्य विलेख आदि विषयों पर अलग से अधिनियम पारित किए जा चुके है। अतः आज के समय में इस अनुबन्ध अधिनियम का क्षेत्र काफी सीमित हो गया है।

5.5 वस्तु विक्रय अधिनियम 1930

इस अधिनियम को 1 जुलाई, 1930 में पारित किया गया था। 1930 से पूर्व देश के आर्थिक विकास, बढ़ते व्यावसायिक सौदे एवं नवीन वस्तु विक्रय से संबधित प्रावधान वांछित आवश्यकता पूरी करने में असमर्थ थे। फलस्वरूप इस अधिनियम का आरम्भ हुआ जो वस्तुओं के क्रय–विक्रय एवं इससे संबंधित विविध क्रियाओं को सम्पन्न करने हेतु कानूनी आधार प्रदान करता है। इस अधिनियम के अनुसार वस्तु विक्रय अनुबन्ध के अन्तर्गत विक्रेत एक निश्चित मूल्य के बदले क्रेता को माल के स्वामित्व का हस्तान्तरण करता है अथवा हस्तान्तरित करने के लिए सहमत हो जाता है।

यह अधिनियम देश में व्यवसायिक सौदों के नियमान करने, उनके व्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए प्रभावी है।

5.6 सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम, 2011

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में पारित 'सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम' ने साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। इस अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रोनिक दस्तावेजों को मान्यता देने के साथ ही साइबर अपराधों को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं।

इस अधिनियम के कुल 12 अध्यायों के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आने वाली कम्प्यूटर शब्दावली, इसे पारित करने की आवश्यकता, डिजीटल हस्ताक्षर, इलेक्ट्रोनिक दस्तावेजों, प्रपत्रों आदि के साथ ही देश में इलेक्ट्रोनिक गर्वनेन्स (Electronic Governance) से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है।

बदलते समय और साइबर अपराधों की बढ़ती गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के अंतर्गत विशेष संसोधन कर इसे और अधिक सशक्त बनाए जाने की दशा में भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

5.7 प्रतियोगिता अधिनियम, 2002

भारत में 1991 से उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम की सार्थकता नहीं रही गई थी। इसके फलस्वरूप श्री.एस.वी.एस. राघवन की अध्यक्षता में प्रतियोगित नीति के सम्बन्ध में

बिल पेश किया गया और दिसम्बर 2002 में प्रतियोगिता अधिनियम पास किया गया। यह अधिनियम अखिल भारतीय अधिनियम के रूप में लागू है।

इस अधिनियम के उद्देश्य इस प्रकार है –

1. बाजार में स्वतंत्रा एवं न्यायोचित प्रतियोगिता को बढ़ावा देना।
2. प्रतियोगिता पर विपरीत प्रभाव डालने वाले व्यवहारों को समाप्त करना।
3. उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना
4. प्रभावी शक्तियों के दुरूपयोग पर रोक लगाना।
5. सघों (कार्टेल) का नियमन करना।

इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रतियोगिता अधिनियम में प्रावधान रखे गये है, जो प्रतियोगिता विरोधी समझौतों पर रोक, प्रभावी शक्तियों के दुरूपयोग तथा संघ/कार्टेल के नियमन से सम्बन्धित है।

5.8 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986

देश में तीव्रगति से व्यावसायिक सौदों की बढ़ोतरी, संचार माध्यमों का त्वरित् विकास, विज्ञापन एवं प्रचार साधनों के बढ़ते महत्तव को देखते हुए तथा मूल्यों की विविधता, विक्रेता आधारित बाजार जैसी स्थिति के चलते सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने तथा शोषित होने पर उचित क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता परिषदों एवं न्यायिक मंचों के माध्यम से तवरित् न्याय व्यवस्था सुरक्षित की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत दण्डात्मक व्यवस्था के स्थान पर क्षतिपूर्ति की व्यवस्था को अधिक महत्व दिया गया है।

5.9 बौद्धिक संपदा अधिकार

वह कोई भी वस्तु, जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज हो जैसे कोई साहित्यिक या कलात्मक कार्य, कोई शब्द, प्रतीक, डिजाइन, संगीत, खोज एवं अविष्कार आदि, जिसका कोई आर्थिक या सामाजिक विकास में महत्व हो, वह व्यक्ति की बौद्धिक सम्पदा कहलाती है। शब्द बौद्धिक सम्पदा का उपयोग उन्नीसवीं शताब्दी में प्रारम्भ हुआ तथा 20 वीं शताब्दी में यह शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित हुआ। बौद्धिक संपदा की सांवैधानिक सुरक्षा जरूरी है क्योंकि एक व्यक्ति की संपदा किसी और के हाथ जा सकती है जो इसका इस्तेमाल गलत तरीके से कर मुनाफा कमा सकता है। साथ ही, जो किसी देशी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती थी, किसी व्यक्ति अथवा स्थान तक ही सीमित रह जायेगी, उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा।

सामान्यतः विश्व के सभी देशों ने इन बौद्धिक संपदाओं के संरक्षण हेतु कानून बना रखा है जिसे देश का बौद्धिक संपदा संरक्षण कानून कहते हैं। इस कानून के अन्तर्गत संपत्ति के मालिक को यह अधिकार है कि वह एक निश्चित समय तक अपनी बौद्धिक संपदा का बाजारीकरण कर, पूरा आर्थिक लाभ उठा सके। साथ ही नियम यह भी सुरक्षा करता है कि यह संपदा आम आदमी की जरूरत के अनुसार उस तक पहुँच सके।

बौद्धिक सम्पदा को मुख्यरूप से निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है –

1. कॉपीराइट (Copyrights)

2. ट्रेडमार्क (Trademarks)
3. पैटेंट (Patents)
4. इंडस्ट्रियल डिजाइन (Industrial Designs)
5. ट्रेड सेक्रेट्स (Trade Secrets)
6. भौगोलिक संकेत (Geographical Indications)

8.9.1. कॉपीराइट

यह एक प्रकार का अधिकार है जिसके अन्तर्गत किसी लेखक या रचनाकर को उसके कार्य के कॉपी, विवरण एवं उपयोग का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। कॉपीराइट नियम के अन्तर्गत सुरक्षित रचना का उपयोग रचनाकार की अनुमति के बिना कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान द्वारा कॉपीराइट एक्ट, 1957 जो 1958 में लागू हुआ, जिसका पाँच बार संशोधन भी हुआ, किसी रचना के रजिस्ट्रेशन पंजीयन का आवेदन निर्धारित शुल्क के समपि, शिक्षा विभाग, नई दिल्ली के कॉपीराइट कार्यालय में जमा किया जा सकता है। प्रक्रिया पूर्ण होने पर रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त किया जा सकता है। यह पंजीयन रचनाकार के जीवन पर्यन्त तथा तत्पश्चात् 50 वर्षों तक मान्य रहता है।

5.9.2 ट्रेडमार्क

किसी व्यक्ति, व्यापारिक संगठन अथवा कानूनी इकाई के द्वारा, उसके उत्पाद अथवा सेवा को अन्य किसी उत्पाद या सेवा से पृथक करने के लिए उपयोग में लाए जा रहे किसी विशिष्ट संकेत या सूचक को उसका ट्रेडमार्क कहते है। इस संकेत या सूचक द्वारा कंपनी ग्राहकों को अपने उत्पाद की गुणवत्ता तथा भिन्नता दर्शाती है।

भारत में ट्रेडमार्क 1999 जो कि 15 सितम्बर 2003 से कार्यरत हुआ, इसके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति उत्पाद या सेवा का पंजीयन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ऑफिस (Trade Mark Registration office) जो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकत्ता तथा अहमदाबाद में स्थित है, करवा सकता है। एक पंजीयन ट्रेडमार्क का प्रत्येक 10 वर्ष पर नवीनीकरण कराना पड़ता है।

5.9.3 पैटेंट

पैटेंट एक प्रकार का अन्नय एकाधिकार (Exclusive Monopolistic Right) है, जो किसी आविष्कारिक या उसके उत्तराधिकारी अथवा उसके द्वारा कानूनन व्यक्ति को उसके आविष्कार के लिए, सम्बन्धित सरकार के द्वारा, निश्चित समयावधि तक, प्रदान किया जाता है।

इस समयावधि में, अविष्कारक अथवा उसके प्रतिनिधि को यह अधिकार होता है कि वह अपने अविष्कार का व्यापारिकरण कर सके और आर्थिक लाभ कमा सके। चूंकि एक व्यक्ति एक अविष्कार के पीछे अपने जीवन का बहुमूल्य समय और धन लगाता है अतः पैटेंट ऐसे व्यक्ति के लिए सरकार द्वारा निर्धारित एक पुरस्कार है जिसका लाभ उसे 20 वर्षों तक मिलता है। इन 20 वर्षो के बाद, यह पैटेंटिड अविष्कार, पूरे समाज/ देश की सम्पत्ति कहलता है।

भारतीय पैटेंट एक्ट, 1990 जिसका संशोधन 2005 में हुआ, इसके अन्तर्गत किसी अविष्कार को सुरक्षित करने की निम्न प्रक्रिया है –

पैटेंट अनुदान का आवेदन
↓
प्रक्रियात्मक आपत्ति को सतुंष्ट करना
↓
आवेदन का प्रकाशन
↓
परीक्षा के लिए अनुरोध
↓
पूर्व अनुदान विरोध
↓
पहली परीक्षा रिपोर्ट
↓
सरकारी आक्षेपों की संतुष्टि
↓
पैटेंट को अनुमति
↓
पद अनुदान विरोध

5.9.4 औद्योगिक डिजाइन

किसी वास्तवकि वस्तु का सौंदर्य मूल्य युक्त, ऐसा कोई भी आकार या ढाँचा, (जो किसी रंग, लाइन अथवा अन्य सामान के मिश्रण से बना हो) जिससे किसी तैयार वस्तु का पूर्णतः पूर्वानुमान लगता हो, इडस्ट्रियल डिजाइन कहलाता है।

TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights Agreement, 1994) समझौता, सभी विश्व व्यापार संगठन में शमिल देशों पर लागू होता है। भारत में यह औद्योगिक डिजाइन सुरक्षा अधिनियम डिजाइन एक्ट 2000 के नाम से जाना जाता है, इस नियम के अन्तर्गत, किसी भी औद्योगिक डिजाइन का पंजीयन करवाया जा सकता है, जो कि 10 वर्षों तक मान्य रहता है। तत्पश्चात् पुनः 5 वर्षों के लिए इसका नवीनीकरण करवाया जा सकता है।

5.9.5 ट्रेड सीक्रेट

ट्रेड सीक्रेट, जैसे कोई तकनीकी डाटा, अंदरूणी, तरीका, प्रक्रिया आदि की सुरक्षा के लिए कोई अलग नियमन नहीं बनाया गया है। इस बनाए रखने के लिए भारत, TRIPS समझौता के सामान्य नियमों का पालन करता है।

5.9.6 भौगोलिक संकेत

किसी–किसी वस्तु की गुणवत्ता उस वस्तु के उत्पादन के जगह पर निर्भर करती है। और उत्पादन की जगह बदलने से उसकी गुणवत्ता भी बदल जाती है। उदाहरण के लिए Champagne एक विशेष प्रकार की wine का नाम है जो वास्तव मे फ्रांस के एक प्रांत का नाम हैं और इसे यही बनाया जाता है, भारत की कश्मीरी शॉल आदि। अतः भौगोलिक संकेत किसी उत्पाद का नाम या उस पर अंकित किसी एक प्रकार का चिन्ह है जो उसके उत्पादन की जगह के बारें मे बताता है।

भारत में वस्तु के भौगोलिक संकेत अधिनियम, 1999 जो सितम्बर 2003 में लागू हुआ, के अन्तर्गत भौगोलिक संकेत का पंजीयन एवं सुरक्षा निश्चित की जा सकती है।

5.10 सारांश

प्रत्येक व्यवसाय के लिए अनेकों कानून तथा सरकारी अधिनियम होते हैं। एक उपक्रमी (व्यवसायी) की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है कि वह उन्हें पूर्ण रूप से समझे तथा उनकी अनुपालन करे। अधिनियम स्थिर तथा निरन्तर विकास, शासनात्मक तत्वों का आधार होते हैं। अधिनियम सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक कार्य योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है एवं अपनायी गयी नीतियों के अनुकूल हो रहा है तथा स्थापित सिद्धान्तों एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जा रहा है। सरकारी नियमनों को कर्मचारियों, उपभोक्ताओं, प्रतिस्पर्धियों तथा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए

स्थापित किया गया है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में, विशेषतया भारत जैसे प्रगतिशील राष्ट्र के सन्दर्भ में, रक्षात्मक कानूनी वातावरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। व्यवसाय तथा व्यावसायिक कानूनों का सम्बन्ध आपसी लाभों को बढ़ाता है तथा दोनों ही एक–दूसरे को सुरक्षा प्रदान करते हैं।

5.11 शब्दावली

लाईसेंस – कोई विशेष कार्य करने के लिए दिया जाने वाला अनुज्ञापत्र।

अनुबन्ध – आपस में या एक दूसरे के साथ बाँधने वाला तत्तव या संबंध।

अस्वस्थ उद्योग – वह इकाई जो गत एक वर्ष से नकद हानि वहन कर रही है तथा आगामी दो वर्षो में भी हानि वहन करने की संभावना विद्यमान है।

इलेक्ट्रोनिक गर्वमेन्स – एक ऐसी प्रणाली जिससे काम – काज में पारदर्शिता हो तथा आम नागरिकों के लिए सुविधाओं को इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराना।

कार्टेल – किसी उत्पाद या सेवा के उत्पादन और वितरण को नियंत्रित करने अथवा प्रतियोगिता को सीमित करने के लिए उत्पादकों द्वारा बनाया गया अनौपचारिक स्वतंत्र संगठन।

5.12 बोध प्रश्न

इंगित करें निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य –

1. साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
2. कम्पनी अधिनियम 'भामा समिति' की रिपोर्ट पर आधारित है।
3. कारखाना अधिनियम के अनुसार 500 या अधिक श्रमिक होने पर श्रम–कल्याण अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक है।
4. रेस्टोरेन्ट, कैफे व भोजनालय को दुकान के अंतर्गत माना जाता है।
5. फेमा में कुल 79 धाराएँ है।
6. नई लाइसेन्सिंग नीति के अन्तर्गत किसी भी नई औद्योगिक इकाई को लाइसेन्स लेने की आवश्यकता नहीं है।
7. एक पंजीयन ट्रेडमार्क का प्रत्येक 10 वर्ष पर नवीनीकरण कराना पड़ता है।
8. ट्रेड सीक्रेट की सुरक्षा डिजाइन एक्ट, 2000 के अन्तर्गत सुनिश्चित की जाती है।
9. अस्वस्थ औद्योगिक कम्पनीज (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1986 में लागू हुआ था।
10. औद्योगिक (विकास तथा नियमन) अधिनियम ऐसी औद्योगिक इकाईयों पर लागू होते है जो सूचीबद्ध उद्योगों के अन्तर्गत वस्तु का निर्माण करती हो।

5.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. असत्य
2. सत्य
3. सत्य
4. असत्य
5. असत्य
6. असत्य
7. सत्य

8. असत्य
9. असत्य
10. सत्य

5.14 स्वपरख प्रश्न

प्र01. किसी नयी इकाई की स्थापना के लिए उद्यमी को कौन – कौन सी वैधानिक औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ती हैं?

प्र02. फेमा के प्रमुख प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

प्र03. साइबर अपराधों को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की उपयोगिता समझाइए।

प्र04. बौद्धिक संपदा अधिकार व उससे संबधित अधिनियमों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।

प्र05. किसी नई इकाई को स्वामित्व के प्रारूप में स्थापित करने हेतु वैधानिक आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए।

5.15 सन्दर्भ पुस्तकें

1. 'भारतीय अर्थव्यवस्था', हिमालया पब्किशिंग हाउस – वी. के. मिश्र एवं पुरी।
2. 'परियोजना नियोजन तथा नियन्त्रण', कल्याणी पब्लिकेशंस – जोशी एवं गुप्ता।
3. 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त', बी.एल. ओझा।
4. व्यावसायिक नियमन व्यवस्था – नवलखा, माधुर।

बेबसाइट

1. www.laws4india.com
2. www.legalserviceindia.com

इकाई –6 उद्यमिता योजना प्रक्रिया

इकाई की रूपरेखा

6.1 प्रस्तावना

6.2 उद्यमिताः क्यों

6.3 उद्यमिता की सफलता के लिए आवश्यक कदम

6.4 उद्यमिता योजना

6.5 उद्यमिता योजना निर्माण की प्रक्रिया

6.6 अच्छी उद्यमिता योजना का निर्माण

6.7 व्यवसाय योजना का नमूना/खाका

6.7.1 कार्यकारी/एग्ज़ीक्यूटिव संक्षेप

6.7.2 व्यावसायिक पृष्ठभूमि

6.7.3 बाजार विश्लेषण

6.7.4 बाजार रणनीति

6.7.5 कार्यप्रणाली

6.7.6 वित्तीय योजना

6.8 सारांश

6.9 शब्दावली

6.10 बोध प्रश्न

6.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

6.12 स्वपरख प्रश्न

6.13 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे किः

- उद्यमिता क्यों, की व्याख्या कर सकें।
- उद्यमिता की सफलता के लिए आवश्यक कदमों की व्याख्या कर सकें।
- उद्यमिता योजना का वर्णन कर सके।
- उद्यमिता योजना निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कर सके।
- अच्छी उद्यमिता योजना के निर्माण की व्याख्या कर सकें।

6.1 प्रस्तावना

किसी भी व्यवसाय/उद्यम को शुरू करने से पहले योजना बनाना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और लिखित उद्यमिता योजना बनना इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है। ड्यमिता योजना एक तरह से आपके व्यवसाय का नक्शा या ब्लूप्रिन्ट होता है जिसमें आपके व्यवसाय की सामान्य जानकारी, व्यवसाय लक्ष्य और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का तरीका आदि बाते सन्दर्भित रहती है। व्यवसाय योजना न केवल आपके मार्गदर्शक के रूप में काम करता है।, बल्कि बैंक ऋण , स्टार्टअप फंडिग या व्यवसाय साझेदारी आदि कई महत्वपूर्ण कार्यो को सम्पादित करने के लिए जरूरी होता है। ड्यमिता योजना एक ऐसा दस्तावेज रहता है जो किसी भी नए व्यवसाय के 'क्या', 'क्यों', और 'कैसे' जैसे सभी प्रश्नों का उत्तर देता है।

उदाहरण स्परूप – हमारा व्यवसाय क्या है ? हमसे व्यवसाय क्यों करना चाहते है ? हम इस व्यवसाय को कैसे करेंगें?

इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें व्यवसाय योजना के द्वारा मिलते हैं। उद्यमिता योजना के माध्यम से व्यवसायी (उद्यमी) अपने निर्धारित लक्ष्यों का लिखित रूप और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह क्या रणनीति बना रहा है, स्पष्ट रूप से बताता है। किसी भी योजना का निर्माण बहुत सोच समझकर किया जाता है। यही बात उद्यमिता योजना बनाते समय भी लागू होती है।

6.2 उद्यमिताः क्यों ?

उद्यमिता में एक उद्यमी अपने विचारों का कार्यान्वयन स्वयं करता है। उद्यमिता का एक प्रमुख लाभ यह है कि आपको अपने खुद के विचारों तथा अंतर्दृष्टि को आगे बढ़ाने की आजादी हासिल होती है। आप अपना समय और ऊर्जा अपने विचारों को विकसित करने तथा उन्हें एक सफल उद्यमिता मॉडल में तब्दील करने में लगाते हैं।

उद्यमिता में आपका बॉस कोई दूसरा नहीं आप खुद होते हैं। आप निर्णय करते हैं। किसके साथ काम करना है, क्या काम करना है, यह सब आप तय करते हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आप किसी फर्म की कार्पोरेट संस्कृति या उनके कारोबार के तौर–तरीकों से सहमत नहीं होते। लेकिन यहां आप चुनते हैं कि उद्यमिता कैसे चलाना है, किस तरह की कार्पोरेट संस्कृति विकसित करनी है। आरंभिक चरण में गूगल का सीधा–सादा आदर्श वाक्य था –"बुराई मत बनो ।" वे एक ऐसी कार्पोरेट संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, जो प्रचलित कार्पोरेट संस्कृति के बहुत अलग है। अपनी निजी कंपनी शुरू करने से संस्थापकों को यह अवसर मिला कि ऐसी संस्कृति और उद्यमिता पद्धतियाँ विकसित करें जिनमें उनकी आस्था हो। अपनी खुद की कंपनी शुरू करके आप भी ऐसा कर सकते हैं।

स्थान का चयनः

उद्यमिता के स्थान का चुनाव आपका अपना निर्णय होगा। आप चाहें तो अपने बाजार के निकट कारोबार कर सकते हैं, चाहें तो अपने घर के निकट कर सकते हैं। फैसला पूरी तरह आपका है।

बड़ी आय की संभावनाः

अपना उद्यमिता शुरू करने पर आप मालिक होंगे और अधिकांश ईक्विटी आपकी होगी। यदि आपका उद्यमिता सफल रहा, तो काफी आय होने की संभावना रहेगी। कुछ लोगों को अपनी नोकरियों में करियर विकास या आर्थिक विकास की कोई संभावना नजर नहीं आती। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो शायद आपके लिए यही समय है कि आप भी अपना कारोबार शुरू करने के बारे में सोचें। पर नकारात्मक पहलू यह है कि यहाँ वेतन का चेक मिलने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर कर्मचारी के तौर पर आपकी नौकरी सुरक्षित रहेगी इसी की क्या गारंटी है।

अपने काम के घंटे खुद चुनें :

खुद के कारोबार की सबसे बड़ी सुविधा यह है कि यहाँ काम के घंटो में लचीलापन रहता है, यद्यपि काम कम नहीं रहता। अधिकतर सफल नए उद्यम अधिक समय तक काम तथा कड़ी मेहनत का परिणाम हैं। पर सकारात्मक पहलू यह है कि

कब छुट्टी पर जाना है, कब काम करना है आदि बातें आपकी पसंद के अनुसार होती हैं। जब तक अपेक्षित काम होता रहता है, तब तक लचीलापन बना रहता है।

अपने कारोबार के परिचालनों में शामिल होने का अवसरः

शुरू किया गया नया उद्यम आपका अपना विचार है, आपका अपना कारोबार है। इसलिए इस कारोबार के किसी भी पहलू से जुड़ने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इसे एक उदाहरण के जरिए बहुत अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है। एप्पल के सह–संस्थापक स्टीव जॉब्स ने खुद को उद्यमिता के हर चरण में शामिल रखा – विचार सृजन, डिजाइन, विनिर्माण, विपणन तथा स्टोर । वे खुद पूरी तरह अपने कारोबार के प्रति समर्पित रहे और इसलिए उनके उत्पादों और उनकी कंपनी की गणना दुनिया के सर्वोत्तम उत्पादों और कंपनियों में होती है। अपने उद्यमिता को आरंभ से विकसित होते हुए देखना बहुत ही संतुष्ट और निहाल कर देने वाला अनुभव है।

अपने कारोबार को पारिवारिक आस्ति बनाइएः

हम अकसर अपने पीछे अपने परिवार के लिए वित्तीय सुरक्षा बोध छोड़ जाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, चूंकि कंपनी की अधिकांश ईक्विटी आपकी होगी, अतः आप उसे अगली पीढियों को दे जाएंगे, ताकि उनमें सुरक्षा को बोध रहे। हो सकता है कि जब आप रिटायर होने वाले हों, तब आपके बच्चे आपका कारोबार संभाल लें। पारिवारिक कारोबार परिवार के अन्य सदस्यों को भी रोजगार दे सकता है।

6.3 उद्यमिता की सफलता के लिए आवश्यक कदम

- उद्यमिता संगठनों के स्वरूप
- अपने उद्यमिता को कॉर्पोरेट दर्जा दिलाएँ
- दिशानिर्देश और प्रक्रियाओं को समझिए
- वित्त की मूल बातें
- मूलभूत कानूनी बातें
- अपनी शुरुआती (स्टार्टअप) लागत को समझें
- अपनी नकदी आरक्षिति (कैश रिजर्व) बनाएँ
- अपनी वित्तं व्यवस्था की योजना बनाएँ
- एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिशानिर्देश

6.4 उद्यमिता योजना

किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले (Planning) योजना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हैं और लिखित उद्यमिता योजना बनाना इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उद्यमिता योजना एक तरह से आपके व्यवसाय का नक्शा (Map) या Blueprint होता हैं जिसमें आपके व्यवसाय की सामान्य जानकारी, व्यवसाय के लक्ष्य और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का तरीका आदि बातें लिखी होती हैं। व्यवसाय योजना न केवल आपके मार्गदर्शक के रूप में काम करता हैं बल्कि बैंक ऋण, स्टार्टअप फंडिंग या व्यवसाय साझेदारी आदि कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जरूरी होता हैं।

लगभग सभी तरह के व्यवसाय ऋण के लिए व्यवसाय योजना बनाना बहुत जरूरी हैं नहीं तो बैंक, ऋण देने से मना कर सकते हैं।

उद्यमिता योजना क्या है

कोई भी काम करने से पहले उसकी योजना बनाई जाती है। यही बात व्यवसाय के ऊपर भी लागू होती है जहां इस योजना का लिखित रूप उद्यमिता योजना कहलाता है। दरअसल उद्यमिता योजना एक ऐसा दस्तावेज़ है जो किसी नए व्यवसाय के 'क्या', 'क्यों' और 'कैसे' जैसे सभी प्रश्नों का उत्तर देता है । जैसे :

- हमारा व्यवसाय क्या है ?
- हम ये व्यवसाय क्यों करना चाहते हैं?
- हम इस व्यवसाय को कैसे करेंगे ?

इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमे व्यवसाय योजना के द्वारा मिलता हैं । प्रमुख रूप से उद्यमिता योजना नये व्यवसाय के लिए होता है लेकिन कोई वर्तमान व्यवसाय कुछ नया कर रहा है तो भी उद्यमिता योजना बनाकर व्यवसाय को आगे बढ़ा जा सकता है। उद्यमिता योजना से सिर्फ Start-up नहीं बनती है बल्कि व्यवसाय को स्थापित भी करती है । समय–समय पर परिस्थितियों के अनुसार उद्यमिता योजना में बदलाव भी किए जा सकते है।

6.5 उद्यमिता योजना निर्माण की प्रक्रिया

आप यह सोच सकते हैं कि उद्यमिता योजना को बनाने की जरूरत क्या है। अपने उद्यमिता योजना के माध्यम से व्यवसायी अपने निर्धारित लक्ष्यों का लिखित रूप और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह क्या रणनीति बना रहा है, स्पष्ट रूप से बताता है। व्यावसायिक योजना या व्यवसाय योजना निम्न उद्देश्यों के लिए बहुत जरूरी होता हैंः–

- बैंक में व्यवसाय ऋण के लिए आवेदन करना
- अपने लघु व्यवसाय या स्टार्टअप के लिए उधम पूंजी बाजार या क्राउडफंडिंग जैसे अन्य तरीकों से पूंजी जुटाना
- व्यवसाय से सम्बंधित किसी भी प्रकार की अनुवृत्ति या कोई योजना के लिए लागू करना
- व्यवसाय साझेदारी और फ्रेंचाइजी आदि के लिए

एक अच्छी तरह से बनाए गए उद्यमिता योजना से न केवल बैंक और अन्य बाहरी स्त्रोतों से वित्त (Funding or Finance) प्राप्त करना सरल होता है बल्कि आंतरिक संचालन में भी यह सहायक होता है।

6.6 अच्छी उद्यमिता योजना का निर्माण

किसी भी योजना का निर्माण बहुत सोच समझ कर किया जाता है। यही बात उद्यमिता योजना बनाते समय भी लागू होती है। कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले उसकी योजना उद्यमिता योजना के रूप में तैयार की जाती है। इसलिए एक अच्छे उद्यमिता योजना को बनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। इनमें प्रमुख हैं रू

- इस उद्यमिता योजना को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है ?

- उद्यमिता योजना को किन लोगों के लिए बनाया जा रहा है । अथार्थ इसे पढ़ने वाले लोगों में निवेशक या बैंकर्स हैं जिनका धन व्यवसाय में निवेश हुआ है ?
- आपके उद्यमिता योजना में क्या–क्या शामिल है?
- आपको एक संक्षिप्त या विस्तृत उद्यमिता योजना चाहिए ?

जब इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है तो एक व्यवसायी अपना उद्यमिता योजना बनाना शुरू करता है।

किसी भी एक सफल और स्पष्ट उद्यमिता योजना में निम्न विषयों पर केंद्रित किया जाता हैं:–

1. **उद्यमिता का उदेश्य क्या है –** अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ उद्यमिता योजना किसी भी व्यवसाय के उद्देश्यों को बता सकता है। इस उद्यमिता योजना के माध्यम से व्यवसायी ने अपने भविष्य के लिए क्या योजना बनाई है, इसका पता चलता है । इन उद्देश्यों से व्यवसाय से जुड़े लोगों को क्या लाभ होगा, इसका ब्यौरा भी उद्यमिता योजना से ही चलता है।
2. **व्यवसाय के स्पष्ट विवरण का वर्णन –** उद्यमिता योजना के माध्यम से किसी भी व्यावसायिक इकाई के बारे में पूरा विवरण का पता लगता है। इस उद्यमिता योजना के द्वारा ही किसी अन्य व्यक्ति को यह पता चलता है की आपने अपना व्यवसाय कैसे शुरू किया था और आपका क्या उद्देश्य है ।
3. **व्यवसाय के उत्पाद और सेवाएँ क्या हैं –** उद्यमिता योजना को डिजाइन करते समय व्यवसायी यह निश्चित कर सकता है की उसे किस प्रकार के उत्पादे का उत्पादन करना है और क्या सेवाएं देनी है।
4. **बाजार विश्लेषण में सहायक –** व्यवसायी जब उद्यमिता योजना को बनाता है तो उससे पहले वह अपने संबन्धित बाजार का विश्लेषण (Market Analysis) भी कर लेता है। इस विश्लेषण के माध्यम से ही भविष्य में होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में पता लग सकता है।
5. **व्यावसायिक ढांचे का विवरण** – किसी भी व्यावसायिक ढांचे में उसके कर्मचारी और प्रबंधकीय क्षमता का पता लगता है। उद्यमिता योजना को बनाने से व्यवसाय संरचना के बारे में भी पता लग जाता है।
6. **संसाधनों का उपयोग –** किसी भी व्यावसायिक इकाई का सबसे अच्छा साधन उसमें लगाया गया धन और व्यवसायी का समय होता है। उद्यमिता योजना को बनाते समय आपको यह निश्चय करना होगा की इन दोनों ही महत्वपूर्ण संसाधनों का उपयोग कैसे करना है।
7. **लक्ष्य निर्धारण** – किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए उसका लक्ष्य का निर्धारण करना जरूरी है। उद्यमिता योजना को बनाते समय व्यवसाय के लक्ष्यों का निर्धारण सरल हो जाता है ।

6.7 व्यवसाय योजना का नमूना / खाका

हालाँकि किसी भी उद्यमिता योजना का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं हैं और इसे आवश्यकता के अनुसार अलग अलग तरीके से बनाया जाता हैं। सामान्यतः एक उद्यमिता योजना के निम्न भाग होते हैं:–

6.7.1 कार्यकारी / एग्ज़ीक्यूटिव संक्षेप

उद्यमिता योजना में एक्ज़िक्यूटिव सारांश अवश्य होना चाहिये। इसमें उद्यमिता की मुख्य बातों का सारांश दिया जाता है। यदि आप बैंक से ऋण प्राप्त करना चाहते है, अथवा वेंचर कैपिटल फ़र्म से निवेश करवाना चाहते है तो निम्न बातों को शामिल करेः–

- **कम्पनी की सूचनाः** नाम, प्रस्तावित विधिक रूप, अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक निवेशक। आपकी सूचना के लिये हमने उद्यमिता संस्थाओं के रूप पर एक अलग सेक्शन रखा है। विधि संबंधी परिस्थितियों की बेहतर समझ उपलब्ध कराने हेतु हमने मूलभूत विधिक बाते पर भी एक सेक्शन रखा है।

➢ परियोजना का संक्षिप्त परिचय
➢ ऋण की राशि तथा अवधि (यदि आप बैंक से संपर्क कर रहे हैं।
➢ वांछित निवेश की राशि (यदि वेंचर कैपिटल फ़र्म से संपर्क कर रहे हैं।)
➢ कम्पनी बैंक का पैसा लौटाने में सक्षम हैं यह दर्शाने हेतु निम्नांकित विवरण प्रदान करें
➢ विगत वित्तीय कार्य निष्पादन
➢ प्राप्तियों के भावी स्रोत
➢ भावी प्राप्तियों के स्रोत पर विश्वास हो सके इसके लिये यदि कोई अनुबंध किये हों
➢ समाप्य मूल्य (वेंचर कैपिटल फ़र्म हेतु)
➢ विपणन के उपलब्ध अवसर तथा कंपनी द्वारा इनके दोहन हेतु रणनीति

कार्यकारी / एग्ज़ीक्यूटिव संक्षेप किसी भी उद्यमिता योजना का पहला भाग होता हैं और इसके अंतर्गत उद्यमिता योजना से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को सारांश के रूप में लिखा जाता हैं। व्यवसाय प्रकृति, कानूनी संरचना, उत्पाद अथवा सेवाएं, लक्षित बाजार, व्यवसाय मॉडल, प्रबंधन दल, विपणन योजना, लक्ष्य, वित्तीय प्रोजेक्शन, फंड या ऋण आवश्यक है आदि को संक्षेप में बताया जाता हैं।
बाकि के उद्यमिता योजना का पूरा सार इस भाग में लिखा होता हैं, इसलिए भाग को सबसे अंत में बनाना बेहतर होता हैं।

6.7.2 व्यावसायिक पृष्ठभूमिः

उद्यमिता योजना के इस भाग में आपके व्यवसाय से सम्बंधित पूरी जानकारी को विस्तृत में लिखा जाता जैसे

- व्यवसाय की प्रकृति
- आप क्या बेचेंगे – उत्पाद तथा सेवा विवरण
- आपका लक्षित बाजार क्या हैं
- व्यवसाय का कानूनी ढांचा, यानि कि व्यवसाय एकल, साझेदारी या कंपनी हैं,
- कर्मचारी और मैनेजमेंट टीम,
- व्यावसायिक स्थल

इसके आलावा इस भाग में व्यवसाय के उत्पाद या सेवा से सम्बंधित सभी बातों को विस्तृत में लिखा जाता हैं जैसेरू–

- आपका उत्पाद या सेवाएं कौन सी समस्या सुलझ रही हैं या यह लोगों के क्या काम आ रही हैं?
- आपका उत्पाद या सेवाएं दूसरों से कितना अलग हैं?
- लोग आपके उत्पाद को क्यों खरीदेंगे
- आप अपने उत्पाद को कैसे बनायेंगे और क्या वह तरीका सबसे बेहतर हैं?
- क्या आपने उत्पाद और सेवाएं का ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि का रजिस्ट्रेशन करवा दिया हैं

उत्पाद / सेवा विवरण को अलग भाग में भी दिखाया जा सकता हैं।

6.7.3 बाजार विश्लेषण

इस भाग में आपके उत्पाद तथा सेवाएं के लक्षित बाजार से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का विश्लेषण किया जाता हैं जैसेः–

- लक्षित बाजार, मार्केट साइज़ और मांग
- आप किसे बेचेंगे –लक्ष्य ग्राहक, उनका व्यवहार, वर्ग और खरीद शक्ति (Purchasing Power)
- आपके प्रतियोगियों कौन हैं और उनके पास कितना बाजार में हिस्सेदारी हैं, उनकी शक्तियां और कमजोरियां
- भविष्य में मांग और बाजार में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन

6.7.4 बाजार रणनीति

उद्यमिता योजना का यह भाग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस भाग में उन सभी नीतियों वर्णन होता है जो आप अपने उत्पाद तथा सेवाएं को ग्राहक तक पहुँचाने और बाजार संवर्धन के लिए प्रयोग में लाना चाहते हैं। इस भाग के अंतर्गत आपको निम्न बातों को निर्धारित करना होता हैंरू–

- आपके उत्पाद या सेवाएं मार्केट में अपनी जगह कैसे बनायेंगे
- आपके लक्ष्य ग्राहक कौन हैं जो सबसे पहले आपके उत्पाद या सेवाएं में रुचि दिखायेंगे और आप उन तक कैसे पहुंचेंगे
- आपकी मूल्य निर्धारण नीति क्या होगी
- आप अपने उत्पाद या सेवाएं को किस तरह से को बढ़ावा देगे जैसे प्रत्यक्ष विपणन, विज्ञापन सोशल मीडिया इत्यादि।
- आप किस तरह से अपने उत्पाद या सेवाएं को उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे – वितरण चेनल
- आपकी विक्रय रणनीति क्या होगी?

6.7.5 कार्यप्रणाली

यह एक महत्वपूर्ण भाग हैं जिसमें व्यवसाय संचालन यानि कि "व्यवसाय कैसे चलेगा" इससे सम्बंधित सभी बातों की विस्तृत जानकारी होती हैं जैसेरू

- **व्यवसाय स्थल** – आप किस जगह पर अपना व्यवसाय करेंगे। क्या आप जगह खरीदेंगे या किराये पर लेंगे।
- **उत्पादन सुविधा और प्रणाली** – आपके पास उत्पादन सुविधा किस प्रकार की हैं और क्या यह जरूरत के मुताबिक हैं।

- **खरीद योजना** – आप अपने इनपुट को किस तरह से खरीदेंगे और क्या यह सबसे बेहतर तरीका हैं।
- **उत्पादन योजना** – आप किस प्रकार अपने उत्पाद का उत्पादन करेंगे। मांग के आधार पर या अनुमान के आधार पर।
- **कार्यबल संरचना और उनकी भूमिकाएं** – आपके कर्मचारियों के पद, कार्यक्षेत्र और उनकी जिम्मेदारियां।
- **सिस्टम और सूचना प्रौद्योगिकी** – आपके व्यवसाय का मुख्य आईटी सिस्टम किस तरह का होगा।
- **स्टोर सुविधा** – आप कितना भण्डार रखेंगे और कहाँ पर रखेंगे।

6.7.6 वित्तीय योजनाः

वित्तीय विश्लेषण किसी भी उद्यमिता योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता हैं क्योंकि यह भाग आपके व्यवसाय की सारी महत्वपूर्ण बातों और प्रक्षेपण को आंकड़े या नंबर्स में प्रस्तुत करता हैं। इसी भाग से बैंक या वेंचर फर्म को आपके व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और पूँजी की आवश्यकता का पता चलता हैं जिसके आधार पर बैंक, लोन देती हैं और वेंचर कैपिटल फर्म्स, निवेश करते हैं । यह हिस्सा मुख्य रूप निम्न बातों पर केन्द्रित होता हैः

1. आपको व्यवसाय के लिए कितनी पूँजी या निधि की जरूरत हैं और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर करेंगे – पूंजी/निधि आवश्यकता
2. आप इस पूँजी को कैसे जुटाएंगे – ऋण, उद्यम निधि, क्राउडफंडिंग, अपनी पूंजी आदि.
3. आप कितने वर्ष के लिए ऋण लेंगे, इसकी सुरक्षा क्या होगी और इसका पुनर्भुगतान कैसे करेंगे
4. आपके व्यवसाय के राजस्व / आय स्रोत क्या होंगे – बिक्री, अन्य आय
5. आपके व्यवसाय के व्यय क्या होंगे – खरीद, ब्याज भुगतान, किराया इत्यादि
6. बिक्री, राजस्व और व्यय के आधार पर आपके व्यवसाय के अगले 3–5 वर्षों लाभ और हानि का पूर्वानुमान
7. आपके व्यवसाय का विकास का पूर्वानुमान
8. व्यवसाय जोखिम और उसके संभावित परिणाम

वित्तीय विश्लेषण के महत्वपूर्ण विवरण

1. पूंजी आवश्यकता और पूंजी के स्रोत
2. 3–5 साल की बिक्री का पूर्वानुमान
3. 3–5 साल का लाभ और हानि का पूर्वानुमान
4. नकदी प्रवाह विवरण
5. बैलेंस शीट

उद्यमिता योजना आपके व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में निरंतर रूप से आपको गाइड करता है। इसलिए इसके निर्माण में बहुत सावधानी का प्रयोग करना चाहिए।

6.8 सारांश

किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले योजना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया हैं और लिखित उद्यमिता योजना बनाना इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उद्यमिता योजना एक तरह से आपके व्यवसाय का नक्शा (Map) या Blueprint होता हैं जिसमें आपके व्यवसाय की सामान्य जानकारी, व्यवसाय के लक्ष्य और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का तरीका आदि बातें लिखी होती हैं। व्यवसाय योजना न केवल आपके मार्गदर्शक के रूप में काम करता हैं बल्कि बैंक ऋण, स्टार्टअप फंडिंग या व्यवसाय साझेदारी आदि कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जरूरी होता हैं।

कोई भी काम करने से पहले उसकी योजना बनाई जाती है। यही बात व्यवसाय के ऊपर भी लागू होती है जहां इस योजना का लिखित रूप उद्यमिता योजना कहलाता है। दरअसल उद्यमिता योजना एक ऐसा दस्तावेज़ है जो किसी नए व्यवसाय के 'क्या', 'क्यों' और 'कैसे' जैसे सभी प्रश्नों का उत्तर देता है ।
उद्यमिता योजना के माध्यम से व्यवसायी अपने निर्धारित लक्ष्यों का लिखित रूप और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वह क्या रणनीति बना रहा है, स्पष्ट रूप से बताता है।

कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले उसकी योजना उद्यमिता योजना के रूप में तैयार की जाती है। उद्यमिता योजना में एक्ज़िक्यूटिव सारांश अवश्य होना चाहिये। इसमें उद्यमिता की मुख्य बातों का सारांश दिया जाता है।
व्यावसायिक पृष्ठभूमि –उद्यमिता योजना के इस भाग में आपके व्यवसाय से सम्बंधित पूरी जानकारी को विस्तृत में लिखा जाता जैसे –व्यवसाय की प्रकृति, आप क्या बेचेंगे – उत्पाद तथा सेवा विवरण,आपका लक्षित बाजार क्या हैं ।
बाजार विश्लेषण में आपके उत्पाद तथा सेवाएं के लक्षित बाजार से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का विश्लेषण किया जाता हैं। बाजार रणनीति उद्यमिता योजना का यह भाग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस भाग में उन सभी नीतियों वर्णन होता है जो आप अपने उत्पाद तथा सेवाएं को ग्राहक तक पहुँचाने और बाजार संवर्धन के लिए प्रयोग में लाना चाहते हैं। वित्तीय विश्लेषण किसी भी उद्यमिता योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता हैं क्योंकि यह भाग आपके व्यवसाय की सारी महत्वपूर्ण बातों और प्रक्षेपण को आंकड़े या नंबर्स में प्रस्तुत करता हैं।

6.9 शब्दावली

उद्यमिता योजनाः उद्यमिता योजना वह योजना होती है जिसमें आपके व्यवसाय की सामान्य जानकारी, व्यवसाय लक्ष्य और उन लक्ष्यों कों प्राप्त करने का तरीका आदि बाते उल्लेखित रहती है। उद्यमिता योजना व्यवसाय का वह दस्तावेज है, जो किसी नए व्यवसाय के 'क्या', 'क्यों', और 'कैसे' जैसे सभी प्रश्नों का उत्तर प्रदान करता है।

व्यवसाय योजना नमूना/खाका/टेम्पलेट : इसमें एग्जीक्यूटिव संक्षेप, व्यवसायिक पृष्ठभूमि, बाजार विश्लेषण, बाजार रणनीति, कार्यप्रणाली आदि का समावेश रहता है।
कार्यकारी/एग्जीक्यूटिव संक्षेप :– किसी भी उद्यमिता योजना का पहला भाग होता है और इसमें अन्तर्गत उद्यमिता योजना से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण बातों को सारांश के रूप में लिखा जाता है। उद्यमिता योजना का पूर्ण सारांश इस भाग में लिखे जाने के कारण इसे सबसे अंत में बनाना बेहतर होता है।

6.10 बोध प्रश्न

1. किसी भी व्यवसाय (उद्यम) को शुरू करने से पहले ————एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।
2. किसी भी व्यवसाय को आरम्भ करने के पहले उसकी योजना बनाई जाती है जहॉ इस योजना का लिखित क्रम ————कहलाता है।
3. ————एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी नए व्यवसाय के 'क्या', 'क्यों', और 'कैसे' जैसे सभी प्रश्नों का उत्तर देता है।
4. उद्यमिता योजना में ————अवश्य होना चाहिए।
5. ————उद्यमिता योजना का वह भाग होता है जहॉ व्यवसाय से सम्बन्धित पूरी जानकारी को विस्तृत में लिखा जाता है।
6. ————इस भाग में उत्पाद एवं सेवाएॅ व लक्षित बाजार से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण बातों का विश्लेषण किया जाता है।

6.11 बोध प्रश्नों के उत्तर

(1) योजना (2) उद्यमिता योजना (3) उद्यमिता योजना (4) एग्जीक्यूटिव संक्षेप (5) व्यावसायिक पृष्ठभूमि (6) बाजार विश्लेषण

6.12 स्वपरख प्रश्न

1. उद्यमिता योजना क्या है, एवं उद्यमिता योजना कैसे बनाई जाती है ?
2. किसी भी सफल और स्पष्ट उद्यमिता योजना को किन विषयों पर केन्द्रीत किया जाता है ?
3. उद्यमिता योजना टेम्पलेट के भागों का वर्णन कीजिए ?
4. एग्जीक्यूटीव संक्षेप को विस्तार में समझाइयें ?
5. बाजार विश्लेषण व बाजार रणनीति क्या है ?
6. उद्यमिता योजना में वित्तीय योजना का क्या महत्व है ?

6.13 सन्दर्भ पुस्तकें

1. 'भारतीय अर्थव्यवस्था', हिमालया पब्किशिंग हाउस – वी. के. मिश्र एवं पुरी।
2. 'परियोजना नियोजन तथा नियन्त्रण', कल्याणी पब्लिकेशंस – जोशी एवं गुप्ता।
3. 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त', बी.एल. ओझा।
4. व्यावसायिक नियमन व्यवस्था – नवलखा, माधुर।

इकाई–7 महिला उद्यमिता : चुनौतियाँ एवं उपलब्धियाँ

इकाई की रूपरेखा

7.1 प्रस्तावना
7.2 महिला उद्यमिता का अर्थ
7.3 महिला उद्यमिता की विशेषताएँ/निहित गुण
7.4 महिला उद्यमिता की संभावनाएँ
7.5 महिला उद्यमिता : प्रमुख समस्यायें/चुनौतियाँ
7.6 महिला उद्यमियों की समस्याओं के समाधान हेतु उपाय
7.7 महिला उद्यमियों को सहयोग प्रदान करने वाली संस्थायें

7.8 महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले उद्यमों के प्रकार
7.9 महिला उद्यमियों की श्रेणियाँ
7.10 महिला उद्यमियों के विकास हेतु संगठन एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम
7.11 पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक नियोजन एवं महिला सशक्तिकरण
7.12 सारांश
7.13 शब्दावली
7.14 बोध प्रश्न
7.15 बोध प्रश्नों के उत्तर
7.16 स्वपरख प्रश्न
7.17 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे कि:

- महिला उद्यमिता का अर्थ, महिला उद्यमी की विशेषताएँ, महिला उद्यमिता के निहित गुण समझ सकें।
- महिला उद्यमिता की संभावनाएँ, समस्यायें/चुनौतियाँ का वर्णन कर सके।
- महिला उद्यमियों की समस्याओं के समाधान हेतु उपायों का वर्णन कर सके।
- महिला उद्यमियों को सहयोग प्रदान करने वाली संस्थाओं का अध्ययन कर सके।
- महिला उद्यमियों के विकास हेतु संगठन एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम का अध्ययन कर सके।

7.1 प्रस्तावना

आधुनिक परिवेश में **'उद्यमिता'** सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का मूलाधार है। इसे एक प्रकार से साहस की भावना कहा जाता है।

किलवई पीटर के अनुसार, "उद्यमिता व्यापक क्रियाओं का सम्मिश्रण है। इसमें विभिन्न कार्यों के साथ–साथ बाजार अवसरों का ज्ञान प्राप्त करना, उत्पादन के साधनों का संयोजन एवं प्रबंध करना तथा उत्पादन तकनीक एवं वस्तुओं को अपनाना सम्मिलित हैं।"

शुम्पीटर के शब्दों में, "उद्यमिता एक नवप्रवर्तनकारी कार्य है। यह स्वामित्व की अपेक्षा नेतृत्व कार्य है।"

एच. डब्ल्यू. जॉनसन के अनुसार "उद्यमिता तीन आधारभूत तत्वों का जोड़ है – अन्वेषण, नवप्रवर्तन एवं अनुकूलन।"

स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि "हमारी भारतीय महिलायें इस दुनिया के किसी भी कार्य को करने में सक्षम हैं।"

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि "उद्यमिता जोखिम उठाने की इच्छा, आय एवं प्रतिष्ठा की चाह, चिन्तन तकनीक एवं कार्यपद्धति है।

उद्यमिता औद्योगिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति का आधार स्तम्भ है। उद्यमिता के सृजनशील विचार द्वारा ही राष्ट्र की निर्धनता, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता आदि का निवारण सम्भव है।

इस प्रकार उद्यमिता व्यवसाय, समाज तथा वातावरण को जोड़ने का कार्य करती है। यह जीविकोपार्जन का साधन ही नहीं, वरन् कौशल एवं व्यक्तित्व का विकास की महत्वपूर्ण तकनीकी भी है।

7.2 महिला उद्यमिता/महिला उद्यमी का अर्थ

महिला उद्यमी से आशय महिला जनसंख्या के उस भाग से है, जो औद्योगिक क्रियाओं के साहसिक कार्य में संलग्न है। वृहद रूप से इसे महिला या महिलाओं के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यावसायिक उपक्रम की स्थापना, उसका संगठन या संचालन करता है। उद्यमी महिला किसी नये आर्थिक कार्य का प्रवर्तन कर सकती है या उसकी नकल कर सकती है, उस क्रिया को अपना सकती है।

एक अलग दृष्टिकोण के अनुसार महिला उद्यमी से आशय ऐसी उद्यमी से है जो एक ऐसे उपक्रम की स्वामी एवं नियंत्रणकर्ता है जिसमें न्यूनतम 51 प्रतिशत पूँजी पर वित्तीय हित है और जो उपक्रम द्वारा सृजित रोजगार का 51 प्रतिशत भाग महिलाओं को प्रदान करती है। इस प्रकार महिला उद्यमी से आशय उस उद्यमी से है जो एक उपक्रम का प्रवर्तन एवं संचालन करती है, नियंत्रण करती है तथा जिसमें उसका 51 प्रतिशत या ज्यादा वित्तीय हित होता है। वास्तव में महिला उद्यमी शब्द से ही इस आशय का अहसास हो जाता है कि यह महिला जनसंख्या का वह हिस्सा है जो औद्योगिक क्षेत्र में जोखिम उठाने का साहस रखता है।

वर्तमान में महिलाओं के उपक्रम को लघु औद्योगिक इकाई की संज्ञा दी जाती है जिसमें किसी सेवा या व्यावसायिक उपक्रम का स्वामित्व व प्रबन्ध एक या अधिक महिलाओं द्वारा किया जाता है तथा उसमें उनका पूँजी में न्यूनतम 51 प्रतिशत (व्यक्तिगत या सामूहिक) भाग होता है।

सामान्यतः जो महिला किसी भी प्रकार की सेवा या वस्तु का उत्पादन करती है, उसे महिला उद्यमी कहते है। वर्तमान में जो महिलायें किसी उद्योग की स्थापना कर उसमें स्वयं की पूँजी विनियोजित कर या ऋण लेकर उद्योग की स्थापना व उसका संचालन का कार्य करती है, उन्हें 'महिला उद्यमी' कहा जाता है।

महिला उद्यमी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते है जो एक व्यवसाय को स्वयं आरम्भ करती है अथवा किसी अन्य से क्रय करती है अथवा अपने पारिवारिक एवं पारम्परिक व्यवसाय को अकेले अथवा कुछ व्यक्तियों के साथ मिलकर संचालित करती है। साथ ही वित्तीय, प्रशासनिक, सामाजिक जोखिम एवं उत्तरदायित्वों के साथ अपनी संस्था का प्रबंधन करती है। पारीक के अनुसार – "महिला उद्यमी वह होती है जो चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को स्वीकार करते हुए सामाजिक संसाधन एवं सहयोग के साथ समाज से अन्तसंबंध का समायोजन करती है।"

7.3 महिला उद्यमिता की विशेषताएँ/निहित गुण

1. **बटनर** द्वारा विशिष्ट महिला उद्यमी, मध्यम एवं उच्च वर्ग से होती है, अनुभव प्राप्ति हेतु उच्च संस्थाओं में कार्य करती है एवं स्वयं का एक व्यवसाय स्थापित करती है।

भारत सरकार के विकास आयुक्त द्वारा महिला उद्यमी की दी गई विशेषताएँ

(अ) वह उपक्रम महिला उद्यमी के स्वामित्व का हो अर्थात् न्यूनतम 51 प्रतिशत पूंजी उस महिला की हो।

(ब) वह उपक्रम महिला द्वारा संचालित हो।

(स) उस उपक्रम में कार्यरत कर्मचारियों में 50 प्रतिशत महिलायें हो।

महिला उद्यमियों में निहित गुण :

1. महिलाएँ बहुत ही संवेदनशील ढंग से परिस्थितियों को बारीकी से समझने की सूझबूझ वाली होती है।
2. महिलाएँ अपने सहयोगियों के साथ प्रभावी तालमेल रखने में सक्षम होती है।
3. महिलाएँ प्रभावी रूप से कार्य को निपटाने में विश्वास रखती है।
4. महिलाएँ अपने कार्य के प्रति ज्यादा ईमानदार होती है।
5. महिलाएँ विपरीत परिस्थिति में उत्साहपूर्वक कार्य करने में सक्षम होती है।
6. महिलाएँ जिस कार्य को करने की ठान लेती है उसे पूर्ण करके ही रहती है।
7. महिलाओं का सर्वश्रेष्ठ गुण है – सृजनात्मक कार्य करना।
8. महिलाएँ नपा–तुला जोखिम उठाती है।
9. उपलब्धि की इच्छा या अभिलाषा महिलाओं
10. महिलायें सभी कार्यों में मितव्ययिता बरतती है।
11. महिलाएँ परिणाम के प्रति आशावान दृष्टिकोण रखती है।

उपरोक्त सभी गुण एक अच्छे उद्यमी में होते है। महिलाओं को उद्योग लगाने में ज्यादा सफलता मिल सकती है, बशर्ते उन्हें पुरुषों के बराबर कार्य करने की स्वतंत्रता मिले एवं पुरुष जैसा वातावरण भी महिलाओं को प्रदान किया जाये, साथ ही समय पर समुचित संसाधन नियोजित रूप से उपलब्ध कराये जाये।

सामान्य रूप से महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, जो एक चुनौती भरा कार्य है। दूसरी तरफ महिलाओं के सम्बन्ध में अभी तक यह माना गया है कि उन्हें पुरुष की अपेक्षा हल्के–फुलके काम देकर इतिश्री कर दिया जाये, जबकि स्थिति इसके विपरीत है। आज की महिलाओं ने अनेक क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे परिणाम हासिल किए है। आज की परिस्थितियों में उद्योग–धंधों एवं व्यवसाय का कार्य, महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा नियोजित ढंग से एवं मितव्ययिता के साथ सम्पन्न कर सकती है।

7.4 महिला उद्यमिता की संभावनाएँ

भारत ने अपनी स्वाधीनता के लगभग 70 वर्ष पूर्ण किये है। इस दौरान बहुत कुछ सुखद घटित हुआ है। रंगमंच, पत्रकारिता, टेलीविजन, सिनेमा, दूरसंचार आदि अनेक क्षेत्रों में नये कीर्तिमान स्थापित करती महिलाओं ने शिक्षा, नौकरी और व्यवसाय सहित हर क्षेत्र में अपनी योग्यता सिद्ध की है। प्रगति की और तेजी से अग्रसर होती नारी–शक्ति ने अपना एक अलग स्थान स्थापित कर लिया है। महिलायें अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुकी है। अब वह घर की दहलीज से बाहर निकल कर नौकरी एवं व्यवसाय कर हर क्षेत्र में अपनी योग्यता प्रदर्शित कर रही है। अभिप्रेरणा एक ऐसा तत्व है जो उद्यमिता के लिए परम आवश्यक होता है, जो चुनौतियों और नवाचारों को अपनाने व सामना करने का साहस प्रदान करता है। इन अभिप्रेरक प्रयासों में विभिन्न सहायताओं, अनुदानों, कर राहत व सुरक्षा की गारंटी उत्प्रेरक तत्वों का कार्य करती है।

महिला उद्यमिता के संबंध में विशेष संभावनाओं पर चर्चा की जा रही है –

1. **ग्रामीण कुटीर एवं लघु उद्योग** – इस क्षेत्र में महिला उद्यमिता के लिए अपार संभावनाएँ मौजूद है। इसके अन्तर्गत हैण्डलूम, हैण्डीक्राफ्ट, खाद्य पदार्थ (जैसे – पापड़, बड़ी, अचार) का निर्माण, सौन्दर्य प्रसाधन निर्माण (चूड़ी, कंगन आदि), वस्त्र निर्माण तथा अन्य लघु उद्योग आते है। इन्हें साधारण पूँजी एवं थोड़ी–सी तकनीकी जानकारी से ही लघु उद्योग शुरु किया जा सकता है।

2. **तकनीकी स्वरोजगार संबंधी उपक्रम** – इसमें ऐसे व्यवसाय आते है जिन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से प्रशिक्षण लेकर या तकनीकी डिप्लोमा लेकर उस ज्ञान के आधार पर शुरु किया जा सकता है। ऐसे कुछ उपक्रम हैं – स्क्रीन प्रिंटिंग, साईबर कैफे, टाइपिंग, मोटर बाइंडिग, ब्यूटी पार्लर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान, टेलीविजन मरम्मत, फोटोग्राफी आदि कार्य महिलायें आसानी से कर सकती है। अनेक प्रशिक्षण संस्थायें महिलाओं को इन कार्यों को करने का प्रशिक्षण भी दे रही है।

3. **पेशे से संबंधित स्वरोजगार** – पेशे से संबंधित रोजगारों में महिला उद्यमिता के लिए अपार संभावनाएँ मौजूद है। इसके अन्तर्गत प्रमुख है – सी.ए., सी.एस., आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, फोटोग्राफर, इण्टीरियर डेकोरेटर, व्यावसायिक कलाकार, कोचिंग क्लासेस, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि। यह क्षेत्र महिला उद्यमिता के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। इस क्षेत्र में महिलायें काफी आगे आ रही है। यह स्वरोजगार का अच्छा माध्यम है।

4. **अन्य घरेलू व्यवसाय** – इसके अन्तर्गत वह महिला उद्यमी आती है जो ब्यूटीपार्लर अथवा लाण्ड्री का व्यवसाय करती है। इसके अलावा और भी व्यवसायों में महिला उद्यमिता की आगे बढ़ने की संभावनाएँ है। इनमें प्रमुख हैं – चाय दुकान, बुटिक डिजाइनर, लायब्रेरी, टेलरिंग, सिलाई मशीन द्वारा अन्य सिलाई का काम, रस्सी बनाना, टिफिन सेन्टर चलाना, घर पहुँच सेवा, शिशु पालन या शिशुगृह, चटाई बुनना, बेकरी, पापकार्न मशीन आदि व्यवसाय।

उपरोक्त के अलावा अनेक फुटकर व्यवसायों में काफी संभावनाएँ मौजूद हैं, जैसे – किराना दुकान, कटलरी की फुटकर दुकान, मसाला, बड़ी पापड़, अचार बेचने की दुकान, शीतल पेय एवं पान–सिगरेट की दुकान, पुराने कपड़े के बर्तन बदलने की सेवा, किसी भी उत्पाद का वितरण अथवा विक्रय, फल, सब्जी की दुकान, फुलों की दुकान।

कृषि आधारित गतिविधियाँ :

कृषि आधारित गतिविधियों में भी महिलाओं को काफी रोजगार मिल सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए यह स्वरोजगार का एक अच्छा साधन है। ऐसी गतिविधियाँ जो कृषि पर आधारित हैं, उनमें प्रमुख है – मुर्गीपालन, दुधारू पशुपालन, खरगोश पालन, फूलोद्यान संबंधी नर्सरी आदि। महिला उद्यमी इन सभी कार्यों के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकती है।

बंधेज कला – महिलाओं के लिए एक लघु उद्योग :

बंधेज एक राजस्थानी कला है जो वर्षों से सभी को आकर्षित करती चली आ रही है। वर्तमान समय में शादियों में इसका विशेष स्थान है। यह रेशमी तथा सूती कपड़े पर की जाती है। इससे भी महिलाओं को काफी रोजगार मिल सकता है। यह भी ग्रामीण एवं शहरी रोजगार का एक अच्छा साधन है।

खाद्य सामग्री एवं महिला स्वरोजगार :

हमारे देश में परम्परागत रूप से बनाई जाने वाली खाद्य सामग्रियाँ / व्यंजन हमेशा से लोगों की पहली पसंद रही हैं। आज के समय में नौकरीपेशा लोगों की संख्या बढ़ने तथा कामकाजी गृहिणियों की संख्या बढ़ने से लोगों को इन्हें घर पर तैयार करने का समय ही नहीं मिल पाता है। महिला उद्यमी इन्हें तैयार कर आकर्षक पैंकिंग बाजार में प्रस्तुत कर अपने लिए रोजगार जुटा सकती हैं।

महिला नागरिक सहकारी बैंक :

बचत करना भारतीय महिलाओं की एक सामान्य प्रवृत्ति है जो ग्रामीण एवं शहरी सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। महिलाओं को इसी आदत को बैंकिंग रोजगार में परिवर्तित किया जा सकता है। वास्तव में आज ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिला नागरिक सहकारी बैंकों को काफी सफलता मिल सकती है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो अभी तक रोजगार की दृष्टि से बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। यह महिला उद्यमिता संभावना का एक व्यापक क्षेत्र है। महिलाएँ बचतों को एकत्रित कर महिलाओं की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहकारी बैंकों का गठन कर सकती है। इन बैंकों से महिला उद्यमियों को आसानी से वित्त प्राप्त होगा। जहाँ कहीं भी महिलायें जागरूक संगठित और आर्थिक विकास में सक्रिय हिस्सेदारी करने के लिए तत्पर हों, महिला नागरिक सहकारी बैंक का गठन किया जा सकता है।

बड़े उद्योग स्थापित करना :

महिलायें लघु उद्योगों के साथ–साथ बड़े उद्योगों की भी स्थापना कर सकती है। इस नए क्षेत्र में भी काफी रोजगार संभावनाएँ मौजूद है।

7.5 महिला उद्यमिता : प्रमुख समस्याएँ

महिला उद्यमियों को जिन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं, उनका वर्णन यहाँ किया जा रहा है –

1. गतिशीलता की समस्या :

महिला उद्यमियों पर किये गये एक शोध कार्य में, जिसमें केरल राज्य की महिला उद्यमियों से साक्षात्कार किया गया, यह पाया गया कि महिला उद्यमियों की सर्वप्रमुख समस्याएँ हैं – (क) अपने उत्पादों के विपणन के संबंध में आर्डर प्राप्त करने हेतु आने–जाने में कठिनाई होना तथा (ख) कच्चा माल खरीदने हेतु किसी दूसरे शहर में आने–जाने में कठिनाई होना। निःसंदेह महिला उद्यमियों द्वारा अपने व्यवसाय के संचालन से संबंधित महसूस की जाने वाली यह प्रमुख कठिनाई है। जब भी किसी कार्यवश किसी दूसरे शहर जाना पड़े तो महिलाएँ शुरू से ही सोचने लग जाती है कि वह वहाँ जायेगी कैसे ? अर्थात् आने–जाने का साधन मिलेगा या नहीं ? वहाँ पहुँचेगे किस समय ? यहाँ रूकेंगे कहाँ ? यह सोच–सोच कर कुछ महिलाएँ तो आने–जाने का विचार ही छोड़ देती है। लेकिन यह हम जानते है कि बाहर जाये बिना व्यवसाय एवं उद्यम का कार्य हो ही नहीं सकता। जो महिला उद्यमी इस वस्तुस्थिति का सामना करने के लिये तैयार रहती है, वे अंततः सफल हो जाती है और जो इस वस्तु स्थिति से घबरा जाती है, वे उद्योग–व्यवसाय छोड़कर बैठ जाती है।

2. अपने आप में निर्णय लेने की क्षमता का अभाव :

उद्यम के क्षेत्र में सफल होने के लिए एक आवश्यक तत्व होता है – उचित समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता। दुर्भाग्यवश महिलाओं में इस क्षमता का बहुधा अभाव पाया जाता है। यद्यपि इस धारणा के विरुद्ध अनेक तर्क दिये जा सकते है

तथा इस धारणा को सिद्ध करने के लिए किरण बेदी, मेघा पाटेकर, अरूंधती घोष, इंदिरा गांधी तक अनेक महिलाओं के उदाहरण प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जिन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में अभूतपूर्व निर्णय लेने की क्षमता का परिचय दिया है, परन्तु इन सबके बावजूद वास्तविकता यही है कि अधिकांशतः महिलाओं में निर्णय लेने की क्षमता का प्रायः अभाव पाया जाता है।

निर्णय लेने की क्षमता का अभाव किसी दूसरे क्षेत्र में तो चल सकता है, परन्तु उद्योग तथा व्यवसाय के क्षेत्र में इस क्षमता के अभाव में सफल हो पाना लगभग असंभव होता है। अधिकांश महिलाएँ यही निर्णय नहीं ले पाती कि वे कोई उद्योग/व्यवसाय प्रारम्भ करें या न करें। करे तो कौनसा उद्योग या व्यापार प्रारम्भ करें तथा यदि प्रारम्भ कर भी लें तो उद्योग/व्यवसाय से संबंधितत प्रतिदिन लिये जाने वाले निर्णय में वे बहुधा या तो अनिर्णय की स्थिति में रहती है या यदि निर्णय ले भी लें तो कई बार यह निर्णय ऐसे होते है जो इकाई के हित में नहीं होते।

3. वर्तमान व्यवसाय व्यवस्थाओं/आचार–व्यवहार के साथ समझौता न कर पानाः

महिला उद्यमिता में एक प्रमुख समस्या वर्तमान व्यवसाय संस्थाओं/आचार व्यवहार के साथ समझौता न कर पाना है। व्यावसायिक प्रक्रियाओं, शासकीय/अशासकीय प्रक्रियाओं में वर्तमान में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, इससे सभी परिचित है। विशेषकर जब इन मगरमच्छों द्वारा नये उद्यमी की भविष्य के उद्योगपति/व्यवसायी के रूप में देखा जाता है तो प्रत्येक स्तर पर उसका दोहन करना ये संबंधित अधिकारी अपना परम् कर्तव्य समझते है। भ्रष्टाचार जैसे रिश्वत के मामलों के साथ महिला उद्यमी अपने आपको समायोजित नहीं कर पाती। महिलाएँ प्रचलित व्यावसायिक तरीकों से समझौता न कर पाने के कारण अपना काम नहीं करवा पाती है। वैसे भी महिलाएँ, अधिकांशतः बिजनेस डीलिंग्स में ईमानदार होती हैं, जो सदैव व्यवसाय के हित में नहीं होता। इसका अन्ततः प्रतिकूल प्रभाव व्यवसाय की सफलता पर पड़ता है।

4. भारतीय महिला उद्यमी की प्रमुख अड़चन : भारतीय पुरुष की दोहरी मानसिकता –

ऊपर बताई गई समस्याओं का समाधान तो एक महिला उद्यमी निकाल सकती है लेकिन अपने पतियों द्वारा जो समस्याएँ खड़ी की जाती हैं उनसे अधिकांश महिलाएँ उबर नहीं पाती है तथा यहाँ आकर महिला उत्थान अथवा महिला स्वतंत्रता की अधिकांश बातें धरी की धरी रह जाती है। भारतीय पुरुष यह चाहते है कि पति जैसा व्यवसाय चाहे, पत्नी वैसा ही व्यवसाय अपनाये। पति चाहे तो वह व्यवसाय पर जाए और नही चाहे तो नही जाए। वह यह भी चाहता है कि महिला परिवार के लिए वित्तीय स्रोत भी पैदा करें। वह महिला के साथ सहयोग भी नहीं करना चाहता है। और तो और पति यह भी चाहता है कि पत्नी सिर झुकाकर उसकी समस्त आज्ञाओं का पालन करें। अनेक बार पुरुष (पति) महिला उद्यमी की सफलता को पचा नहीं पाते है। प्रारम्भ में घर में जब पैसा आता है, तो अच्छा लगता है, लेकिन जब पत्नी की प्रसिद्धि बढ़ने लगती है तो पति महाशय को बहुत ईर्ष्या होने लगती है। पति की इसी दोहरी मानसिकता के कारण अधिकांश महिला उद्यमियों द्वारा संचालित व्यवसाय/उद्यम बन्द हो जाते हैं।

5. उद्योग/व्यवसाय में पूरा समय न दे पाना :

भारतीय महिला चाहे कितने ही बड़े पद पर कार्य कर रही हो, चाहे कितने भी 'एडवांस्ड' अथवा 'लिबराइज्ड' हो, चाहे कितनी भी बड़ी उद्यमी हो, उसकी पहली प्राथमिकता घर–संसार ही होता है। उसे बचपन से ही यही सिखाया जाता है कि पति और बच्चे पहले, बाकी सब बाद में। यह देखने में आता है कि महिला उद्यमियों द्वारा जो इकाइयाँ स्थापित की जाती हैं वह अपनी स्थापित क्षमात के 40 से 50 प्रतिशत तक ही काम कर पाती है। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण अधिकांश महिला उद्यमी अपने आपको अनेक परेशानियों में घिरी पाती है।

6. घर के सदस्यों द्वारा सहयोग न करना :

सामान्य रूप से यह देखने में आता है कि घर की महिलाओं द्वारा ही उद्यमी महिला का शोषण किया जाता है। अधिकांश सासों द्वारा महिला उद्यमी की अपनी प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जाता है। भारत की पारिवारिक व्यवस्था भी महिला उद्यमी की सफलता के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है।

7. बिक्री एवं विपणन की समस्या :

महिला उद्यमियों के सामने अपने द्वारा निर्मित माल के विक्रय एवं विपणन की भी एक प्रमुख समस्या होती है। वह इस दिशा में पर्याप्त कार्य नहीं कर पाती है।

8. वित्त सम्बन्धी समस्याएँ :

बैंकरों का सहयोग लेना, कार्यशील पूँजी का प्रबन्ध करना, उधार की कमी आदि अब भी कुछ ऐसी समस्याएँ है जो पुरुषों के अधीन है। महिलाओं को अब भी इन क्षेत्रों में सफलता हासिल करनी है। विपणन तथा वित्त संबंधी मुश्किलें ऐसी रूकावटें हैं जिनमें प्रशिक्षण भी पूरी तरह से महिला की मदद नहीं कर सकता। कुछ समस्याएँ उद्यमियों के बस के बाहर होती है।

9. कच्चे माल संबंधी समस्याएँ :

महिला उद्यमियों में कच्चे माल की उपलब्धता के बारे में ज्ञान तथा सूचना की कमी होती है, उन्हें वित्तीय सुविधाओं तथा उपलब्ध सरकारी मदद तथा अनुदानों के बारे में जानकारी नहीं होती है। इस प्रकार महिला उद्यमियों को कच्चे माल की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है।

10. उद्यम की तरफ रूझान की अनुपस्थिति :

अनेक महिलाएँ उद्यम की तरफ कोई रूझान न होते हुए भी उद्यमिता विकास कार्यक्रमों में प्रशिक्षण लेती है। तथ्यों से पता चलता है कि लघुस्तरीय उद्योगों में महिलाओं की मालिक के रूप में केवल 7 प्रतिशत ही उपस्थिति है। विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण देने के पहले परख तथा साक्षात्कार द्वारा इस बात का निर्णय करना चाहिए कि प्रशिक्षण लेने वाली महिला का उद्यम की तरफ रूझान है भी या नहीं।

11. पैतृक समाज :

परम्परागत रूप से उद्यम को पुरुषों का कार्यक्षेत्र माना जाता था तथा महिलाओं के लिए कोई उद्यम शुरु करना एक सपना जैसा था। महिलाओं के मन में अगर कोई उद्यम शुरु करने का विचार आता है तो उसे शुरु से ही दबा दिया जाता है। महिलाओं की बहुत–सी इच्छाएँ होती है, लेकिन पढ़ाई के बाद और गृहिणी बनने के बाद परिवार उसकी पहली प्राथमिकता हो जाती है।

12. आत्मविश्वास की कमी :

महिलाओं में आत्मविश्वास की कमी होती है तथा वे जोखिम उठाने से भी घबराती है। उनकी जोखिम उठाने की क्षमता भी कम होती है। उन्हें अपनी दोहरी भूमिका में सामंजस्य बैठाना पडता है। अनेक बार सामंजस्य बैठाने में उद्यम की इच्छाओं को दबाना या मारना पड़ता है।

13. **अन्य समस्याएँ :**

महिला उद्यमियों को उपरोक्त समस्याओं के अलावा इन समस्याओं का भी सामना करना पड़त है – (1) उधारी आदि वसूलने की समस्या, (2) असफलता का डर, (3) दौड़भाग करने में असमर्थता, (4) प्रशिक्षण आदि में पर्याप्त समय देने की समस्या, (5) तकनीकी जानकारी का अपेक्षाकृत अभाव, (6) श्रमिकों तथा कर्मचारियों के साथ मिलकर कार्य न कर पाना। (7) शारीरिक रूप से ज्यादा स्ट्रांग न होना।

अन्त में यह कहा जा सकता है कि भारत में महिलाओं में उद्यमशीलता के गुण विकसित करने के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्षण और प्रोत्साहन कार्यक्रम चलाये जा रहे है। समय–समय पर महिलाओं के कौशल तथा व्यक्तित्व विकास हेतु भी अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों का लाभ लेकर महिलाएँ इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर सकती है।

व्यवसाय–व्यापार का क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र है तथा यदि महिला उद्यमी एक बड़ी रूचि के साथ छोटे पैमाने पर ही अपना कारोबर शुरु करें तो यह कदम उनके लिए नये क्षितिज की राह अवश्य आसान करेगा। एक बार जब प्रारम्भिक बाधाएँ दूर की जायेगी, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे वे चुनौतियों का सामना कर जोखिम उठाने के लिए तैयार हो सकेगी।

7.6 महिला उद्यमियों की समस्याओं के समाधान हेतु उपाय

1. **कच्चे माल का प्राथमिकता से आवंटन :**

अभाव वाला एवं आयातित कच्चा माल महिला उद्यमी को प्राथमिकता आधार पर आवंटित करना चाहिए। महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित वस्तुएँ लागत प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके, इसके लिए इन्हें विशेष अनुदान दिया जाना चाहिए।

2. **महिला विपणन सहकारी समितियों का गठन :**

महिलाओं को सबसे अधिक कठिनाई का सामना अपनी वस्तु बेचने में ही करना पड़ता है। अतः महिला विपणन सहकारी समितियों के गठन का विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन सहकारी समितियों के गठन से मध्यस्थों का उन्मूलन होगा। केन्द्र और राज्य सरकारों को अपने विभागीय क्रय में महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित माल की खरीद में विशेष रूचि दिखाना चाहिए।

3. **प्रशिक्षण सुविधाएँ :**

उद्यमिता के विकास के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम इस ढंग से बनाये जाना चाहिए कि महिलायें इनका पूरा लाभ उठा सके। सामान्य रूप से हम समाज में यह देखते है कि परिवार के लोग महिलाओं को बाहर जाना पसंद नहीं करते। इस कठिनाई को दूर करने के लिए चलित प्रशिक्षण केन्द्र बनाये जाना चाहिए। प्रशिक्षण केन्द्रों पर महिलायें आये, इनके लिए महिलाओं को परिवहन सुविधाएँ, प्रोत्साहन राशि आदि देना चाहिए।

4. **महिलाओं के लिए विशेष वित्तीय सहायता केन्द्रों की स्थापना :**

महिला उद्यमियों को सुविधापूर्वक वित्तीय सहायता मिल सके, इस उद्देश्य से अनेक वित्तीय संस्थानों ने अपने कार्यालयों में अलग से विभाग बना रखे है, इन

सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। इन विशेष केन्द्रों में केवल महिला अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति की जाना चाहिए। महिलाओं को वित्त रियायती ब्याज दरों तथा सुविधापूर्वक वापसी की शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए, तभी महिला उद्यमिता का विकास हो सकता है।

5. **शिक्षा :**

महिलाओं के संबंध में समाज की नकारात्मक धारणा बदलने के लिए शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। समाज का दृष्टिकोण जब तक महिलाओं के संबंध में नहीं बदलेगा तब तक महिला उद्यमिता का विकास नहीं होगा। महिलायें तभी आगे आ सकती है जब घर के लोगों का दृष्टिकोण उनके संबंध में बदलें। वास्तव में महिलायें आसानी से अपना स्वयं का उपक्रम स्थापित कर उसका प्रबंध कर सकती है, केवल उन्हें प्रेरणा देने की आवश्यकता है।

6. **संरचनात्मक सुधार :**

प्रत्येक विभाग में महिला उद्यमियों के लिए पृथक प्रकोष्ठ स्थापित किये जाना चाहिए। इससे महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वित करने और उनका मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी।

7. **संरचनात्मक सुधार :**

प्रत्येक विभाग में महिला उद्यमियों के लिए पृथक प्रकोष्ठ स्थापित किये जाना चाहिए। इससे महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वित करने और उनका मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी।

8. **कमजोर वर्ग की महिलाओं को विशेष सहायता :**

कमजोर वर्ग की महिलाओं को स्वावलम्बी अथवा आत्मनिर्भर बनाने वाले कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करना चाहिए।

9. **एकल खिड़की सुविधायें :**

हम यह अच्छी तरह से जानते है कि महिलायें अधिक भागदौड़ नहीं कर पाती। अतः उद्यम की स्थापना से संबंधित समस्त औपचारिकताओं की पूत्रि व सुविधायें एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

10. **महिला स्वसहायता समूहों का गठन :**

महिला उद्यमिता विकास के लिए महिला विकास संस्थाओं तथा महिलाओं के स्वसहायता समूहों को आधार प्रदान करने हेतु नीतियाँ, योजनाएँ एवं कार्यक्रम बनाये जाना चाहिए।

11. **ऋण की जमानत संबंधी उपाय :**

सामान्य रूप से बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते समय महिलाओं के सामने जमानत या प्रतिभूति देने की समस्या होती है। इस बाधा को दूर किया जाना चाहिए। महिलाओं को अपने माल के विपणन में भी अनेक बाधायें आती है, अतः इन्हें भी दूर किया जाना चाहिए।

7.7 महिला उद्यमियों को सहयोग प्रदान करने वाली संस्थायें

1. **महिला एवं बाल विकास विभाग** – प्रदेश के प्रत्येक जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग का कार्यालय महिलाओं के हितों में लगातार योजनाओं का संचालन कर रहा है।

2. **एकीकृत बाल विकास योजनायें** – प्रत्येक जिले में विकासखण्ड (ब्लाक) स्तर पर एकीकृत बाल विकास परियोजनायें भी महिलाओं एवं बालिकाओं के कल्याण हेतु कार्यालय संचालित करती है।
3. **शहरी विकास अभिकरण** – प्रदेश के प्रत्येक जिले में शहरी विकास अभिकरण गठित है जो वर्तमान में केन्द्र द्वारा प्रवर्तित स्वग्र जयंती शहरी रोजगार योजना का क्रियान्वयन करते है, जिसमें सम्पर्क करके महिलायें अपना स्वरोजगार करने के लिये सहायता प्राप्त कर सकती है।
4. **जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र** – प्रत्येक जिले में एक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्य करता है जो अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता हैं। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित की गई रोजगार योजनाओं की जानकारी व मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण की सुविधायें उपलब्ध कराते है।
5. **महिला आर्थिक विकास निगम** – सरकार अपने विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की समाज में स्थिति सुधारने एवं उनके उद्यमिता विकास की ओर विशेष ध्यान दे रही हैं। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए कई राज्यों में इसकी स्थापना भी की गई है।

7.8 महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले उद्यमों के प्रकार

संगठन एवं पूंजी के आधार पर व्यवसायिक इकाईयॉ चार प्रकार की होती है।

* **सूक्ष्म उद्योग** – दिसम्बर 1977 में घोषित औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अति लघु उद्योग की धारणा को जन्म दिया गया। अति लघु उद्योग वे उद्योग है, जिनमें विनियोजित पूंजी 25,00,000 रू. या उससे कम है।

* **लघु उद्योग**– लघु उद्योग भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। औद्योगिक नीति के अनुसार 25,00,000 रू. से अधिक 60,00,000 रू. तक की पूंजी विनियोजित वाले उद्योग लघु उद्योग श्रेणी में आते है।

* **मध्यम उद्योग** वर्ष 1997 में मध्यम उद्योगों की अवधारणा सामने आयी। इनमें निवेश की सीमा 60,00,000 लाख से 3 करोड़ रू कर दिया गया था, किन्तु वर्ष 1999 में पुनः इस सीमा को घटाकर 1 करोड़ रूपयें कर दिया गया। वर्तमान में मध्यम उद्योगों में पूंजी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रूपयें किए जाने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है।

* **वृहत् उद्योग**– जो उद्योग उत्पादन हेतु पूंजी प्रधान तकनीक अपनाते है, तथा जिनमें विशाल पैमाने पर उत्पादन हेतु 1 करोड़ रूपयों से अधिक का पूंजी निवेष संयन्त्र तथा मशीनों में किया जाता है, वृहत् उद्योग कहलाते है। लोहा एवं इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेण्ट उद्योग, आदि विशाल उद्योग के उदाहरण है।

* **अन्य उद्योग**– अति लघु, लघु, मध्यम और विषाल स्तरीय उद्योगों के अतिरिक्त कुछ अन्य उद्योग भी औद्योगिक अर्थव्यवस्था का अंग होते है जैसे, अनुषंगी इकाई उद्योग, ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु सेवा उद्योग, आदि। ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए वैधानिक औपचारिकताऍ न्यूनतम होती है।

7.9 महिला उद्यमियों की श्रेणियॉ

(1) **प्रथम श्रेणी** – बड़े शहरों में स्थापित उच्च स्तरीय तकनीकी एवं व्यवसायिक शैक्षणिक योग्यता अपारंपरिक तत्व सुदृढ़ आर्थिक स्थिति

(2) **द्वितीय श्रेणी** – शहरों एवं नगरों में स्थापित पर्याप्त शिक्षा पारंपरिक एवं अपारंपरिक तत्व महिला प्रमुख सेवाओं जैसे – ब्यूटीपार्लर आदि में संलग्न।

(3) **तृतीय श्रेणी** –

- ❖ अशिक्षित महिलाएँ
- ❖ निम्न आर्थिक स्थिति
- ❖ पारिवारिक व्यवसाय में संलग्न जैसे – कृषि, पशुपालन, डेयरी, मछली पालन, हस्तषिल्प आदि। विभिन्न तंत्रों में महिलाओं की भूमिकाएॅ

7.10 महिला उद्यमियों के विकास हेतु संगठन एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम

महिला उद्यमियों के विकास हेतु संगठन एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित हैः

(1) लघु उद्योग विकास संगठन

लद्यु उद्योगों को तकनीकी, विपणन, संचालन एवं वित्तीय प्रबंध संबंधी परामर्श, प्रशिक्षण एवं सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा ''लघु उद्योग विकास संगठन'' की स्थापना 1954 में की गई। राष्ट्रीय स्तर के यह संगठन लघु उद्योग के विकास एवं सम्वर्द्धन के साथ कृषि आधारित उद्योग–धन्धों एवं ग्रामीण उद्योग धन्धों के विकास हेतु कार्यरत है।

2 लघु उद्योग सेवा संस्थान

लघु उद्योग सेवा संस्थान 1956 में स्थापित हुआ। यह SIDO का ही सहयोगी संस्थान है, जो कि, लघु उद्योगों एवं नवीन उद्यमियों को तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधकीय एवं विपणन सम्बंधी सूचनाएँ उपलब्ध कराता है, तथा मार्गदर्शन करता है। यह संस्थान देष के सभी राज्यों में लद्यु उद्योगों एवं उद्यमिता प्रोत्साहन में संलग्न है। (SISI) और (SIDO) संयुक्त रुप से औद्योगिक विस्तार सेवा का संचालन कर रहे है।

3 राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान

उद्यमिता एवं लघु उद्योगों के विकास मार्गदर्षन एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वाली षीर्ष संस्था राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान की स्थापना 6 जुलाई 1983 को भारत सरकार के उद्योग मन्त्रालय व्दारा सोसायटी अधिनियम 1860 के अन्तर्गत की गई। इस शीर्ष संस्था का मुख्यालय वर्तमान में ओखला औद्योगिक संस्थान नई दिल्ली में है, जिसे NSIC-PDTC कैम्पस के नाम से पुकारा जाता हैं।

4 राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा फरवरी 1958 को एक स्वायत्तशासी संस्था के रुप में की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में रखा गया। भारत सरकार के उद्योग मन्त्री इस परिषद के अध्यक्ष होते है। मुख्यालय के अतिरिक्त दस औद्योगिक नगरों मुम्बई, कोलकाता, पटना, गुवाहाटी, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलौर, अहमदाबाद, कानपुर एवं चंढीगढ़ में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए गये है। जयपुर, हैदराबाद एवं भुवनेश्वर में तीन क्षेत्रीय कार्यालय है।

5 राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान

केन्द्र तथा राज्य स्तर पर उद्यमियों एवं लघु उद्योगों के प्रषिक्षण, अनुसंधान, परामर्श तथा प्रलेख सम्बन्धी सुविधाऍ उपलब्ध करवाने के उद्देष्य से 1960 में राष्ट्रीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना हैदराबाद में की गई। यह संस्थान अपने 6 सहयोगी विभागों– परामर्श, प्रलेख, औद्योगिक विकास, औद्योगिक प्रबन्ध, व्यवहारिक विज्ञान तथा संचार के साथ मिलकर उद्यमियों को तकनीकी एवं प्रबन्धकीय सहायता प्रदान कर रहा है। इस संस्था की अपूर्व सफलता को देखकर 1979 में एक और केन्द्र की स्थापना गुवाहाटी में की गई।

6 भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड

उद्यमियों के उत्पादन को निर्यात करने तथा कच्चे माल को कम मूल्य पर आयात करके उपलब्ध कराने के उद्देष्य से 1956 में 'भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड' की स्थापना की गई। निगम कच्चे तथा पक्के माल का आयात करने वाला सबसे बड़ा अभिकरण है। निगम केवल उन्ही वस्तुओं को आयात करता है, जिनके लिए उद्यमियों को प्रत्यक्ष रूप से अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। संस्थान की आयात–निर्यात सुविधाऍ केवल निगम द्वारा पंजीकृत उद्यमियों को ही प्रदान की जाती है। निगम द्वारा उद्यमियों के उत्पादकों का निर्यात करने में सहायता प्रदान करने के लिए ''लघु उद्योगों को निर्यात में सहायता योजना'' का संचालन किया जा रहा है।

7 भारतीय लघु उद्योग मण्डल संघ

प्रत्येक राज्य में लघु उद्यमियों द्वारा अपने संघ स्थापित किए गए है। इन अलग–अलग संघों को एक सूत्र में बांधकर उद्यमिता विकास में तकनीकी एवं प्रबन्धकीय परामर्श एवं सहयोग प्रदान करने के उद्देष्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा 1969 में एक शोध संस्थान ''भारतीय लघु उद्योग मण्डल संघ'' की स्थापना की गई है। इस संस्थान का प्रधान कार्यालय दिल्ली तथा प्रादेशिक कार्यालय मुम्बई, कोलकाता व चेन्नई में है।

8 अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड

लघु उद्योगों को आवष्यक परामर्ष प्रदान करने तथा उनका विकास करने के लिए 1954 में अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई। बोर्ड द्वारा दो अर्द्धवार्षिक बैठक आयोजित की जाती है, जिनमें लघु उद्योगों की समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव एवं परामर्ष देने संबंधी कार्य किया जाता है।

9 खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

खादी एवं ग्रामीण उद्योग के विकास एवं ग्रामीण बेरोजगारी में कमीं लाने के लिए 1953 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना मुम्बई में की गई। यह आयोग विषेशतः महिला उद्यमियों के लिए अधिक उपयोगी है। इन उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी 46 प्रतिषत है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग उन सभी उद्योगों को भी सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराता है, जो न्यूनतम निवेश के द्वारा उपयोगी उत्पादों जैसे, खाद्य पदार्थो का प्रसंस्करण, चमड़ा उद्योग, गुड़ एवं खाण्डसारी, साबुन बनाना, एल्युमिनियम के बर्तन बनाना आदि उद्योग चलाते है। खादी ग्रामोद्योग आयोग कार्यालय प्रत्येक राज्य में स्थापित हैं।

10 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

उद्यमियों के सरकारी खरीद कार्यक्रम में भाग लेने तथा किराया क्रय पद्धति पर मशीनों एवं यन्त्रों को उपलब्ध कराने के उद्द य से केन्द्रीय सरकार द्वारा 1955

में एन.एस.आई.सी. की स्थापना नई दिल्ली में की गई। यह निगम लघु उद्योगों को आवश्यक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, तकनीकी परामर्श, विपणन, आयात–निर्यात के सम्बन्ध में आवश्यक सलाह एवं सहयोग प्रदान करता है।

11 **राज्य लघु उद्योग निगम**

लघु उद्योगों को उद्यमिता विकास की ओर प्रेरित करने के लिए उन्हें आर्थिक, तकनीकी एवं प्रबन्धकीय सहायता देने के उद्देष्य से राज्य लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई। यह निगम व्यापारिक संस्थान के रूप में वाणिज्यिक कार्य करते हैं।

12 **राष्ट्रीय परीक्षण गृह**

लघु उद्योगों में उपयोगी कच्चे माल, तैयार माल, रसायन आदि की गुणवत्ता की जांच के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राश्ट्रीय परीक्षण गृह की स्थापना की गई। इन परीक्षण गृहों में उत्पादों के नमूने एवं आवष्यक शुल्क की राशि भेजने के पश्चात परीक्षण किए जाते है। यह परीक्षण गृह अलीपुर एवं कोलकाता में स्थापित हैं।

13 **राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएँ एवं संस्थान**

लघु उद्योगों की अनुसंधान सम्बन्धी समस्याओं को हल करने एवं औद्योगिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मन्त्रालय द्वारा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 में की गई। परिशद के अन्तर्गत लघु उद्योगों की समस्याओं को हल करने के लिए सूचना एवं सम्पर्क कक्ष की स्थापना की गई है। इस कक्ष में प्राप्त लघु उद्योगों की समस्याओं का प्रयोगषाला में निस्तारण किया जाता है। वर्तमान में देष में 36 राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगषाला एवं संस्थान लघु उद्योगों को सेवाएँ प्रदान कर रहे है।

14 **भारतीय मानक ब्यूरों**

लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय मानक संस्थान की स्थापना 6 जनवरी, 1947 की गई। इस व्यवस्था को 26 नवम्बर, 1986 को संसद के एक अधिनियम के जरिये वैधानिक दर्जा दिया गया तथा 1 अप्रैल 1987 को राट्रीय मानक निकाय के तौर पर भारतीय मानक ब्यूरों अस्तित्व में आया। यह खाद्य पदार्थ, रसायनिक पदार्थ, खेल के सामान, साबुन, बर्तन आदि के सम्बन्ध में मानक तैयार करता है। वर्तमान में 26,000 से अधिक मानक एवं उसके संषोधन ब्यूरों द्वारा जारी किए गए है।

15 **जिला उद्योग केन्द्र**

औद्योगिक नीति 1977 के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योगों के नियमन एवं विकास के लिए जिला स्तर पर एक सरकारी षीर्श एवं समन्वयकारी संस्था ''जिला उद्योग केन्द्र'' की स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया। जनपद स्तर पर लघु एवं कुटीर उद्योगों को एक स्थान पर आवष्यक सुविधाएँ, सहायता एवं जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मई 1978 से जनपद मुख्यालयों पर जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई।

महिला उद्यमियों हेतु कार्यक्रम

- राष्ट्रीय स्तरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
- महिला समृद्धि योजना
- रोजगार एवं सहरोजगार योजना

- महिला विकास कार्यक्रम
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना

7.11 पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक नियोजन एवं महिला सशक्तिकरण

पंचवर्षीय योजनाओं में आर्थिक नियोजन एवं महिला सशक्तिकरण हेतु लिए किये प्रयास निम्नलिखित हैः

(1) **प्रथम पंचवर्षीय योजना** (1951–56) – योजना में महिला कल्याण कार्यो को रखा गया। इस दिषा में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड एवं महिला मंडल के निर्माण द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम में महिलाओं के विकास हेतु कार्य किया गया।

(2) **द्वितीय पंचवर्षीय योजना** (1956–61)– कृषि विकास कार्यक्रमों द्वारा महिलाओं के विकास हेतु योजनाओं का संचालन व निर्माण किया गया।

(3) **तृतीय व चतुर्थ पंचवर्षीय योजना** (1961–66 एवं 1969–74) मुख्य रुप से महिलाओं की शिक्षा में सुधार का प्रयास किया गया।

(4) **पंचम पंचवर्षीय योजना** (1974–79) महिलाओं हेतु आर्थिक उपार्जन एवं सुरक्षा हेतु प्रषिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया गया। 1976 में ही समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा महिला कल्याण व विकास ब्यूरों का निर्माण किया गया।

(5) **छॅटवी पंचवर्षीय योजना** (1980–85)– महिलाओं की पहुंच को संसाधनों तक बढ़ाने का उद्देष्य रखा गया।

(6) **सातवी पंचवर्षीय योजना** (1985–90)– लिंग समानता व महिला सषक्तिकरण को बल दिया गया तथा महिलाओं के रोजगार हेतु गुणात्मक योजनाओं के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रमों व प्रषिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किया गया।

(7) **आठवी पंचवर्षीय योजना** (1992–97) – पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण कर महिलाओं का विकास किया गया।

(8) **नवमी पंचवर्षीय योजना** (1997–2002)– महिला विकास योजनाओं के अंतर्गत 30 प्रतिषत वित्त व लाभ प्रदान किये जाने हेतु विषेष कार्यक्रमों का संचालन किया गया।

(9) **दसवी पंचवर्षीय योजना** (2002–07)– महिला सषक्तिकरण हेतु 2001 में राष्ट्रीय नीति का निर्माण किया गया। उपयुक्त संसाधनों एवं उपयोगों के माध्यम से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया गया।

(10) **ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना** (2007–2012) महिलाओं के आर्थिक विकास को गति प्रदान करने हेतु विभिन्न रोजगार के अवसरों में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया।

7.12 सारांश

उद्यमिता एक कौशल, दृष्टिकोण, चिन्तन, तकनीक एवं कार्यपद्धति है। उद्यमिता की प्रवर्तन अवधारणा का प्रतिपादन 1934 में शुम्पीटर द्वारा किया गया। उन्होंने उद्यमिता को वातावरण सृजनात्मक एवं नवप्रवर्तनशील घटक माना है।

एच. डब्ल्यू. जॉनसन के अनुसार – "उद्यमिता तीन आधारभूत तत्त्वों का जोड़ है – अन्वेषण, नवप्रवर्तन एवं अनुकूलन।"

भारत में महिला उद्यमिता का आरम्भ अधिकारिक रूप से स्वतंत्रता के पश्चात् हुआ। पारीक के अनुसार – "महिला उद्यमी वह होती है जो, चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं को स्वीकार करते हुये सामाजिक संसाधन एवं सहयोग के साथ समाज से अन्तःसंबंध कर समायोजन करती है। महिला उद्यमियों की प्रमुख विशेषताएँ, बटनर के अनुसार

विशिष्ठ महिला उद्यमी, मध्यम एवं उच्च वर्ग से होती है, अनुभव प्राप्ति हेतु उच्च संस्थानों में कार्य करती है एवं स्वयं का एक व्यवसाय स्थापित करती है।

महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले उद्यमों के प्रकार निम्नलिखित है, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहत उद्योग, अन्य उद्योग।

महिला उद्यमियों की श्रेणियाँ इस प्रकार है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी।

महिला उद्यमियों के विकास हेतु संगठन एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम की व्याख्या। महिला उद्यमियों हेतु कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तरीय गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, महिला समृद्धि योजना, रोजगार एवं सहरोजगार योजना, महिला विकास कार्यक्रम, इंदिरा महिला योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना।

पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा आर्थिक नियोजन एवं महिला सशक्तिकरण का क्रियान्वयन। महिला उद्यमियों को प्रभावित करने वाले कारक – व्यक्तिगत कारक, बाह्य कारक, भारत में महिला उद्यमियों की समस्यायें/चुनौतियाँ एवं समस्याओं के समाधान हेतु उपाय।

7.13 शब्दावली

उद्यमिता : उद्यमिता एक कौशल, दृष्टिकोण, चिन्तन, तकनीक एवं कार्यपद्धति है। **महिला उद्यमि** : 'महिला उद्यमी वह है, जो किसी उद्यम या उपक्रम की पूँजी से लगभग 51 प्रतिशत की भागीदारी रखती है एवं उपक्रम द्वारा लगभग 51 प्रतिशत रोजगार केवल महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे जाते है।"

7.14 बोध प्रश्न

रिक्त स्थान को भरिए –

1. आधुनिक परिवेश में .... सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का मूलाधार है।
2. महिला उद्यमी वह है जो किसी उद्यम या उपक्रम की पूंजी से लगभग .... प्रतिशत की भागीदारी रखती है।
3. महिलाओं का सर्वश्रेष्ठ गुण है .... कार्य करना।
4. महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले उद्योग में सूक्ष्म उद्योग, ..., मध्यम उद्योग, वृहत उद्योग आते है।
5. महिला उद्यमियों को .... श्रेणियों में विभक्त किया गया है।

7.15 बोध प्रश्नों के उत्तर

(1) उद्यमिता (2) 51 (3) सृजनात्मक (4) लघु उद्योग (5) तीन)

7.16 स्वपरख प्रश्न

1. महिला उद्यमिता को विस्तार से परिभाषित कर समझाइये ?
2. महिला उद्यमी की विशेषताओं को विस्तारपूर्वक समझाइए ?
3. महिला उद्यमियों से संबंधित प्रमुख समस्यायें कौन सी है ?
4. महिला उद्यमियों की श्रेणियों की व्याख्या कीजिये ?
5. महिला उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले उद्यमों के प्रकार की विवेचना कीजिए ?
6. महिला उद्यमियों को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिये ?

7. भारत सरकार द्वारा महिला उद्यमियों के विकास हेतु चलाये जा रहे राष्ट्रीय कार्यक्रम को समझाइये ?

7.17 सन्दर्भ पुस्तकें

1. 'भारतीय अर्थव्यवस्था', हिमालया पब्किशिंग हाउस – वी. के. मिश्र एवं पुरी।
2. 'परियोजना नियोजन तथा नियन्त्रण', कल्याणी पब्लिकेशंस – जोशी एवं गुप्ता।
3. 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त', बी.एल. ओझा।
4. व्यावसायिक नियमन व्यवस्था – नवलखा, माधुर।
5. विश्व बैंक रिपोर्ट (2011–2012)

इकाई– 8 उद्यमिता विकास कार्यक्रम (Entrepreneurship Development Programme)

इकाई की रूपरेखा

8.1 प्रस्तावना
8.2 उद्यमिता का अर्थ
8.3 उद्यमिता की प्रकृति अथवा विशेषतायें
8.4 उद्यमिता के प्रकार
8.5 उद्यमिता विकास के उद्देश्य
8.6 उद्यमशीलता विकास प्रक्रिया
8.6.1 पूर्व प्रशिक्षण चरण
8 6.2 प्रशिक्षण चरण
8.6.3 पोस्ट प्रशिक्षण चरण
8.7 उद्यमी प्रेरणा
8.8 उद्यमी प्रोत्साहनात्मक कारक
8.9 उद्यमिता विकास कार्यक्रम
8.10 ईडीपी के मुख्य उद्देश्य
8.11 राष्ट्र के आर्थिक विकास में उद्यमशील विकास कार्यक्रम की भूमिका
8.12 उद्यमी विकास कार्यक्रमों की उपलब्धियां
8.13 उद्यमशीलता विकास की समस्यायें एवं उपाय
8.14 स्थानीय उद्यमशीलता से आशय
8.15 सारांश
8.16 शब्दावली
8.17 बोध प्रश्न
8.18 बोध प्रश्नों के उत्तर
8.19 स्वपरख प्रश्न
8.20 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे किः

- उद्यमिता व उद्यमशीलता का अर्थ समझ सकें।
- उद्यमशीलता कार्यक्रमों की परिभाषा तथा उद्यमशीलता विकास प्रक्रिया से अवगत हो सकें।
- उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों में विभिन्न सस्थाओं की भागीदारी से परिचित हो सकें।
- उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों की धीमी गति के कारण तथा उयद्यमशीलता विकास की समस्यायें एवं उपाय से अवगत हो सकें।
- उद्यमी विकास कार्यक्रमों की उपलब्धियां से अवगत हो सकें।

8.1 प्रस्तावना

विकास, इंसान का हमेशा से पहला प्रयास रहा है। हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह किसी सम्पत्ति को अपनी कह सकें, किसी खेत व खलिहान का स्वामी बन सकें, अगर विलासमयी नही तो कम से कम आरामदायक जीवन अवश्य व्यतीत कर सकें और इन सबका एक ही उपाय है– देश का तीव्र गति से आर्थिक विकास करना। और ''विकास से किसी भी सुदृढ कार्यक्रम में औद्योगिक विकास को अनिवार्यतः एवं अंततः एक व्यापक भूमिका का निर्वाह करना होता है।'' अर्थात औद्योगिक विकास या औद्योगिकरण; आर्थिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी परम्परागत अर्थव्यवस्था में व्याप्त अवरोध को समाप्त करके किसी राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को नयी दिशाएं प्रदान करती है। ''व्यापक रुप में औद्योगीकरण आर्थिक प्रगति एवं ऊंचे जीवन यापन के स्तर की कुंजी है।'' अतः यह सच है कि किसी राष्ट्र में आर्थिक जड़ता को समाप्त करने, अप्रयुक्त संसाधनों को उत्पादकता के स्त्रोत में रुपान्तरित करने, आर्थिक समस्याओं से उलझे जनजीवन की समस्याओं का समाधान करने, धन–सम्पदा, रोजगार–आय व पूंजी का सृजन करने का एवं राष्ट्र के दीर्घकालिन व स्थायी आर्थिक विकास का एक मात्र क्रांतिकारी उपाय औद्योगीकरण ही है, किन्तु इन अप्रयुक्त संसाधनों का पूर्ण विदोहन करने एवं उन्हें औद्योगिकरण की दिशा में उपयोगी बनाने के लिए 'उद्यमिता और उद्यमियों (Entrepreneurship and Entrepreneurs) की आवश्यकता होती है। अन्य प्रोत्साहनों के होते हुए भी यदि देश में उद्यमिता तथा उद्यमियों का अभाव है तो औद्योगिक विकास की गति धीमी रहेगी। उद्योगों की स्थापना में पहल (Initiative) पूंजी विनियोग के नए–नए अवसरों की खोज करना, औद्योगिक इकाइयों का प्रवर्तन करना, उनके लिए आवश्यक पूंजी एवं अन्य साधनों की व्यवस्था करना एवं भावी अनिश्चिताओं को देखते हुए जोखिम उठाने आदि के कार्य कुछ इस प्रकार के हैं कि इसके लिए 'उद्यमीय योग्यता' (Entrepreneurial Ability) या 'उद्यमियों' (Entrepreneurs) की आवश्यकता होती है। अतः स्पष्ट है की तीव्र आर्थिक विकास के लिए आधारभूत संरचना के निर्माण के साथ–साथ देश में उद्यमिता तथा उद्यमियों का विकास किया जाना आवश्यक है।

उद्यमिता के द्वारा देश में औद्योगीकरण की संभावना बढ़ जाती है। अतः इस बात में कोई अतिश्योक्ति नहीं कि उद्यमिता किसी भी देश के आर्थिक विकास का मौलिक आधार है। उद्यमिता के महत्व को देखते हुए आज न केवल विकसित देशों ने इसे अपनाया है, बल्कि विकासशील देशों ने भी उद्यमिता को देश के आर्थिक विकास का केन्द्र बिन्दु माना है। उत्पादन के विभिन्न साधनों में उद्यमिता या उद्यमी

का विशेष महत्व है क्योंकि उद्यमी उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्र कर गति प्रदान करता है, जिससे देश में आर्थिक पूंजी का सृजन होता है और देश में आर्थिक विकास का द्वार स्वतः खुल जाता है। उद्यमी प्रवृतियों के फलस्परुप ही देश में नए उद्योगों, वस्तुओं, रोजगार आय व धन सम्पदा का निर्माण संभव होता है। राष्ट्र के संसाधनों को उत्पादक कार्यो को लगाना, नवीन तकनीक, नये कार्यो एवं उद्यमीय निर्णयों के द्वारा नई उपयोगिताओं (Utiliteis) का सृजन करना उद्यमियों पर ही निर्भर करता है। उद्यमी जड़ एवं मृत अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार करता है। आर्थिक दायित्व, औद्योगिक चेतना एवं सामाजिक नवप्रवर्तन (Social Innovation) को उत्प्रेरित करने में उद्यमियों एवं उद्यमिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उद्यमिता विकास (Entrepreneural Development)

किसी देश की अर्थव्यवस्था हमेशा अपने औद्योगिक विकास से प्रेरित होती है। विकसित अर्थव्यवस्था उद्योगों के विभिन्न क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केन्द्रित करती है। खासकर छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों को देश की अर्थव्यवस्था की आवाज और गतिशील बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। औद्योगिक विकास एक राष्ट्र के लोगों की उद्यमशीलता पर निर्भर करता है। अतः सभी विकासशील देशों में, सरकारी और गैर–सरकारी प्रयासों में उद्यमशीलता के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।

वैश्वीकरण में, उद्यमिता विकास राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बन गया है। उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम और उचित उपयोग संभव है क्योंकि हम नए उद्यमियों को उत्पन्न करते हैं। रचनात्मकता और अभिनव विचारों के साथ नए उद्यमी हमेशा व्यापार में किसी प्रकार के जोखिम को खड़े करने के लिए एक कदम आगे हैं। उद्यमिता विकास का उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों की खोज करना और प्रशिक्षण के माध्यम से अपने उद्यमशील गुणों को विकसित करना है।

उद्यमशीलता विकास की अवधारणा :–

शब्द 'Entrepreneurship' रचनात्मकता और अभिनव विचारों के साथ मिलकर एक व्यक्ति की जोखिम लेने की क्षमता है। वह नए व्यावसायिक विचारों और निवेश के अवसरों का पता लगाता है वह अपने विचारों और अवसरों को समय के बीच में ले जाता है, जिससे वह नए व्यवसाय को लॉन्च करने की ओर अ़ग्रसर होता है जिसे वह कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से आयोजन करता है एक व्यक्ति के ये गुण और लक्षण उद्यमिता का निर्माण करते हैं। देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए समाज में इस प्रकार की उद्यमी विकसित करने की आवश्यकता है। उद्यमिता विकास का अर्थ है भावी उद्यमी की खोज के माध्यम से व्यक्त्यिों में उद्यमिता का प्रतिरुपण करना और एक व्यक्ति को एक असली उद्यमी बनाने के लिए उस दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। यह आर्थिक माहौल बदलते हुए नए व्यावसायिक विचारों और निवेश के अवसरों की पहचान करने के लिए प्रेरित करता है। यह उद्यम में विचार या अवसर को बदलने में मदद करता है। अंततः यह अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र के विकास की ओर जाता है। इस प्रकार उद्यमिता विकास की अवधारणा इस प्रकार परिभाषित की जा सकती हैः

''उद्यमिता विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उद्यमशील गुणों को व्यावसायिक विचारों या उद्यमों में अवसरों को बदलने के लिए उपलब्धियों की

आवश्यक प्रेरक ड्राइव के साथ इंजक्ट किया जाता है और व्यापार उपक्रमों की अनिश्चित और जोखिमपूर्ण स्थितियों का प्रबंधन किया जाता है।''

उपरोक्त परिभाषा उद्यमशीलता के विकास के निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित करती है

1. यह व्यापार/उद्यम में विचार या अवसर को बदलने के लिए प्रेरणा है।
2. यह प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यवसाय के नए विचार और निवेश के अवसर इन संभावित उद्यमियों के सामने आते हैं।
3. यह सरकार और गैर–सरकारी संगठनों की निरंतर और सतत गतिविधि है।
4. यह संभावित उद्यमियों और उनके उद्यमशीलता के गुणों की खोज की प्रक्रिया है।
5. यह प्रबंधन, विपणन, वित्त और व्यापार उद्यम के तकनीकी पहलुओं पर परामर्श प्रदान करके संभावित उद्यमियों के बीच विश्वास को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है।
6. यह एक व्यक्ति को एक उद्यमी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
7. इसका उद्देश्य देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

8.2 उद्यमिता का अर्थ (Meaning of Entrepreneurship)

'उद्यमी' शब्द अंग्रेजी में प्रयुक्त होने वाले "Entreprencur" शब्द का हिन्दी रुपान्तर है। वास्तव में अंग्रेजी में भी Entreprencur शब्द फ्रांसीसी भाषा से लिया गया है। वहां इस शब्द का मूल अर्थ था– 'किसी संगीतात्मक अथवा अन्य मनोविनोंदों के आयोजक को नियुक्त करना।' अर्थशास्त्र में उद्यमी का अर्थ है ऐसा आर्थिक नेता जो नई वस्तुओं, नई तकनीकों तथ पूर्ति के नये स्त्रोतों को सफलतापूर्वक प्रचलित करने के सुअवसर पहचानने की योग्यता रखता हो और जो आवश्यक संयत्र तथा साधन प्रबंध और श्रमशक्ति को एकत्रित करने और उन्हें संगठित कर कारोबार चलाने की क्षमता रखता हो।

16वीं शताब्दी में 'उद्यमी' शब्द का प्रयोग प्रमुख सैनिक अभियानों (Expeditions) के लिए किया जाता था 17वीं शताब्दी में नागरिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में सड़क, पुल, बन्दरगाह व किले आदि का निर्माण करने वाले ठेकेदारों के लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। 1857 में फ्रांस में ब्रदर्स पेरैर (Brothers Pereirs) ने 'उद्यमी बैंक' की स्थापना की तभी से व्यवसाय में इस शब्द का व्यवस्थित प्रयोग प्रारंभ हुआ। लेकिन व्यवसायिक व आर्थिक क्रियाकलापों में शब्द 'उद्यमी' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वणिकवादी अर्थशास्त्री रिचर्ड कैन्टीलॉन (Richard Cantillon) ने किया था उन्होने इसे परिभाषित करते हुए उसके कार्यो की व्याख्या की थी। तभी से अनेक अर्थशास्त्री, सामाजिक मनोवैज्ञानिकों तथा विचारकों ने उद्यमिता व उद्यमी के बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं।

सामान्य अर्थ में (In General Sense) :– उद्यमिता व्यवसाय में निहित अनेक प्रकार की जोखिमें को उठाने एवं अनिश्चितताओं का सामना करने की योग्यता एवं प्रवृति है तथा उद्यमी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो नया उपक्रम प्रारंभ करता है, तथा आवश्यक संसाधनों को जुटाता है तथा व्यवसाय की क्रियाओं का प्रबंध एवं नियंत्रण करता है। वह व्यवसाय की विभिन्न जोखिमों को झेलता है तथा व्यवसायिक चुनौतियों का सामना करता है। 'जोखिम वहन' करना उद्यमी का प्रमुख कार्य है।

आधुनिक अर्थ में (In Modern Sense) :– उद्यमिता नये उपक्रम की स्थापना, नियत्रण एवं निर्देशन करने की योग्यता के साथ–साथ उपक्रम में नये–नये सुधार एवं परिवर्तन करने की साहसिक क्षमता भी है। इस अर्थ में उद्यमिता नेतृत्व एवं नवपवर्तन का गुण है जिसके द्वारा व्यवसाय में उच्च उपलब्धियों एवं लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। यह गतिशील वातावरण के साथ समायोजन करने तथा व्यवसाय में सृजनात्मक (Creative) एवं नवप्रवर्तनकारी (Innovative) विचारों और योजनाओं को क्रियान्वित करने की योग्यता है।

इस प्रकार उद्यमिता से आशय अनिश्चितता और प्रतिस्पर्धा के वातावरण में उद्यम स्थापना की जोखिम लेने और उसे सफलतापूर्वक संचालित करने की योग्यता से है। तथा उद्यमी से आशय इस योग्यता को सफलतापूर्वक सदुपयोग करने वाले साहसी से है। सारांशतः वर्तमान युग में किसी भी प्रकार के उद्यम की स्थापना कर उसे सफलतापूर्वक संचालित करना उद्यमिता तथा संचालित करने वाला उद्यमी है।

8.3 उद्यमिता की प्रकृति अथवा विशेषताएँ

व्यवसाय एवं उद्योग के क्षेत्र में उद्यमिता की प्रकृति को भलीभांति समझने के लिए उसकी विशेषताओं को समझना आवश्यक है। उद्यमिता की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है–

1. उद्यमिता नवप्रवर्तन की योग्यता (Ability to Innovate) है।
2. उद्यमिता में जोखिम लेने की क्षमता (Risk-Bearing Capicity) निहित होती है।
3. उद्यमिता ज्ञान पर आधारित व्यवहार (Knowldege Based Pracitce) है। उद्यमिता व्यवसाय अभिमुखी प्रवृति (Business Oriented Tendency) को बतलाती है।
4. परिवर्तनों का परिणाम (Results of Changes) है।
5. उद्यमिता रचनात्मक क्रिया (Creative Activity) है।
6. यह व्यक्तिगत लक्षण नहीं वरन् एक आचरण (Entrepreneurship is not a Personality trait, but a behaviour) है।
7. वातावरण प्रेरित क्रिया (Environment oriented Activity) है।
8. सिद्धान्तों पर आधारित होती है अर्न्तज्ञान पर नहीं (Based on Principles not on Intuitions)
9. सभी कार्यो में आवश्यक (Essential in every Activity) होती है।
10. वास्तव में, उद्यमिता कम जोखिमपूर्ण (Law Risky) है।
11. संसाधनों का सृजन करती (Creation of Resources) है।
12. वस्तुतः उद्यमिता व्यक्तित्व रूपान्तरण प्रक्रिया (Process of Identity Transformation) है।
13. परिणाम जनित व्यवहार (Result Oriented Behaviour) देती है।
14. उद्यमिता पेशेवर क्रिया के रुप में (Professional Activity) विकसित हो रही है।
15. प्रबंध उद्यमिता का माध्यम (Management is the vehicle of Entrepreneurship) है।
16. उद्यमिता स्वाभाविक नहीं वरन् एक अर्जित कार्य (It is not a Natural but an Achieved work) है।

17. सभी व्यवसायों एवं अर्थव्यवस्थाओं में आवश्यक (Essential in all Businesses and Economics) होती है।
18. उद्यमिता अंततः एक जीवन शैली (A Life Style) है।

8.4 उद्यमिता के स्वरुप अथवा प्रकार

प्रत्येक राष्ट्र की आर्थिक–सामाजिक दशाएँ तथा विकास का स्तर भिन्न होता है। इसके अलावा प्रत्येक देश में व्यवसाय, वाणिज्य, उद्योगधंधे के प्रति व्यक्तियों का दृष्टिकोंण एवं चिन्तन भी अलग–अलग होता हैः फलस्वरुप उद्यमिता के स्वरुप में भी भिन्नता पाई जाती है।

1. **पूँजी स्वामित्व के आधार पर**
   - i- निजी उद्यमिता (Private Entrepreneurship)
   - ii- राज्य या सार्वजनिपक उद्यमिता (State or Public Enrterpreneurship)
   - iii- संयुक्त उद्यमिता (Joint Entrepreneurship)
   - iv- सहकारी उद्यमिता (Co-oprativ Entrepreneurship)
2. **विकास या परिवर्तन के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर**
   - i- परम्परागत या विकासात्मक उद्यमिता (Traditional or Evolutionary Entrepreneurship)
   - ii- आधुनिक या क्रांतिकारी उद्यमिता (Modern or Revolutionary Entrepreneurship)
3. **स्थानीयकरण के आधार पर**
   - i- केन्द्रीकृत उद्यमिता (Centralised Enterpreneurship)
   - ii- विकेन्द्रित उद्यमिता (Decentralised Entrepreneurship)
4. **आकार के आधार पर**
   - i- वृहत उद्यमिता (Big Entrepreneurship)
   - ii- लघु उद्यमिता (Small Entrepreneurship)
5. **साहसिक कार्य के आधार पर**
   - i- नैत्यक उद्यमिता (Routine Entrepreneurship)
   - ii- नवीन अद्यमिता (New-type Entrepreneurship)
6. **नेतृत्व के आधार पर**
   - i- वैयक्तिक उद्यमिता (Individualistic Entrepreneurship)
   - ii- समूह उद्यमिता (Group Entrrepreneurship)
7. **अन्य आधार पर**
   - i- शहरी तथा ग्रामीण उद्यमिता (Urban or Rural Entrepreneurship)
   - ii- व्यवस्थित उद्यमिता (Systematic Entrepreneurship)

उद्यमी के प्रकार (Type of entrepreneurs) :– उद्यमी के व्यक्तित्व, स्वरुप क्षमता एवं दृष्टिकोण के आधार पर उद्यमी भी विभिनन प्रकार के हो सकते है।

1. नव प्रवर्तन योग्यता के आधार पर (**On the basis of Innovating Ability**) :–

क्लेरेन्स डेनहॉफ (Clarence Danhof) ने विकास के स्तर के आधार पर उद्यमियों को निम्न चार प्रकार में बांटा है–

i- नवप्रवर्तक उद्यमी (Innovative Entrepreneur)

ii- अनुकरणीय या नकलची उद्यमी (Initative Entrepreneurs)

iii- सावधान उद्यमी (Fabian Entrepreneurs)

iv- आलसी उद्यमी (Drone Entreprenurs)

2. **विकास की गति के आधार पर (On the basis of Development momentum)**

एल0 सी0 गुप्ता (L. C. Gupta) ने विकास की गति को बल देने के दृष्टिकोण के आधार पर उद्यमियों के निम्न 6 प्रकार बताये हैं–

i- मूल प्रवर्तक (Prime mover type),

ii- प्रबंधक (Manager Type),

iii- लघुनवप्रवर्तक (Minor Innovator Type),

iv- प्रारम्भक (Initiator Type),

v- अनुषंगी (Satelite Type),

vi- स्थानीय व्यापारी (Local Trading Type)

3. **विभिन्न क्रियाओं के आधार पर (On the basis of Vatiour Activities)** :–

उद्यमी की विभिन्न क्रियाओं एवं कार्यो के आधार पर कार्ल वेस्पर (Karl Vesper) ने निम्न 6 प्रकार बतायें है–

i- उत्पाद नवप्रवर्तक (Product Innovator)

ii- अप्रयुक्त संसाधन विदोहक (Unutilised Resources Exploiters)

iii- एकल स्वनियुक्त उद्यमी (Solo-self-Employed Entrepreneur)

iv- पूँजी संचायक (Capital Aggregators)

v- कार्यशील निर्माता (Work Force- Builders)

vi- अधिग्रहण साहसी (Takeover Artists)

vii- मितव्यय–स्तर उद्यमी (Econonomy of Scale Exploiters)

viii- प्रारूप प्रबंधक (Pattern Muiltipliers)

8.5 उद्यमिता विकास के उद्देश्य

परिभाषा और उद्यमशीलता के विकास की विशेषताएं इसके दायरे और प्रकृति को रूपरेखा देती हैं। यह देश के आर्थिक विकास पर केन्द्रित है। इसलिए उद्यमिता विकास के उद्देश्यों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया जा सकता है :

1. नए व्यावसायिक उपक्रमों को शुरू करने के लिए व्यक्तियों को प्रेरित और निर्देशित करना।
2. प्रशिक्षण और विशेषज्ञ परामर्श के माध्यम से युवाओं के बीच उद्यमशील गुणों एवं अन्य गुणों को बढ़ावा देना।
3. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए नए कार्यक्रमों को बढ़ावा देना एवं संचालित करना।
4. नए उद्यमों के लिए विभिन्न प्रकार की परियोजना रिपोर्ट उपलब्ध कराना।

5. उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सुविधाओं, रियायतें, राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, संस्थानों द्वारा प्रायोजित योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना।
6. अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देना।
7. विशेष रुप से और देश में आम तौर पर समाज के विभिन्न वर्गो के बीच उद्यमी संस्कृति को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए। संभावित उद्यमियों के लिए उद्यमशीलता के अवसरों और व्यवसायिक विचारों को खोजने और विकसित करना।
8. उद्यमशीलता के माध्यम से रोजगार और स्व–रोजगार पैदा करने के लिए ।
9. संभावित और मौजूदा उद्यमियों के लिए प्रबंधकीय कौशल, विपणन तकनीकों और तकनीकी जानकारी प्रदान करना।
10. पहली पीढ़ी के उद्यमियों के जरिये देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए योगदान देना। उद्यमशीलता के विकास के सभी उद्देश्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्यमशीलता के विकास के महत्व को उजागर करते हैं।

8.6 उद्यमशीलता विकास की प्रक्रिया

एक देश के आर्थिक क्षेत्र में उद्यमशीलता विकास एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। इसलिए राज्य और केन्द्र सरकार ने सभी स्तरों पर उद्यमशील विकास के लिए प्रयास किए। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन और ग्राम स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक प्रायोजित किया जाता है। प्रशिक्षण उद्यमशीलता विकास के तहत मुख्य गतिविधि है इसमें प्रचार, सहायक और विकास कार्यक्रम शामिल हैं लेकिन उद्यमी विकास की प्रक्रिया को निम्नानुसार तीन प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है :

8.6.1 – पूर्व प्रशिक्षण चरण :–

(क) स्थानीय जरूरतों के अनुसार उद्यमी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम।
(ख) प्रशिक्षण मैनुअल और परिपत्र तैयार करना।
(ग) उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए कार्यक्रमों का उचित प्रचार/प्रसार करना
(घ) इच्छुक व्यक्तियों को जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करना।
(ड.) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विवरणों का विवरण देना।
(च) प्रशिक्षण के लिए आवेदकों की छानबीन और चयन करने के लिए, अनुप्रयोगों को कॉल करना।
(छ) प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए आवश्यक उपकरण और उपकरणों को व्यवस्थित/उपलब्ध कराना।
(ज) प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आवेदकों के साथ संचार/सम्पर्क करना।

(झ) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विशेषज्ञ संसाधन व्यक्तियों को आमंत्रित करना। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सफलता के लिए व्यवस्थित तरीके से पूर्व–प्रशिक्षण गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।

8.6.2 – प्रशिक्षण चरण :–

प्रक्रिया का दूसरा चरण कार्यक्रमानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रुप से स्थानीय स्तर पर आयोजित किए जाते हैं जो गांव, तालुका या जिला स्तर पर हो सकते हैं। सरकारी एजेंसियां और गैर–सरकारी

संगठन इस तरह के उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। जिला उद्योग केन्द्र उद्यमिता विकास के लिए सरकारी एजेंसियां हैं जो उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करती है। बेशक, कुछ उचित शुल्क लगाए जाते है, इसके विपरीत प्रतिभागियों को प्रशिक्षण साहित्य, मुद्रित मैनुअल, रिफ्रेशमेंट, भोजन इत्यादि व्यवस्था की जाती है। इस चरण के अंतर्गत, निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जाती है

1. प्रतिभागियों का पंजीकरण और प्रशिक्षण साहित्य, पुस्तिकाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण।
2. संसाधन व्यक्तियों और विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान की व्यवस्था।
3. नए व्यवसाय या उपक्रम शुरू करने के लिए प्रारंभिक औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं को समझाना।
4. प्रतिभागियों को नए विचारों और नए निवेश के अवसरों का खुलासा करना।
5. संभावित उद्यमियों के लिए सहायक संस्थानों और एजेंसियों के बारे में जानकारी प्रदान करना।
6. नये व्यवसाय शुरू करने के लिए उपलब्ध विभिन्न योजनाओं, रियायतों, सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना।
7. नए व्यवसाय को लॉन्च करने और प्रबंधित करने के लिए प्रतिभागियों का मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ाना।
8. भावी और मौजूदा उद्यमियों को प्रबंधकीय कौशल, विपणन तकनीक और तकनीकी ज्ञान प्रदान करना।
9. सफल उद्यमियों में उन्हें बदलने के लिए प्रतिभागियों के बीच उद्यमी और रचनात्मक गुणों को बढ़ावा देना।
10. एक मॉडल परियोजना के रुप में विभिनन परियोजना रिपोर्ट तैयार करना और प्रस्तावित व्यवसाय की परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए प्रतिभागियों को निर्देशित करता है।

उपरोक्त गतिविधियों के साथ–साथ इस चरण के तहत सहायक गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत प्रैक्टिक्स, प्रदर्शन और फैक्ट्री साइट्स के दौरे का भी आयोजन किया जाता है। यह चरण एक व्यक्ति को उद्यमी बनाने का प्रयास करता है इसलिए यह उद्यमिता विकास की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चरण है।

8.6.3 – पोस्ट प्रशिक्षण चरण :–

उद्यमिता विकास का उद्देश्य सफल उद्यमी को एक असली और वास्तविक उद्यमी को सफल बनाना है। इसका मतलब है कि उद्यमिता विकास का उद्देश्य उद्यमी बनाना ही नही बल्कि उसे सफल उद्यमी बनाना है। मौजूदा उद्यमियों को सफल बनाकर उद्यमशीलता के विकास को बनाए रखने के लिए उतना ही जरूरी है उस दृष्टिकोण से, पोस्ट–ट्रेनिंग, चरण। मंच के तहत, अनुवर्ती और नर्सिग गतिविधियों को शुरू किया जाता है। संभावित उद्यमियों की खोज करना और उन्हें प्रशिक्षित करना और उन्हें असली उद्यमी बनाना उद्यमिता विकास की एक निरंतर प्रक्रिया है। इसके अलावा अपने नए व्यवसाय के साथ नए उद्यमी को प्रतिकूल और अनिश्चित परिस्थितियों में व्यवसाय के साथ खुद को बनाए रखना चाहिए।

पोस्ट–ट्रेनिंग गतिविधि उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों की सफलता की दर का फैसला करती है।

इस चरण के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की जाती हैं :

1. प्रशिक्षित संभावित उद्यमियों को वास्तविक उद्यमियों में बदलने के लिए अनुवर्ती गतिविधियां।
2. प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों द्वारा एक नया व्यापार या उपक्रम शुरू करने के लिए फॉलो–अप।
3. परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए संभावित उद्यमियों की सहायता करना।
4. संभावित उद्यमियों को आवश्यक दस्तावेज तैयार करने के लिए, व्यापार शुरू करने के लिए कानूनी और तकनीकी औपचारिकताओं का अनुपालन करना।
5. सक्षम प्राधिकारी के साथ उपक्रम के पंजीकरण के लिए सहायता प्रदान करना।
6. मशीनरी, कच्चे माल, तकनीकी ज्ञान आदि सहित सभी आवश्यक संसाधनों को व्यवस्थित करने में सहायता।
7. आवश्यक धन और वित्त उपलब्ध कराने में सहायता करना।
8. नए व्यवसाय को लॉन्च करने और प्रबंध करने के लिए प्रबंधकीय और तकनीकी सलाह प्रदान करना।
9. प्रस्तावित उत्पादों के लिए बाजार को उपलब्ध कराने और मार्केटिंग समस्याओं में मार्गदर्शन करना।
10. एक नए उद्यमी के मौजूदा व्यापार के विस्तार और विकास के लिए विशेषज्ञ परामर्श देना।
11. नए उद्यमियों द्वारा शुरू की गई बीमार इकाई के पुनर्वास के लिए मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।

8.7 उद्यमी प्रेरणा

यह जानना बहुत दिलचस्प है कि लोगों को व्यवसाय में जाने के लिए क्या प्रेरित करता है। वे जोखिम को स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं? कई शोध अध्ययनों को दुनिया भर में व्यापारिक गतिविधियों के लिए लोगों को प्रेरित करने वाले कारकों की पहचान की गयी है। हालांकि, पैसे कमाने के लिए एक महत्वपूर्ण इमोटिवेटिंग बल है, लोग व्यापार में नहीं जाते हैं और उद्यमी बन जाते हैं केवल पैसा बनाने के लिए। वास्तव में कई अन्य कारक हैं जो उद्यमी बनने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। आइए उद्यमिता प्रेरणा से कया वास्तव में इसका मतलब है और क्या कारक उद्यमी बनने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं।

प्रेरणा क्या है?

'प्रेरणा' शब्द 'मकसद' शब्द से प्राप्त किया गया है जिसका अर्थ है हमारे मन की एक आंतरिक अवस्था जो हमारे लक्ष्य के प्रति चालन सक्रिय या हमारे व्यवहार को निर्देशित करती है। इस प्रकार प्रेरणा एक आंतरिक भावना है जो लक्ष्य के प्रति व्यक्ति के व्यवहार को सक्रिय करती है। प्रेरणा को एक ऐसी प्रक्रिया के रुप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति को कार्रवाई में प्रेरित करता है और लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए कार्रवाई जारी रखने के लिए प्रेरित करता है।

माइकल ज्युलियस प्रेरणा को ''किसी व्यक्ति को उत्तेजित करने या खुद को कार्रवाई करने के इच्छुक मार्ग के रूप में परिभाषित करता है।''

प्रेरणा की प्रक्रिया के तीन प्रमुख तत्वों के रुप में 'मकसद', 'व्यवहार' और 'लक्ष्य' को माना जाता है।

उद्यमिता गतिविधियों को करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने वाले उद्देश्य को उद्यमशीलता प्रेरणा कहा जा सकता है।

उद्यमिता एक बहुत ही जोखिम भरा प्रस्ताव है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसे उठाते हैं, क्योंकि, ऐसे मजबूत इरादों या प्रेरित कारक हैं जो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। व्यवहार वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तावित व्यवहार सिद्धांतों से पता चलता है कि एक व्यक्ति को उद्यमशीलता से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। विशेष रुप से मैस्लो की जरुरत ही प्रेरणा है–संग्रह सिद्धांत और डेविड मैकलेल्ड्स की उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत एक व्यक्ति के उद्यमशीलता के व्यवहार के लिए सबसे अधिक निर्भर हैं

उद्यमी प्रोत्साहन की प्रकृति :–

हालाकि कई तरह के प्रेरणाएं, विशेष रुप से चार प्रकार के 'उद्देश्यों' का पालन करने से लोगों को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित किया जाता हैः

उन्हें संक्षेप में चर्चा करते हैं।

1. **उपलब्धि प्रेरणा** :– उपलब्धि की आवश्यकता एक उद्यमी को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक आंतरिक भावना है जो एक उद्यमी को सफलता के लिए प्रेरित करता है। डेविड मैकलेलैंड ने उपलब्धि प्रेरणा सिद्धांत विकसित किया है उनके अनुसार, एक व्यक्ति की उपलब्धि (एन–एच) की आवश्यकता व्यक्तिगत सहभागिता की आवश्यकता को दर्शाती है। यह अभियान है जो लोगों को सफलता से बेहतर बनाता है उच्च स्थान/अलग प्राप्त करने वाले मकसद वाले लोग जोखिम उठाते हैं और जीतना चाहते हैं।

   मैक्सलेलैंड का तर्क है कि निम्नलिखित तीन प्रकार की जरूरतें एक साथ एक व्यक्ति पर अभिनय कर सकती हैं :

   i- संबद्धता की आवश्यकता (एन–एफ)

   ii- पावर के लिए आवश्यकता (एन–पीआरएच), और

   iii- उपलब्धि की आवश्यकता (एन–एच)

उनके अनुसार, एक उद्यमी के मामले में, उपलब्धि की उच्च जरूरत एक पर हावी पड़ जाती है। उनके विचार में, उपलब्धियों के लिए उच्च आवश्यकता वाले लोगों को उद्यमियों के रुप में सफल होने की अधिक संभावना है।

उच्च उपलब्धि के उद्देश्य वाले लोग केवल धन पुरस्कार या लाभ से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन वे अपने आंतरिक ड्राइव को पूरा करने का प्रयास करते हैं। लाभ केवल उनके लिए एक बाहरी प्रोत्साहन है। मैक्लेलालैंड ने सिद्धांत प्रश्नों का उचित उत्तर देते हैः क्यों कुछ लोग अपने स्वयं के उद्यमों को शुरू करने के लिए बहुत आरामदायक नौकरियां छोड़ते हैं जिसमें जोखिम का एक तत्व शामिल होता है? क्यों कुछ व्यापारियों जो अच्छी कमाई कर रहे हैं, अपनी मेहनत से अर्जित पैसा विनिर्माण में हिस्सेदारी में डाल दिया? क्यों टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियरों को सुरक्षित नौकरी के लिए जाने के बजाय अपने स्वयं के उद्योग शुरू होते हैं? इस

सभी लोगों के पास उच्च उपलब्धि प्रेरणा है वे असामान्य रुप से रचनात्मक हैं और उनके पास जोखिम लेने की क्षमता की उच्च प्रवृत्ति है। वे व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। वे ऐडवर्टर के चेहरे पर बने रहते हैं और मध्यम जोखिम लेते हैं और उनके प्रयासों के परिणाम जानना प्रसंद करते हैं।

2. **पावर प्रेरणा** :– मैकलेलैंड व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करने और आसपास के वातावरण को नियंत्रित करने और हेरफर करने की इच्छा के रुप में शक्ति प्रेरणा को परिभाषित करता है। इसका अर्थ है भौतिक वस्तुओं और कार्यो का उपयोग करके दूसरों पर हावी होना और उन्हें प्रभावित करना है। कुछ लोगों को ऊपर की ओर आंदोलन के लिए ड्राइव है वे स्थिति, प्रतिष्ठा और दूसरों पर प्रभाव पाने का आनन्द लेते हैं।

सत्ता के लिए यह इच्छा लोगों को मानव संगठन स्थापित करने और उन्हें निर्देशित करने के लिए प्रेरित करती है। यह मकसद इतनी तीव्र है कि कुछ लोग बड़े व्यापारिक नेता बन जाते हैं और अपना साम्राज्य बनाते हैं।

3. **संबद्धता प्रेरणा** :– यह दूसरों के साथ अनुकूल और सकारात्मक संबंध स्थापित करने और बनाए रखन की आवश्यकता को दर्शाता है। सामजिक पशु इच्छा दोस्ती और संघ के रुप में लोग प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग करते हैं एक समूह में काम कर रहे लोग नई जिम्मेदारियों को करने के लिए अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। समूह का नैतिक समर्थन (रिश्तेदार, मित्र, कार्य समूह या कोई अन्य सामाजिक समूह हो सकता है) आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाता है और लोगों को जोखिम स्वीकार करने की मानसिकता तैयार करता हैं।

4. **विस्तार प्रेरणा** :– दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने और अपनी महत्वकांक्षाओं को पूरा करने में दूसरों की सहायता करना विस्तार प्रेरणा कहलाता है। एक्स्टेंशन प्रेरणा के साथ उद्यमी दूसरों को अपने स्वयं के व्यवसाय करते समय मदद करते हैं वे समाज के लाभ के लिए अपनी क्षमता और प्रतिभा का उपयोग करते हैं। वे हमेशा महसूस करते हैं कि उनकी खशी दूसरों की खुशी और प्रगति में है।

8.8 उद्यमी प्रोत्साहनत्मक कारक

उद्यमियों को प्रेरित करने वाले कारकों की पहचान करने के लिए कई शोध अध्ययन भारत में आयोजित किए गए हैं आर0 ए0 शर्मा (1980) ने इस संबंध में अग्रणी अध्ययन किया है। मूर्ति (1986) ओर पी0एन0 मिश्रा (1987) द्वारा किए गए अध्ययन विभिनन प्रेरक कारकों की पहचान करने में भी प्रमुख हैं जो उद्यमियों को व्यावसायिक गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित करते थे।

इन सभी कारकों का सारांश निम्न प्रकार से किया गया है–

1. **शैक्षिक पृष्ठभूमि/ज्ञान** :– पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त औपचारिक तकनीकी ज्ञान, शैक्षिक संस्थानों ने उद्यमी को उद्यमी में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करता है। श्रीमती किरण मुजुमदार–शॉ का उदाहरण यहां उल्लेख किया जा सकता है। उसने जूलॉजी में अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई की और स्नातक स्तर की पढ़ाई प्रयोग शराब बनाने में काम किया जिससे उसने बायोकॉन लिमिटेड की स्थापना की।

2. **व्यावसायिक अनुभव** :– व्यावसाय की एक विशेष पंक्ति में व्यावसायिक पृष्ठभूमि या पर्याप्त व्यावसायिक अनुभव लोगों को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करता है
3. **कुछ नया करने की इच्छा** :– रचनात्मक गतिशील मानव मस्तिष्क का नतीजा है कुछ लोग हमेशा कुछ नया और अभिनव करने का प्रयास करते हैं जीवन में कुछ नया और स्वतंत्र करने की तीव्र इच्छा से उद्यमियों को व्यवसाय में शामिल होने का संकेत मिलता है।
4. **पारिवारिक पृष्ठभूमि** :– पिछली पीढ़ी की उद्यमशीलता की गतिविधियों ने अगली पीढ़ी को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया। भारत में, परिवार की व्यावसायिक पृष्ठभूमि ने लोगों को व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए, टाटा, बिड़ला, अंबानी, कोटक्स, किर्लोस्कर आदि इसका जीता जागता उदाहरण है।
5. **सरकार सहायता और मदद** :– संस्थागत स्रोतों और कई अन्य प्रकार की सहायता से आसान वित्तीय सहायता कुछ लोगों को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रेरित करते हैं। सहायता और समर्थन में निम्नलिखित शामिल हैं–
   - बीज पुंजी सहायक
   - व्यापार ऋण और उस पर सब्सिडी की आसान उपलब्धता।
   - किराया खरीद पर मशीनरी।
   - लीजिंग स्कीम
   - उद्यम पूंजी की उपलब्धता
   - टैक्स रियायतें
   - निर्यात सहायता
   - तकनीकी और विपणन पहलुओं में प्रशिक्षण।
6. **बड़े व्यापारिक घरों से उत्साह** :– बड़े व्यवसाय की सफलता की कहानियां भी लोगों को प्रेरित करती हैं–इतना ही नहीं, कुछ बड़े व्यवसायिक घरानों को उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है।
   संबद्ध या सहायक उत्पादों का उत्पादन उदाहरण के लिए, ऑटोमाबाइल उद्योग ने कई मध्यम और छोटे उद्यमियों को हलोजन बल्ब, सींट और वाहनों के अन्य सामानों के उत्पादन के लिए प्रेरित किया है।
7. **उत्पाद/सेवा की मांग** :– किसी विशेष उत्पाद या सेवा के लिए कभी भी बढ़ती या भारी मांग से लोगों को इस तरह के उत्पाद/सेवा के उत्पादन के लिए आकर्षित करती है। कुछ वस्तुओं या सेवाओं के लिए एक विस्तार बाजार है, उद्यमियों को ऐसे क्षेत्रों में अपने तरीके मिलते हैं। फिर से यह पाया गया कि 'फिटनेस' सेवा की बढ़ती मांग है, इसलिए कई नए उद्यमियों ने बड़े शहरों और छोटे शहरों में अपने 'फिटनेस सेंटर' खोल दिए हैं।
8. **सस्ती कीमत पर अनुपलब्ध/कमजोर इकाइयों की उपलब्धता** :– जब कुछ बीमार औद्योगिक इकाई (आर्थिक रुप से कमजोर या बीमार इकाई) सस्ते कीमत पर उपलब्ध होती है, तो यह उद्यमियों को इस तरह की इकाई को लेने और इसे पुनर्जीवित करने के लिए आकर्षित करती है। यहां ध्यान देने के लिए दिलचस्प है कि, श्री धीरूभाई अंबानी ने नरोडा में एक बंद वस्त्र

मिल रखीदकर कपड़े का उत्पादन शुरू किया। इसके अलावा विद्या मुरूम्बी और नरेन्द्र मुरूम्बी ने कुछ बीमार चीनी मिलों को खरीदा और उन्हें बदल दिया।

9. **श्रम और कच्ची सामग्री की उपलब्धता** :– प्रतिस्पर्धी दरों पर आवश्यक प्रकार के श्रम और सामग्री की उपलब्धता, लोगों को व्यावसायिक गतिविधियों को करने के लिए प्रेरित करती है। शिवकाशी में, सस्ते दरों पर तुलनात्मक रुप से श्रम की आसान उपलब्धता ने कई व्यवसायियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया है। कैलेंडर मुद्रण, मैच–बॉक्स बनाने और पटाखे बनाने वाले व्यवसायों ने वहां विकास किया है। वहॉ सस्ते मजदूरी दरों के कारण इन उत्पादों के पीछे श्रम लागत बहुत कम है।

10. **अन्य कारक** :– निम्नलिखित तीन विस्तृत समूहों में प्रेरणात्मक कारकों का अध्ययन किया और वर्गीकृत किया है :

(अ) महत्वाकांक्षी कारक

(क) पैसा बनाने के लिए।
(ख) पारिवारिक व्यवसाय जारी रखने के लिए।
(ग) स्व रोजगार पाने के लिए।
(घ) पत्नी/माता–पिता की इच्छा पूरी करने के लिए।
(ड.) सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए।
(च) बच्चों के स्व–रोजगार।
(छ) रचनात्मक कुछ करने की इच्छा।

(ब) आकर्षक कारक

(क) बेरोजगारी।
(ख) अब तक काम के साथ असंतोष के कारण।
(ग) तकनीकी या पेशेवर कौशल का उपयोग करें।
(घ) पिता द्वारा शुरू की गई बीमार इकाई का पुनर्उद्धार।
(ड.) बेकार या अधिक राशि का उपयोग।
(च) बड़े परिवार के रखरखाव।

(स) सुविधा कारक

(क) अन्य उद्यमियों की सफलता की कहानियॉ।
(ख) व्यापार का अनुभव।
(ग) विरासत संपत्ति।
(घ) परिवार के सदस्य/मित्रों/रिश्तेदारों आदि द्वारा प्रोत्साहित किया।

8.9 उद्यमिता विकास कार्यक्रम

उद्यमिता विकास को न केवल बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने बल्कि राष्ट्र की समग्र आर्थिक और सामाजिक उन्नति के तरीके को देखना चाहिए। उद्यमशीलता के व्यापक पैमाने पर विकास न केवल स्वयं–रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करता है बल्कि इस तरह बेरोजगार युवकों के बीच अशांति और सामाजिक तनाव को कम करने में मदद करता है, साथ ही साथ छोटे व्यवसाय

गतिशीलता को भी शुरू करने में, नवीन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और संतुलित आर्थिक विकास की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है।

उद्यमिता को उचित रुप से डिजाइन किए कार्यक्रमों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। निजी और साथ ही सार्वजनिक क्षेत्रों के सभी स्तरों पर संस्थाओं की एक संख्या उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और सुविधाएं प्रदान करती है। युवा उद्यमों के राष्ट्रीय गठबंधन, लघु उद्यमिता विकास संस्थान भारत (एसईडीआईआई), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरिशिप और लघु व्यवसाय विकास (एनआईईएसबीयूडी), सेंटर फॉर एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट (पीएमआरवाय), स्मॉल उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी), जिला औद्योगिक केंद्र (डीआईसी), राष्ट्रीय कर्मचारी बोर्ड (एनईबी) ग्रामीण युवा प्रशिक्षण और स्व रोजगार (टीआरवायएसईएम), व्यापार संबंधित उद्यमिता सहायता विकास (टीआरएडी), शिक्षित युवाओं के लिए स्व रोजगार कार्यक्रम सेपई), गांव और खादी आयोग (वीकेसी) आदि उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम हैं।

8.10 ईडीपी के मुख्य उद्देश्य

मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :

- संभावित उद्यमियों की पहचान करना और उन्हें प्रशिक्षण देना।
- इन कार्यक्रमों में भाग लेने वालों के ज्ञान और गुणों को विकसित करना।
- प्रशिक्षण के बाद सहायता प्रदान करना।
- सही प्रोजेक्ट और उत्पाद का चयन करने के लिए उद्यम स्थापित करने में सरकार से उपलब्ध सहायता, प्रोत्साहन और सब्सिडी के सूत्रों का पता लगाना।
- छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने और विकसित करना जो कि स्वयं को रोजगार और संभावित उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगा।
- नए उद्यमी अवसरों को विकसित करने के लिए।
- ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करना।
- संतुलित क्षेत्रीय विकास में सहायता के लिए।
- उद्यमियों की प्रबंधकीय क्षमता बढ़ाने के लिए।
- उद्यम चलाने के लिए नियम, प्रक्रिया और नियमों को समझना।
- व्यवसाय चलाने मे अनिश्चितता को स्वीकार करने के लिए उसे तैयार करें।
- व्यापार के बारे में एक व्यापक दृष्टि विकसित करना।

8.11 राष्ट्र के आर्थिक विकास में उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम की भूमिका

आर्थिक विकास और एक राष्ट्र के विकास की प्रक्रिया में कार्यक्रम (ईडीपी) विशाल है। यह ईडीपी है जिसके माध्यम से उद्यमी उद्यम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल सीखते हैं जो अंततः निम्न तरीकों से आर्थिक प्रगति की ओर योगदान करते हैं।

1. **रोजगार के अवसर पैदा करता हैः–** ईडीपी छोटे और बड़े औद्योगिक इकाई की स्थापना के माध्यम से पर्याप्त रोजगार के अवसर बनाकर बेरोजगारी की

समस्या को सुलझाने में मदद करती है जहां बेरोजगारों को अवशोषित किया जा सकता है। विभिन्न कार्यक्रम, प्रधान मंत्री रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और एकीकृत विकास कार्यक्रम आदि जैसी योजनाएं हैं। गरीबी को खत्म करने और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया।

2. **संतुलित समयावधि विकास को प्राप्त करने में मदद करता है:–** सफल ईडीपी पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण की गति में तेजी लाने में सहायता करती हैं और एक व्यक्ति के हाथों में आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को कम करने में सहायता करती है। राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न रियायतों की पेशकश की गई सब्सिडी ने उद्यमियों को ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अपनी छोटी और मध्यम औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। ईडीपी के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए आगे बढ़ती हैं, जो अंततः संतुलित क्षेत्रीय विकास को प्राप्त करने में मदद करती हैं।

3. **औद्योगिक मलिन बस्तियों को रोकता है:–** उद्यमी विकास कार्यक्रम औद्योगिक मलिन बस्तियों को हटाने में मदद करते हैं क्योंकि उद्यमियों को सभी गैर–औद्योगिक क्षेत्रों में अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाएं, प्रोत्साहन, सब्सिडी और बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।
4. **स्थानीय संसाधनों का उपयोग :–** उद्यमियों द्वारा पहल की पर्याप्तता और पर्याप्त ज्ञान की कमी के कारण स्थानीय रुप से उपलब्ध संसाधनों के बहुत सारे अनुपयुक्त रहते हैं। इन संसाधनों का उचित उपयोग तेजी से औद्योगिकीकरण और ठोस आर्थिक वृद्धि के लिए एक स्वस्थ आधार को भूखा करने में मदद करेगा। ईडीपी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग में मदद कर सकते हैं।
5. **आर्थिक आजादी :–** प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाले सामान और सेवाओं की एक विस्तृत विविधता के उत्पादन के द्वारा ईडीपी के माध्यम से उद्यमियों को देश की आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम हैं। उद्यमियों को निर्यात प्रोत्साहन और आयात प्रतिस्थापन के जरिए भी किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास और विकास के लिए जरूरी विदेशी मुद्रा की कमाई और धन अर्जित करने में सक्षम हैं।
6. **जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय के स्तर में सुधार:–** प्रतिस्पर्धात्मक कीमतों पर गुणवत्ता के सामान और सेवाओं की एक किस्म का उत्पादन करने के लिए ईडीपी उत्पादन के नवाचार और तकनीकों के बारे में उन्हें शिक्षित करके उद्यमियों को आवश्यक समर्थन प्रदान करते हैं। ईडीपी भी अधिक उद्यमों की स्थापना में मदद करती हैं जो रोजगार की अधिक संभावनाएं प्रदान करने और लोगों की कमाई बढ़ाने में सहायता करते हैं। इसके परिणामस्वरुप प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी और इस प्रकार लोगों के जीवन स्तर के सुधार में मदद मिलेगी।

7. **उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम :–** भावी उद्यमियों और मौजूदा कर्मचारियों की कौशल उन्नयन के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और एमएसई के तकनीशियनों के कौशल विकसित करने के लिए विभिन्न तकनीकी–सह–कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने का मूल उद्देश्य उनका कौशल उन्नयन और उन्हें बेहतर और बेहतर बनाने के साथ सुसज्जित करना,
उत्पादन के तकनीकी कौशल कम विकसित क्षेत्रों सहित, राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक रुप से वंचित समूहों (ओबीसी, एससी/एसटी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं) के कौशल विकास के लिए विशिष्ट दर्जी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इन कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य समूह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक और अन्य कमजोर वर्ग हैं।

8.12 उद्यमी विकास कार्यक्रमों की उपलब्धियां

ईडीपी द्वारा की गई प्रमुख भूमिका के कारण हाल ही के वर्षो में औद्योगिकरण को गति प्रदान हुई है।

ईडीपी की प्रमुख उपलब्धियां :

- ईडीपी ने अभ्यास, उन्मुख विकास कार्यक्रम की स्थापना, विकास और विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में लगभग सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जो ईडीपी के तहत व्यवस्थित और विकसित किए जाते हैं।
- ईडीपी ने भी उद्यमियों के लिए आवश्यक विभिन्न समर्थन प्रणालियां विकसित और स्थापित की हैं। वे इन समर्थन प्रणालियों को मजबूत और समन्वयित करते हैं।
- ईडीपी ने न केवल औद्योगिक की पृष्ठभूमि बनाई है बल्कि इसके लिए भी गति प्रदान की है। इन कार्यक्रमों ने बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए बहुत योगदान दिया है स्वयं रोजगार कार्यक्रम शुरू करने और औद्योगिकीकरण को गति देने के द्वारा ईडीपी ने इस दिशा में काफी हद तक मदद की है।
- इन कार्यक्रमों की दूसरी उपलब्धि, इस प्रतिस्पर्धी युग में एक नए उद्यम का विकास है जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। ईडीपी ने नए उद्यमों को स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रविष्टियां प्रदान की हैं और विभन्नि उद्यमी भी प्रदान किए हैं।
- कौशल और गुण उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों के कारण उद्यमशीलता और प्रशिक्षण दूर–दूर तक फैल गया है। इसने जान, कल्पनाशील शक्ति, दूरदर्शिता, उद्यमियों की जोखिम लेने की क्षमता आदि में वृद्धि हुई है।
- ईडीपी ने भी परियोजना तैयार करने में योगदान दिया है।
- एक सही प्रकार का परियोजना चुनना एक मुश्किल काम है क्योंकि संसाधन सीमित हैं। ईडीपी ने ऐसी स्थितियों में बहुत उपयोगी साबित किया है।

- ईडीपी ने लोगों और पिछड़े क्षेत्रों में छोटे उ़द्ययोगों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करके संतुलित क्षेत्रीय विकास में मदद की है।
- ईडीपी की एक और महत्पूर्ण उपलब्धि उपभोक्ता को सस्ते और गुणवत्ता वाले उत्पाद की उपलब्धता है। ईडीपी के नए उद्यमों की वजह से स्थापित किया गया है जो नई तकनीक और विशेषज्ञता है जो प्रतियोगिता में बढ़ोतरी का परिणाम है।
- भारत में ईडीपी के कारण कई उद्यमिता विकास संस्थान स्थापित किए गए हैं। इनमें प्रमुख हैं प्रबंधन विकास संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमी और लघु व्यवसाय विकास (एनआईईएसबीयूडी), उद्यमशीलता विकास संस्थान भारत (ईडीआईआई), तकनीकी परामर्श संगठन (टीसीओ) आदि

8.13 उद्यमशीलता विकास की समस्यायें एवं उपाय

स्वतंत्रता के बाद उद्यमिता विकास की आवश्यकता अत्यधिक रूपरेखा दी गई थी। केन्द्रीय सरकार ने अपनी पहली औद्योगिक नीति में उद्यमशीलता विकास के महत्व पर प्रकाश डाला और उद्यमिता विकास पर अपनी नीति की घोषणा की। इसके अलावा, सरकार की सभी बाद की औद्योगिक नीतियों में भी इस बात पर जोर दिया जाता है। तदनुसार केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने 60 से अधिक वर्षो के लिए पूरे देश में उद्यमशीलता विकास की अभियान शुरू किया था। लेकिन दुर्भाग्य से इसे काफी सुलता हासिल नहीं हुई है। हमें उद्यमिता विकास की प्रक्रिया और नीतियों में कुछ समस्याएं और कमियां मिलती हैं जो निम्नानुसार सूचीबद्ध हो सकती हैंः

1. विभिन्न संस्थानों और एजेंसियों द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास में समन्वय का अभाव।
2. उद्यमिता विकास के लिए अनिवार्य संख्या में संस्थान अपने कार्य क्षेत्र के बारे में भ्रम की स्थिति में हैं।
3. एक नए उद्यमी के लिए आवश्यकताओं की प्राथमिकताओं का अभाव।
4. संभावित उद्यमियों के मार्गदर्शन और परामर्श के लिए विशेषज्ञों की कमी।
5. दीर्घकालिक उद्यमिता का अभाव।
6. उद्यमशीलता विकास संस्थानों और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का अभाव।
7. उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमेां के लिए संसाधनों की कमी।
8. प्रतिभागियों और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पालन–पोषण करने में कमी।
9. उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की सफलता की कम दर।
10. छोटै पैमाने पर उद्योग क्षेत्र से बीमार इकाइयों की बढ़ती संख्या।

उपचारी उपाय :–

राज्य सरकार और केन्द्र सरकार ने समस्याओं को दूर करने के लिए उपायों को अपनया है। कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार सुझाए गए हैंः

1. उद्यमिता विकास की गतिविधियों में प्रभावी समन्वय आवश्यक है। प्रभावी समन्वय के लिए राज्य सरकार इस संबंध में कार्यक्रम आरंभ करेगी।
2. संभावित उद्यमियों के लिए सिंगल विंडो स्कीम पेश की जाएगी।

8.14 स्थानीय उद्यमिता से आशय

उद्यमिता के विभिन्न स्वरुपों जैसे– निजी या सार्वजनिक, संयुक्त या सहकारी, विकासात्मक या क्रांतिकारी, केन्द्रीयकृत या विकेन्द्रित, वृहत या लघु, नैत्यक या नवीन, वैयक्तिक या सामुहिक में एक प्रकार यह भी है– शहरी या ग्रामीण उद्यमिता। स्थानीय उद्यमिता ग्रामीण उद्यमिता का ही रुप है, लघु उद्यमिता का ही रुप है, विकेन्द्रित उद्यमिता का ही स्वरुप है।

गॉव में ग्रामीण क्षेत्रों, कस्बों में वहॉ के स्थानीय व्यक्त्यिों द्वारा कम पूँजी लागत वाली छोटी–छोटी इकाइयों, लघु इकाइयों को स्थापित करना; जिसमें अधिकाधिक मात्रा में स्थानीय श्रम शक्ति, स्थानीय कच्चेमाल, स्थानीय बाजारों में उपलब्ध उपकरणों का प्रयोग, स्थानीय लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, स्थानीय उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना तथा निर्मित उत्पाद को स्थानीय बाजार में बेचना सम्मिलित हो सकता है या नहीं भी हो सकता है; स्थानीय उद्यमिता है। स्थानीय उद्यमिता में स्थानीय व्यक्ति का होना ही अनिवार्य है शेष सब परिस्थिति पर निर्भर करते है। वे हो भी सकती है, और नहीं भी। लेकिन स्थानीय उद्यमिता में उद्यमी वहीं का स्थानीय होगा। अतः अपने मूल स्थान में अपने परंपरागत व्यवसाय, उद्योगधंधों को त्याग कर कोई नया उद्योग व्यापार प्रारंभ करना स्थानीय उद्यमिता है। स्थानीय उद्यमिता में स्थानीय बहुत सी चीजें सम्मिलित की जाती है। वे सब उसे विकसित होने में सहायता प्रदान करती है। इसलिए अन्य बातों को स्थानीय उद्यमिता के सहायक के रुप में सम्मिलित कर सकते हैं।

संक्षेप में ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय उद्यमियों द्वारा संचालित व्यवसायिक क्रिया स्थानीय उद्यमिता कहलाती है। स्थानीय उद्यमिता के विकास में सहायक घटक– स्थानीय कच्चे माल, स्थानीय श्रम शक्ति, स्थानीय पूँजी, स्थानीय सगठन और स्थानीय बाजार हो सकते हैं। स्थानीय उद्यमिता के अन्तर्गत निम्नलिखित बातें सम्मिलित की जाती हैं– स्थानीय उद्यमी, स्थानीय कच्चे माल, स्थानीय श्रम शक्ति, स्थानीय पूँजी और स्थानीय ज्ञान।

8.15 सारांश

ईडीपी ने भी उद्यमियों के लिए आवश्यक विभिन्न समर्थन प्रणालियां विकसित और स्थापित की हैं। वे इन समर्थन प्रणालियों को मजबूत और समन्वित करते हैं। ईडीपी ने अभ्यास, उन्मुख विकास कार्यक्रम की स्थापना, विकास और विस्तार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में लगभग सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जो ईडीपी के तहत व्यवस्थित और विकसित किए जाते हैं। ईडीपी ने न केवल औद्योगिक पृष्ठभूमि बनाई है बल्कि इसके लिए गति भी प्रदान की है। इन कार्यक्रमों ने बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए बहुत योगदान दिया है स्वयं रोजगार कार्यक्रम शुरू करने और औद्योगिकीकरण को गति देने के द्वारा ईडीपी ने इस दिशा में काफी हद तक मदद की है। इन कार्यक्रमों की दूसरी उपलब्धि, इस प्रतिस्पर्धी युग में एक नए उद्यम का विकास है जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। ईडीपी ने नए उद्यमों को स्थापित करने के लिए विभिन्‍ उद्यमिता विकास की न प्रविष्टियां प्रदान की हैं और विभिन्नि उद्यमी भी प्रदान किए हैं। कौशल और गुण उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों के कारण उद्यमशीलता और प्रशिक्षण दूर–दूर तक फैल गया है। इसने ज्ञान, कल्पनाशील शक्ति, दूरदर्शिता, उद्यमियों की जोखिम लेने की क्षमता आदि में वृद्धि हुई है।

ईडीपी ने भी परियोजना तैयार करने में योगदान दिया है। एक सही प्रकार का परियोजना चुनना एक मुश्किल काम है क्योंकि संसाधन सीमित हैं। ईडीपी ने ऐसी स्थितियों में बहुत उपयोगी साबित किया है। ईडीपी ने लोगों और पिछड़े क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करके संतुलित क्षेत्रीय विकास में मदद की है। ईडीपी की एक और महत्पूर्ण उपलब्धि उपभोक्ता को सस्ते और गुणवत्ता वाले उत्पाद की उपलब्धता है। ईडीपी को नए उद्यमों की वजह से स्थापित किया गया है जो नई तकनीक और विशेषज्ञता है जो प्रतियोगिता में बढ़ोतरी का परिणाम है। भारत में ईडीपी के कारण कई उद्यमिता विकास संस्थान स्थापित किए गए हैं। इनमें प्रमुख हैं प्रबंधन विकास संस्थान, राष्ट्रीय उद्यमी और लघु व्यवसाय विकास (एनआईईएसबीयूडी), उद्यमशीलता विकास संस्थान भारत (ईडीआईआई), तकनीकी परामर्श संगठन (टीसीओ) आदि

8.16 शब्दावली

उद्यमिता विकासः औद्योगिक विकास एक राष्ट्र के लोगों की उद्यमशीलता पर निर्भर करता है। अतः सभी विकासशील देशों में, सरकारी और गैर–सरकारी प्रयासों में उद्यमशीलता के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। वैश्वीकरण में, उद्यमिता विकास राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बन गया है।

उद्यमी प्रेरणा : यह जानना बहुत दिलचस्प है कि लोगों को व्यवसाय में जाने के लिए क्या प्रेरित करता है। वे जोखिम को स्वीकार करने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं? हालांकि, पैसे कमाने के लिए एक महत्वपूर्ण इमोटिवेटिंग बल है, लोग व्यापार में नहीं जाते हैं और उद्यमी बन जाते हैं केवल पैसा बनाने के लिए।

प्रेरणा : प्रेरणा को एक ऐसी प्रक्रिया के रुप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति को कार्रवाई में प्रेरित करता है और लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए कार्रवाई जारी रखने के लिए प्रेरित करता है।

स्थानीय उद्यमिता : उद्यमिता के विभिन्न स्वरुपों जैसे– निजी या सार्वजनिक, संयुक्त या सहकारी, विकासात्मक या क्रांतिकारी, केन्द्रीयकृत या विकेन्द्रित, वृहत या लघु, नैत्यक या नवीन, वैयक्तिक या सामुहिक में एक प्रकार यह भी है– शहरी या ग्रामीण उद्यमिता।

8.17 बोध प्रश्न

1. .... नये उपक्रम की स्थापना, नियत्रण एवं निर्देशन करने की योग्यता के साथ–साथ उपक्रम में नये–नये सुधार एवं परिवर्तन करने की साहसिक क्षमता भी है।
2. .... एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उद्यमशील गुणों को व्यावसायिक विचारों या उद्यमों में अवसरों को बदलने के लिए उपलब्धियों की आवश्यक प्रेरक ड्राइव के साथ इंजक्ट किया जाता है और व्यापार उपक्रमों की अनिश्चित और जोखिमपूर्ण स्थितियों का प्रबंधन किया जाता है।
3. .... एक आंतरिक भावना है जो लक्ष्य के प्रति व्यक्ति के व्यवहार को सक्रिय करती है।
4. ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय उद्यमियों द्वारा संचालित व्यवसायिक क्रिया ....उद्यमिता कहलाती है।

8.18 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. उद्यमिता, 2. उद्यमिता विकास, 3. प्रेरणा, 4. स्थानीय

8.19 स्वपरख प्रश्न

1. उद्यमिता का अर्थ स्पस्ट करते हुए उसके प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए।
2. उद्यमिता विकास की प्रकति एवं विशेसताओं का उल्लेख कीजियें।
3. उद्यमशीलता विकास की प्रकिया पर लेख लिखिए।

8.20 सन्दर्भ पुस्तकें

1. *Vasant Desai. (2004) - Dynamics of Entrepreneurial Development and Management - Himalaya Publishing House: New Delhi, p.17.*
2. *Deepthi A. and K. Lavanya Latha (2012) - Growth of Small Scale Entrepreneurship: A Case Study of Nellore District - International Journal of Economics and Management 6(1): 98 – 114.*
3. *Singh Pritam (1966) - The Role of Entrepreneurship in Economic Development: Issues and Policies - Vora and Company, Mumbai, p.228.*
4. *Agarwal, A. N. (1995) - Indian Economy, Problems of Development and Planning - Wiley Eastern Limited, Delhi.*
5. *Baruah, R. K. (2005) - Financing Small Scale Industries - Omsons Publications, Delhi.*
6. *Hamid, S. A. (1989) - Management and Development in Small Scale Industries - Anmol Publications, New Delhi.*
7. *Kuchhal, S. C. (1989) - The Industrial Economy of India - Chaitanya Publishing House, New Delhi.*
8. *Report On the Evaluation Of Entrepreneurship Development Institution Scheme- The Ministry of MSME, Government of India, New Delhi.*
9. *Somwanshi S.A. Sickness of Small Scale Industries in Marathwada – Management of Industrial Sickness, Pointer Publisher, Jaipur.*
10. *Bajaj, Shammi (2012) - women entrepreneurs: a new face of India - IJRIM, November 2012, Volume 2, Issue 11, 123-127.*
11. *SIET: Small Industries Training and Extension Institute (1974) - Evaluation of Entrepreneurial /Motivation Training Programme in Assam, (Research Report), Hyderabad.*
12. *Awasthi, D. (1989) - Impact Study of Entrepreneurship Development Programmes conducted by EDI-I: Methodological Issues and Summary Results - Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad.*
13. *NISIET: National Institute of Small Industry Extension and Training (1990) - Entrepreneurship Development in North- Eastern Region - Planning, Implementation and Evaluation, Guwahati.*
14. *Singh, M. (1990) - An Evaluation Study of Entrepreneurship Development Programmes (EDPs) - NITCON, Department of Management Studies, Punjab University, Patiala.*
15. *Mahajan, V. (1992) - How Entrepreneurship Development Programmes are Evaluated: An Assessment - Working Paper, Development Management Consultants, New Delhi.*

16. *Gupta, S.K. (1990) - Entrepreneurship Development Training Programme in India - Small Enterprise Management, Vol.1, No. 4: pp.34-46.*
17. *Khanka, S.S. (2005) - Entrepreneurial Development - S. Chand & Co. Pvt. Ltd., New Delhi.*
18. *Saini, J.S. (1996) -Entrepreneurship Development Programmes and Practices - Deep & Deep Publications Pvt. Ltd., New Delhi.*
19. *Gupta B. L. & Anil Kumar – Entrepreneurship Development (2009) – Mahamaya Publishing House, New Delhi.*
20. *Ahmad, Nisar. (2009) - Problems and Management of Small Scale and Cottage Industries - Deep and Deep Publications, New Delhi.*
21. *Indira Kumari (2014) - A Study on Entrepreneurship Development Process in India - Indian Journal Of Researc, Volume 3, Issue 4, April 2014.*
22. *Ahmed, J. U. (2007). Industrialization in Northeastern Region. New Delhi: Mittal Publications.*
23. *Bharti, R. K. (2008) - Industrial Estate in Developing Economies - National Publishing House, New Delhi.*
24. *Devi, S. A. (1995) - Development of Small Scale and Household Industries in Manipur- During Plan Period – Thesis submitted to Manipur University, Imphar.*

9 आर्थिक विकास और उद्यमशीलता के माध्यम से संक्रमण
(Growth and Transition through Entrepreneurship)

इकाई की रूपरेखा

9.1 प्रस्तावना
9.2 उद्यमिता विकास

9.3 भारत में उद्यमशीलता के विकास की सम्भावनायें
9.4 लघु उद्योगों का महत्व
9.5 लघु व्यवसाय में उद्यमिता का संवर्धन
9.6 लघु उद्योगों के माध्यम से उद्यमशीलता विकास
9.6.1 लघु उद्यमियों का योगदान
9.7 उद्यमशीलता और औद्योगिक विकास
9.8 आर्थिक विकास में एक उद्यमी की भूमिका
9.9 औद्योगिक विकास में उद्यमशीलता की भूमिका
9.10 भारतीय उद्यमशीलता का परिदृश्य
9.11 भारत में उद्यमिता विकास के लिए अवसर
9.12 आर्थिक विकास में उद्यमशीलता की भूमिका
9.13 सांराश
9.14 शब्दावली
9.15 बोध प्रश्न
9.16 बोध प्रश्नों के उत्तर
9.17 स्वपरख प्रश्न
9.18 सन्दर्भ पुस्तकें

उद्‌देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो सकेंगे किः

- उद्यमिता विकास से परिचित हो सकें तथा उद्यमशीलता विकास की सम्भावनाओं की समीक्षा कर सकें।
- उद्यमशीलता विकास में लघु उद्योगों की भूमिका पर प्रकाश डालना सकें।
- आर्थिक तथा औद्योगिक विकास में उद्यमशीलता तथा उद्यमिता की भूमिका को समझ सकें।
- उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों का भारत के संदर्भ में अवलोकन कर सकें।

9.1 प्रस्तावना

उदारीकरण के बाद भारत में औद्योगिक और आर्थिक परिदृश्य में यह आवश्यक है कि बड़े पैमाने पर उद्यमियों को बनाने के लिए अधिक गतिशील और व्यावहारिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इससे न केवल बेरोजगारी की समस्या से निपटने मे मदद मिलेगी बल्कि नए उद्यमियों के विकास में भी मद्द मिलेगी। अपने सामरिक उपकरणों के रुप में प्रौद्योगिक और गुणवत्ता का उपयोग करते हुए, जो कि घरेलू और साथ ही वैश्विक बाजारों मे बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा को लेकर कार्य कर सकते हैं, वे शब्द के वास्तविक अर्थ में आविष्कार और उद्यमी हैं। यह तब हासिल किया जा सकता है जब अधिक से अधिक लोगों को एक कैरियर के रुप में उद्यमिता का चयन करने और उनकी ऊर्जा और संसाधनों को उत्पादक उपयोग में रखने के लिए प्रेरित किया गया हो।

भारत में लघु, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के भीतर उद्यमशीलता को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एमएसएमई क्षेत्र को अक्सर 'विकास का इंजन' कहा जाता है। हम भारत में इस क्षेत्र की एक समीक्षा के साथ शुरू करते हैं और कुछ हाल के रूझानों को देखते हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में इस

क्षेत्र के विकास और महत्व को उजागर करते हैं। पिछले कुछ वर्षो में, इस क्षेत्र को मजबूत करने और विकसित करने के उद्देश्य से संघीय और राज्य स्तर पर प्रमुख नीति परिवर्तन हुए हैं। 2006 की एमएसएमई विकास अधिनियम शायद इन हालिया नीतिगत परिवर्तनों मे सबसे महत्वपूर्ण है।

एक देश प्रचुर मात्रा में और अकुशल प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों, मशीनरी और पूंजी के उपकरण रख सकता है, लेकिन जो ऐसे संसाधनों को सही अनुपात में जोड़ते हैं, कार्य निर्धारित करते हैं और अपनी उपलब्धियों को देखते हैं वह है उद्यमी। संक्षेप में, ये एक उद्यमी के कार्य हैं। उद्यमी आर्थिक गतिविधि के केंद्रीय आंकड़े हैं । वे ऐसे व्यक्ति हैं जो एक व्यवसाय इकाई के मामलों को आरंभ, व्यवस्थित करने, प्रबंधित करने और नियंत्रित करने के लिए उत्पाद की आपूर्ति के लिए उत्पादन के कारकों को जोड़ते हैं, चाहे वह व्यवसाय कृषि, उद्योग, व्यापार या व्यवसाय से संबंधित हो। जैसे, विकास या अंडर–विकास समाज में उद्यमशीलता के विकास या अंडर–डेवलपमेंट का प्रतिबिंब है। इसलिए उद्यमशीलता कौशल, सबसे कीमती प्राकृतिक कब्जे के रुप में माना जाना चाहिए।

9.2 उद्यमिता विकास

देश के आर्थिक विकास में उद्यमी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक विकास के एक घटक के रुप में उद्यमशीलता के विकास का महत्व लंबे समय से मान्यता प्राप्त करता रहा है। यह 1950 की शुरूआत थी कि उद्यमशील के विकास की आवश्यकता पहले महसूस की गई तब से इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में अनुसंधान चला गया है। देर से, उद्यमिता देश के चारों ओर के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विकास अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। नतीजतन, कई क्षेत्रों में कई उेद्यमी अवसर उभर रहे हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि, संचार, परमाणु ऊर्जा, दूरसंचार, खाद्य प्रौद्योगिकी और पैकेजिंग, इन सभी और कई अन्य क्षेत्रों मे उद्यमशीलता के अवसर तेजी से सामने आए हैं।

पिछले दो दशकों के दौरान तेजी से तकनीकी प्रगति ने उत्पादन की प्रक्रिया को अधिक जानकार और उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में गहन बना दिया है, विशेषकर अकुशल श्रमिकों के लिए नए रोजगार अवसरों के निर्माण को सीमित करना, विलय के जरिए फर्मो को कम करके, अधिग्रहण और अन्य पुनर्गठन अभ्यास ने अपने मौजूदा कर्मचारियों के भविष्य को दांव पर लगाया है। क्योंकि उन्हें पेशेवर प्रशिक्षण, कौशल और प्रतिस्पर्धी माहौल में काम करने के लिए आवश्यक अभिविन्यास की कमी है। बढ़ती आबादी की समस्या ने दुनिया के कई विकासशील देशों में बेरोजगारी की समस्या को और अधिक तीव्र बना दिया` है।

आमतौर पर दो तरीके हैं जो एक अर्थव्यवस्था में मानव संसाधनों की बड़े पैमाने पर बेरोजगारी से निपटने के लिए सुझाए गए हैं। पहला युवाओं को पेशेवर के साथ–साथ पारंपरिक तरीकों/पाठ्यक्रमों के माध्यम से शिक्षित करने और प्रतिस्पर्धी माहौल में काम करने के लिए उन्हें तैयार करना है। दूसरा, सिखाना और उन्हें अपना उद्यम शुरू करने और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षित करना है।

बेहतर विकल्प के रुप में यह आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बनाता है और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था की घन–निर्माण प्रक्रिया को जोड़ता है, जिससे देश की तेजी से विकास और विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है।` इसलिए उद्यमिता का विकास, भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार के अलावा,

इसके वर्तमान और भावी विकास संभावनाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है।

भारत में, राज्य और निजी उद्यमिता सह–अस्तित्व में हैं। छोटे पैमाने पर औद्योगिक क्षेत्र और व्यवसाय पूरी तरह से निजी उद्यमियों पर छोड़ दिया गया है। लघु–स्तरीय उद्य उद्यमिता के लिए एक प्रजनन स्थल है। इसके विपरीत, उद्यमशीलता के विकास के कारण मुख्य रुप से छोटे पैमाने पर क्षेत्र का तेजी से विकास भी सच है। इसलिए, इस संदर्भ में, इस क्षेत्र में पहचान और प्रोत्साहन उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है।

9.3 भारत में उद्यमशीलता के विकास की सम्भावनायें

भारत में उद्योग में गुणवत्ता वाले लोगों की कमी है, जो पूरे देश में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के उच्च स्तर की मांग करता है। भारत, एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था वाला देश है । वैश्विक स्तर पर नए उद्यमियों को देने के लिए बौद्धिकता का अपना दायरा है। भारत जैसे देश में उद्यमशीलता के विकास का क्षेत्र बहुत जबरदस्त है। वर्तमान दशक के पहले छमाही के दौरान प्राप्त रोजगार में उच्च वृद्धि प्राप्त की । इसी अवधि के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के 6 से 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की उच्च वृद्धि के सकारात्मक परिणामों में से एक है। ये स्थानिक सांद्रता विभिन्न प्रकार के आर्थिक और गैर–आर्थिक अंतर–फर्म संबंधों को जन्म देती है ।

औद्योगिक क्लस्टर :–

विकसित देशों में बड़ी संख्या में समूहों के अनुभव दर्शाते हैं कि व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर–फर्म संबंधों के कारण, समूहों में सभी एसएमई पैमाने और अर्थव्यवस्थाओं का अनुभव करते हैं जो दक्षता और अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए अग्रणी है। क्लस्टर को माइक्रो/छोटे और मध्यम उद्यमों के क्षेत्रीय और भौगोलिक एकाग्रता के रुप में परिभाषित किया जाता है जिसमें फोकस/यूनिट स्तरीय विशेषज्ञता और सामग्री के आदान–प्रदान और मानव संसाधनों के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के विकास के लिए इंटरकनेक्टेड उत्पादन प्रणाली शामिल है।

क्लस्टर बनाने के लिए स्थानीय बाजार/मध्यस्थों की उपलब्धता भी एक क्लस्टर का सामान्य लक्षण है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने समूहों के विकास पर विशेष बल दिया है। अगस्त 2003 में, क्लस्टर विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए मंत्रालय ने लघु उद्योग समूह विकास कार्यक्रम (एसआईसीडीपी) को शुरू किया था। यह उद्यमों के प्रौद्योगिकी उन्नयन सहित मार्केटिंग, निर्यात, कौशल विकास, सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापति करने आदि क्लस्टर के विकास के समग्र स्वरुप को अपनाने के द्वारा व्यापक आधार पर बनाया गया था। बाद में योजना के दायरे को चौड़ा करने के लिए, 2003–04 के दौरान योजना के प्रदर्शन में अचानक बढ़ोतरी हुई थीं। योजना के एक व्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए, क्लस्टर डेवलपमेंट एक्जीक्यूटिव (सीडीई) के एक कैडर को प्रशिक्षित और विकसित किया गया है, जिससे भारत के उद्यमिता विकास संस्थान क्लस्टर विकास कार्यक्रम की पद्धति में एक विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना। ईडीआई ने अब तक लगभग 600 सीडीई के बारे में प्रशिक्षित किया है। वर्तमान में पूरे देश में विभिन्न संगठनों और मंत्रालयों द्वारा 500 क्लस्टर के करीब विकसित किया जा रहा है।

औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में दिए गए दिशानिर्देशों के बाद, योजनाकारों ने छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने पर तेजी से जोर दिया। 1956 से, सरकार ने विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया है जैसे कि रियायती वित, बुनियादी ढांचा सुविधाओं, समर्थन संस्थानों के निर्माण और तकनीकी और प्रबंधकीय मार्गदर्शन और सुरक्षात्मक उपायों जैसे कि 675 उत्पादों को विशेष रुप से माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) सरकार ने एमएसएमई से कीमतें प्राथमिकता के आधार पर खरीदी की हैं ताकि विपणन समर्थन के साथ क्षेत्र को उपलब्ध कराया जा सके, इसके अलावा 358 वस्तुओं को केवल छोटे पैमाने पर उद्योगों से खरीदना शामिल है। सरकार ने संस्थाओं का एक व्यापक नेटवर्क बनाया है जो उभरने और माइक्रो और देश में छोटे उद्यम नतीजतन, भारत में छोटे उद्यम क्षेत्र में बहुत प्रभावशाली वृद्धि हुई है।

आजादी के बाद औद्योगिक विकास :–

आजादी से पहले, बड़े निजी उद्योगों के स्वामित्व या नियंत्रण एजेंसियों के हाथों में थे, जो ब्रिटिश प्रणाली के तहत बढ़ी और लंदन के मनी मार्केट तक पहुंच थी। इस प्रकार आजादी से पहले इन प्रबंध एजेंसियों के मालिकों ने अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित किया। लेकिन आजादी के बाद चीजें बदल गई संसद ने एजेंसियों के प्रबंध करने के शक्तियों को रोकने के लिए एक कानून बनाया। 1971 तक सरकार ने प्रबंध एजेंसियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1948 में घोषित औद्योगिक नीति संकल्प, स्पष्ट रुप से औद्योगिकीकरण के संबंध में सरकार की नीति के लक्ष्य को आगे बढ़ाया और उन्हें चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया। उन उद्योगों को पूरी तरह से सरकार द्वारा स्वामित्व था। जैसे परमाणु ऊर्जा, रेलवे और राष्ट्रीय महत्व का कोई भी उद्योग। कोयला, लोहा और इस्पात, विमान निमार्ण, जहाज निर्माण, टेलीग्राफ और संचार जैसे कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को दस साल तक काम करने की अनुमति दी गई थी, जिसके अंत में सरकारें उनका राष्ट्रीयकरण करेगी। राज्य सरकारों के साथ संपर्क में 18 विशिष्ट उद्योगों का एक समूह केन्द्र सरकार का नियंत्रण था। शेष औद्योगिक विकल्पों को निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया था।

9.4 लघु उद्योगों का महत्व (एसएसआई)

छोटे पैमाने के उद्योग को पारंपरिक और आधुनिक रुप में वर्गीकृत किया जाता है मोटे तौर पर पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे कि 'खादी और ग्रामोद्योग', 'हथकरघा', 'हस्तशिल्प', 'कुयर' और 'रेशम उत्पादन' लघु उद्योग (एसएसआई) क्षेत्र की प्रगति में एक सामरिक भूमिका निभाते हैं। ये उद्योग बड़े पैमाने पर पारंपरिक रुप से आधुनिक प्रौद्योगिकी से आर्थिक प्रगति में एक मंच का प्रतिनिधित्व करते हैं। छोटे पैमाने पर उद्योग हमारे देश के विकास में प्रमुख स्थान पर हैं। यह एक देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने में उनके महत्व के कारण है। लघु–स्तरीय उद्योग विकसित और साथ ही विकासशील देशों की उत्पादक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एसएसआई का उचित विकास हमारी अर्थव्यवस्था के स्वस्थ विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

छोटे उद्योगों के विकास का प्राथमिक उद्देश्य रोजगार के अवसरों को बेहतर बनाने, आय और जीवन स्तर के स्तर को बढ़ाने और एकीकृत अर्थव्यवस्था के लिए अधिक संतुलित विकास लाने के लिए है। यह सच है कि छोटे उद्योग किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास के इंजन हैं वे नौकरी प्रदाताओं और तकनीकी

नवप्रवर्तनकर्ता हैं इस क्षेत्र में रोजगार, उद्योगों के फैलाव, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और देश में विदेशी बाजारों की कमाई के लिए एक उच्च क्षमता है। लघु उद्योग भारत के निर्यात का 35 प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन का 45 प्रतिशत, सेवा का 65 प्रतिशत, रोजगार सृजन का 80 प्रतिशत योगदान करते हैं।

लघु—स्तरीय उद्योगों का महत्व एक वैश्विक घटना है जिसमें विकासशील और विकसित देशों दोनों शामिल हैं। एक अनुमान है कि विशाल निगम की उम्र खत्म हो गई थी और भविष्य में छोटे, गतिशील, कुशल उत्पादन समूहों के साथ लगाया गया था जो विश्व स्तर पर ग्राहकों की जरूरतों पर शीघ्र प्रतिक्रिया दे सकते है, इक्विटी और दक्षता के साथ विकास की कुंजी रखने वाले छोटे उद्यमों पर जोर दिया जाता है। भारत में, लघु उद्योग विनिर्माण गतिविधियों को दर्शाता है।

छोटे उद्यम लगभग हमेशा स्थानीय रुप से स्वामित्व वाले होते हैं और नियंत्रित होते हैं, और वे विस्तारित परिवार और अन्य सामाजिक प्रणालियों और सांस्कृतिक परंपराओं को नष्ट करने की बजाए मजबूत कर सकते हैं जो उनके अधिकार के साथ—साथ राष्ट्रीय पहचान के प्रतीकों में भी महत्वपूर्ण हैं।

छोटे पैमाने पर उद्योगों को उच्च स्तर की तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है। ये आम तौर पर श्रम में गहन होते हैं और बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। बेरोजगार और नियोजित लोगों की ऊर्जा का उपयोग अर्थव्यवस्था में उत्पादक प्रस्तावों के लिए किया जा सकता है जिसमें पूंजी कम है। एसएसआई परियोजनाओं को थोड़े समय में किया जा सकता है और इसलिए ये दोनों लघु और लंबी अवधि में उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अधिकांश विकासशील देश कुछ कृषि, वन और खनिज संसाधनों में समृद्ध हैं, छोटे पैमाने पर उद्यम स्थानीय स्तर पर निर्मित कच्चे माल के प्रसंस्करण पर आधारित हो सकते हैं। छोटे व्यवसाय के लिए अवसर बनाकर, छोटे औद्योगिक उद्यमों की आय का एक अधिक न्यायसंगत वितरण लाया जा सकता है जो सामाजिक रुप से आवश्यक और वांछनीय है। यह समृद्धि को फैलाने और एकाधिकार का विस्तार देखकर समाज में आर्थिक स्थिरता पैदा करने में मदद करता है। एसएसआई उद्यमों के विकास से विकासशील देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा होंगे। इससे नौकरियों की तलाश में ग्रामीणों से शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों के पलायन को कम करने में मदद मिलेगी।

पिछले छह दशकों में भारत में लघु उद्योगों की महत्वपूर्ण वृद्धि केन्द्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस क्षेत्र के लिए उच्च प्राथमिकता के कारण है। एसएसआई इकाइयों की संख्या 1981 में 8.74 लाख से बढ़कर 2002 में 34.64 लाख हो गई। एसएसआई इकाइयों ने उत्पादन, रोजगार और निर्यात आय के मामले में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इक्विटी के साथ विकास को बढ़ावा देता है। देश भर में रोजगार सृजन की इसकी दर किसी भी क्षेत्र के लिए सबसे तेज है।

9.5 लघु व्यवसाय में उद्यमिता का संवर्धन

एक उद्यमी द्वारा प्रबंधित किया जाने वाला व्यवसाय देश में आर्थिक समृद्धि ला सकता है। सामान्य भलाई और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता उद्यमशीलता व्यवसाय के लिए आवश्यक शर्ते हैं। नए उद्यमों के निर्माण और देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए, कई ऐसे व्यक्ति हैं जो सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। उन व्यक्तियों के पास जिनके पास उद्यम चलाने

का विशेष ज्ञान होता है, ऐसे व्यक्ति के एक समूह का एक हिस्सा होता है। इसलिए हर देश को ऐसे तकनीकी लोगों की जरूरत है, जो आर्थिक विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा दे सकता है।

एक व्यक्ति जो पहल करता है और नेतृत्व को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में एक गुणवत्ता को प्रमोटर के रुप में जानता है । पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होती है जब ऐसे व्यक्ति को उद्यम शुरू करने के सकारात्मक विचार मिलते हैं और यह तब समाप्त होता है जब उद्यम वास्तव में अस्तित्व में आता है और सफलतापूर्वक कार्य करना शुरू करता है। छोटे व्यवसाय की पदोन्नति तब शुरू होती है जब एक उद्यमी एक नया व्यापार उद्यम शुरू करने के विचारों की कल्पना करता है। इस तरह के एक प्रमोटर के पास कुछ निश्चित पृष्ठभूमि होने चाहिए। वह तकनीकी रुप से अच्छी तरह से वाकिफ होना चाहिए और इस तरह के उद्यम के बारे में सही ज्ञान रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति व्यवसाय चलाने और उसके विचारों को लागू करने के लिए योग्य है, तो उनकी सफलता की संभावना निश्चित रुप से बढ़ी है। कुछ मामलों में, एक व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में काम करके और एक सफल उद्यमी बनकर ज्ञान प्राप्त कर सकता है उन्हें उत्पाद के बारे में पूर्ण ज्ञान और छोटे पैमाने पर औद्योगिक इकाइयों के बारे में सरकारी नीतियां चाहिए। इसका मतलब है कि उन्हें उन उत्पादों को जानना चाहिए जो सरकार द्वारा छोटे पैमाने पर औद्योगिक इकाइयों के लिए अलग रखा गया है।

9.6 लघु उद्योगों के माध्यम से उद्यमशीलता का विकास

पिछले दो दशकों में भारत में लघु उद्योगों के विकास की योजना आर्थिक विकास की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। एक विकासशील अर्थव्यवस्था के तेजी से और विकेन्द्रीकृत विकास में आधुनिक छोटे–बड़े उद्योग एक शक्तिशाली कारक हो सकते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में लघु–स्तरीय क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को अपेक्षाकृत छोटी पूंजी लागत पर पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने की अपनी क्षमता के कारण पहचाना गया है, जो स्थानीय संसाधनों को जुटाने में मदद करता है।

भारत में आधुनिक छोटे पैमाने पर उद्योग द्वितीय विश्व युद्ध से लगभग पहले अस्तित्वहीन थे । युद्ध के वर्षो के दौरान, जहाज पर दबाव को दूर करने और अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के रूझान को रोकने के लिए युद्ध के प्रयासों को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए कई छोटे–बड़े उद्योग स्थापित किए गए थे। आजादी के बाद पचास वर्षो के दौरान, संगठित प्रयास किए गए और छोटे पैमाने पर उद्योगों के विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम 'फोर्ड–फउंडेशन' प्रयासों की एक टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर गर्वित हुआ, जिसे देश में आमंत्रित किया गया था।

छोटे पैमाने पर उद्योगों में वृद्धि की उच्च्य दर प्राप्त करने और राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान देने के द्वारा इस प्रोत्साहन को उचित समझा गया है। संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में छोटे उद्यम विभिन्न क्षेत्रों में लगभग चालीस लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं, और देश में कुल वार्षिक औद्योगिक उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा है। रोजगार और उत्पादन में योगदान के अलावा, छोटे उद्योगों के विकास ने स्थानीय संसाधनों और कच्चे माल, पूंजी और कौशल का उपयोग करने में मदद की है। लघु उदयोगों ने औद्योगिकीकरण को सफलतापूर्वक देश के कोने–कोने तक फैलाया है।

9.6.1 लघु उद्यमियों का योगदान

योगदान की एक विस्तृत श्रृंखला है।जिसमें उदमियों द्वारा विकास प्रक्रिया में ये किया जा सकता है।

- अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन और परिवर्तन में उद्यमिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- उद्यमिता से स्थापित सामाजिक संस्थानों की आर्थिक कमी और आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को कम करने में मदद करता है।
- उद्यमी बाजारों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाते हैं और इस प्रकार स्थिर और गतिशील बाजार की अक्षमताओं को कम करते हैं।
- अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत छोटे उद्यमी सरकार और उनके कार्यक्रम आर्थिक विकास को बाधित करते समय सरकारी अधिकार स्थापित करते हैं।
- उद्यमियों ने आर्थिक रुप से सकारात्मक और राजनीतिक रुप से विघटनकारी होने के बिना, समाज के भीतर धन, आय और राजनीतिक शक्ति का पुनर्वितरण प्रोत्साहित किया है।
- उद्यमिता तकनीकी और अन्य नवाचारों के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाता है।
- निरर्थक, पहले की अनदेखी प्रतिभाओं का उपयोग करके देश के सामाजिक कल्याण में उद्यमियों को सुधारना।
- उद्यमिता नए आविष्कारों और उत्पादों के व्यावसायीकरण में एक रणनीतिक भूमिका निभाता है।

15.7 उद्यमशीलता और औद्योगिक विकास

भारत की आर्थिक समृद्धि मुख्य रुप से औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों की सफलता पर निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त रुप से योगदान करने के लिए कृषि की सीमाओं के कारण, औद्योगिक क्षेत्र, जो संसाधनों के साथ संपन्न है, ने इस संबंध में हमारे देश में अधिक महत्व ग्रहण किया है। आर्थिक विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र के महत्व को महसूस करते हुए, हमारे योजनाकारों का लक्ष्य है कि तेजी से औद्योगीकरण के माध्यम से औद्योगिक विकास में तेजी लाने और हमारे देश को सम्पन्न, प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग के साथ संपन्न करनाा है। इसके अलावा, योजनाकारों ने यह भी एहसास किया है कि इन अदभुत प्रयासों में लोगों की भूमिकाएं और उनकी क्षमताओं को खोलने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और मानव कारक की कोई लापरवाही केवल देश की आर्थिक समृद्धि को कमजोर कर देगी। नतीजतन, सरकार की औद्योगिक नीतियों और लगातार पांच वर्षीय योजनाओं ने सरकार को औद्योगिक विकास में मानव कारक को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने का इरादा दोहराया। इस प्रकार, उद्यमी एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंच गया है और सभी आर्थिक गतिविधियों के तंत्रिका केन्द्र बन गया है।

उद्यमशीलता का विकास, जो एक मानवीय गतिविधि है, हमारे देश की आर्थिक विकास और समृद्धी को देखते हुए अनिवार्य हो गया है। आज के विकासशील देशों के साथ–साथ औद्योगिकीकरण को तेज करने पर बहुत भरोसा है, जिस पर उनका आर्थिक विकास निर्भर करता है। इस प्रक्रिया में मनुष्य और भौतिक संसाधनों

के संयोजक, उपभोक्ता के रुप में, और विनिमय एजेंट के रुप में केन्द्र में खड़ा होता है। विभिन्नि भूमिकाओं में उन्हें खेलना है, मानव संसाधन संसाधनों के एक आयोजक के रुप में उनका कार्य सबसे महत्वपूर्ण है और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक है। उनकी भूमिका के बिना, उत्पादन के संसाधन स्थिर रहते हैं और कभी भी उत्पादों या सेवाओं में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं।

यह वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने के लिए उत्पादन के कारण आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र और आर्थिक विकास के प्रणोदक हैं। भारत जैसे विकासशील अर्थव्यवस्था में, उद्यमियों को नए अवसरों का अनुभव करने के लिए सक्षम होना चाहिए, जो उन्हें तलाशने और जोखिम में लेने के लिए तैयार है उद्यमिता और आर्थिक विकास एक दूसरे के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। एक समाज के आर्थिक जीवन में उद्यमी एक गतिशील बल हैं और अपने उत्पादक संसाधनों के आयोजक हैं। सही उद्यमशीलता का विकास विकासशील देशों की सबसे गम्भीर समस्याओं में से एक है, और पर्याप्त संख्या में हमारे देश के सही प्रकार के उद्यमियों की कमी आर्थिक विकास में बाधा है।

9.8 आर्थिक विकास में एक उद्यमी की भूमिका

उद्यमी, जो एक व्यवसायी नेता है, विचारों को देखता है और उन्हें आर्थिक विकास और विकास को बढ़ावा देने में प्रभाव डालता है। एक देश के आर्थिक विकास में उद्यमिता सबसे महत्वपूर्ण इनपुट में से एक है। उद्यमी अपने उद्यमी फैसलों द्वारा आर्थिक गतिविधियों को चिंगारी देने के लिए एक ट्रिगर के रुप में कार्य करता है। वह न केवल एक देश के औद्योगिक क्षेत्र के विकास में खेती और सेवा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थाव्यवस्था की आर्थिक विकास में एक उद्यमी द्वारा निभाई जाने वाली प्रमुख भूमिका पर व्यवस्थित और व्यवस्थित ढंग से चर्चा की गई है।

1. **कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा देता है** :– उद्यमी जनता की निष्क्रिय बचत को जुटाकर पूंजी निर्माण को बढ़ावा देते हैं। वे अपने स्वयं के साथ–साथ उधार संसाधनों को भी रोजगार देते हैं।
2. **बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करता है** :– उद्यमी बेरोजगारों को तत्काल बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करते हैं जो अविकसित देशों की एक पुरानी समस्या है। उद्यमियों द्वारा अधिक से अधिक इकाइयों की स्थापना के साथ, छोटे और बड़े पैमाने पर कई अन्य अवसरों पर दोनों के लिए दूसरों को बनाया जाता है जैसे–जैसे समय बीत जाता है, इन उद्यमों का विकास होता है, कई और अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार, उद्यमियों ने देश में बेरोजगारी की समस्या को कम करने में एक प्रभावी भूमिका निभायी है जो बदले में देश के आर्थिक विकास की राह हो दूर करता है।
3. **संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देता है** :– उद्यमियों ने कम विकसित और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के माध्यम से क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में मदद की है। इन क्षेत्रों में उद्योगों और व्यवसायों के विकास से सड़क परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि जैसे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक लाभ हो सकते हैं। अधिक उद्योगों की स्थापना से पिछड़े क्षेत्रों

के विकास में वृद्धि होती है और इससे संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलता है।

4. **आर्थिक शक्ति का एकाग्रता कम कर देता है** :– आर्थिक शक्ति औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधि का प्राकृतिक परिणाम है। औद्योगिक विकास आम तौर पर होता है।

कुछ व्यक्तियों के हाथों में आर्थिक शक्ति का एकाग्रता है जिसके परिणामस्वरूप एकाधिकार का विकास हुआ। इस समस्या का निवारण करने के लिए बड़ी संख्या में उद्यमियों को विकसित करने की आवश्यकता है, जो जनसंख्या के बीच आर्थिक शक्ति की एकाग्रता को कम करने में मदद करेगा।

5. **धन निर्माण और वितरण** :– यह देश के हित में अधिक लागों और भौगोलिक क्षेत्रों के लिए धन और आय का न्यायसंगत पुनर्वितरण को प्रोत्साहित करता है, इस प्रकार समाज के बड़े वर्गो को लाभ देता है। उद्यमी गतिविधियां भी अधिक पैदा करती हैं और अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव देती हैं।

6. **सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना** :– उद्यमी अवसरों की तलाश में हमेशा रहेगा। वे अवसरों का पता लगाने और उनका फायदा उठाने, पूंजी और कौशल के प्रभावी संसाधन जुटाने को प्रोत्साहित करते हैं, नए उत्पादों और सेवाओं को लाते हैं और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बाजार विकसित करते हैं। इस प्रकार, वे देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद और साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि में मदद करते हैं। देश में सकल राष्ट्रीय उत्पाद और लोगों की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यह आर्थिक विकास का संकेत है।

7. **जीवन के मानक में सुधार** :– लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि देश के आर्थिक विकास की एक विशेषता है। उद्यमियों द्वारा लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

बड़े पैमाने पर माल और सेवाओं के विभिन्न प्रकार के उत्पादन में नवीनतम नवाचारों को अपनाना, जो कि कम लागत पर भी है। इससे लोगों को कम कीमत पर बेहतर गुणवत्ता वाले सामान का लाभ उठाने में सहायता मिलती है, जिससे उनके जीवन स्तर के सुधार में सुधार होता है।

8. **देश के निर्यात व्यापार को बढ़ावा देता है** :– उद्यमी देश के निर्यात–व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जो कि आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। वे बड़े पैमाने पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के उद्देश्य से आयात की देनदारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात से भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाते हैं। इसलिए आयात प्रतिस्थापन और निर्यात प्रोत्साहन को आर्थिक स्वतंत्रता और विकास सुनिश्चित करना।

9. **पिछड़ा और अग्रेषित संबंधों को प्रेरित करता है** :– उद्यमियों को परिवर्तन के माहौल में काम करना और नवाचार द्वारा लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करना। जब एक उद्यम को बदलते हुए प्रौद्योगिकी के अनुसार स्थापित किया जाता है, यह देश में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले पिछड़े और आगे के संबंधों को प्रेरित करता है।

10. **समग्र विकास की सुविधा :–** उद्यमियों को परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक एजेंट के रुप में कार्य करता है जो चेन रिएक्शन में परिणाम करता है। एक उद्यम स्थापित होने के बाद, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया गति में निर्धारित की जाती है। यह इकाई इसके लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की यूनिटों की मांग पैदा करेगा और वहां इतनी सारी अन्य इकाइयां होंगी जिन्हें इस इकाई के उत्पादन की आवश्यकता होती हैं। इसके कारण क्षेत्र में समग्र विकास होता है।

    मांग में वृद्धि और अधिक से अधिक इकाइयों की स्थापना इस प्रकार, उद्यमियों ने अपनी उद्यमशीलता की गतिविधियों को बढ़ावा, इस प्रकार क्षेत्र के समग्र विकास के लिए उत्साह का माहौल तैयार किया और एक प्रोत्साहन संदेश दिया।

9.9 औद्योगिक विकास में उद्यमशीलता की भूमिका

किसी भी औद्योगिक विकास कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का है, जो बदले में लोगें के उच्च स्तर के जीवन में परिलक्षित होता है। इसलिए, औद्योगिकीकरण क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के स्तर को बढ़ाने के लिए शक्तिशाली और प्रभावी उपकरण है। यह एक सामान्य तथ्य है, कि उद्यमी क्षेत्रीय विकास की प्रक्रिया में प्रमुख एजेंट हैं। यह तथ्य साबित हुआ है कि जब तक उद्यमियों को अच्छी तरह से व्यवस्थित नहीं किया जाता है, तब तक उस क्षेत्र के कौशल और संसाधनों का उपयोग कुशलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है, इससे आर्थिक गति धीमी बनी रहती है।

सामाजिक ढांचे में और सामाजिक व्यवस्था की नकारात्मकता और मूल्य में जो मुख्य बाधा उत्पन्न होती है, जिसके कारण समाज विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों को जोड़ता है, जिसके परिणामस्वरुप चयनित जिलों में औद्योगिक नेतृत्व की कमी होती है। सामाजिक संरचना का सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसमें व्यवसायों के कठोर स्तरीकरण औद्योगिक, विस्तार के लिए बाधा का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी क्षेत्र में उद्योगों के तेजी से विस्तार के लिए उद्यमियों द्वारा औद्योगिक विकास के प्रयास किए जाते हैं।

9.10 भारतीय उद्यमशीलता का परिदृश्य

1991 से पहले, भारतीय व्यवसाय की सफलता महत्वाकांक्षा, लाइसेंस, सरकारी संपर्क, और नौकरशाही प्रणाली की समझ का एक कार्य था। निर्णय बाजार या प्रतिस्पर्धा के बजाय कनेक्शन पर आधरित थे व्यापार लक्ष्यों ने 'स्वदेशी' आंदोलन की निरंतरता को दर्शाया, जिसने पश्चिम से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा दिया। 1991 से पूर्व की नीतियां आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की दिशा में आवक और सक्षम थीं। 1991 में, भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को उदार बनाया, इस प्रकार प्रतिस्पर्धी परिदृश्य बदल रहा है परिवारिक व्यवसाय, जिसने भारतीय बाजारों पर प्रभुत्व किया, अब उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा था जो श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी, वित्तीय शक्ति और गहरी प्रबंधकीय संसाधन थे। इस प्रकार, भारतीय व्यवसायों को अपना ध्यान और फिर से उन्मुख अपने दृष्टिकोण को बाहर करना पड़ा।

उद्यमियों ने बदलते आर्थिक माहौल के अनुकूल होने और बाजार में अनिश्चितताओं के साथ सकारात्मक ठंग से व्यवहार करने की उनकी क्षमता दिखायी है। हां, उद्यमियों के लिए संयुक्त परिवार की संरचना का निर्माण विश्व बाजार में प्रभावी रुप से विकसित और प्रतिस्पर्धा करने के लिए जारी है। लेकिन अगर यह सफलता कायम रहती है, तो आर्थिक सुधारों को भी जारी रखना होगा।

9.11 भारत में उद्यमिता विकास के लिए अवसर

भारत में उद्योग, व्यापार और सेवाओं में गुणवत्ता वाले लोगों की कमी है, जो पूरे देश में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम की उच्च स्तर की मांग करता है। देश में उद्यमशीलता के विकास का क्षेत्र बहुत जबरदस्त है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 57वें दौर के परिणाम बताते हैं कि 2001–02 में बेरोजगारी के आंकड़े 8.9 मिलियन के बराबर थे। संयोग से, 1 लाख से अधिक भारतीय 2000–01 और 2001–02 के बीच बेरोजगारों के रैंक में शामिल हुए भारत में बढ़ती बेरोजगारी की दर (9.2% 2004 एस्टीट) में युवाओं के बीच हताशा में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा, हमेशा बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए देश में उद्यमशीलता गतिविधियों को बढ़ाना ही एकमात्र सांत्वना है। संयोग से, योजना आयोग द्वारा तैयार की गई दोनों रिपोर्टो के लिए अगले दस वर्षो में 10 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने व बेरोजगार युवाओं के साथ मिलकर काम करने के लिए स्व–रोजगार की सिफारिश की है। भारत में, जहां 300 मिलियन से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, किसी भी सरकार के लिए हर किसी के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराना असंभव है। इस तरह के हालात निश्चित रुप से समाज से लगातार प्रयास करने की मांग करते हैं, जहां लोगों को आने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है अपने उद्यमशीलता पहल के साथ स्वतंत्रता के बाद की अवधि में, केन्द्र/राज्य सरकारों द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और उन्नत प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया। 20वीं शताब्दी के बाद के उत्तरार्ध में भारत में उद्यमशील गतिविधियों के पैटर्न में काफी परिवर्तन आया है

9.12 आर्थिक विकास में उद्यमशीलता की भूमिका

1947 से वर्तमान समय तक भारतीय आर्थिक विकास की प्रगति यह आगे सबूत प्रदान करती है कि व्यक्ति स्व–अस्तित्व और धन के संचय के लिए प्रोत्साहन देने पर प्रतिक्रिया करते हैं। इसके अलावा, इस प्रतिक्रिया की प्रकृति आर्थिक जलवायु, विशेषकर सरकार की भूमिका पर निर्भर करती है। भारत की अर्थव्यवस्था तब तक संघर्ष कर रही थी जब तक कि यह देश के बाहर आर्थिक शक्तियों के साथ थोड़ी बातचीत के साथ सरकारी विनियमन की प्रणाली में आधारित थी। 1990 के प्रारंभ में आर्थिक सुधार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्याप्त सुधार के लिए मंच तैयार किया।

1992–1993 से 2000–2001 तक भारत की अर्थव्यवस्था 6.3% की औसत से बढ़ी है। इसके अलावा, मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे की दर दोनो में काफी कमी आई है। बेहतर विनियम दर प्रबंधन ने चालू खाता घाटे और उच्च विदेशी मुद्रा भंडार के बेहतर वित्तपोषण का नेतृत्व किया। अंत में, भारत का सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आया दोनों 1990–1991 से 1998–1999 तक काफी हद तक बढ़ गई। दरअसल, आर्थिक विकास के लिए हाल के एक सूक्ष्म आर्थिक दृष्टिकोण में से

एक उद्यमशील की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। नए व्यवसायो, नऐ रोजगार, अभिनव उत्पादों और सेवाओं और भविष्य में सामुदायिक निवेश के लिए बढ़ी हुई धन सहित विभिन्न प्रकार के आर्थिक लाभों के लिए उद्यमशील प्रयासों का प्रयास किया गया है।

हाल के वर्षो में भारत की आर्थिक प्रगति को देखते हुए, अब देश micro-economic नीतियों के कार्यान्वयन के लिए तैयार हो सकता है जो उद्यमी गतिविधियों को बढ़ावा देगा। सौभाग्य से, भारत ने आर्थिक विकास के प्रकार की नींव रखन के लिए अन्य कदम उठाए हैं, जिन्हें उद्यमशीलता गतिविधियों और उचित आर्थिक नीतियों द्वारा ही बढ़ावा दिया जा सकता है जो व्यक्तिगत अधिकारों और जिम्मेदारियों को प्रतिबिंबित करती हैं। उदाहरण के लिए, हाल के वर्षो में भारत ने दूरसंचार नेटवर्क के निर्माण और राष्ट्रव्यापी सड़क निर्माण कार्यक्रम के कार्यान्वयन सहित कई महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन किए हैं।

भारत अपनी सीमाओं के भीतर उद्यमी गतिविधियों को बढ़ावा देने, विशेष रुप से अपनी बढते मध्यम वर्ग के भीतर, अतिरिक्त आर्थिक विकास पैदा कर सकता है। न केवल विभिन्न प्रकार के देशों में उद्यमशीलता को महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए पाया गया है, लेकिन भारत विशेष रुप से अपने विकास में एक बिंदु तक पहुंच गया है जहां यह उद्यमशील प्रयासों के माध्यम से इसी तरह के परिणाम प्राप्त कर सकता है। अन्य बातों के अलावा, भारत उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नए व्यापार शुरू करने के लिए तैयार है जो इसे विश्व अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख प्रतियोगी बनने में मदद कर सकता है। आर्थिक विकास के लिए उद्यमी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को अब इसके लिए अवसर प्रदान करना चाहिए।

1. शिक्षा विशेष रुप से उद्यमिता कौशल विकसित करने पर,
2. उद्यमशीलता के प्रयासों का वित्तपोषण, और
3. संभावित उद्यमियों और उनके अनुभवी समकक्षो के बीच नेटवकिंग

जाहिर है, सरकार इन प्रकार के अवसरों को उपलब्ध कराने में मदद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह उचित कर और नियामक नीतियों को भी प्रदान कर सकता है और उद्यमियों के प्रयासों और आर्थिक समृद्धि के बीच के संबंध को समझने के लिए भारत के नागरिकों की सहायता कर सकता है। हालांकि, इसकी भूमिका को समग्र रुप से कम किया जाना चाहिए ताकि मुक्त बाजार और व्यक्तिगत स्व–हित का प्रभाव पूरी तरह से महसूस हो सके। केवल समय बताएगा कि अगर भारत में उद्यमी गतिविधियों में वृद्धि हुई तो वास्तव में दुनिया के कई अन्य देशों में मिले आर्थिक लाभ मिलेगा। क्या भारत को आर्थिक विकास को मार्ग बनने का फैसला करना चाहिए, फिर भविष्य के अनुसंधान के लिए भारत के उद्यमी कार्यक्रम के परिणामों की जांच करनी चाहिए, शायद अधिक महात्वपूर्ण यह है कि अनुसंधान को भी यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि उद्यमशीलता प्रयासों में भारत की सफलता किस तरह विकसित राष्ट्रो से अलग हो सकती है।

9.13 सांराश

1947 से वर्तमान समय तक भारतीय आर्थिक विकास की प्रगति यह आगे सबूत प्रदान करती है कि व्यक्ति स्व–अस्तित्व और धन के संचय के लिए प्रोत्साहन देने पर प्रतिक्रिया करते हैं। इसके अलावा, इस प्रतिक्रिया की प्रकृति आर्थिक जलवायु,

विशेषकर सरकार की भूमिका पर निर्भर करती है। भारत की अर्थव्यवस्था तब तक संघर्ष कर रही थी जब तक कि यह देश के बाहर आर्थिक शक्तियों के साथ थोड़ी बातचीत के साथ सरकारी विनियमन की प्रणाली में आधारित थी। 1990 के प्रारंभ में आर्थिक सुधार ने भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्याप्त सुधार के लिए मंच तैयार किया। 1992–1993 से 2000–2001 तक भारत की अर्थव्यवस्था 6.3% की औसत से बढ़ी है। इसके अलावा, मुद्रास्फीति और राजकोषीय घाटे की दर दोनो में काफी कमी आई है। बेहतर विनियम दर प्रबंधन ने चालू खाता घाटे और उच्च विदेशी मुद्रा भंडार के बेहतर वित्तपोषण का नेतृत्व किया। अंत में, भारत का सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आया दोनों 1990–1991 से 1998–1999 तक काफी हद तक बढ़ गई। दरअसल, आर्थिक विकास के लिए हाल के एक सूक्ष्म आर्थिक दृष्टिकोण में से एक उद्यमशील की गतिविधियों को बढ़ावा देना है। नए व्यवसायो, नऐ रोजगार, अभिनव उत्पादों और सेवाओं और भविष्य में सामुदायिक निवेश के लिए बढ़ी हुई धन सहित विभिन्न प्रकार के आर्थिक लाभों के लिए उद्यमशील विकास का प्रयास किया गया है।

9.14 शब्दावली

उद्यमिता विकास : देश के आर्थिक विकास में उद्यमी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आर्थिक विकास के एक घटक के रुप में उद्यमशीलता के विकास का महत्व लंबे समय से मान्यता प्राप्त करता रहा है। यह 1950 की शुरूआत थी कि उद्यमशील के विकास की आवश्यकता पहले महसूस की गई तब से इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में अनुसंधान चला गया है।

औद्योगिक क्लस्टर : क्लस्टर को माइक्रो/छोटे और मध्यम उद्यमों के क्षेत्रीय और भौगोलिक एकाग्रता के रुप में परिभाषित किया जाता है जिसमें फोकस/यूनिट स्तरीय विशेषज्ञता और सामग्री के आदान–प्रदान और मानव संसाधनों के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के विकास के लिए इंटरकनेक्टेड उत्पादन प्रणाली शामिल है।

लघु उद्योगों (एसएसआई) : छोटे पैमाने के उद्योग को पारंपरिक और आधुनिक रुप में वर्गीकृत किया जाता है मोटे तौर पर पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे कि 'खादी और ग्रामोद्योग', 'हथकरघा', 'हस्तशिल्प', 'कुयर' और 'रेशम उत्पादन' लघु उद्योग (एसएसआई) क्षेत्र की प्रगति में एक सामरिक भूमिका निभाते हैं। लघु–स्तरीय उद्योग विकसित और साथ ही विकासशील देशों की उत्पादक गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एसएसआई का उचित विकास हमारी अर्थव्यवस्था के स्वस्थ विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम : उद्यमिता विकास को न केवल बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने बल्कि राष्ट्र की समग्र आर्थिक और सामाजिक उन्नति के तरीके के रूप में देखना चाहिए। उद्यमशीलता के व्यापक पैमाने पर विकास न केवल स्वयं–रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करता है बल्कि इस तरह बेरोजगार युवकों के बीच अशांति और सामाजिक तनाव को कम करने में मदद करता है, साथ ही साथ छोटे व्यवसाय गतिशीलता को भी शुरू करने में, नवीन गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और संतुलित आर्थिक विकास की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है।

9.15 बोध प्रश्न

1. अगस्त 2003 में, क्लस्टर विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए मंत्रालय ने लघु उद्योग समूह विकास कार्यक्रम (एसअईसीडीपी) को शुरू किया था।
2. .... भारत के निर्यात का 35 प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन का 45 प्रतिशत, सेवा का 65 प्रतिशत, रोजगार सृजन का 80 प्रतिशत योगदान करते हैं।
3. छोटे व्यवसाय की पदोन्नति तब शुरू होती है जब एक. .... एक नया व्यापार उद्यम शुरू करने के विचारों की कल्पना करता है।
4. उद्यमशीलता का विकास, जो एक .... गतिविधि है, हमारे देश की आर्थिक विकास और समृद्धी को देखते हुए अनिवार्य हो गया है।

9.16 बोध प्रश्नों के उत्तर

1. 2003, 2. लघु उद्योग, 3. उद्यमी, 4. मानवीय

9.17 स्वपरख प्रश्न

1. उद्यमिता विकास को समझाते हुऐ भारत में उद्यमिता विकास की सम्भावनाओं पर प्रकाश डालिए।
2. उद्यमशीलता विकास एवं आर्थिक विकास में लघु उद्योगों के योगदान पर प्रकाश डालिए।
3. उद्यमशीलता और औद्योगिक विकास के सम्बन्ध पर प्रकाश डालें।
4. राबट के आर्थिक विकास में उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों की भूमिका पर लेख लिखें।
5. आर्थिक विकास में उद्यमशीलता की भूमिका पर टिप्पणी लिखें।
6. .भारत में उद्यमिता विकास के अवसरों की समझाईये।

9.18 सन्दर्भ पुस्तकें

1. *Awasthi, D. (1989) - Impact Study of Entrepreneurship Development Programmes conducted by EDI-I: Methodological Issues and Summary Results - Entrepreneurship Development Institute of India, Ahmedabad.*
2. *NISIET: National Institute of Small Industry Extension and Training (1990) - Entrepreneurship Development in North- Eastern Region - Planning, Implementation and Evaluation, Guwahati.*
3. *Singh, M. (1990) - An Evaluation Study of Entrepreneurship Development Programmes (EDPs) - NITCON, Department of Management Studies, Punjab University, Patiala.*
4. *Hamid, S. A. (1989) - Management and Development in Small Scale Industries - Anmol Publications, New Delhi.*
5. *Kuchhal, S. C. (1989) - The Industrial Economy of India - Chaitanya Publishing House, New Delhi.*
6. *Vasant Desai. (2004) - Dynamics of Entrepreneurial Development and Management - Himalaya Publishing House: New Delhi, p.17.*
7. *Report On the Evaluation Of Entrepreneurship Development*

Institution Scheme- The Ministry of MSME, Government of India, New Delhi.

8. *Somwanshi S.A. Sickness of Small Scale Industries in Marathwada – Management of Industrial Sickness, Pointer Publisher, Jaipur.*
9. *Bajaj, Shammi (2012) - women entrepreneurs: a new face of India - IJRIM, November 2012, Volume 2, Issue 11, 123-127.*
10. *SIET: Small Industries Training and Extension Institute (1974) - Evaluation of Entrepreneurial /Motivation Training Programme in Assam, (Research Report), Hyderabad.*
11. *Khanka, S.S. (2005) - Entrepreneurial Development - S. Chand & Co. Pvt. Ltd., New Delhi.*
12. *Ahmed, J. U. (2007). Industrialization in Northeastern Region. New Delhi: Mittal Publications.*
13. *Bharti, R. K. (2008) - Industrial Estate in Developing Economies - National Publishing House, New Delhi.*
14. *Devi, S. A. (1995) - Development of Small Scale and Household Industries in Manipur- During Plan Period – Thesis submitted to Manipur University, Imphar.*
15. *Mahajan, V. (1992) - How Entrepreneurship Development Programmes are Evaluated: An Assessment - Working Paper, Development Management Consultants, New Delhi.*
16. *Gupta, S.K. (1990) - Entrepreneurship Development Training Programme in India - Small Enterprise Management, Vol.1, No. 4: pp.34-Saini, J.S. (1996) -Entrepreneurship Development Programmes and Practices - Deep & Deep Publications Pvt. Ltd., New Delhi.*
17. *Indira Kumari (2014) - A Study on Entrepreneurship Development Process in India - Indian Journal Of Researc, Volume 3, Issue 4, April 2014.*
18. *Agarwal, A. N. (1995) - Indian Economy, Problems of Development and Planning - Wiley Eastern Limited, Delhi.*
19. *Deepthi A. and K. Lavanya Latha (2012) - Growth of Small Scale Entrepreneurship: A Case Study of Nellore District - International Journal of Economics and Management 6(1): 98 – 114.*
20. *Singh Pritam (1966) - The Role of Entrepreneurship in Economic Development: Issues and Policies - Vora and Company, Mumbai, p.228.*
21. *Baruah, R. K. (2005) - Financing Small Scale Industries - Omsons Publications, Delhi.*
22. *Gupta B. L. & Anil Kumar – Entrepreneurship Development (2009) – Mahamaya Publishing House, New Delhi.*
23. *Ahmad, Nisar. (2009) - Problems and Management of Small Scale and Cottage Industries - Deep and Deep Publications, New Delhi.*
24. *Different internet sites.*